वार्षिक रिपोर्ट तथा
लेखें
2019-20

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इं.डया लिमिटेड की अनुषंगी)
स्था/पो – जागृति विहार, बुर्ला
सम्बलपुर -768020 (ओड़िशा)
वेबसाइट: www.mahanadicoal.in

'संकल्पना'

"खदान से बाजार तक सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों का पालन करते हुए विश्व के अग्रणी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में उभरना"

'लक्ष्य'

"सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए कुशलतापूर्वक और मितव्ययता के साथ पर्यावरण हितैषी तरीके से योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना"

गत 10 वर्षों हेतु प्रमुख वित्तीय आंकड़ें

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	कोयले का उत्पादन	एमटी(मिलियन टन.)	100.28	103.12	107.89	110.44	121.38	137.90	139.21	143.01	144.15	140.36
2	कोयले का प्रेषण	एमटी(मिलियन टन.)	102.09	102.52	111.96	114.34	123.00	140.22	143.01	138.26	142.30	134.02
3	कोयले की बिक्री (सकल)	रू. करोड़	9,249.75	12,068.60	13,190.42	13,165.61	14989.05	19829.58	23450.72	22379.91	24607.68	22834.92
4	पीबीटी	रू. करोड़	4,039.30	5,463.69	6,202.48	5,429.08	5,314.24	6260.43	6854.72	7339.66	9281.08	8645.47
5	पीएटी	रू. करोड़	2,609.32	3,709.51	4,212.44	3,624.30	3,554.10	4184.74	4492.01	4761.29	6039.54	6427.39
6	लाभांश	रू. करोड़	1,570.02	2,226.55	2,529.45	5,983.16	3,841.82	3608.45	2982.00	4350.00	3875.00	5225.00
7	शुद्ध नियत आस्तियां	रू. करोड़	2,019.19	2,048.05	2,212.52	2,788.58	3,087.48	3252.55	3943.29	4534.24	6433.84	7248.57
8	नेट वर्थ	रू. करोड़	6,548.14	7,674.42	8,939.12	5,563.42	4,477.57	4319.26	3385.38	2943.12	3873.17	3923.11
9	दीर्घ अवधि ऋण	रू. करोड़	124.13	119.42	96.60	9.14	6.90	7.21	6.64	7.09	6.29	6.10
10	नियोजित पूंजी	रू. करोड़	11,704.47	14,211.30	16,208.23	14,248.04	15,208.55	16629.66	15183.59	15469.43	18437.96	19862.23
11	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	%	22	26	26	25	23	25	23	31	33	32
12	मूल्य संवर्धन	रू. करोड़	6,945.29	8,825.63	9,206.31	9,153.60	10,203.46	11990.49	12474.74	12979.8	13176.07	12258.82
13	प्रति शेयर अंकित मूल्य	रू.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
14	प्रति शेयर पर बही मूल्य	रू.	35,129.34	41,171.58	47,956.42	29,846.53	24,021.18	23171.89	23971.26	4167.94	5852.16	5927.61
15	प्रति शेयर लाभांश	रू.	8,422.81	11,944.95	13,569.95	32,098.34	20,610.52	19358.54	21,115.00	6160.31	5854.92	7894.70
16	प्रति शेयर अर्जन	रू.	13,998.43	19,900.71	22,598.82	19,443.58	19,066.97	22450.21	31800.60	32419.32	8622.45	9592.93
17	ईक्यू शेयर सं.	संख्या	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1412266	7061330	6618363	6618363

विषय सूची

क्रमांक		पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षक	1-3
2.	सूचना	4(i)-4(iv)
3.	अध्यक्ष का वक्तव्य	5-18
4.	निदेशको की रिपोर्ट	19-88
5.	सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट	89-95
6.	सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	96-102
7.	निदेशको की रिपोर्ट का अनुलग्नक	103-106
8.	कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	107-117
9.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	118-121
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	122-123
11.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	124-150
12.	31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलनपत्र	152-153
14.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण	154.155
15.	नकद प्रवाह विवरण	156
16.	तुलनपत्र एवं लाभ- हानि लेखा के अंश स्वरूप टिप्पणियां	157-240
17.	एमसीएल और उसके सहायक कंपनियों का समेकित लेखा	241-337

वर्तमान प्रबंधन
(18.08.2020 के अनुसार)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	:	श्री बी.एन. शुक्ला
कार्यकारी निदेशक	:	श्री ओ.पी. सिंह निदेशक (तक/संचालन)
		श्री के.आर. वासुदेवन निदेशक (वित्त)
		श्री केशव राव निदेशक (कार्मिक)
		श्री बबन सिंह निदेशक (तक/परि एवं यो) (29.04.2020 से प्रभावी)
आधिकारिक अंशकालिक निदेशकगण	:	श्री नागराजु मद्दिराला संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली.
		श्री एस.एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता
गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकगण	**:**	श्रीमति सीमा शर्मा
		श्री एस. मोहन
स्थायी आमंत्रित	**:**	श्री पी.के. जेना प्रधान मुख्य संचालन प्रबन्धक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर.
कंपनी सचिव	:	श्री ए.के. सिंह

2019-20 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	:	श्री बी.एन. शुक्ला (14.06.2019 से प्रभावी) श्री आर.आर. मिश्रा (25.09.2018 से 14.06.2019 तक प्रभावी)
कार्यकारी निदेशक	:	श्री ओ.पी. सिंह निदेशक (तक/संचालन) श्री के.आर. वासुदेवन निदेशक (वित्त) श्री के.के. मिश्रा (24.06.2019 से प्रभावी) श्री केशव राव निदेशक (कार्मिक) (18.12.2019 से प्रभावी)
आधिकारिक अंशकालिक निदेशकगण	:	श्री नागराजु मद्दिराला संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली. (17.03.2020 से प्रभावी) श्री आर.के. सिन्हा संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली. (17.03.2020 तक प्रभावी) श्री एस.एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता (31.11.2019 तक प्रभावी) श्री एस.एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता (23.012.2019 से प्रभावी)
गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकगण	:	श्रीमति सीमा शर्मा श्री एस. मोहन (10.07.2019 से प्रभावी) श्री एच.एस.पति (16.11.2019 तक प्रभावी) डॉ राजीव मल्ल (16.11.2019 तक प्रभावी)
स्थायी आमंत्रित	:	श्री पी.के. जेना प्रधान मुख्य संचालन प्रबन्धक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर. (17.03.2020 से प्रभावी) श्री डी. पंडा प्रधान मुख्य संचालन प्रबन्धक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर. (26.01.2020 तक)
कंपनी सचिव	:	श्री ए.के. सिंह

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
यूको बैंक,
कैनरा बैंक,
पंजाब नैशनल बैंक,
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
इंडियन ओवरसीज़ बैंक ,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया,
आईसीआईसीआई बैंक,
आंध्रा बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
ऐक्सिस बैंक,
आईडीबीआई बैंक,
एचडीएफ़सी बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
इलाहाबाद बैंक,
सिंडीकेट बैंक,
कॉर्पोरेशन बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कं.,
सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर

शाखा लेखा परीक्षक

मेसर्स एससीएम एसोशिएट्स,
सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स मणि एंड कं.
लागत लेखाकर, कोलकाता

शाखा लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स आशुतोष एंड एसोशिएट्स,
लागत लेखाकर, भुवनेश्वर.

सचिवीय लेखाकार

मेसर्स महापात्र एंड कं
कंपनी सचिव, भुवनेश्वर, ओड़िशा

पंजीकृत कार्यालय

स्था/पो :जागृति विहार, बुर्ला,
सम्बलपुर - 768020, ओड़िशा
वेबसाइट: www.mahanadicoal.in

18.08.2020

<u>28वीं सामान्य बैठक बैठक की सूचना</u>

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 28 वीं वार्षिक सामान्य बैठक 19 अगस्त,2020 दिन बुधवार को सुबह 11.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पोस्ट- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020 में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विज़ूअल माध्यम द्वारा निम्नलिखित कार्यों के प्रबंधन के लिए आयोजित की जाएगी।

I. <u>सामान्य कार्य **Ordinary Business:**</u>

1. **विचार करने और अपनाने के लिए** To consider and adopt:

क) 31 मार्च, 2020 को लेखापरीक्षित तुलन पत्र समेत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उस पर लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल तथा सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। The

ख) 31 मार्च, 2020 को समेकित लेखापरीक्षित तुलन पत्र समेत 31 मार्च, 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और निदेशक मंडल तथा उस पर सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित अन्तरिम लाभांश भुगतान और अंतरिम लाभांश के भुगतान कि पुष्टि करने के लिए ।
3. श्री ओ पी सिंह,निदेशक (डीआईएन 07627471), जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होगे, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्र होने पर पुन: नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करेंगे ।
4. श्री के. आर. वासुदेवन निदेशक (डीआईएन 07915732), जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के संदर्भ में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होगे, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्र होने पर पुन: नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करेंगे

II. <u>विशेष कार्य **Special Business:**</u>

<u>मद संख्या/**ITEM NO. 1**</u>

<u>विषय : वित्तीय वर्ष **2019-20** के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण।</u>

<u>सामान्य संकल्प:</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करने के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि योग्य साबित हो, तो संशोधन के अथवा बिना संशोधन के पारित होने के लिए, एक साधारण संकल्प के रूप में निम्न संकल्प किया जाता है :

संकल्प किया गया है कि मेसर्स मानी और एसोसिएट्स को कंपनी के सेंट्रल कॉस्ट ऑडिटर के रूप में वर्ष **2019-20** के लिए एतदद्वारा नियुक्त किए गए है ।वर्ष अवधि बढ़ाकर के लिए नियुक्त किए गए है । कंपनी (कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट) के नियमावली,**2014** के अनुसार कंपनी मुख्यालय और उसकी इकाइयों, ईबवैली कोलफील्ड्स, बसुंधरा एवं केंद्रीय कर्मशाला ईब वैली के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए इसकी अवधि बढ़ाकर वर्ष **2020-21** और **2021-22** कर दी गई है जिसके लिए कुल लेखा परीक्षा शुल्क **₹ 6,00,000.00** तथा ऊपरी व्यय तथा लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी **₹3,00,000.00** (कुल शुल्क का अधिकतम **50%**) है। ”

यह भी संकल्प किया गया है कि मेसर्स असुतोष और एसोसिएट्स को कंपनी के ब्रांच कॉस्ट ऑडिटर के रूप में वर्ष **2019-20** के लिए एतदद्वारा नियुक्त किए गए है ।वर्ष अवधि बढ़ाकर के लिए नियुक्त किए गए है । कंपनी (कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट) के नियमावली,**2014** के अनुसार कनिहा एवं केंद्रीय कर्मशाला ईब वैली सहित तालचेर कोलफील्ड्स के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए इसकी अवधि बढ़ाकर वर्ष **2020-21** और **2021-22** कर दी गई है जिसके लिए कुल लेखा परीक्षा शुल्क **₹3,98,000.00** तथा ऊपरी व्यय तथा लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी **₹199,000.00** (अधिकतम **50%**) है।"

"संकल्प किया गया है कि किसी भी समय नियुक्त किसी भी फर्म की अयोग्यता / निरस्तीकरण के मामले में अध्यक्ष सह प्रबंह निदेशक, एमसीएल किसी भी समय अगली अर्हकारी फर्म नियुक्त करने के लिए अधिकृत है।

"यह भी संकल्प किया गया कि कंपनी के निदेशक मंडल हैं इस संकल्प को प्रभावशील बनाने के लिए आवश्यक, वांछनीय या समीचीन माने जाने वाले सभी कार्यों, और मामलों को निपटाने के लिए अधिकृत हैं।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
ह / -
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव पंजीकृत कार्यालय

जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओड़िशा -768020

__टिप्पणी__

देश में व्याप्त कोविड 19 के कारण उत्पन्न महामारी के कारण वर्तमान असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे कंपनी नियमावली (प्रबंधन एवं प्रशासन),2014 के नियम 18 के साथ पढ़ा जाएँ , कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके लागू होने के बाद फिर से लागू करने सहित) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्रमशः संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 5 मई, 2020 एवं अन्य लागू कानून और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित , शेयरधारकों निदेशकों और लेखा परीक्षकों को बैठक में भाग लेने और / या मत देने का अधिकार है। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते है और/या मतदान कर सकते है । बैठक में स्वीकार किए गए विषयों पर केवल cs.mcl@coalindia.in पर ई-मेल भेजकर अपनी सहमति या असंतोष व्यक्त कर सकते है। सदस्यों द्वारा प्रोक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यद्यपि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वीसी या ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनी के अधिकृत मेल आईडी से पहले ही भलीभाँति लिंक प्रदान कर दिया जाएगा। और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू करने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खोल दी जाएगी और निर्धारित समय से 15 मिनट बाद भी बंद नहीं होगी।

1. शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक बुलाकर लिखित या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी सहमति दें।
2. विशेष कार्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार प्रासंगिक विवरण, जैसा कि ऊपर दिया गया है, उसे भी संलग्न किया गया है।

3. 64 वें वार्षिक आम बैठक की तारीख से पहले, सभी अनिवार्य रजिस्टरों/दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य अनिवार्य रजिस्टरों/दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट सभी दस्तावेज कार्य दिवसों के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे ।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171 (1) (बी) और 189 (4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में आवश्यक रजिस्टर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे जो बैठक में शामिल होने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए निरंतर उपलब्ध होंगे

<u>सदस्यागण **Members**</u>

1. मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला भवन, परिसर सं. 04, प्लॉट नंबर AF-III, एक्शन एरिया -1 ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता -700156।
   (कृपया ध्यान दें: एम. विश्वनाथन, कंपनी सचिव, कोल भवन, परिसर नंबर 04, प्लॉट नंबर AF-III, एक्शन एरिया -1 ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता -700156।)
2. श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, परिसर नंबर 04, प्लॉट नंबर AF-III, एक्शन एरिया -1 ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता -700156।
3. श्री बी.एन. शुक्ला, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओड़िशा-768020
4. श्री एस एन तिवारी, निदेशक (विपणन), सी/ओ-कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला भवन, परिसर नंबर 04, प्लॉट नंबर AF-III, एक्शन एरिया -1 ए, न्यू टाउन, राजारहाट, कोलकाता -700156।

<u>लेखापरीक्षक **Auditors**</u>

1. प्रमुख निदेशक , निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा कार्यालय के प्रमुख और पदेन सदस्य का कार्यालय , लेखा परीक्षा बोर्ड- II, पुराना निज़ाम प्लेस, 234/4 आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता - 700 020।
2. मैसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी, सांविधिक लेखा परीक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, भुवनेश्वर।
3. मेसर्स देब महापात्रा एंड कंपनी, सचिवीय लेखापरीक्षक , कंपनी सचिव, भुवनेश्वर, ओड़िशा।

<u>निदेशकगण, एमसीएल **Directors, MCL**</u>

1. श्री एम. नागराजू, संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110115
2. सुश्री सीमा शर्मा, स्वतंत्र निदेशक, शांति कुंज, गौरी शंकर नगर, उत्तर कार्यालय पारा, डोरंडा, रांची, झारखंड - 834002।
3. श्री एस. मोहन, स्वतंत्र निदेशक, एआरके कॉलोनी, 35, एल्डमास रोड, अलवरपेट, चेन्नई, पिन – 600018
4. श्री ओ.पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी / संचालन), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020
5. श्री के.आर. वासुदेवन, निदेशक (वित्त), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020।
6. श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020।
7. श्री बबन सिंह, निदेशक (तक./परी. योजना), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर -768020

व्याख्यात्मक कथन

(कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 102(1) के अधीन)

मद सं./**ITEM NO. 1**

विषय: वित्तीय वर्ष **2019-20** के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण।

भारत सरकार के राजपत्र प्रकाशन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या G.S.R. 430 (ई) दिनांक 3 जून, 2011 तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के लागत लेखा परीक्षक शाखा, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश F. No. 52/26 / CAB-2010 दिनांक 24 जनवरी, 2011 और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 52/26 / CAB- 2010 दिनांक 24 जनवरी, 2012 को कोयला उद्योग के संबंध में लागत लेखा परीक्षा अनिवार्य बनाने हेतु ।

लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, निदेशक मंडल ने परिपत्र संकल्प सं. 17 (2019-20) दिनांक 25.09.2019 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एमसीएल में लागत लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित फर्मों की नियुक्ति को मंजूरी दी। लागत लेखा परीक्षा और लागू वैधानिक करों / लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए शुल्क की संरचना निम्नानुसार है:

1. मेसर्स मानी और एसोसिएट्स को कंपनी के सेंट्रल कॉस्ट ऑडिटर के रूप में वर्ष **2019-20** के लिए एतदद्वारा नियुक्त किए गए है ।वर्ष अवधि बढ़ाकर के लिए नियुक्त किए गए है । कंपनी (कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट) के नियमावली,**2014** के अनुसार कंपनी मुख्यालय और उसकी इकाइयों, ईबवैली कोलफील्ड्स, बसुंधरा एवं केंद्रीय कर्मशाला ईब वैली के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए इसकी अवधि बढ़ाकर वर्ष **2020-21** और **2021-22** कर दी गई है जिसके लिए कुल लेखा परीक्षा शुल्क **₹ 6,00,000.00** तथा ऊपरी व्यय तथा लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी **₹3,00,000.00 (**कुल शुल्क का अधिकतम **50%)** है। **”**

2. मेसर्स असुतोष और एसोसिएट्स को कंपनी के ब्रांच कॉस्ट ऑडिटर के रूप में वर्ष **2019-20** के लिए एतदद्वारा नियुक्त किए गए है ।वर्ष अवधि बढ़ाकर के लिए नियुक्त किए गए है । कंपनी (कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट) के नियमावली,**2014** के अनुसार कनिहा एवं केंद्रीय कर्मशाला ईब वैली सहित तालचेर कोलफील्ड्स के लागत रिकॉर्ड का लेखा-परीक्षण करने के लिए इसकी अवधि बढ़ाकर वर्ष **2020-21** और **2021-22** कर दी गई है जिसके लिए कुल लेखा परीक्षा शुल्क **₹3,98,000.00** तथा ऊपरी व्यय तथा लेखापरीक्षा शुल्क पर लागू जीएसटी **₹199,000.00 (**अधिकतम **50%)** है।”

कंपनी नियमावली (लेखा परीक्षा एवं लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 14 जिसे कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 148 (3) के साथ पढ़ा जाएँ, कंपनी अधिनियम के अनुसार लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार एवं अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद शेयरधारकों द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी के किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से आर्थिक या अन्य रूप से संकल्प में नहीं हैं।

बोर्ड ने आपकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
ह / -
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव पंजीकृत कार्यालय

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 18.08.2020

<u>**अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य**</u>

साथियो,

मुझे महानद. कोलफील्ड्स की 28 वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष की अनुभति हो रही है। वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षित रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ ही साथ वैधानिक लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट एवं समीक्षा जो पहले ही आपको परिचालित की गई है। आपकी अनुमति से, मैं यह मान लेना चाहता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

वित्तीय वर्ष 2019 -20 एमसीएल के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। विषमताओं के बावजूद अपने सर्वोत्तम कार्यों और परिचालन उत्कृष्टता के कारण एमसीएल, सीआईएल के सर्वश्रेष्ठ अनुषंगी कंपनियों में से एक के रूप में उभरा है। एमसीएल ने इस वर्ष मार्च महीने में, पिछले वर्ष मार्च के औसत दैनिक उत्पादन 5.83 लाख टन / दिन की तुलना में **6.21 लाख टन / दिन** के औसत के साथ **19.25** मिलियन टन का उत्पादन कर कोयला उत्पादन में एक नया मुकाम हासिल किया है। सीआईएल के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक दैनिक कोयला उत्पादन (30 मार्च, 2020) को **10.82 लाख टन** का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। एमसीएल ने पर्यावरण हितैषी सरफेस माइनर के माध्यम से 129.1 मिलियन टन (92%) का उच्चतम कोयला उत्पादन भी हासिल किया, जो सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में सबसे अधिक है। सरफेस माइनर के माध्यम से कोयले का उत्पादन, परम्परागत खनन प्रक्रिया अर्थात ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग में उपयोग किए जाने वाले वायु प्रदूषणकारी इकाई के संचालन को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों में औसतन सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन लगभग 42% है। भूमि समस्या तथा नवम्बर तक भारी वर्षा के कारण, और यहाँ तक कि दिसम्बर, जनवरी, फरवरी तथा मार्च के महीने में वर्ष में दो बार वर्षा के कारण चार प्रमुख खदानों में निविदा असफल हुई और उत्पादन में 40.55 मिलियन टन की कमी हुई लेकिन टीम एमसीएल के विशेष प्रयासों के साथ पिछले साल के 20.55 मिलियन टन के बैकलॉग उत्पादन को दिसम्बर से मार्च 2020 तक हासिल कर लिया गया और वर्ष 2019-20 के दौरान एमसीएल अपने **140.36** मैट्रिक टन के आंकड़ों के लक्ष्य तक पहुँच सका। उत्पादन में हुई कमी के विस्तृत कारणों का उल्लेख वर्ष 2019-20 के निदेशकों के प्रतिवेदन में किया गया है।

एमसीएल ने गत वर्ष के 50.9 मिलियन क्यूबिक मीटर की उपलब्धि की तुलना में इस वर्ष दिसंबर से मार्च तक चार महीने में 11.8 (**23.18% वृद्धि**) मिलियन क्यूबिक मीटर की वृद्धि दर्ज करते हुए **62.7** मिलियन क्यूबिक मीटर का सर्वोत्तम ओबीआर हासिल किया। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कुल ओबी निष्कासन **124.51** मिलियन क्यूबिक मीटर था, जो नवंबर 2019 तक कुल 15 खुली खदानों में से 13 खदानों में भूमि की समस्या तथा वर्षा के कारण और चार प्रमुख खानों में ओबीआर निविदा के असफल होने के कारण प्रभावित हुआ।

आपकी कंपनी ने **134.016** मैट्रिक टन कोयले का प्रेषण किया है। एमसीएल ने पर्यावरण हितैषी साधनों जैसे रेल, एमजीआर और बेल्ट (99.16 मीट्रिक टन, जो लगभग **74%** है) के माध्यम से उच्चतम ऑफ-टेक दर्ज किया है। हिंगुला में कोयला गलियारे का परिचालन किया गया, 04 सुरंगों का संचालन किया गया , लिंगराज और छारला साइडिंग का संचालन किया गया, लिंगराज साइलो को शुरू किया गया और कनिका साइडिंग में ओसीपीएल कोयला प्राप्त हुआ। ये कंपनी की प्रेषण क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम थे।

एमसीएल ने विभिन्न कठिनाइयों और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सीआईएल में रु. 6427.39 करोड़ कर पश्चात लाभ (पीएटी) का सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है। यह आपके सतत सहयोग और बहुमूल्य मार्गदर्शन के साथ संभव हो पाया है। आपका सतत विश्वास और सद्भावना ने हमें सदैव प्रेरित किया है तथा हितधारकों और राष्ट्र के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए मार्गदर्शक रहा है।

1. कोयला - ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत :

भारत में, कोयला प्राथमिक ऊर्जा के रूप में अप्रतिस्थापन योग्य है और यह भविष्य में भी ऐसा ही बना रहेगा। भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 55% कोयला से प्राप्त होता है। देश में उत्पन्न संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 76% कोयला आधारित है, जो कोयले के महत्व का प्रमाण है। विश्व के कई देश कोयला से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बेहतर रूपों की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन भारत की स्थिति वैश्विक परिदृश्य से अलग है।

भारत में, वर्तमान ऊर्जा की माँग मुख्य रूप से कोयले से और कुछ हद तक सौर, पवन, हाइडल और प्राकृतिक गैस द्वारा पूरी की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से, वैश्विक कोयले की खपत में भारत की हिस्सेदारी के लगभग 11% है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता है।

कोयले का प्राचुर्य, उपलब्धता और सामर्थ्य ही इसे एक मुख्य ऊर्जा ईंधन बनाता है। हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों के 97% से कोयला से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय कोयला सूची 01.04.2019 के अनुसार 68 कोयला अंचलों में 1200 मीटर की गहराई तक **326.495** बिलियन टन(बीटी) हार्ड कोल संसाधन है। देश में उत्पन्न कुल ऊर्जा का लगभग **72%** कोयले पर आधारित है। विश्वसनीय ऊर्जा, आर्थिक विकास और मानव विकास का मुख्य घटक है। कोयला विश्वसनीय प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य करता है और वह आने वाले दशकों तक भारतीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख आधार बना रहेगा।

ओड़िशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स तापीय श्रेणी के नॉन – कोकिंग कोयले का विशाल भंडार गृह है। भारत में कोयला भंडार में झारखंड के बाद दूसरा स्थान ओड़िशा का है। 01.04.2019 के अनुसार ओड़िशा में कुल कोयले भंडार का **80.840** बिलियन टन अनुमानित किया गया है जो कि कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग **24.76**% है। ओड़िशा के दो कोलफील्ड्स, तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स एमसीएल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तालचेर भारत का सबसे बड़ा कोलफील्ड्स (51.220 बिलियन टन) तथा ईब-वैली भारत का तीसरा सबसे बड़ा (29.619 बिलियन टन) कोलफील्ड्स है ।

2. 2019-20, एमसीएल की उपलब्धियां

- एमसीएल ने इस वर्ष मार्च, 2020 में पिछले वर्ष मार्च के दैनिक औसत उत्पादन 5.83 लाख टन / दिन की तुलना में 6.21 लाख टन / दिन के औसत के साथ 19.25 मैंट्रिक टन का उत्पादन कर कोयला उत्पादन के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल किया।
- एमसीएल ने कोयला उत्पादन के इतिहास में गत वर्ष 58.81 मिलियन टन की तुलना में दिसंबर से मार्च के चार महीने में 6.7 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज करते हुए 65.51 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल किया।

- ❖ एमसीएल ने पर्यावरण हितैषी सरफेस माइनर के माध्यम से 129.1 मिलियन टन (92.5%) उच्चतम कोयला उत्पादन भी हासिल किया, जो सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में सबसे अधिक है।
- ❖ एमसीएल ने गत वर्ष के मुक़ाबले रेक की कम आपूर्ति और कोरोना प्रभाव के बावजूद गत वर्ष 2.13 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज करते हुए 50.01 मिलियन टन उत्पादन के मुक़ाबले इस वर्ष दिसंबर से मार्च के आखिरी चार महीनों में एमसीएल के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक 52.14 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया।
- ❖ एमसीएल ने पर्यावरण हितैषी साधनों जैसे रेल, एमजीआर एंड बेल्ट के माध्यम से 74% का उच्चतम ऑफटेक हासिल किया, जो सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में सबसे अधिक है।
- ❖ न्यू लिंगराज साइडिंग और एक्सेस रोड का निर्माण किया गया था जिसमें एनटीपीसी अतिरिक्त 16,000 टन/ दिन का परिवहन करेगी।
- ❖ न्यू छारला साइडिंग का संचालन किया गया था, जिसके माध्यम से ओपीजीसी को लगभग 25,000 टन / दिन कोयले की आपूर्ति की जाती है।
- ❖ एमसीएल ने प्रेषण की सुविधा के कारण ओसीपीएल से संबंधित मनोहरपुर खदान में कोयले का उत्पादन और ऑफटेक शुरू किया । एमसीएल ने कनिका में 0.51 मिलियन टन कोयला प्राप्त किया और लगभग 84 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
- ❖ साईडिंग में कोयले के परिवहन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सड़क के साथ प्रमुख क्रॉसिंग पर चार सुरंगों का संचालन किया गया है।
- ❖ हिंगुला ओसीपी में न्यू कोल कॉरिडोर का संचालन किया गया जिसके परिणामस्वरूप साईडिंग में कोयले के परिवहन में वृद्धि हुई।
- ❖ एमसीएल ने गत वर्ष की उपलब्धि 50.9 मिलियन क्यूबिक मीटर की तुलना में दिसंबर से मार्च के आखिरी चार महीनों में 11.8 मिलियन क्यूबिक मीटर (23.18% की वृद्धि) की वृद्धि दर्ज करते हुए **62.7** मिलियन क्यूबिक मीटर का सबसे अधिक ओबीआर हासिल किया।
- ❖ एमसीएल ने स्थापना के बाद 22 जनवरी 2020 को एक दिन में 6.63 लाख का उच्चतम ओबी हटाया।
- ❖ सियारमल 50 एमटीपीए, एमडीओ दस्तावेज तैयार किया गया , एमसीएल बोर्ड की स्वीकृति ली गई और निविदा 30 मार्च 2020 को प्रकाशित की गई।
- ❖ लिंगराज ओसीपी में **20 एमटीपीए** क्षमता के साइलो लोडिंग प्रणाली का निर्माण किया गया और उसे शुरू किया गया।
- ❖ तालचेर कोलफील्ड्स के **व्यापक विकास योजना** (सीडीपी) का कार्य आईआईटी, खड़गपुर को दिया गया था।
- ❖ गर्जनबाहल ओसीपी में रिकॉर्ड समय पर अर्थात 6 दिनों के भीतर सरफेस माइनर का क्रय और नियोजन।
- ❖ वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 22 लाख इकाइयों के लिए सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के बीच सौर ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन।
- ❖ एमसीएल द्वारा सीएसआर गतिविधियों में रु. 156.5 करोड़ के बजट व्यय में से रु. **157 करोड़** की राशि खर्च की गई, अर्थात, यह 100% उपलब्धि है, जो सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में सर्वाधिक है।
- ❖ सीआईएल के इतिहास में पहली बार हायरिंग के आधार पर हार्ड रॉक के विस्फोट मुक्त निष्कासन के लिए एक्ससेंत्रिक या समतुल्य वर्टिकल रिपर की शुरुआत की जानी है, जिसके लिए निविदा जारी की गई थी।
- ❖ प्रभावी धूल दमन के लिए हर खदान में फॉग कैनन्स शुरू किए गए :
    - ➢ किराए पर चलित ट्रक पर फॉग कैनन्स (14 नंबर - 40 मीटर थ्रो)

- अचल फॉग कैनन्स की खरीदी (14 नग - 100 मीटर थ्रो)\
- नवीन रोबोटिक नोजल की खरीद (3 नग - 70 मीटर थ्रो)

- सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों में रु. **1540.10 करोड़** का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स)।
- डीएमएफ़ उपकर जमा : रु. **610.50 करोड़** (तालचेर कोलफील्ड्स - रु 265.67 करोड़ और ईब-वैली कोलफील्ड्स – रु 344.83 करोड़)।

3. वित्तीय कार्य निष्पादनः

एमसीएल ओड़िशा राज्य में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के राजकोष का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। एमसीएल ने रॉयल्टी, उपकर, वस्तु एवं सेवा कर,जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर,एनएमईटी, डीएमएफ, डीडीटी तथा अन्य लेवी के लिए रु.**13875.01** करोड़ का भुगतान किया है।

समीक्षा के तहत वर्ष में कर पश्चात लाभ **6,427.39** करोड़ रुपये रहा है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के **5854.92** प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में **5225** करोड़ (अर्थात प्रति शेयर के अंकित मूल्य 1,000/- पर रु. 7894.70 प्रति इक्विटी शेयर) के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश के कारण कुल आउटफ्लो रु.6299.01 करोड़ था जिसमें सीआईएल को दिए गए लाभांश के रूप में रु. 5225 करोड़ और लाभांश पर कर के रूप में रु. 1074.01 करोड़ शामिल थे।

विकास हेतु कार्यनीतियां :

कृत्रिम प्रकृतिक गैस (एसएनजी) : यह कोयला गैसीकरण से निर्मित एक प्रकार की गैस है जो प्राकृतिक गैस के रूप में काम कर सकती है। एमसीएल के पास इस संबंध में काफी संभावनाएं हैं, जिसमें निम्न श्रेणी के कोयले और अनुपयोगी कोयले का पूरा उपयोग किया जा सकता है। मेथनॉल, उर्वरकों, डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन, प्लास्टिक, कपड़े और अन्य रासायनिक उत्पादों के उत्पादन के लिए सिंथेटिक गैस का उपयोग बेहतर दक्षता के साथ विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यह विदेशों पर निर्भरता, भावी आपूर्ति पर अनिश्चितता, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में वृद्धि, एलएनजी (जो उर्वरक के लिए आवश्यक है) आदि के आयात को कम कर सकता है, और इसका देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ रोजगार सृजन पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप '**आत्मनिर्भर भारत'** बनेगा।

कुल 85 एमटीवाई की क्षमता के साथ **3 एमडीओएस** योजना जिसमें सिआरमल 50 एमटीवाई, सुभद्रा 25 एमटीवाईऔर बलभद्र 10 एमटीवाई के साथ शामिल है और 85 एमटीवाई की 3 विस्तारित परियोजना अर्थात भुवनेश्वरी 40 एमटीवाई, कनिहा 30 एमटीवाई और बलराम 15 एमटीवाई के नाम की योजना बनाई गई , जो वर्ष 2020-21 में चालू होगी।

6-8% राख़ अनुसंधान एवं विकास के लिए कोयला धुलाई : आयात प्रतिस्थापन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। आयातित कोयले में 8-12% राख़ होती है जबकि एमसीएल कोयला में सम्मिश्रण आधार पर 38-42% राख़ होती है। इसलिए, व्यवहार्यता विश्लेषण के लिए अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है।

एमसीएल आने वाले वर्ष में चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों का सामना करेगा। हम एमसीएल की ओर से भारत की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति देश की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भविष्य में अपने ऑफटेक

और उत्पादन में वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए, एमसीएल ने निम्नलिखित बहुमुखी कार्यनीतियों का प्रतिपादन किया है :

क) **झारसुगुड़ा-सरडेगा रेल लाइन का दोहरीकरण** : इस परियोजना में 53 कि. मी. की झारसुगुड़ा-सरदेगा रेल लाइन का दोहरीकरण, झारसुगुड़ा में डबल-लेग रेल फ्लाईओवर तथा और बरपाली
लूप में कुल 70 एमटीवाई की क्षमता वाले 7 संकेंद्रित रेल लाइन और 7 आरएलएस शामिल हैं। पूरी परियोजना की अनुमानित लागत रु. 2900 करोड़ है।

ख) **क्रिटिकल रेलवे लिंक** - देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने हेतु रेल द्वारा कोयले की निर्वाध आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे और ओड़िशा सरकार के साथ साझेदारी कर संयुक्त उद्यम / विशेष प्रयोजन माध्यम साधन यानि **एम.सी.आर.एल**. का गठन किया है। एमसीआरएल ने अंगुल-बलराम रेल लिंक की पहली परियोजना (चरण- ।) के रूप में 'इनर कॉरिडोर' के कार्य की शुरूआत की है। एमसीआरएल के माध्यम से चिन्हित परियोजनाएं है :

- **चरण-।** (क) : अंगुल-बलराम लिंक (लंबाई -13 कि.मी.)
- **चरण -।** (ख) : बलराम-जारपाड़ा कनेक्टिविटी जिसमें पुटुगड़िया-टेंटुलोई लिंक शामिल है (इनर कॉरिडोर) - 55 कि.मी.
- **चरण -II**: जरापाड़ा-बुधापंक वाया टेंटूलोई (आउटर कॉरिडॉर) – 136 कि.मी.

खदान बैकफील्ड क्षेत्र के माध्यम से 'Y 'कर्व की शिफ्टिंग के अतिरिक्त, झारसुगुड़ा-सरडेगा रेल लाइन का दोहरीकरण, लिंगराज एमजीआर साइडिंग के साथ देउलबेड़ा साइडिंग को जोड़ना, आदि कुछ प्रमुख रेल परियोजनाएँ एमसीएल द्वारा की जा रही है।

ग) **भूमि का अधिग्रहण और अधिकार** : वर्ष 2019-20 के दौरान, एमसीएल ने **519** हेक्टेयर भूमि पर भौतिक अधिकार प्राप्त किया है।
घ) **वाशरी की स्थापना**: - चरण-। में, उच्च राख वाले कोयले के किफ़ायती धुलाई के लिए कोयला वाशरी की संस्थापना हेतु सीआईएल के निर्णय के अनुरूप, एमसीएल के तीन कोयला वाशरी, हिंगुला वाशरी, लखनपुर में ईब-वैली वाशरी और जगन्नाथ वाशरी, प्रत्येक में 10 एमटीवाई क्षमता वाली वाशरी स्थापित करने का प्रयोजन है। लखनपुर क्षेत्र में ईब-वैली वाशरी (10 एमटीपीए) का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में अन्य दो वॉशरियों का निर्माण शुरू हो जाएगा।

ङ) वेब आधारित ऑन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम : मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर कोलनेट एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल जैसे कि वित्तीय सूचना प्रणाली (एफ़आईएस), कार्मिक सूचना प्रणाली (पीआईएस), पेरोल, विपणन एवं विक्रय, सामग्री प्रबंधन प्रणाली, उत्पादन सूचना प्रणाली और उपकरण नियंत्रण प्रणाली कार्यरत हैं। कोलनेट एप्लिकेशन के सभी मॉड्यूल मुख्यालय स्थित केंद्रीय सर्वर पर कार्य कर रहे हैं। कोलनेट प्रणाली में कुछ विविध मॉड्यूल भी जोड़े गए हैं जिनमें बिल ट्रैकिंग सिस्टम, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ई-कैपेक्स), ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, के साथ-साथ अनुबंधित श्रमिकों की तस्वीरों के साथ विस्तृत जानकारी पाने के लिए कार्मिक सूचना प्रणाली, उत्पादकता सुधार योजना के तहत भुगतान के लिए

प्रोत्साहन की गणना, आवधिक चिकित्सा परीक्षा, निविदाओं का विवरण और रु. 2 लाख से कम के संविदागत कार्य कोयलेनेट में हॉलिडे होम की ऑनलाइन बुकिंग आदि भी शामिल है।

च) प्रौद्योगिकी विकास : एमसीएल संस्था निर्माण में अग्रणी है और जब सरफेस माइनर के प्रयोग की या खरीद या अन्य संविदाओं के लिए निविदा की ई-मोड की बात हो, तो यह सीआईएल की अन्य अनुषंगी कंपनियों से अलग है। विस्फोट-मुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरफेस माइनर के माध्यम से लगभग 92.5% कोयला उत्पादन किया जाता है। असफल बोलीदाताओं के लिए ईएमडी की ऑटो रिफ़ंड शुरू करने वाली एमसीएल भारत की पहली कंपनी है। एमसीएल कोलनेट के माध्यम से **ई-कैपिटल फंड मैनेजमेंट सिस्टम** को लागू करने और अनुरक्षण करने वाली भी पहली कंपनी है। एमसीएल सभी खानों में हायरिंग मोड पर 40-50 मीटर थ्रो की दूरी पर मोबाइल फॉग कैनन की शुरुआत करने वाली पहली कंपनी है। एमसीएल 37 केडब्ल्यू ब्लोअर फैन और 15 एचपी पंप वाले रॉबर्ट्स डिजाइन और विनिर्देशन के साथ 100 एमटीआर फिक्स थ्रो टाइप फॉग की खरीद करने वाली पहली कोयला कंपनी भी है। एमसीएल पुन: रोबोटिक नोजल की शुरुआत करने वाली पहली कोल कंपनी है, जो धूल के दमन / अग्निशमन / हाइड्रोलिक दबाव के माध्यम से हार्ड कटाई, आदि के लिए एक अभिनव डिजाइन है।

छ) नवोन्मेष प्रकोष्ठ (इनोवेशन सेल) की स्थापना : सर्वोत्तम अभ्यासों के साथ पर्यावरण अनुकूल और सतत खनन हेतु नवीन आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रणाली की शुरुआत के लिए, आपकी कंपनी ने इनोवेशन सेल की स्थापना की है, जिसने कंपनी के समक्ष आने वाली समस्याओं के नवीन समाधान के लिए काम करना शुरू कर दिया है।

- **<u>ओपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस)</u>** :
- एमसीएल की तीन खुली परियोजनाओं यानि बलराम, लिंगराज और भरतपुर ओसीपी में संस्थापित ओआईटीडीएस सफलतापूर्वक चल रहे हैं।। ओआईटीडीएस के उपकरण के साथ कुल 137 एचईएमएम लगाए गए हैं।

- **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली**

- आपकी कंपनी ने एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला के कार्यालय परिसर में 71 कैमरों का सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित किया है, जिसका उपयोग कॉर्पोरेट कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
- आपकी कंपनी ने सभी क्षेत्रीय / केंद्रीय भंडार, एमसीएल के केंद्रीय कार्यशालाओं में 376 कैमरों के सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित किए हैं। एमसीएल के सभी क्षेत्रों में एमसीएल के विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न असुरक्षित स्थानों पर जैसे - सभी खदानों के प्रवेश और प्रस्थान द्वार पर , कोल स्टॉक, कोल सैम्पलिंग लैब्स आदि कई स्थानों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- आपकी कंपनी ने 21 रेलवे साईडिंग में 42 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं।
- आपकी कंपनी ने 90-इन-मोशन और स्टैटिक रोड बे-ब्रिजों पर स्टिल-शॉट आईपी कैमरे लगाए हैं।
- एमसीएल-मुख्यालय के केंद्रीय वीटीएस और कोलनेट सर्वर पर इन-मोशन और स्टेटिक बे-ब्रिजों (जो आंतरिक परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है) से वेबमेंट डेटा को ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है।

- आपकी कंपनी ने एक व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए पहल की है, जिसमें खानों के प्रवेश / निकास, द्वार पर बारूद गृह एचईएमएम कार्यशालाओं, डीजल वितरण स्टेशनों और अनधिकृत गतिविधि की संभावना को कम करने के लिए, परियोजनाओं के अन्य कमजोर बिंदुओं पर सुरक्षा बढ़ाने तथा अनाधिकृत कर्मियों एवं वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए 2188 कैमरे शामिल हैं।

- **मोबाइल सीयूजी सुविधा :** 24x7 असीमित संचार को न्यूनतम लागत पर सक्षम बनाने हेतु ओड़िशा राज्य में एमसीएल के सभी संगठनों की विभिन्न इकाइयों में सेवा प्रदान करने के लिए एमसीएल के सभी अधिकारियों, जेसीसी सदस्यों, प्रमुख कर्मचारियों, रेलवे साइडिंग अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, बचाव ब्रिगेड कार्मिकों और खान बचाव स्टेशनों के ड्राइवरों, को **मोबाइल सीयूजी सुविधा** प्रदान की गई है, जिससे एमसीएल के संचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। मौजूदा सीयूजी योजनाओं को कंपनी को किसी भी अतिरिक्त वित्तीय लागत के बिना सभी अधिकारियों को असीमित डेटा और बात करने के लिए उन्नत किया गया है।
- **आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) :** भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और सीआईएल के एचआर विजन 2020 के साथ, आपकी कंपनी ने एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर, एमसीएल कार्यालय, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय, परियोजना कार्यालयों, एमटीकेएस में एईबीएएस स्थापित किया है, जो एमसीएल के सभी उपस्थिति स्थानों को शामिल करता है। सभी उपकरणों के लिए अतिरेक के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। एमसीएल में एईबीएएस के लिए कुल 807 उपकरण लगाए गए हैं।

- तीव्र और अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने एवं 24x7 संचार और सूचना चैनल सुनिश्चित करने हेतु तथा ऑन-द-गो इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी ने कार्यालय एवं आवासीय कार्यालयों में बीएसएनएल ब्रॉडबैंड/एफ़टीएचएच (घर तक फाइबर) के अलावा एमसीएल मुख्यालय के सभी निदेशकों, सीवीओ और विभागाध्यक्ष के अलावा कुछ अन्य अधिकारियों को **हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट** प्रदान किया हैं।

- **40 एमबीपीएस रेल टेल और 40 एमबीपीएस बीएसएनएल हाई स्पीड कनेक्टिविटी।**
- आपकी कंपनी द्वारा तीव्र और सुरक्षित संचार के लिए सभी भूमिगत परियोजनाओं में **भूमिगत संचार प्रणाली** स्थापित की गई है। विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में एनवायरनमेंटल टेली मॉनिटरिंग सिस्टम को भी बनाए रखा जा रहा है और इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली :** प्रमुख प्रबंधन कार्मिक द्वारा त्वरित और सहयोगी निर्णय लेने तथा समय और लागत की बचत हेतु सीआईएल के निजी नेटवर्क के साथ-साथ इंटरनेट (सार्वजनिक नेटवर्क) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने के लिए एमसीएल मुख्यालय, संबलपुर और एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर में एक एंटरप्राइज़ ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। यह प्रणाली लाइसेंस प्राप्त उद्यम ग्रेड मल्टी कांफ्रेंस यूनिट और एमसीएल के क्लाइंट सर्वर पर चलती है, जो संसाधनों की गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करती है। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ एमसीएल कार्यालय,

भुवनेश्वर और कोलकाता में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आपकी कंपनी 27 सेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड पॉइंट्स और संबंधित उपकरणों की खरीद द्वारा विस्तारित करने की प्रक्रिया में है।

- ❖ **पोर्टल आधारित एप्स का विकास : i)** विभिन्न सिविलियन, ईएसएम और पीएपी अनुबंधों के तहत अपनी क्षमता के अनुसार टिपर, पे लोडर और सरफेस माइनर के क्षेत्रवार / यूनिट-वार और शिफ्ट वार नियुक्ति की निगरानी के लिए (ii) कर्मचारियों के लिए शिकायत दर्ज करने एवं निवारक प्रणाली हेतु तथा (iii) आईटी एसेट ट्रैकिंग एंड ब्रेकडाउन मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए विभिन्न पोर्टल आधारित ऐप विकसित किए जा रहे हैं।

- ❖ **सीएसआर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का विकास :–** सीएसआर गतिविधियों की बेहतर निगरानी के लिए एक नए मॉड्यूल की योजना बनाई जा रही है ताकि सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि के उपयोग की निगरानी आसान हो सके। मॉड्यूल को मुख्यालय और क्षेत्रों में किए गए विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के विभिन्न चरणों की रियल टाइम की निगरानी के लिए मौजूदा कोलनेट एप्लिकेशन के साथ मॉड्यूल को एकीकृत किया जाना चाहिए।
- » **एसएपी ईआरपी का कार्यान्वयन :** पहले चरण में एमसीएल में एसएपी ईआरपी को कार्यान्वित किया गया है तथा इसमें (1) विपणन एवं विक्रय , (2) सामग्री प्रबंधन (3) संयंत्र रखरखाव, (4) मानव संसाधन प्रबंधन , (5) वित्त (अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग), (6) उत्पादन योजना, (7) परियोजना प्रणाली की गतिविधियां शामिल होगी। ईआरपी टीम के गठन जैसी सभी आवश्यक गतिविधियाँ जिनमें विषय –वस्तु विशेषज्ञ, कोर टीम के सदस्य, प्रशिक्षण, मास्टर डेटा तैयारी आदि शामिल हैं, चल रही हैं।

ग्राहक संतुष्टि : एमसीएल ने विभिन्न पावर हाउसों के साथ-साथ अन्य उपभोक्ताओं की उपभोक्ता संतुष्टि को पूरा करने हेतु विभिन्न आकार और गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

1. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ नित्य चर्चा की जाती है।
2. साइडिंग पर कोयला लदान प्रणाली के साथ ही साथ कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं में व्यक्तिगत रूप से जाँच और पर्यवेक्षण हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है ।
3. बेहतर पारदर्शिता और उपभोक्ता संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए, सीआईएमएफ़आर और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) क्रमशः बिजली क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के कोयला डिस्पैच के नमूने के लिए संलग्न हैं। वर्तमान में लगभग 70% कोयला प्रेषण तीसरे पक्ष के नमूने के जांच के तहत आते हैं और शेष उपभोक्ताओं को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
4. विभिन्न क्षेत्रों में कुल दस कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएँ हैं जिनमें, ईब-वैली, लखनपुर, ओरिएंट, बसुंधरा, जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर, हिंगुला, तालचेर और कनिहा प्रमुख है। ईब वैली, भरतपुर, जगन्नाथ, हिंगुला, कनिहा और लखनपुर क्षेत्रों की छह कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता प्राप्त है। लिंगराज क्षेत्र के कोयला विश्लेषण प्रयोगशाला के एनएबीएल मान्यता के लिए आवेदन को सफलतापूर्वक एनएबीएल आधिकारिक पोर्टल में प्रस्तुत किया गया है। बसुंधरा और ओरिएंट क्षेत्र की कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

5. इस वर्ष के दौरान, कोयले के निष्कर्षण की चयनात्मक खनन विधि को जारी रखा गया और कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करने वाले कोयले के सीम से रिजेक्ट (अस्वीकार) को अलग कर दिया गया। सरफेस माइनर के माध्यम से लगभग 92.5% उत्पादन प्राप्त किया गया।
6. ग्राहकों को (-) 100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति के लिए उचित व्यवस्था की गई है। इसके लिए, पारंपरिक मोड द्वारा निकाले गए कोयले को रेल, बेल्ट और एमजीआर द्वारा प्रेषण के लिए सीएचपी और एफबी द्वारा क्रश किया गया।
7. **कोरोना के दौरान उपभोक्ताओं को छूट :** भुगतान का समय 1-2 महीने बढ़ा दिया गया है, लिफ्टिंग वैलिडीटी बढ़ा दी गई है, सड़क से रेल परिवर्तन की सुविधा दी गई है, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए साख पत्र सुविधा बढ़ा दी गई है, ई-नीलामी में प्रीमियम समाप्त कर दिया गया है, आयात प्रतिस्थापन आदि को प्रोत्साहित करने हेतु पावर हाउसों के लिए एसीक्यू से परे मात्रा से कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन को हटा दिया गया है।

8. **आयात प्रतिस्थापन :** वर्तमान में कोयले का आयात करने वाले दक्षिण भारतीय पावर प्लांट्स और एनआरएस उपभोक्ता से इस तर्क के आधार पर संपर्क किया गया है कि एमसीएल के महत्त्वपूर्ण अवस्थापन के कारण एमसीएल का कोयला जीसीवी लैंडेड लागत विश्लेषण पर आयातित कोयले के साथ अधिक तुलनीय है। वे एमसीएल कोल के साथ आयात प्रतिस्थापन के लिए सहमत हुए हैं। निकट भविष्य में डीजल और पेट्रोल चालित वाहनों को इलेक्ट्रिक चालित वाहन से बदल दिया जाएगा और इससे ईंधन तेल के आयात की आवश्यकता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बहुत बचत होगी।

4. पर्यावरण पहल: -

आपकी कंपनी ने पूरे सीआईएल में 42% की औसत उपलब्धि की तुलना में 92.5 % के बराबर पर्यावरण हितैषी सरफेस माइनर द्वारा सर्वोच्च मात्रा में कोयले का उत्पादन किया है। परिवहन में भी आपकी कंपनी ने पर्यावरण हितैषी माध्यम रेल, वाहन, वाशरी मोड के माध्यम से 74% कोयले का और शेष 26% सड़क के माध्यम से कोयले का प्रेषण किया है। आवासीय क्षेत्रों में धूल, प्रदूषण को कम करने के लिए, घनी आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर अलग अलग कोयला गलियारे के निर्माण हेतु आपकी कंपनी ने आवश्यक कदम उठाएं हैं ।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु आपकी कंपनी ने आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर में 02 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है और यह 22 लाख इकाई/वर्ष की बिजली का उत्पादन कर रहा है।

पर्यावरण संधारणीय कोयला खनन को बढ़ावा देने के लिए निदेशक तकनीकी (परियोजना और योजना), एमसीएल के नियंत्रण में 'सतत विकास प्रकोष्ठ '(एसडीसी) का गठन एमसीएल स्तर पर किया गया है।
सतत विकास प्रकोष्ठ में होने वाली गतिविधियों के रूप में अन्य बातों के साथ साथ निम्नानुसार शामिल हैं :

1. प्रभावी धूल दमन हेतु एमसीएल की सभी खुली खदानों में, प्रत्येक परियोजना में कम से कम 01 **मोबाइल फॉग कैनन का नियोजन**।

2. वैगन लोडिंग संचालन के दौरान और खदान कार्य क्षेत्र में प्रभावी धूल दमन हेतु कोयले के रेलवे साइडिंग में और सभी खानों / क्षेत्रों के ओबी फेसेस पर न्यूनतम 100 मीटर थ्रो की **निश्चित प्रकार के फॉग कैनन का नियोजन।**
3. पक्की सतहों और सड़क के किनारों आदि से धूल की निकासी के लिए हायरिंग के आधार पर सभी खानों में **मैकेनिकल रोड स्वीपर का नियोजन।**

2. बलांडा, जगन्नाथ और भरतपुर साउथ क्वैरी में परित्यक्त क्वैरी की **खदानों में सुधार**- फ्लाई ऐश के निपटान और इको-पार्क / पिकनिक स्पॉट में इन क्षेत्रों के विकास साथ ही पर्याप्त उथले जल निकायों के निर्माण के माध्यम से। बलांडा क्वैरी के 218 हेक्टेयर को 1 मीटर मृदाभरण और वृक्षारोपण द्वारा भरकर सुधारा जा रहा है।
3. मनोरंजक सुविधाएं, एयर स्ट्रिप आदि के साथ जैव-विविधता-सह-इको पार्क के रूप में **रानी पार्क का निर्माण** ताकि यह पूरे तालचेर कोलफील्ड के लिए कार्बन सिंक के रूप में और आर्थिक गतिविधियों तथा आय सृजन के साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी कार्य कर सके जिससे कि यह संधारणीय मॉडल बन जाए।
4. सतत और पर्यावरण अनुकूल कोयला परिवहन मॉडल बनाने के लिए लिंगराज एमजीआर से चैनपाल फ्लाईओवर तक **कोल कॉरिडोर रोड का फ्लाईओवर / बाय-पास का निर्माण।**
5. **ईब कोलफील्ड्स में अलग कोल कॉरिडोर** - सार्वजनिक सड़कों / रेल लाइनों के साथ कोई क्रॉसिंग नहीं और सार्वजनिक सड़कों के साथ कोई विलय नहीं।
6. डंप के ढलान क्षेत्र के जैविक पुनर्ग्रहण के लिए **हाइड्रो सीडर्स की खरीद / हायरिंग।**

बेहतर तरीके से मानव उपभोग के लिए खदान के पानी का उपयोग करने हेतु कई कदम उठाए गए हैं। डिस्पोजेबल खदानों / खदानों में संग्रहीत ओपन कास्ट परियोजनाओं के अधिशेष जल का उपयोग एचईएमएम की धुलाई, धूल दमन, अग्निशमन और जलभृत के पुनर्भरण जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। समुदाय को पेय, कृषि, वानिकी, तालाबों के पुनर्भरण आदि के लिए आपूर्ति हेतु अधिशेष भूमिगत खदान के पानी का उपयोग किया जा रहा है।

पर्यावरण के लिए कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुये

- एमसीएल ने (पर्याप्त भौतिक सुधार के बाद) बाहरी डंप तथा बैकफिल क्षेत्रों में साथ ही साथ खदान में अन्य भूमि और रास्ते के खाली भाग में मिश्रित स्वदेशी प्रजाति के पौधों का रोपण किया है।
- आरंभ से अब तक वृक्षारोपण (1992-93 से 2019-20 तक) **59.929 लाख** है (तालचेर कोलफील्ड्स - 21.7088 लाख, ईब वैली कोलफील्ड्स -31.385 लाख, मुख्यालय तथा सरकारी भूमि में – 6.836 लाख)।
- एमसीएल ने अपने सरकारी भूमि में तथा इसके आसपास के संचालित जिलों - अंगुल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, खोरधा और सुंदरगढ़ में शहरी वृक्षारोपण के माध्यम से हरियाली में सुधार के अपने दायरे का विस्तार किया है, जिसमें डीएफ़ओ द्वारा सदाबहार पौधे, बरगद, महुआ, जामुन, पीपल, आम, कटहल, इत्यादि लगाए जाते हैं।
- 2-3 वर्ष के बाद आवश्यक भूमि पर **फलदार वृक्ष जैसे** बीजरहित जामुन, अमरूद, ड्रैगन फल, अनार, आम, पपीता, नींबू, आदि का रोपण।
- जैविक सब्जियों और फलों आदि को उगाने के लिए पुनः प्राप्त / सम्मिलित भूमि पर **पॉली हाउस।**
- आसपास के गांवों / कस्बों में **फल दायक पेड़ों का वितरण।**
- **मैंग्रोव का विकास।**
- टीक , साल, महागुनि, आदि जैसे **इमारती पौधे।**

- **औषधीय पौधे** जैसे - प्रतापगढ़ आंवला, हर्रे, बहेड़ा, अश्वगंधा, आदि।
- अग्निशमन और धूल दमन के लिए **रोबोटिक नोजल**।
- अग्निशमन और धूल दमन और अन्य बहुउद्देशीय उपयोगों के लिए **क्वाडराजेट नोजल**।

5. सुरक्षा (सेफ़्टी)

एमसीएल में खदानों और इनमें कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है। उत्पादन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाता है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य के साथ, आपकी कंपनी नियमित रूप से तैयार होकर एवं योजना बनाती है तथा स्वयं को सुसज्जित करती है। इस दिशा में हमारे प्रयासों में अन्य बातों के साथ उचित सुरक्षा उपकरण प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास उपलब्ध कराना और सुरक्षा से संबंधित अनुपालन की सख्त निगरानी शामिल है। आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु प्रयासरत है और किसी भी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ वह कभी समझौता नहीं करती । इसके अलावा, खनन कार्य के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना पर काबू पाने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने सभी बचाव स्टेशनों को पूरी तरह से सुसज्जित किया है और पर्याप्त प्रशिक्षित बचाव कर्मी तैनात किए हैं। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा और उत्पादकता को अलग नहीं किया जा सकता । निदेशकों की रिपोर्ट के प्रासंगिक हिस्से में "सुरक्षा और बचाव" शीर्षक के तहत विस्तृत आंकड़े प्रदान किए गए हैं।

कंपनी के शून्य दुर्घटना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित वातावतरण प्रदान करने हेतु अनेक उपाय किए हैं ।

6. निगमित प्रशासन (गवर्नेंस)

एमसीएल भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (सी.पी.एस.ई.) द्वारा समय समय पर जारी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशानिर्देशों मे अनुबंधित शर्तो को पूरा करता है। कथित दिशानिर्देशों और प्रावधानों के तहत, निदेशकों की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक अलग खंड जोड़ा गया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है बोर्ड के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा आरंभ की गई है। सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट निदेशकों के रिपोर्ट के अंश के रूप में संलग्न है।

7. सीएसआर एवं कोविड पहल :

एक जिम्मेदार सार्वजनिक कॉर्पोरेट होने के नाते, एमसीएल ने अपने सीएसआर के माध्यम से राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक उद्देश्यों में योगदान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शन को जारी रखा है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में सीएसआर को लागू करने का अंतर्निहित सिद्धांत है।

एमसीएल ने अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से समुदाय बनाम कंपनी के संतुलन को बनाए रखा है।

क. **<u>कोविड -19 संकट से निपटने के लिए तैयारी :</u>**

क) एमसीएल ने ओड़िशा सरकार के साथ भुवनेश्वर में 25 आईसीयू और महत्वपूर्ण इकाइयों के साथ 500 बेड के कोविड अस्पताल तथा 6 आईसीयू बेड सहित 150 बेड के एमसीएल तालचेर कोविड अस्पताल की भी स्थापना की तथा अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इन दो विशिष्ट कोविड अस्पतालों का उद्घाटन माननीय श्री नवीन पटनायक जी, ओड़िशा के मुख्यमंत्री, माननीय धर्मेन्द्र प्रधान जी, केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, माननीय श्री प्रह्लाद जोशी जी, कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किया गया था।

ख) तालचेर, अंगुल जिले में 108 आइसोलेशन बेड, लखनपुर में 50 आइसोलेशन बेड और ब्रजराजनगर, झारसुगुडा जिले में 04, बसुंधरा, सुंदरगढ़ जिले में 02 आइसोलेशन बेड, संबलपुर जिले में 90 आइसोलेशन बेड हैं। इस प्रकार, एमसीएल के कमांड जिलों में कोरोना के संदिग्ध मामलों के अलगाव और संगरोध के लिए कुल 254 बेड तैयार किए गए।

ग) जिलाध्यक्ष, झारसुगुड़ा से प्राप्त अनुरोध के अनुसार एमसीएल द्वारा पांच आईसीयू वेंटिलेटर का क्रय किया जा रहा है।

घ) एमसीएल ने अपने कर्मचारियों और संविदा कर्मियों को लगभग 4,70,000 मास्क और 6,630 लीटर हैंड सैनिटाइज़र वितरित किए हैं। प्रत्येक इकाई के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज़र और सोप डिस्पेंसर उपलब्ध कराया गया है, थर्मल स्कैनर्स के माध्यम से कार्मिकों की निगरानी और सामाजिक दूरी सहित अन्य सभी सावधानियों का अभ्यास कराया जा रहा है।

ङ) अंगुल जिला प्रशासन के कोविड योद्धाओं के लिए रु 3.77 लाख की वाहन सुविधा।

च) संबलपुर में कोविड -19 आइसोलेशन सुविधा में रु .18.63 लाख का टॉयलेट-वॉशरूम इनेबल पोर्ट केबिन।

छ) बसुंधरा क्षेत्र द्वारा सुंदरगढ़ में प्रवासी श्रमिक के लिए रु 3.49 लाख का आश्रय गृह।

ज) लखनपुर अस्पताल में रु 83.09 लाख की लागत से कोविड केंद्र और लखनपुर अस्पताल में रु. 44.40 लाख की लागत के 5 वेंटिलेटर।

झ) फंसे हुए प्रवासी परिवारों के लिए रु..23.31 लाख के 5,000 अन्न के पैकेट ।

ञ) कोविड अस्पताल, तालचेर में रु. 0.39 लागत के वॉल माउंटेड फैन उपलब्ध कराना।

ट) कोविड अस्पताल, तालचेर में रु. 1.72 लाख की लागत से स्टाफ आवास में हाउसकीपिंग सेवाएं।

ख. <u>अन्य सीएसआर गतिविधियां :</u>

कंपनी ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पाइप जलापूर्ति, ग्रामीण सामुदायिक विकास और स्वच्छता पर भारी निवेश किया है। विगत कई वर्षों से ओड़िशा राज्य में कार्पोरेशनों द्वारा किए गए सर्वाधिक सीएसआर व्यय के मामले में एमसीएल ने अपने शीर्ष स्थान को बनाए रखा है।

वर्ष 2019-20 में कंपनी ने रु 156.5 करोड़ के वार्षिक सीएसआर बजटीय आवंटन के बावजूद रु. 157 करोड़ खर्च किया है।

तालचेर में मेडिकल कॉलेज-सह-अस्पताल के निर्माण का वर्ष पूरा हुआ, जो एमसीएल की रु. 492 करोड़ की प्रमुख फ्लैगशिप सीएसआर परियोजना है। कंपनी 500 बेडेड अस्पताल और 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज के संचालन की प्रक्रिया में है।

पाइप्ड जलापूर्ति योजनाएँ कंपनी की सिग्नेचर सीएसआर प्रोजेक्ट हैं, जहाँ कंपनी का रु. 74 करोड़ के निवेश के साथ तीन मेगा परियोजनाओं के माध्यम से तालचेर कोयला क्षेत्र में 81 गाँवों में पाइप्ड पानी उपलब्ध कराने का इरादा रखती है। वर्ष 2019-20 में 38.35 करोड़ का भुगतान किया गया है। एक परियोजना पूरी हो गई है और दो परियोजनाओं ने वर्ष 2019-20 में क्रमशः 60% और 70% प्रगति दिखाई है।

एमसीएल ने 58 करोड़ की परियोजना लागत के साथ ओड़िशा के 232 रेलवे स्टेशनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रीफैब शौचालय परिसरों की स्थापना के लिए राइट्स और पूर्व तट रेलवे के साथ एक संयुक्त समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया।

2019-20 में, एमसीएल ने स्कूली शिक्षा (5.30 करोड़) और स्वास्थ्य देखभाल (4.85 करोड़) के थीम क्षेत्रों में आकांक्षी जिलों में 10.15 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी।

भारत सरकार स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की वार्षिक थीम पर खर्च किए गए 60% सीएसआर की अनुशंसा करती है। एमसीएल ने थीम क्षेत्रों पर 71% व्यय किया है।

वर्ष 2019-20 में गैर-लाभकारी संगठनों के साथ साझेदारी में किए गए दो ग्रामीण विकास परियोजनाओं में तेजी से प्रगति देखी गई।

क) 'ग्राम विकास' के साथ 'मन्त्र' परियोजना: इस परियोजना का लक्ष्य झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिले के 5 गांवों में 364 घरों के लिए पाइप्ड जल आपूर्ति के साथ टॉइलेट एवं बाथरूम की व्यवस्था करना है।

ख) 'बीएआईएफ़' के साथ 'सीसीडीपी-उत्थान' परियोजना: यह कृषि-बागवानी विकास और मवेशी पालन कार्यक्रम पर 20 करोड़ की 5 साल की सतत आजीविका परियोजना है। यह अंगुल, झारसुगुड़ा, संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों के 40 गांवों को लाभान्वित करता है।

वर्ष 2019-20 में, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान हेतु कंपनी को भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ओड़िशा राज्य में कॉर्पोरेट्स द्वारा सामुदायिक सेवा में कंपनी सबसे आगे रही है। कंपनी ने एक बुकलेट 'एनरिचिंग लाइव्स, इम्पैक्टिंग कम्युनिटीज़' प्रकाशित की है, जिसमें सीएसआर परियोजनाओं के उच्च प्रभाव को दर्शाया गया है।

आगामी 10 वर्षों में एमसीएल के कोलफील्ड्स के आसपास के क्षेत्रों में विकास हेतु डीएमएफ़ संग्रह तथा राज्य प्राधिकरण को जमा राशि लगभग 10,000 करोड़ रुपये (तालचेर – रु. 6000 करोड़ और ईब वैली – रु. 4,,000 करोड़) होने की संभावना है, जिसका उपयोग निम्नलिखित हेड के तहत आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाना है :

- पेयजल
- स्वास्थ्य
- महिला एवं बाल कल्याण
- शिक्षा
- आजीविका और कौशल विकास
- वृद्ध और दिव्यांगों का कल्याण
- स्वच्छता

ग्राम समृद्धि योजना :

वर्ष भर में पूरे परिवार के 4 सदस्यों के लिए भूमि के एक बहुत छोटे से टुकड़े से पोषण संबंधी आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु, ग्रामीण समुदाय के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने की एक पहल, 'परियोजना आहार मंडल'को लागू करने के लिए एमसीएल ने दिनांक 27.04.2020 को कृषि विकास के क्षेत्र में काम करने वाली एक स्वैच्छिक संस्था, ग्राम समृद्धि ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह मॉडल हेमगीर ब्लॉक के 10 गांवों में लागू किया जा रहा है। आहार मंडल 'प्राकृतिक कटाई के माध्यम से जैविक साधन अपनाकर **30 फुट की परिधि वाली भूमि के एक गोल टुकड़े में बगीचे के रूप में सब्जियों के एक बाग़ उगाने** के संबंध में है जो लागत प्रभावी, आसानी से अपनाने योग्य और टिकाऊ है। इस परियोजना का उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और पोषण की आवश्यकता के संबंध में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है। परियोजना से 200 अजा / अजजा परिवारों को लाभ मिल रहा है। परियोजना की लागत रु. 23,39,366/- है।

यह गरीबी दूर कर, मानव विकास संकेतकों में सुधार करेगा तथा इलाके के परिदृश्य को बदल देगा। भविष्य में, एमसीएल की कोयला खदानों में विशाल जलाशय होंगे, जो स्थानीय लोगों की पेयजल आवश्यकता को पूरा करेंगे। एमसीएल खदानों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कोई कमी नहीं होगी। हमें आशा है कि खनन के दौरान और खनन के बाद, लगभग 2099 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी (तालचेर में 1211 मिलियन क्यूबिक मीटर और ईब-वैली में 888 मिलियन क्यूबिक मीटर) निकाला जाएगा। इस तरह के विशाल जलाशय के निर्माण के लिए रु. 14,688.45 करोड़ रुपये की बचत के अलावा यह प्रतिवर्ष रु. 1.06 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगा।

9. **अपेक्षा**

हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार हम अपने संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं उससे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हमें और अधिक सफलता मिलेगी और लगातार ऐसा करते हुए हम राष्ट्र की उम्मीद सहित अपने असंख्य हितधारकों की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं।

10. **अभिस्वीकृति** –

मैं कंपनी के सभी शेयर धारकों, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों,राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रतिनिधियों, स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों तथा उनके संघों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता और मीडिया के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

ह/-

(बी. एन. शुक्ला)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

(डीआईएम: 05131449)

<u>निदेशक-प्रतिवेदन</u>

सेवा में,
शेयरधारको,
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारको,

मुझे निदेशक मण्डल की ओर से कंपनी की 28वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी ने सभी मोर्चों में उत्कृष्टता प्राप्त की है। उत्पादकता, कोयला उत्पादन, ओबी और प्रेषण में यह वर्ष भी सफल रहा।

2.1 संगठन

<u>क्षेत्रों, खदानों आदि का संगठन</u>:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड संगठन में 2 कोलफील्ड्स शामिल है जिसमें बुर्ला में स्थित मुख्यालय के साथ 4 प्रचालन भूमिगत खदान एवं 15 खुली खदान को शामिल कते हुए 12 खनन क्षेत्र, 02 केन्द्रीय कर्मशालाएँ, एमसीएल कार्यालय, कोलकाता तथा एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर शामिल है।

संचालन क्षेत्र निम्नवत हैं:

क तालचेर कोलफील्ड्स
(i) जगन्नाथ क्षेत्र
(ii) भरतपुर क्षेत्र
(iii) हिंगुला क्षेत्र
(iv) लिंगराज क्षेत्र
(v) कनिहा क्षेत्र
(vi) सुभद्रा क्षेत्र
(vii) तालचेर क्षेत्र (भूमिगत)

ख ईब वैली कोलफील्ड्स
(i) लखनपुर क्षेत्र
(ii) ईब वैली क्षेत्र
(iii) बसुंधरा क्षेत्र
(iv) महालक्ष्मी क्षेत्र
(v) ओरिएंट क्षेत्र (भूमिगत)

तालचेर कोलफील्ड्स में एक केन्द्रीय कर्मशाला और नेहरू शताब्दी केन्द्रीय चिकित्सालय है, वहीं ईब वैली कोलफील्ड्स में इसका एक केन्द्रीय कर्मशाला और केन्द्रीय चिकित्सालय है।

3. <u>एमसीएल की अनुषंगी और सहायक कंपनियाँ</u>:
<u>3.1 एमजेएसजे कोल लिमिटेड</u>

एमजेएसजे कोल लिमिटेड को एमसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में 13 अगस्त, 2008 को गोपालप्रसाद ओसीपी के लिए शामिल किया गया था तथा इसके पास 60% शेयर था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.08.2014 के निर्णय और दिनांक 24.09.2014 के आदेश में उत्कल ए कोल ब्लॉक के आवंटन को एमजेएसजे के लिए अवैध घोषित किया और उसके आवंटन को रद्द कर दिया।

3.2 एमएनएच शक्ति लिमिटेड

एमएनएच शक्ति लिमिटेड को एमसीएल की संयुक्त कंपनी के रुप में तलाबीरा – II एवं III ओसीपी के लिए दिनांक 16 जुलाई, 2008 को शामिल किया गया तथा इसके पास 70% शेयर था। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 25.08.2014 के निर्णय और दिनांक 24.09.2014 के आदेश में तलाबीरा II एवं तलाबीरा III कॉल ब्लॉक के आवंटन को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के लिए अवैध घोषित किया और उसके आवंटन को रद्द कर दिया।

3.3 महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड का गठन 02 दिसम्बर, 2011 को किया गया था एवं दिनांक 06.02.2012 को आरओसी द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए इसे प्रमाणपत्र दिया गया था। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और नामिनियों के 100% शेयर के साथ एमबीपीएल की स्थापना एसवीपी के रुप में की गई है साथ ही बसुंधरा क्षेत्र में पिट हेड पावर संयंत्र के माध्यम से 2X800 मेगावाट क्षमता की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 31.03.2020 को शेयर पूंजी पाँच लाख रुपये थी।

3.4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड

दिनांक 20, मई 2015 को इडको, एमसीएल और इरकॉन के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार 31 अगस्त, 2015 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया जिसमें एमसीएल, इरकॉन और इड्को की भागीदारी का अनुपात क्रमश: 64:26:10 है जिसे ओड़िशा में खदान से कोयले के निकासी हेतु कठिन मानी जाने वाली कोल संबद्धता के लिए दोहरी, तिहरी लाइन, यातायात सुविधा प्रोजेक्ट सहित निर्माण, संरचना, संचालन और अभिरक्षण के लिए रेल कॉरीडोर प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है। 31.03.2020 को महानदी कोल रेलवे की शेयर पूंजी पाँच लाख रुपये थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में एमसीएल का उपलब्धि।

क. कोयला का उत्पादन :

क) एमसीएल ने कोयले के उत्पादन में मार्च,2020 माह में 19.25 एमटी के उत्पादन के साथ 6.21 लाख टन/ दिन के औसत उत्पादन के साथ पिछले वर्ष के औसत उत्पादन 5.83 लाख टन/ दिन के मुकाबले एक नयी ऊँचाई हासिल किया।

ख) एक दिन में (30 मार्च को)10.82 लाख टन का उच्चतम कोयला उत्पादन।

ग) एमसीएल दिसंबर से मार्च तक के अंतिम चार महीनों में 65.51 एमटी की उच्चतम दर प्राप्त किया, साथ ही पिछले वर्ष की 58.81 एमटी की उपलब्धि पर 6.7 एमटी की वृद्धि दर्ज की गई है।

घ) एमसीएल ने इको-फ्रेंडली सर्फेस माइनर के माध्यम से 129.1 एमटी (92%) का उच्चतम कोयला उत्पादन किया, जो सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में सर्वाधिक है।

ख. कोल ऑफ-टेक:

क) रेक की कम आपूर्ति एवं कोरोना प्रभाव के बावजूद एमसीएल ने दिसंबर से मार्च के आखिरी चार महीनों में 52.14 एमटी का उच्चतम कोयला प्रेषण किया है, साथ ही पिछले वर्ष 50.01 एमटी. के मुकाबले इस वर्ष 2.13 एमटी. की वृद्धि दर्ज की गई है।

ख) एमसीएल ने सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों के मध्य इको-फ्रेंडली मोड्स जैसे रेल,एमजीआर और बेल्ट के माध्यम से 74% की उच्चतम बढ़त हासिल की।

ग) नई लिंगराज साइडिंग और एक्सेस रोड का निर्माण किया गया था जिसमें एनटीपीसी अतिरिक्त 16,000 टन/दिन का परिवहन करेगी।

घ) नई छारला साइडिंग का संचालन किया गया जिसके माध्यम से लगभग 25,000 टन/दिन कोयला ओपीजीसी को आपूर्ति की जाती है/

ङ) एमसीएल द्वारा प्रेषण की सुविधा के कारण ओसीपीएल से संबंधित मनोहरपुर खदान में कोयले का उत्पादन और निकासी प्रारंभ हुआ। एमसीएल ने लगभग रु.84 करोड़ का भुगतान करके कनिका से 0.51 एमटी की दर से कोयला प्राप्त किया।

च) साइडिंग तक कोयला परिवहन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सड़क के साथ प्रमुख क्रॉसिंग पर चार अंडरपास का संचालन किया जाता है।/

छ) कोल कॉरिडोर हिंगुला ओसीपी में संचालन योग्य बनाया गया जिसके परिणामस्वरूप साइडिंग्स के कोयला परिवहन में वृद्धि हुई।

ग. <u>**ओबी निष्कासन**</u>:

क) एमसीएल दिसंबर से मार्च तक के अंतिम चार महीनों में 62.7 एम क्यु.मी. ओबी निष्कासन का उच्चतम दर प्राप्त किया, साथ ही पिछले वर्ष की 50.9 एम.क्यु.मी. की उपलब्धि पर 11.8 एम क्यु.मी. की वृद्धि दर्ज की गई है।

ख) एमसीएल अपनी स्थापना के बाद दिनांक 22 जनवरी 2020 को प्रतिदिन 6.63 लाख क्यु.मी. का उच्चतम ओबी निष्कासन किया।

घ. <u>**प्रमुख भूमि बाधा मुद्दों का समाधान**</u>:

i. भुवनेश्वरी ओसीपी: दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को नरहरीपुर रोड का उत्खनन हुआ। दिनांक 20 नवम्बर,2019 को तलसाही (बिश्वाल परिवार) का भूमि की खुदाई की गई।

ii. लखनपुर ओसीपी : दिनांक 17 अक्टूबर 2019 को अधिकार में ली गई जमीन- खदान 6 की शुरुआत किया गया था।

iii. जगन्नाथ ओसीपी : दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को 15 अस्थायी मकान का निष्कासन किया गया। दिनांक 25.10.2019 को ओबीआर के लिए निविदा जारी की गई।

iv. हिंगुला ओसीपी: दिनांक 29 अक्टूबर 2019 को 43 घरों से निष्कासन करके भालुगड़िया नाइकशाही की जमीन पर दखल कर लिया गया। दिनांक 12 दिसंबर 2019 को पटना साही पैच को शुरू हुआ।

v. बेलपहाड़ ओसीपी: दिनांक 7 अक्टूबर 2019 को नई क्वारी केरुलबहाल शुरू हुआ।

vi. कुल्डा ओसीपी : दिनांक 29 अक्टूबर 2019 को तुमुलिया रोड खोदा गया।

vii. लिंगराज ओसीपी: डेरा-कांधल रोड शिफ्ट, लैंगिजोडा भूमि और सुभासनाइक भूमि 20 नवंबर 2019 को ली गई।

viii. कनिहा ओसीपी : दिनांक 15 नवंबर 2019 को कंसमुंडा की 8 एकड़ जमीन को ले लिया गया। दिनांक 6 दिसंबर 2019 को जरदा पैच 80 मीटर की अनुमति दी गई।

ix. समलेश्वरी ओसीपी : सुखवासी मुद्दे का निपटान कर दिनांक 10 नवंबर 2019 को 15 एकड भूमि अधिकृत की गई।

x. लजकुरा ओसीपी : दिनांक 15 नवंबर 2019 को छुआलीबेरेना ओबी डंपिंग का मुद्दा हल हुआ।

xi. अनंता ओसीपी : 8 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर पेड़ की कटाई की अनुमति दी गई है।

xii. बलराम ओसीपी : अक्टूबर 2019 में रोड शिफ्टिंग और भूमि पर कब्जा। पुलिस बल की मदद से कोल कॉरिडोर रोड 4 किलोमीटर की दोजिंग किया गया ।

xiii. भरतपुर ओसीपी : अक्टूबर में नाकीपसी और दनारा पैच में रोड शिफ्टिंग और भूमि पर कब्जा।

1. अन्य विशेषताएँ:

क) सियारमल 50 एमटीपीए, एमडीओ दस्तावेज तैयार, एमसीएल बोर्ड की स्वीकृति और निविदा 30 मार्च 2020 को प्रकाशित।

ख) लिंगराज ओसीपी में 20 एमटीपीए की साइलो लोडिंग सिस्टम का निर्माण और कमीशनिंग किया गया था।

ग) तालचेर कोलफील्ड्स के व्यापक विकास योजना (सीडीपी) के लिए आईआईटी, खड़गपुर को काम दिया गया था।

घ) गर्जनबाहल ओ.सी.पी. में रिकॉर्ड समय में सरफेस माइनर की खरीद और परिनियोजन रिकार्ड समय यानी मात्र 6 दिनों के भीतर।

ङ) सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के मध्य एक वर्ष में 22 लाख इकाइयों की क्षमता के सौर ऊर्जा का अधिकतम उत्पादन

च) एमसीएल द्वारा सीएसआर गतिविधियों में लगभग रु.157 करोड़ खर्च किए गए जो रु.156.5 करोड़ के बजटीय व्यय से अधिक है अर्थात, 100% उपलब्धि जो कि सीआईएल की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है।

छ) हार्ड रॉक के बिस्फोट मुक्त निष्कासन के लिए एक्सेंट्रिक या समतुल्य वर्टिकल रिपर को भर्ती के आधार पर पेश किया जाना है, जिसके लिए निविदा पहले ही मंगाई जा चुकी है।

ज) प्रभावी धूल अवरोध के लिए, हर खदान में फॉग कैनन स्थापित किए गए

i. किराए के आधार पर मोबाइल ट्रक मौंटेड फॉग कैनोन्स (संख्या 14 – 40 मीटर थ्रो)

ii. फिक्स टाइप फॉग कैनोन्स की खरीद (संख्या 14 – 100 मीटर थ्रो) /

iii. अभिनव रोबोटिक नोजल की खरीद (संख्या 3 – 70 मीटर थ्रो)

ङ. **कोविड-19 संकट का मुकाबला करने के लिए तैयारी:**

क) एमसीएल द्वारा ओड़िशा सरकार और सुम अस्पताल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और 500 बिस्तरवाले COVID के साथ 25 आईसीयू और महत्वपूर्ण देखभाल इकाइयां स्थापना की गई तथा भुवनेश्वर में कला चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति की स्थापना की गई।

ख) तलचेर, अंगुल जिले में 108 आइसोलेशन बेड, लखनपुर में 50 आइसोलेशन बेड और ब्रजराजनगर, झारसुगुडा जिले में 04, बसुंधरा, सुंदरगढ़ जिले में 02 आइसोलेशन बेड, संबलपुर जिले में 90 आइसोलेशन बेड हैं। इस प्रकार, एमसीएल नियंत्रित जिलों में कोरोना के संदिग्ध मामलों के लिए तैयार कुल 254 बेड।

ग) कलेक्टर, झारसुगुडा से के अनुरोध पर एमसीएल द्वारा पांच आईसीयू वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं ।

घ) लगभग 70,633 मास्क और 3052 लीटर हैंड सैनिटाइज़र पहले से ही अपने कर्मचारियों और ठीका कर्मियों को वितरित किए गए हैं। प्रत्येक इकाई के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज़र और साबुन डिस्पेंसर उपलब्ध कराया गया है, थर्मल स्कैनर्स के माध्यम से श्रमिकों की निगरानी और सामाजिक दूरी सहित अन्य सभी सावधानियों का अभ्यास किया जा रहा है।

ङ) अंगुल जिला प्रशासन के कोविड योद्धाओं के लिए रु.3.77 लाख की सुविधा।

च) संबलपुर में कोविड -19 के लिए एकांतवास की सुविधा हेतु रु.18.63 लाख का सक्षम टॉयलेट-वाशरूम सहित पोर्टा केबिन सक्षम।

छ) बसुंधरा क्षेत्र द्वारा सुंदरगढ़ में प्रवासी मजदूरों के लिए रु.3.49 लाख का आश्रय गृह ।

ज) लखनपुर अस्पताल में रु.83.09 लाख के लागत से कोविड केंद्र और रु.44.40 लाख का 5 वेंटीलेटर लखनपुर अस्पताल में आपूर्ति ।

झ) फंसे हु ए प्रवासी परिवारों के लिए रु.23.31 लाख रुपये के 5,000 अन्न के पैकेट ।

ञ) कोविड अस्पताल,तालचेर में **रु.**0.39 लाख का वॉल माउंटेड पंखे की आपूर्ति ।

ट) कोविड अस्पताल तालचेर के लिए **रु.**1.72 लाख के हाउसकीपिंग सेवाओं और कर्मचारियों के आवास की आपूर्ति ।

4. उत्पादन कार्य-निष्पादन -

(**क**) पिछले वर्ष के लक्ष्य और उपलब्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एमसीएल का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

उत्पादन	**2019-20**		**2018-19**		**लक्ष्य के मुक़ाबले उपलब्धि का %**	**गत वर्ष से % वृद्धि**
(i) कोयला (मिलियन टन)	**एमओयू /एएपी लक्ष्य**	**वास्तविक**	**एमओयू /एएपी लक्ष्य**	**वास्तविक**		
खुली खदान	159.10	139.522	150.50	143.28	87.7	-2.62
भूमिगत	0.90	0.836	1.00	0.871	92.9	-4.07
कुल कोयला (खुली खदान + भूमिगत)	**160.00**	**140.358**	**151.50**	**144.151**	**87.72**	**-2.63**
(ii) ओबीआर (मि.घन मीटर)	**160.00**	**124.514**	**157.00**	**130.002**	**77.82**	**-4.22**

(ख) एमसीएल का पिछले वर्षो (**2019-20** सहित**)** उत्पादन कार्य-निष्पादन निमन्वत है **:**

(i) एम.सी.एल. का कुल कोयला उत्पादन (आंकड़े मि.टन)

वित्तीय वर्ष	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**गत वर्ष की वृद्धि**		**उपलब्धि (%)**
			वास्तविक	**%**	
2015-16	150.00	137.90	16.52	13.61	91.9
2016-17	167.00	139.21	1.31	0.95	83.4
2017-18	150.00	143.06	3.85	2.76	95.4
2018-19	151.50	144.15	1.09	0.76	95.1
2019-20	160.00	140.36	-3.79	-2.63	87.7

(ii) सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन (आंकड़े मि.टन.):

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	गत वर्ष की वृद्धि		कुल कोयला उत्पादन का सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन का प्रतिशत
		वास्तविक	%	
2015-16	125.68	18.87	17.7	91.1
2016-17	127.81	2.13	1.7	91.8
2017-18	130.89	3.08	2.4	91.5
2018-19	133.80	2.91	2.2	92.8
2019-20	**129.10**	**- 4.71**	**-3.5**	**92.0**

कोयले का उत्पादन एमओयू/एएपी लक्ष्य का 87.7% है जिसमें पिछले वर्ष से (-)2.63% की वृद्धि हुई है। ओबी की निकासी एमओयू/एएपी लक्ष्य का 77.8% है, जिसमें पिछले वर्ष से (-)4.2 % की वृद्धि हुई है। एमओयू/एएपी लक्ष्य में कमी आने के मुख्य कारण निम्न है –

(क) कोयला और ओबी की कमी के खुली खदान यूनिट-वार प्रमुख कारण:

जगन्नाथ ओसीपी	राकस बस्ती में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 15 भूमिहीन परिवारों के कारण कम कोल सीम एक्सपोज़र, 18 अक्टूबर, 2019 को स्थानांतरित कर दिया गया था। ओबी अनुबंध केवल 10 दिसंबर 2019 के बाद दिया जा सकता था, लेकिन ओबीआर ठेकेदार का कम कार्यनिष्पादन और उत्खनकों की गैर विश्वसनीयता के कारण नहीं दिया जा सका ।
भरतपुर ओसीपी	नकेईपासी, पद्मावतीपुर तथा दाशरथीपुर के बचे हुए पीएएफ़ के स्थानांतरित नहीं होने के कारण भूमि की कमी। 23 जुलाई 2019 को 4 संविदाकर्मियों की घातक दुर्घटना, फलस्वरूप स्थानीय ग्रामीणों तथा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एमसीएल में वर्धित मुआवज़े तथा रोजगार की मांग करते हुए बंद का आयोजन। दुर्घटना के बाद डीजीएमएस द्वारा धारा 22 लगाए जाने पर कोयला उत्पादन में रोक। दुर्घटना के बाद 02 महीने खदान की पूर्ण तालाबंदी तथा ओबी संविदा की समाप्ती, फलस्वरूप बहुत कम कोल सीम एक्सपोजर।
लिंगराज ओसीपी	कार्य क्षेत्र में कई दोष;और लंगीजोड़ा ग्राम के 15 पीएएफ के स्थानांतरण में देरी के कारण भूमि बाधा।पोटहोलिंग घटना के लिए 2 दिनों के लिए तेलीसाही के ग्रामीणों द्वारा बाधा दिया जाना।
कनिहा ओसीपी	जर्दा ग्रामीणों के पुनर्वास मुद्दे के कारण भूमि बाधा जिसका अभी भी निपटान किया जाना बाकी है। गोपालजी परियोजना में भूमि की क्षति के लिए रोजगार का दावा करने वाले अदैतप्रसाद और जमनिया के ग्रामीणों द्वारा बंद। जर्दा, कंसमुंडा, जमनिया और अदैतप्रसाद के ग्रामीणों द्वारा लगातार अवरोध। लगभग पिछले 06 महीनों से ओबीआर प्रभावित है। ओबीआर 24 जुलाई -8 वीं सितंबर, 2019 से ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ठेकेदार द्वारा उनके आंतरिक मुद्दे के लिए फ्लीट की गैर / कम नियोजन के कारण 06 दिनों के लिए ओबी निष्कासन प्रभावित।
हिंगुला ओसीपी	भालुगड़िया बस्ती (नाइक साही और पटना साही) के स्थानांतरण में देरी के कारण भूमि बाधा। 12 दिसंबर, 2019 तक नाइक साही और पटना साही को खाली कर दिया गया। हिंगुला यात्रा समारोह के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। मानकों से परे रोजगार की मांग करते हुए भालुगड़िया और सोलादा के ग्रामीणों द्वारा लगातार बंद.
लजकुरा ओसीपी	27 सितंबर, 2019 मेसर्स सिकल को ओबीआर अनुबंध रद्द करने के कारण, सितंबर, 2019 से 20 मार्च, 2020 तक कोई भी ओबीआर अनुबंध नहीं होने के कारण कोल सीम एक्सपोज़र गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। पूर्व में मेसर्स सिकल ने सितंबर'19 से अपने संचालन को रोक दिया था। सीमित मोड के साथ-साथ ओपन मोड में ओबीआर निविदा सफल नहीं हो सकी, किराया मोड पर उत्खनकों का नियोजन भी भी दो बार विफल रहा। 29 फरवरी, 2020 को सीमित निविदा 90 दिनों के लिए पुनः आमंत्रित किया गया जिसे मार्च, 2020 के पहले सप्ताह में प्रदान किया गया। 20 मार्च, 2020 को ओबीआर ठेकेदार द्वारा काम शुरू किया गया।
समलेश्वरी ओसीपी	चिंगड़ीगुड़ा और जामकानी के भूमिहीन अतिक्रमणकारियों / सुखवासियों की शिफ्टिंग में देरी। 11 जून, 2019 से ओबी अनुबंध बंद हो जाने के कारण बहुत कम कोल सीम एक्सपोज़र हुआ। 11 नवंबर 2019 को चिंगड़ीगुडा ग्राम में सुखवासियों के कुछ आवास संरचनाएँ तोड़ दी गईं और 15 हेक्टेयर जमीन को कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद, 15 दिसंबर, 2019 से ओबी अनुबंध कार्य फिर से शुरू हुआ लेकिन 60,000/ दिन के दर के स्थान पर मात्र 20,000 के आसपास प्रदान किया गया।
कुल्डा ओसीपी	तुमुलिया रोड के स्थानांतरण में देरी के कारण भूमि की बाधा। तुमुलिया सड़क को आखिरकार 29 अक्टूबर, 2019 को खोद दिया गया।

(ख) कोयला उत्पादन और ओबीआर को प्रभावित करने वाले अन्य प्रमुख कारण:

(1) भरतपुर और लजकुरा ओसीपी - सभी वैकल्पिक संभव तरीकों को अपनाने के बावजूद 6 महीने के लिए कोई ओबीआर अनुबंध नहीं।

(2) समलेश्वरी ओसीपी - ओबीआर ठेकेदार का बहुत खराब प्रदर्शन।

(3) जगन्नाथ ओसीपी - ओबीआर अनुबंध पुलिस कार्रवाई की मदद से भूमि पर कब्जा करने के बाद ही प्रदान किया जा सकता है।

(4) भरतपुर ओसीपी में घातक दुर्घटना के बाद 24 जुलाई 19 से 6 अगस्त तक पूरे तालचेर कोलफील्ड में बंद।

(5) कोयला खनन क्षेत्र में 100% एफडीआई के विरोध के कारण 23 सितंबर 2019 को बीएमएस और 24 सितंबर, 2019 को ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा बंद आह्वान के कारण 23 और 24 सितबर को संपूर्ण एमसीएल में बंद।

(6) राकस ग्राम में 15 झोपड़ियों को हटाने के दौरान तालचेर सुरक्षा मंच के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के कारण और 28 और 29 अक्टूबर को, भलूगड़िया बस्ती निष्कासन से पुलिस द्वारा माननीय विधायक को हिरासत में लेने के कारण 18 और 19 अक्टूबर, 2019 को तालचेर बन्द ।

(7) जगन्नाथ, अनंता, भुवनेश्वरी, भरतपुर, लिंगराज, कनिहा, हिंगुला, बलराम, समलेश्वरी, लखनपुर, बेलपहाड़ और कुल्डा ओसीपी में कुल 15 ओसीपी में से 12 ओसीपी में भूमि अवरोध।

(8) ईब कोलफील्ड्स - असामान्य वर्षण के कारण कोयला उत्पादन तथा ओबीआर प्रभावित। असामान्य वर्षण यथा – अगस्त, 18 के 400 मिमी के जगह अगस्त, 19 में 595 मिमी, सितंबर, 18 के 165 मिमी की जगह सितंबर,19 में 282 मिमी तथा अक्टूबर,18 में वर्षा न होने के स्थान पर अक्तूबर, 19 में 165 मिमी। 18-19 के 1341 मिमी के मुक़ाबले 19-20 में 1536 मिमी की वर्षा वृद्धि पायी गयी।

(9) तालचेर कोलफील्ड्स – अक्तूबर, 19 अधिक वर्षण के कारण कोयला उत्पादन प्रभावित, जैसा अक्तूबर,18 के 122 मिमी के मुक़ाबले में अक्तूबर, 19 में 170 मिमी वर्षण।

(10) जून, 19 के प्रथम पखवाड़े में वज्राघात के साथ गरजदार वर्षण तथा पावरकट एवं जनवरी'20, फरवरी'20 तथा मार्च'20 में आई आकस्मिक वर्षा ने भी कोयला उत्पादन को प्रभावित किया।

(11) जिला प्रशासन द्वारा 30 अप्रैल 19 से ग्रीष्मकालीन प्रतिबंध (सुबह 11:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे) लगाया गया था, जो 15 जून, 19 के प्रथम पखवाड़े में समाप्त हो गया था।

(12) हिंगुला यात्रा शुरू होने के कारण 18 और 19 भी को उत्पादन प्रभावित हुआ।

(13) आम चुनाव की तिथि पर मतदान के कारण उपस्थिती कम रही। 18 अप्रैल, 19 – झारसुगुड़ा तथा सुंदरगढ़, 23 अप्रैल, 19 – तालचेर कोलफील्ड्स।

(14) 3 अप्रैल, 19 को एक राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक रैली से पूरे तालचेर कोलफील्ड्स का उत्पादन प्रभावित; 4 अप्रैल, 19 को अन्य राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक रैली ने कनिहा ओसीपी को प्रभावित किया।

(iii) एमसीएल का ओबी निष्कासन (आंकड़ें मिमी^{3} में)

			गत वर्ष से वृद्धि		% शत उपलब्धि बनाम लक्ष्य
वित्तीय वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पूर्ण	%शत	
2015-16	115.00	98.41	9.19	10.30	85.6
2016-17	150.00	123.34	24.93	25.33	82.2
2017-18	160.00	138.18	14.84	12.03	86.4
2018-19	157.00	130.00	-8.18	-5.92	82.8
2019-20	**160.00**	**124.51**	**-5.49**	**-4.22**	**77.8**

5. उत्पादकता

5.1 आपकी कंपनी ने उत्पाद प्रति मैनशिफ्ट (ओएमएस) के संदर्भ में उत्पादकता भी प्राप्त की है जो निम्नवत है:

(टन/मैनशिफ्ट में आंकड़ें)

	2019-20		2018-19		
	एएपी लक्ष्य **(बजटीय)**	वास्तविक	वास्तविक	% उपलब्धि बनाम लक्ष्य	% गत वर्ष से वृद्धि
खुली खदान	34.85	26.74	28.75		
भूमिगत	0.84	0.87	0.82		
सर्वसंकुल	28.40	22.73	23.83		

5.2 2019-20 के दौरान ओएमएस 23.73 टन/मैनशिफ्ट था।

ओएमएस की गणना का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक		**2019-20**	**2018-19**	गत वर्ष से वृद्धि
1	ओसी ओएमएस	26.74	28.75	(6.99)
2	यूजी ओएमएस	0.87	0.82	6.35
3	ओसी के लिए समायोजित एम/एस (लाख)	52.18	49.836	4.70
4	यूजी का मैनशिफ्ट (लाख)	9.58	10.665	(10.15)
क	**सर्वसंकुल ओएमएस का कुल मैनशिफ्ट**	**61.759**	**60.501**	**2.08**
6	ओसी कोल(लाख टन)	1395.218	1432.803	(2.62)
7	यूजी कोल (लाख टन)	8.357	8.711	(4.06)
ख	**कुल कोयला (लाख टन)**	**1403.575**	**1441.514**	**(2.63)**
8	**सर्वसंकुल ओएमएस (बी/ए)**	**22.73**	**23.83**	**(4.62)**
9	फॉर्मूला ओएमएस			
	यूजी =	कोयला उत्पादन / वास्तविक मैनशिफ्ट		
	ओसी =	कोयला उत्पादन + (1.4 x ओबी उत्पादन) / वास्तविक मैनशिफ्ट x (1+(1.4xएसटी अनुपात))		
	कुल =	यूजी में कोयला उत्पादन + ओसी में कोयला उत्पादन / यूजी में मैनशिफ्ट + ओसी का समायोजित मैनशिफ्ट		
10	समायोजित मैनशिफ्ट(ओसी के लिए खनन वार) =	कोयला उत्पादन/ ओएमएस		
		1395.218+8.357	1432.803+8.711	
		52.18+9.58	49.836+10.665	
		1403.575	1441.514	
		61.759	60.501	
		22.73	**23.83**	

6. एचईएमएम की संख्या और कार्यनिष्पादन -

6.1 सीएमपीडीआईएल द्वारा निर्धारित लक्ष्य को दर्शाते हुए फ्लीट की ताकत के साथ एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोग का विवरण तथा उपलब्धि नीचे दी जा रही है:

I. प्राप्त की गई उपलब्धता तथा उपयोगिता % (आंकड़े पूर्णांक में):

क्र.	उपकरण	के अनुसार संख्या		% उपलब्धता			% उपयोगिता		
		31.03.20	31.03.19	अप्रैल'19 से मार्च'20	अप्रैल '18 से मार्च'19	सीएमपीडीआईएल मानदंड	अप्रैल'19 से मार्च'20	अप्रैल '18 से मार्च'19	सीएमपीडीआईएल मानदंड
1	ड्रैगलाइन	01	01	84	98	85	04	0	73
2	शौवेल	61	78	70	69	80	28	28	58
3	सरफेस/माइनर	17	20	85	84	--	41	47	--
4	डंपर	279	342	77	73	67	20	21	50
5	डोजर	135	116	70	72	70	25	25	45
6	ड्रिल	81	87	81	82	78	16	21	40
कुल		**574**	**644**						

II. <u>प्राप्त कार्य समय</u>:

क्रमांक	उपकरण	समय (घंटे)	
		2019-20	**2018-19**
1	ड्रैगलाइन	290	24
2	शौवेल	148997	172711
3	सरफेस/माइनर	59621	71243
4	डंपर	414091	451440
5	डोजर	174782	192442
6	ड्रिल	53497	73253

III.

क) सरफ़ेस माइनर और डम्पर की प्राप्त उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में तथा सीएमपीडीआई मानदंडों से भी अधिक है। प्राप्त डोजर की उपलब्धता सीएमपीडीआई मानदंड के बराबर और ड्रिल की उपलब्धता सीएमपीडीआई मानदंड से अधिक है।

ख) 1 अप्रैल से 15 जून तक गर्मियों के दौरान 11.00 बजे से 3.30 बजे तक समय की पाबंदी परियोजनाओं के संचालन को बंद करना एचईएमएम के उपयोग को प्रभावित करता है और उत्पादन पर इसका प्रभाव लगभग 2% है।

ग) भरतपुर ओसीपी की ड्रैगलाइन कार्यफेस की अनुपलब्धता के कारण पूरे वर्ष बेकार रही। एमसीएल में ड्रेगलाइन के लिए कार्यफेस नहीं है।

- शोवेल और डोजर का उपयोग पिछले वर्ष के समान ही है। पिछले वर्ष की तुलना में डम्पर का उपयोग कम हुआ है।
- **उपयोग को प्रभावित करने वाले कारण –**

  1) विशेषकर तालचेर कोलफील्ड में कानून और व्यवस्था की समस्या।,

  2) 24 जुलाई, 2019 से 06 अगस्त, 2019 तक तालचेर कोलफील्ड में विभिन्न संगठनों द्वारा काम को पूरी तरह बंद करना। भरतपुर ओसीपी में 67 दिनों के लिए काम बंद था।

  3) नवंबर 2019 तक जगन्नाथ, हिंगुला ओसीपी में भूमि संबंधी मुद्दे।

  4) बेलपहाड़, समलेश्वरी ओसीपी में लगातार जमीन की कमी।

  5) मैसर्स एचईसी द्वारा आपूर्ति की गई 10 सह शोवेल का खराब प्रदर्शन और बीईएमएल बीई 1600 शोवेल बनाते हैं।

  6) लगातार और अतिवृष्टि से उपकरणों का उपयोग बुरी तरह प्रभावित हुआ।

IV. उपलब्धता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम -

क) एचईएम से दैनिक उत्पादन और उनके कार्य घंटों का क्षेत्रीय स्तर और मुख्यालय स्तर पर बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है।

ख) एचईएमएम का समय पर सर्वे ऑफ करना और ऐसे सर्वे ऑफ किए गए उपकरणों के खिलाफ प्रतिस्थापन खरीद कार्रवाई।

ग) अनिवार्य आवश्यकता के प्रस्थापन हेतु विभिन्न फ्लोट उप-असेंबली जैसे इंजन, प्रसारण और अन्य असेंबली को मुख्यालय और सीडबल्यूएस में बनाए रखना।

घ) ओईएम द्वारा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करके नए मॉडल उपकरणों के संचालन और रखरखाव के लिए तकनीकी कौशल में सुधार करना।

ङ) मानसून अवधि से पहले दुर्गम सड़कों का रखरखाव।

च) संचालक के सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए एचईएमएम जो खरीदे जा रहे हैं, वे वातानुकूलित केबिनों से सुसज्जित हैं।

छ) एमसीएल प्रबंधन द्वारा विभिन्न मंचों पर भूमि अधिग्रहण तथा कानून और व्यवस्था की समस्याओं को उठाया जा रहा है।

ज) विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भू-विस्थापित जैसी अकुशल जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

V. एचईएमएम के भंग की स्थिति :

उपकरण	संख्या		भंग > 3 महीने	
	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार	31.03.20 के अनुसार	31.03.19 के अनुसार
ड्रैगलाइन	01	01	00	00
शोवेल	61	78	06	04
सरफेस माइनर	17	20	01	01
डंपर	279	342	38	55
डोजर	135	116	26	25
ड्रिल	81	87	19	10
एमसीएल कुल	574	644	90	95

ख. क्षमता उपयोगिता (खुली परियोजनाएं)

क्रमांक	विवरण	क्षमता (वर्ष के 1 अप्रैल के आधार पर)		गत वर्ष से वृद्धि
		2019-20	2018-19	-
1	विभागीय क्षमता (मि. क्यूब मी)	103.64	99.45	4.21%
2	प्रणाली क्षमता (मि. क्यूब मी)	322.05	269.56	19.47%
3	विभागीय उत्पादन (मि. क्यूब मी)	40.409	47.216	-14.42%
4	कुल उत्पादन (मि. क्यूब मी)	208.563	216.316	-3.58%
5	विभागीय क्षमता उपयोगिता	39%	47.5%	-17.89%
6	प्रणाली क्षमता उपयोगिता	64.76%	80.25%	-19.3%

8. ऊर्जा -

i) तालचेर कोलफील्ड्स : 31.0 एमवीए की अनुबंध मांग के साथ केद्रीय विद्यूत आपूर्ति उपयोगिता, ओड़िसा (सीईएसयू) के कमांड क्षेत्र के ओपीटीसीएल अंगुल सब-स्टेशन से 11 किलोमीटर लम्बे 132 केवी डबल सर्किट ओवर-हेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से नंदिरा कोलियरी 60 एमवीए (3X20 एमवीए), 132/133 केवी, ग्रिड सब-स्टेशन को बिजली प्रप्त हो रही है।

ii) ईब-वैली कोलफील्ड्स : 22.25 एमवीए की अनुबंध की मांग के साथ पश्चिम विद्यूत आपूर्ति, कंपनी, ओड़िशा (वेस्को) के कमांड क्षेत्र के ओपीटीसीएल बुधिपाड़ा सबस्टेशन से 19 कि.मी. लंबा 132 केवी डबल सर्किट ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जोराबाग, 52.5 एमवीए (2x20एमवीए +1X12.5 एमवीए) 132/33 केवी ग्रिड सबस्टेशन को बिजली प्राप्त हो रही है।

iii) बसुंधरा कोलफील्ड्स : 6 एमवीए की अनुबंध की मांग के साथ 220 केवी पर पश्चिमी विद्यूत आपूर्ति कंपनी , ओड़िशा (वेस्को) के कमांड क्षेत्र के तहत 33 कि.मी. लंबा 220 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन 40 एमवीए (2x20एमवीए) 220/33 केवी सबस्टेशन के द्वारा ओपीटीसीएल, बुधिपदार से बसुंधरा क्षेत्र को बिजली प्राप्त हो रही है।

8.4 **ऊर्जा की उपलब्धता**

पैरामीटर	2019-20	2018-19
अनुबंध मांग (एमवीए)	62.597	61.271
अधिकतम मांग (एमवीए) (वित्तीय वर्ष के दौरान महीने में उच्चतम)	62.071	60.44
उर्जा की खपत (मिलियन किलावाट)	313.69	311.65
कुल राशि (करोड़ रु.)	188.32	189.78
यूनिट मूल्य (रु./किलावाट)	6.00	6.09
विशिष्ट उर्जा खपत (किलोवाट/टन)	2.23	2.16
बिजली की विशिष्ट खपत समग्र उत्पादन के लिए) (कोयला + ओबी रिमूवल).किलोवाट/क्यूबिक मीटर	1.5	1.44
0.97 से अधिक पावर फेक्टर के रखरखाव के लिए पावर फेक्टर इनसेंटिव लाख रु. में	129.88	100.02
छूट की तारीख से पहले यानी हर महीने के 4 वें या 5 वें दिन के पहले बिजली के भुगतान पर लाख रु की छूट।	177.14	178.01

एमसीएल आनंद विहार कार्यालय के वाणिज्यिक भार को एमसीएल आनंद विहार कॉलोनी के आंतरिक ब हर के साथ मिला दिया गया है। एमसीएल आनंद विहार कॉलोनी की अनुबंध मांग 400 केवीए से बढ़ाकर 1400 केवीए कर दी गई है। एमसीएल आनंद विहार कार्यालय और कॉलोनी के लिए एकल बिलिंग अक्टूबर 2019 के महीने से शुरू हुई।

9. एमसीएल के प्रमुख भुमिगत उपकरणों की संख्या:

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या और उनकी उपलब्धता यहाँ दी गई है :

क्रम	उपकरण का नाम	सूची में संख्या		2019-20		2018-19	
		2019-20	2018-19	% उपलब्धता	% उपयोगिता	% उपलब्धता	% उपयोगिता
1	एसडीएल *	10	14	82.11	21.73	91.39	14.34
2	एलएचडी *	21	27	66.53	39.30	56.35	36.47

भूमिगत उत्पादन	2019-20	2018-19
वास्तविक (मि.टन.)	0.84	0.87
लक्ष्य (मि.टन.)	0.90	1.00

एसडीएल और एलएचडी के लिए सूत्र सीआईएल मानदंड के अनुसार है

$$* \% \text{ उपलब्धता} = \frac{H_w + H_i}{H_s} \times 100$$

जहां,
H_w = *वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष,*
H_i = *निष्क्रिय घंटे / वर्ष*
H_s = *शिफ्ट घंटे / वर्ष*

$$* \% \text{ उपयोगिता} = \frac{H_w}{H_s} \times 100$$

जहां,
H_w = *वास्तविक कार्य घंटे / वर्ष,*
H_s = *शिफ्ट घंटे / वर्ष*

9.2 **कोल हैंडलिंग संयन्त्रों, वेबब्रिज की संख्या और उनकी कार्यप्रणाली**

2018-19 के दौरान सीएचपी और फीडर ब्रेकरों से 8.90 मिलियन टन कोयले की तुलना में 2019-20 के दौरान 8.82 मिलियन टन कोयले को क्रश किया गया।

वर्ष	2019-20		2018-19	
	कटाव क्षमता (एमटीवाई)	क्रश किए गए कोयले (एमटी)	कटाव क्षमता (एमटीवाई)	क्रश किए गए कोयले (एमटी)
क्षमता बनाम कोयला कुचला गया	36.5	8.82	36.5	8.90
% संयंत्र की कटाई क्षमता का उपयोग	24.16		24.38	

एमसीएल के अधिकांश ओसीपी में सरफेस माइनर की शुरूआत के बाद, क्रशर / सीएचपी का उपयोग काफी हद तक कम हो गया और इस प्रकार इसे अतिरिक्त के रूप में उपयोग किया जाता है और जहां भी कोयला उत्पादन न्यून गुणवत्ता का पारंपरिक रूप से किया जाता है, उस मात्रा को केवल क्रश कर दिया जा रहा है। 2019-20 के दौरान कुल कोयला उत्पादन का 91.98% सरफेस माइनर द्वारा किया गया । एमसीएल में 2019-20 के दौरान रॉम (ROM) कोयला उत्पादन सिर्फ 10.42 मिलियन टन था। चूंकि क्रशिंग की क्षमता काफी अधिक है, इसलिए किसी भी नए क्रशर या फीडर ब्रेकर को आगे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पे लोडर लोडिंग न करने के लिए सड़क द्वारा बिक्री वाले ट्रकों से ट्रक लोडिंग सिस्टम की शुरुआत तथा सीएचपी के नवीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है।

9.2.1 इन सीएचपी के कार्यात्मक बिंदु निम्नानुसार हैं :-

प्रमुख सीएचपी

क्षेत्र	सीएचपी का स्थान	क्षमता (एमटीवाई)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	2.0
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.5
कुल		5.50

मिनी सीएचपी / फीडर ब्रेकर

क्षेत्र	सीएचपी का स्थान	क्षमता (एमटीवाई)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	4.0
	अनंता ओसीपी	7.0
हिंगुला	हिंगुला	2.0
	बलराम	4.0
ईब-वैली	लजकुरा ओसीपी	2.0
	समलेश्वरी ओसीपी	1.0
लखनपुर	बेलपहाड़ ओसीपी	2.0
लिंगराज	लिंगराज ओसीपी	6.0
बसुंधरा	बसुंधरा ओसीपी	1.0
	कुलडा ओसीपी	2.0
कुल		

9.2.3 कोयला प्रेषण सुव्यवस्थित करने के लिए एमसीएल की सभी प्रमुख खुले खदानों में सीएचपी / साइलो का निर्माण योजना के निष्पादन / निविदा / अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में है।

एमसीएल में पूर्ण/जारी सीएचपी/साइलो परियोजनाएँ

क्रमांक	सीएचपी /साइलो विवरण	क्षमता	वर्तमान स्थिति
1	भरतपुर साइडिंग में साइलो के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट	15 एमटीवाई	एमसीएल द्वारा संयंत्र के निर्माण कार्य को दिनांक 09.10.2018 पूरा किया गया गया। कार्य निष्पादन गारंटी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और संयंत्र दिसंबर 2018 से परिचालन में है।
2	लिंगराज ओसीपी में कोयला परिवहन और एसएलओ लोडिंग की व्यवस्था	16 एमटीवाई	प्लांट का ट्रायल रन 25.04.2020 को पूरा हो चुका है। संयंत्र चालू है और परिचालन में है।
3	भुवनेश्वरी ओसीपी से साइलो तक स्पर साईडिंग –III के पास जगन्नाथ वाशरी के पास कच्चे कोयले का परिवहन	10 एमटीवाई	परियोजना की समग्र प्रगति 90.39 % है और दिसंबर, 2020 तक परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है।
4	प्रस्तावित हिंगुला वाशरी के साथ ही साथ बलराम साईडिंग, हिंगुला क्षेत्र में साइलो व्यवस्था तक हिंगुला ओसीपी से पाइप कनवेयर द्वारा कोयला परिवहन।	10 एमटीवाई	परियोजना की समग्र प्रगति 33%. जुलाई 2021 तक परियोजना के पूर्ण होने की उम्मीद है।
5	ईब वैली वाशरी को कच्चे कोयले की आपूर्ति के लिए लखनपुर में साइलो के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट और रैपिड लोडिंग सिस्टम।	10 एमटीवाई	दिनांक 01.03.2016 को जारी एनआईटी संख्या – 178 की निविदा रद्द कर दी गई थी, क्योंकि एनआईटी की आवश्यकता का पालन नहीं करने के कारण सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को खारिज कर दिया गया था। हालाँकि खारिज की गई संशोधित एल -1 बोलीदाता (मूल एल -3 बोलीदाता) ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले और बाद में सीएमडी द्वारा पारित आदेश के अनुसार, रद्दीकरण वापस ले लिया गया। टेंडर के आगे के मूल्यांकन के लिए बोली की वैधता के विस्तार के लिए एल-1 बिडर को कहा गया है। सीएमपीडीआई में नई निविदा के समानांतर कार्रवाई की तैयारी भी प्रक्रियाधीन है।

9.2.4 वेब्रिजों का विवरण

क्रमांक	वेब्रिज का प्रकार	2019-20	2018-2019
1	इलेक्ट्रोनिक रोड वेब्रीज (स्टेटिक)	112	99
2	इलेक्ट्रोनिक रोड वेब्रीज (इन-मोशन)	40	40
3	रेल वेब्रीज(इलेक्ट्रोनिक)	38	36

दोनों सिरों (साइडिंग्स और स्टॉकयार्ड) पर 100% वज़न सुनिश्चित करने के लिए, 100 टन का 34 इनमोशन रोड वेब्रिजों खरीद कार्रवाई के तहत हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त वजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100 टन क्षमता के 21 स्टैटिक रोड वेटब्रिज की खरीद की गई है जिसमें 16 को शुरू किया गया है और शेष 05 वेब्रिज प्रक्रिया के अधीन है। इसके अतिरिक्त, 140 टन वाले 15 रेल इन-मोशन वेब्रिज की खरीद की गई है। 15 में से, 8 वेब्रिज चालू किया गया है और 7 वेब्रिज स्थापना के अधीन हैं।

10. पूंजीगत संरचना :

दिनांक 31.03.2018 को कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी. 980.00 करोड़ है, जो 1,000/- के 77,58,200 इक्विटी शेयर्स में एवं प्रत्येक 1,000/- शेयर के 10% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर 20,41,800 शेयर में विभाजित है।

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर पूँजी, रु 661,83,63, 000 करोड़ है। संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसके नामितों द्वारा नियंत्रित होती है।

11. **वित्तीय समीक्षा**

कंपनी ने पिछले वर्ष के कुल रु. 24607.68 करोड़ के सकल कारोबार की तुलना में चालू वर्ष में सकल विक्रय मूल्य रु. 22834.92 करोड़ का कारोबार रिकॉर्ड किया है। गतवर्ष के रु. 9281.08 करोड़ का कर पूर्व लाभ 2019-20 में रु. 8645.47 करोड़ हुआ है। पिछले वर्ष रु. 6039.54 करोड़ के तुलना में इस वर्ष कर प्रश्चात लाभ रु. 6427.39 करोड़ है। वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है:

[₹ करोड़ में]

	2019-20	2018-19
कुल लाभ (ब्याज और ह्रास से पूर्व)	9220.52	9815.10
घटाव : ह्रास (सामाजिक मद मूल्य ह्रास सहित)	494.74	501.19
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	80.31	32.83
कर पूर्व निवल लाभ	8645.47	9281.08
घटाव : आयकर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित का दायिता	2218.08	3241.54
कर पश्चात निवल लाभ	6427.39	6039.54
पी और एल में उपलब्ध ओपी बेलेन्स	1201.38	207.72
घटाव : सामान्य आरक्षित में अंतरित	(321.37)	(301.98)
इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश	(5225.00)	(3750.00)
अंतिम लाभांश	-	(125.00)
लाभांश पर कर	(1074.01)	(796.52)
बाय बैक इक्विटी शेयर पर दिया गया बाय बैक वितरण कर	-	(72.38)
उपरोक्त विनियोग के पश्चात लाभ/हानि	1008.39	1201.38
कर पूर्व अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(104.82)	(16.28)
घटाव: ओसीआई पर आयकर का प्रावधान	(26.38)	(5.69)
कर पश्चात अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(78.44)	(10.59)
कर पश्चात कुल व्यापक आय	6348.95	6028.95

11.1 **रिजर्व स्थानांतरण**

वर्ष के लिए रु.321.37 करोड़ की राशि कर के बाद लाभ का 5% होने के नाते, जनरल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है ।.

11.2. **लाभांश**

निदेशको ने इक्युटी शेयर पूंजी के रु 661.84 करोड़ तक की भुगतान की राशि में से 789.47 % की अंतरिम लाभांश की संस्तुति की है जो तत्संबंधी वर्ष के अनुमोदित कुल 5225.00 करोड़ (आंतरिक लाभांश) का भुगतान की इक्युटि पूंजी की कुल राशि का 798.47% (गत वर्ष 586.60%) है।

इस तरह कुल बहिर्वाह राशि रु.6299.01 करोड़ है जिसमें कुल लाभांश रु. 5225.00 करोड़ और लाभांश पर कर रु 1074.01 करोड़ है।.

11.3. **ऋण**

असुरक्षित ऋण:कंपनी ने एनएलसीआईएल को 7% मासिक ब्याज की दर से रु. 2000 करोड़ सामान्य व्यय के लिये दिया है जिसका बराबर का किस्त मूल पुनर्भुगतान का 48% है। दिनांक 31.03.2020 तक कुल बकाया कर्ज रु 1125.00 करोड़ है।

12. **निवेश**

12.1 एमसीएल की सहायक कंपनियां एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोल लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के इक्विटी शेयर में गैर-वर्तमान निवेश क्रमशः रु 59.57 करोड़, रू. 57.06 करोड़, रू.5.00 लाख और रू.3.20 लाख हैं।

12.2. दिनांक 31.03.2020 को 7.55% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय आईआरएफ़सी टैक्स फ्री 2021 श्रृंखला 79 बांड, 8% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय आईआरएफ़सी बांड, 7.22% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय आईआरएफ़सी टैक्स फ्री बॉन्ड, 7.22% सुरक्षित प्रतिदेय क्रमशः 200.00 करोड़, रू. 108.75 करोड़, रु 499.95 करोड़ और रु 150.00 करोड़ था।

13. **पूंजीगत व्यय**

गत वर्ष के रू.1415.00 करोड़ (पुनर्वर्णित) खर्च की तुलना में इस वर्ष कुल पूंजीगत व्यय ₹ 1523.22 रु करोड़ था।

14. **उधार**

दिनांक 31.03.2020 तक मेसर्स लिबेनर फ्रांस एसए, फ्रांस को क्रेडिट पर चार हाइड्रोलिक शोवेल की आपूर्ति के लिए रू. 6.10 करोड़ की राशि बकाया है।

कंपनी ने 2019-20 के दौरान बैंक से एक ऋण लिया है, जिसमें टीडीआर देने क् लिये राशि रु 1840 करोड़ और अग्रिम कर के रूप में भुगतान करने के लिए रु 1706.45 करोड़ की राशि देते हुये रु.1,840 करोड़ की राशि का भुगतान किया। गई है। 31.03.2020 तक का बकाया राशि रु.1706.45 करोड़ है।

15. **विक्रय प्राप्ति**

वर्ष 2018-19 में एमसीएल की सकल बिक्री रू. 26464.46 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान 24668.49 करोड़ रहा।

वर्ष 2019-20 में कुल प्राप्ति रू. 23931.08 करोड़ थी जो चालू वर्ष के सकल विक्रय पर 97.01% काम करता है।

15. **राजकोष को भुगतान**

आपकी कंपनी का केंद्र और राज्य के सरकारी कोष में बड़ा योगदान रहा है।पिछले वर्ष के दौरान किए गए भुगतानों की तुलना में इस वर्ष के दौरान रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ, जीएसटी, जीएसटी क्षतिपूर्ति, आयकर, लाभांश वितरण कर, एवं बायबैक वितरण कर के लिए कंपनी द्वारा किए गए भुगतान निम्नानुसार है :

[₹ करोड़ में]

	2019-20	2018-19
रॉयल्टी	2115.69	2035.36
एनएमईटी	37.05	40.71
डीएमएफ	561.75	610.50
सेवा एवं वस्तु कर	466.41	904.24
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	5320.10	5692.12
आयकर	4300.00	3100.00
लाभांश वितरण कर	1074.01	796.52
बाय-बैक वितरण कर	0.00	72.38
कुल	13875.01	13251.83

परियोजना गठन /पूंजी परियोजना

योजनाएँ:

एमसीएल ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 160.00 मिलियन टन कोयला प्राप्त करने की योजना बनाई है। वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय रु. 1700.00 करोड़ है, जिसका बड़ा हिस्सा भूमि अधिग्रहण, आधारभूत संरचनाओं के विकास (फ़र्स्ट माइल कनेक्टिविटी सहित) और हेवी अर्थ मूविंग मशीन (एचईएमएम) की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा।

परियोजना गठन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएमपीडीआईएल द्वारा पाँच परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी :

1. बलराम विस्तार ओसीपी (15 एमटीवाई)
2. गोपालजी –कनिहा विस्तार ओसीपी (40 एमटीवाई)
3. भुवनेश्वरी विस्तार ओसीपी (40 एमटीवाई)
4. बसुंधरा ओसीपी (25 एमटीवाई)
5. कुल्डा–गर्जनबहाल ओसीपी (40 एमटीवाई)

परियोजना कार्यान्वयन:
2019-20 के दौरान एमसीएल का कुल पूंजी व्यय लक्ष्य 1700.00 करोड़ रुपये की तुलना में 1201.23 करोड़ रुपये है।

पूंजी परियोजनाएं /योजना
कोयला परियोजनाएं : -

एमसीएल में अब तक कुल 53 (3 बंद परियोजनाओं सहित) स्वीकृत कोयला खनन परियोजनाएं है। इन स्वीकृत परियोजनाओं की उत्पादन दर क्षमता 230.61 एमटीवाई थी, जिसमें स्वीकृत पूंजी लागत (आरसीई सहित) रु 17578.11 करोड़ थी । कुल 53 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 16 परियोजनाएँ चालू परियोजनाएं है। 53 परियोजनाओं की पूंजी परिव्यय के साथ वर्तमान क्षमता निम्नानुसार है :

परियोजना वर्ग (करोड़ रु.)	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	स्थिति		
				बंद	पूर्ण	कार्यरत (चालू)
100 और उससे अधिक	21	177.40	16602.14	1	7	13
50 से 100	12	17.83	685.52	0	9	3
20 से 50	13	28.10	225.93	1	12	0
20 से कम	07	7.28	64.52	1	6	0
कुल	**53**	**230.61**	**17578.11**	**3**	**34**	**16**

पूर्ण परियोजना : - 37

क्र.	परियोजना का नाम	पीआर क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (रु . करोड़)	पूर्ण करने की तय तिथि
तालचेर कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओ/सी	4.00	338.44*	मार्च 2008
2.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण -I	1.50		
3.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण -II	6.50		
4.	बलांडा ओ/सी तथा संशोधित पीआर (बंद)	1.00	33.20	मार्च 1984
5.	बलराम ओ/सी (कलिंगा ओसीसीपी)	8.00	344.63*	मार्च 2000
6.	भरतपुर ओ/सी	3.50	158.97 (आरसीई)	मार्च 1991
7.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण -I	1.50	48.02	मार्च 1998
8.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण -II	6.00	**95.87	मार्च 2007
9.	भरतपुर ओ/सी विस्तार चरण -III	9.00	131.39	मार्च 2010
10.	छेंदीपाड़ा ओ/सी	0.35	19.75	मार्च 2007
11.	हिंगुला-II ओ/सी	2.00	47.93*	मार्च 2002
12.	हिंगुला –II ओ/सी चरण -I	2.00	89.78	मार्च 2009
13.	हिंगुला –II ओ/सी चरण -II	4.00	35.67	मार्च 2009
14.	जगन्नाथ ओ/सी / जगन्नाथ विस्तार	4.00	66.71 / 4.71	मार्च 2004
15.	जगन्नाथ ओ/सी विस्तार चरण -II	2.00	4.95	मार्च 2008
16.	लिंगराज ओ/सी	5.00	229.84	मार्च 1998
17.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण -I	5.00	98.89	मार्च 2007
18.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण -II	3.00	2.18	मार्च 2008
19.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण -III	3.00	306.18**	मार्च 2014
20.	नंदिरा यू/जी (वृद्धि)	0.33	17.96	मार्च 1995
कुल योग (जिसमें बंद खानों की क्षमता भी शामिल है)		51.68	1640.82	
ईब-वैली कोलफील्ड्स				
21.	बसुंधरा (ई) ओ/सी(बंद)	0.60	19.70	मार्च 1998
22.	बसुंधरा (पश्चिम) ओ/सी	2.40	68.74 (RCE)	मार्च 2007
23.	बसुंधरा (पश्चिम)(विस्तार चरण -I	4.60	46.52	मार्च 2011
24.	बेलपहाड़ ओ/सी	2.00#	246.93*	मार्च 2015
25.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण -I	1.50#		
26.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण -II	4.50#		
27.	लजकुरा ओ/सी / लजकुरा विस्तार	1.00	38.98 (RCE) / 3.22	मार्च 1991
28.	लजकुरा ओसीपी विस्तार चरण -I	1.50	194.99**	मार्च 2013
29.	लखनपुर ओ/सी	5.00#	215.02*	मार्च 2000
30.	लखनपुर ओ/सी विस्तार चरण -I	5.00#	98.74	मार्च 2010
31.	लखनपुर ओसीपी विस्तार चरण -II	5.00#	116.54	मार्च 2011

32.	लिल्लारी ओ/सी/ लिल्लारी विस्तार	0.80#	19.78 / 0.63	मार्च 1992
33.	समलेश्वरी ओ/सी	3.00	636.24**	मार्च 2013
34.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -I	1.00		
35.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण –II	1.00		
36.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -III	2.00		
37.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण -IV	5.00		
कुल योग (बंद खदानों की क्षमता सहित)		**22.10**	**1706.03**	
कुल (पूर्ण परियोजना)		**73.78**	**3346.85**	

(*) *स्वीकृत आरसीई-सह-समापन रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लागत*

(**) *आरसीई-सह-समापन रिपोर्ट और लक्षित वर्ष से अतिरिक्त स्वीकृत पूंजी के अनुसार*

(#) *अनुमोदन के पश्चात एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़- लिल्लारी ओसीपी और भरतपुर पुनः सृजित 'ओसीपी की क्षमता को शामिल नहीं किया गया है।*

<u>चालू परियोजनाएं</u> :- 16

क्रमांक.	**परियोजना का नाम**	**परियोजना क्षमता (एमटीवाई)**	**स्वीकृत पूंजी (रु. करोड़)**	**परियोजना अनुमोदन की तिथि**
तालचेर कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओसीपी विस्तार चरण -III	3.00	251.95#	31.08.2008
2.	बलराम ओसीपी विस्तार	8.00	^209.56	22.12.2007
3.	भरतपुर पुनर्गठन	20.00	2838.87	12.11.2018
4.	भुवनेश्वरी ओसीपी	20.00	490.10	22.12.2007
5.	हिंगुला -II ओसीपी विस्तार चरण -III	7.00	479.53	08.11.2008
6.	जगन्नाथ पुनर्गठन	6.00 *	337.66	26.05.2014
7.	जगन्नाथ यू/जी	0.67	80.75	15.10.2001
8.	कनिहा ओसीपी	10.00	457.77	22.12.2007
9.	नटराज यू/जी	0.64	92.11	30.01.2001
10.	तालचेर (पश्चिम) यू/जी	0.52	85.08	18.02.2002
	कुल योग	**61.83**	**5323.37**	
ईब-वैली कोलफील्ड्स				
11.	बसुंधरा (पश्चिम) विस्तार	7.00 *	**620.42	07.05.2014
12.	कुल्डा ओसीपी	10.00	^372.81#	12.01.2005
13.	कुल्डा विस्तार ओसीपी	5.00	**348.16#	25.06.2014
14.	गरजनबहाल ओसीपी	10.00	**1375.38	03.05.2016
15.	समेकित लखनपुर-बेलपहाड़-लिलारी ओसीपी	30.00	2434.75	22.05.2018
16.	सियारमल ओसीपी	40.00	**3756.36	29.05.2014
	कुल योग	**95.00**	**8907.89**	
कुल *(चालू परियोजनाएं)*		**156.83**	**14231.26**	
महायोग *(बंद खदानों की क्षमता सहित)*		**230.61**	**17578.11**	

(*) ये अतिरिक्त क्षेत्रों को जोड़ने वाले मूल परियोजनाओं के विस्तार हैं। इसलिए, क्षमता में कोई जोड़ नहीं होगा।

(**) आरसीई-सह-समापन रिपोर्ट और/या लक्षित वर्ष के अतिरिक्त स्वीकृत पूंजी के अनुसार

(#)सीएमडी**,** एमसीएल के शक्ति प्रत्यायोजन (डीओपी) के भीतर कुल स्वीकृत पूंजी का ***10%*** शामिल है। **(^) –**योजनाओं सहित।

मौजूदा पुरानी भूमिगत खान : -05

क्र.	परियोजना का नाम	सीएमपीडीआईएल द्वारा मूल्यांकन के रूप में क्षमता एमटीवाई में (मि.टन /वर्ष)				
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1	हिराखंड बूंदिया खदान	0.612	0.612	0.505	0.551	0.366
2	ओरिएंट खदान 1 और 2	0.428	0.367	0.352	0.398	0.397
3	ओरिएंट खदान 3	0.490	0.000	0.122	0.122	0.122
4	ओरिएंट खदान 4	0.061	0.122	0.061	0.000	0.000
5	तालचेर यू/जी	0.340	0.272	0.173	0.107	0.000
	कुल	**1.931**	**1.373**	**1.213**	**1.178**	**0.885**
	एमसीएल के लिए महायोग *(बंद खदानों की क्षमता सहित)*				**231.788**	**231.495**

भावी परियोजना :-05

क्र.	**परियोजना का नाम**	**परियोजना क्षमता (एमटीवाई)**	**टिप्पणी**
1.	बलराम विस्तार ओसीपी	15.0 (**अतिरिक्त**–7.0 **एमटीवाई**)	**03.02.20** को एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना अनुमोदित। दिनांक **17.03.20** को को सीआईएल बोर्ड द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई।
2.	गोपालजी – कनिहा विस्तार ओसीपी	30.0 (**अतिरिक्त**-20.0 **एमटीवाई**)	सीएमपीडीआईएल द्वारा प्रस्तुत अंतिम परियोजना का यूसीई अनुमोदन के लिए एमसीएल बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
3.	भुवनेश्वरी विस्तार ओसीपी	40.0 (**अतिरिक्त**–20.0 **एमटीवाई**)	सीएमपीडीआई द्वारा ड्राफ्ट परियोजना प्रतिवेदन तैयार और प्रस्तुत की गई। परियोजना का लागत आधार एमसीएल बोर्ड के समक्ष रखने हेतु सीएमपीडीआईएल आरआई-**VII** में अद्यतन किया जा रहा है।
4.	सुभद्रा ओसीपी – (उत्कल –क)	25.0 (**अतिरिक्त**-25.0 **एमटीवाई**)	सीएमपीडीएल द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट जिसे **12.03.20** को एमसीएल बोर्ड की तकनीकी उप समिति में विचार-विमर्श किया गया था। टीएससी द्वारा सुझाए गया संशोधन सीएमपीडीआई द्वारा अनुपालन किया जा रहा ।
5.	कुल्डा – गर्जनबहाल विस्तार ओसीपी	40.0 (**अतिरिक्त**-15.0 **एमटीवाई**)	सीएमपीडीआई ने दिनांक 09.04.18 को पीआर ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया। एमसीएल के परियोजना समिति द्वारा दिनांक 02.05.18 को पीआर पर चर्चा की गई थी। परियोजना सीएमपीडीआईएल में अद्यतन की जा रही है।
	कुल	**कुल अतिरिक्त क्षमता – 87.00एमटीवाई**	

<u>गैर-खनन परियोजनाएं :-</u>

एमसीएल की प्रमुख चालू गैर खनन परियोजनाओं की लागत > रु. 20 करोड़:

क्रमांक	परियोजनाओं का नाम	पूंजी लागत (रु. करोड़.)
1.	ईब वैली क्षेत्र के समलेश्वरी ओसीपी (कोंक्रीट फुटपाथ), लजकुरा ओसीपी (कंक्रीट फुटपाथ) के कोयला परिवहन सड़क का निर्माण और एमसीएल के ईब कोलफील्ड्स के ओरिएंट क्षेत्र में एचबीएम से एसओसीपी जंक्शन तक बिटुमिनस रोड को मजबूत करना। ।	137.72
2.	लखनपुर क्षेत्र में 4 लेन गाड़ी मार्ग बेलपहाड़ बाईपास का निर्माण	42.79
3.	तालचेर कोयला क्षेत्र में 41.98 किलो मीटर लंबाई के नए कोल कॉरीडोर का निर्माण।	165.92 संशोधित - 243.42
(क)	हिंगुला – बलराम पार्ट (चरण I और II 7.06 KM)	
(ख)	भरतपुर पार्ट (चरण I और II 2.3 किलो मीटर)	
(ग)	जगन्नाथ पार्ट (चरण I और II 1.26 किलो मीटर)	
(घ)	अनंता पार्ट (चरण I और II 2.34 किलो मीटर)	
(ङ)	भुवनेश्वरी पार्ट (चरण I और II 1.82 किलो मीटर)	
(च)	लिंगराज पार्ट (चरण I और II 6.21 किलो मीटर)	
4.	तालचेर के घांटपाड़ा गाँव के समीप के स्तर पर आरओबी का निर्माण।	37.50
5.	तालचेर कोलफील्ड्स में 5 वर्ष से अधिक आयु वाले सीटी सड़कों का निर्माण। 35 किलोमीटर	241.69
(क)	हिंगुला ओसीपी (4.91 किलोमीटर)	
(ख)	बलराम ओसीपी (7.0 किलोमीटर)	
(ग)	भरतपुर ओसीपी (5.46 किलोमीटर)	
(घ)	जगन्नाथ ओसीपी (6.23 किलोमीटर)	
(ङ)	अनंता ओसीपी (2.15 किलोमीटर)	
(च)	भुवनेश्वरी ओसीपी (5.73 किलोमीटर)	
(छ)	लिंगराज ओसीपी (3.8 किलोमीटर)	
6.	बांकीबहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक 2 लेन से 4 लेन की 27 किलो मीटर सड़क का चौड़ाकरण	मूल- 162.87 संशोधित- 242.06
7.	सुंदरगढ़ जिले में बांकीबाहल से भेदभल(राज्य राजमार्ग-10 पर) के लिए अलग-अलग 4-लेन (संशोधित 2-लेन) समर्पित कोल कॉरीडोर सड़क का निर्माण। लंबाई- 33.00 किलोमीटर, ब्रीज-4.	398.97
8.	अनंत स्पुर साइडिंग V & VI पर 15 एमवाईटी के लिए सीएचपी-आरएलएस की व्यवस्था	198.66
9.	अंगुल स्टेशन से बलराम ओसीपी तक रेलवे लिंक	99.00
10.	जगन्नाथ वाशरी (10.00 एमटीवाई) बी-ओ-ओ आधार पर	265.35
11.	ईब-वैली वाशरी (10.00 एमटीवाई) बी-ओ-एम आधार पर	392.76
12.	हिंगुला वाशरी (10.00 एमटीवाई) बी-ओ-ओ आधार पर	321.96
	कुल	**2621.88**

एमसीएल की पूर्ण गैर खनन परियोजनाओं की लागत > रु. 20 करोड़ :

क्रमांक	परियोजनाओं का नाम	पूंजी लागत (रु. करोड़.)
1.	बी-जी क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक की आयु वाली सभी कोयला परिवहन कंक्रीट सड़क का निर्माण।	22.96
2.	कनिहा ओसीपी में कंक्रीट सीटी रोड का निर्माण	26.92
3.	तालचेर में भुवनेश्वरी ओसीपी की सेवा हेतु तालचेर यार्ड के लिए टीएलएसबी केबिन से तीसरी लाइन का निर्माण।	47.60
4.	झारसुगुडा - बरपाली - सरडेगा रेलवे लाइन (सिंगल लाइन)	मूल - 469.68 संशोधित - 1007.12
5.	बासुंधरा- गर्जनबहाल क्षेत्र का इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान -	498.75
6.	बसुंधरा पश्चिम विस्तार चेक पोस्ट से सरडेगा रेलवे साइडिंग तक 2-लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण।	30.39
7.	लिंगराज ओसीपी पर 16 एमटीवाई के लिए साइलो लोडिंग व्यवस्था	237.56 संशोधित – 495.01
	कुल	**2128.75**

विदेशी सहयोग : शून्य

आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का समावेशन

सरफेस माइनर द्वारा खुली खदान में कोयला निकालने के लिए विस्फोट मुक्त तकनीक को शुरू करने में एमसीएल पथ प्रदर्शक है।

एमसीएल की सभी प्रमुख खुली परियोजनाओं में रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ साइलो/सीएचपी शुरू किया जा रहा है।

ईब-वैली वाशरी के मामले में निर्माण शुरू कर दिया गया है और अन्य 02 वॉशरियों के मामले में, सूचना-पत्र (LoI) को पहले ही एल-। बोलीदाता को जारी किया जा चुका है और आवश्यक पर्यावरण मंजूरी(ईसी), वन मंजूरी (एफसी) प्राप्त करने के लिए लागू सहमति (सीटीई)) आदि मिलने के बाद लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी किया जाएगा।

सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित परियोजनाएं : शून्य

2019-20 के दौरान भूमि अधिग्रहण और अधिकार:

क्र	क्षेत्र	किराये पर		सरकारी गैर वन भूमि		वन भूमि		कुल	कुल	टिप्पणी
		अधिग्रहण	अधिकार	अधिग्रहण	अधिकार	अधिग्रहण	अधिकार	अधिग्रहण	अधिकार	
1	जगन्नाथ	0	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	
2	हिंगुला	0	12.09	0.00	65.34	0.00	0.00	0.00	77.43	
3	सुभद्रा	0.00	0.00	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00	64.10	
3	भरतपुर	0	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	
4	लिंगराज	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	4.14	
5	कनिहा	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	यू/एस **9(1)** , कनिहा ब्लॉक, एसओ सं-**08** दिनांक **09.01.2020,**
6	ईब वैली	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	
7	लखनपुर	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31	
8	बी-जी क्षेत्र	0.00	7.24	0.00	441.85	0.00	0.00	0.00	449.00	
	कुल	**2.5**	**89.38**	**0**	**571.29**	**0**	**4.14**	**2.5**	**664.81**	

16.9 निर्माण, संचालन और रखरखाव (बीओएम) के आधार पर वाशरी की स्थिति:

अधिक राख वाले कोयले के सस्ती के लिए बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन (बीओएम) आधार पर कोयला वॉशरियों की स्थापना के लिए सीआईएल के निर्णय के अनुरूप एमसीएल प्रथम चरण- । में बीओएम अवधारणा पर प्रत्येक 10.0 एमटीपीए की क्षमता वाले चार कोयला वॉशरी अर्थात हिंगुला वाशरी, बसुंधरा वाशरी, लखनपुर क्षेत्र में इब-वैली वाशरी और जगन्नाथ वाशरी को स्थापित करने की योजना बना रहा था।

चूंकि हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) और जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) के लिए बीओएम अवधारणा पर निविदा कार्यान्वित नहीं की गई थी, बीओएम अवधारणा पर जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) और हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) के लिए 26 मार्च,2018 को निविदा जारी की गई थी।

जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) और हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) की स्थापना के लिए क्रमशः दिनांक 29.12.2018 और 07.02.2019 को सबसे कम बोलीदाता को सूचना पत्र (एलओआई) जारी किया गया था।

जगन्नाथ वाशरी की स्थापना के लिए दिनांक 24/02/2020 को एमओईएफ और सीसी से संशोधित ईसीओ प्राप्त किया गया था और संशोधित सहमति प्राप्त होने के बाद एल -1 बोलीदाता को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) और अन्य सांविधिक मंजूरी जारी की जाएगी।
हिंगुला वाशरी की स्थापना के लिए संशोधित पर्यावरण मंजूरी, स्थापना और अन्य सांविधिक मंजूरी के प्राप्त होने के बाद एल-1 बोलीदाता को लेटर ऑफ़ अवार्ड (LoA) जारी किया जाएगा।
लखनपुर में इब-वैली वॉशरी (10.0 एमटीपीए) के लिए दिनांक 14.03.2018 को एल-1 बोलीदाता को लेटर ऑफ़ अवार्ड (एलओए) जारी किया गया तथा लखनपुर क्षेत्र में ईबी-वैली वाशरी स्थापित करने का अनुबंध दिनांक 15.10.2018 को मेसर्स ग्लोबल कोल एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड(जीसीएमपीएल) के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। लखनपुर क्षेत्र में ईब-वैली वाशरी (10 एमटीपीए) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। (फरवरी 2020 तक 45%)

बसुंधरा वाशरी (10.0 एमटीपीए) के संबंध में एल-। बोलीदाता अर्थात मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड ने बसुंधरा वाशरी के लिए बोली और बोली सुरक्षा की वैधता का विस्तार करने में असमर्थता व्यक्त की है और बैंक गारंटी वापस करने का अनुरोध किया है। बसुंधरा वाशरी की निविदा को रद्द करने का प्रस्ताव एमसीएल बोर्ड की दिनांक 28.03.2020 की बैठक में रखा गया है। बैठक के कार्यवृत्त की प्रतीक्षा है।
चरण-। के अतिरिक्त एमसीएल तीन और वॉशरियों - लखनपुर वाशरी (20.0 एमटीपीए क्षमता), गर्जनबहाल वाशरी (10.0 एमटीपीए क्षमता) और सियारमल वाशरी (40.0 एमटीपीए क्षमता) की स्थापना करने की योजना बना रही है।

चरण- । के तहत इन चार वाशरी की वर्तमान स्थिति निम्नरूप से दी गई है।

<u>(क) बीओएम अवधारणा पर लखनपुर में ईब-वैली वाशरी (10.0 एमटीपीए क्षमता):</u>

1. मई, 2015 में निविदा आमंत्रित की गई थी।
2. दिनांक 12.09.2016 को सबसे कम बोली दाता मेसर्स ग्लोबल कोल एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को सूचना पत्र जारी किया।
3. दिनांक 31.03.2017 को पर्यावरण मंजूरी (दिनांक 30/03/2017) प्राप्त हुई। एमओईएफ और सीसी से ईसी की कुछ विशिष्ट स्थितियों में संशोधन की मांग की गई थी। दिनांक 15.06.2017 की संशोधित ईसी दिनांक 26.07.2017 को प्राप्त हुई।
4. दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी जीएसटी के कार्यान्वयन के मद्देनजर, एल-1 बोलीदाता ने क्रमशः दिनांक 08/01/2018 और 22/01/2018 को परियोजना पूंजी लागत तथा संचालित लागत (उल्लिखित मूल्य पर जीएसटी और मुनाफाखोरी विरोधी

प्रावधानों के प्रभाव को देखते हुए) का अंतिम संशोधित मूल्य ब्रेक-अप प्रस्तुत किया। जिसे बाद में फरवरी 2018 में एमसीएल के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

5. एल-1 बोलीदाता को दिनांक 14/03/2018 को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया गया।
6. लखनपुर क्षेत्र में ईब-वैली वाशरी स्थापित करने का अनुबंध दिनांक 15.10.2018 को मेसर्स ग्लोबल कोल एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड (जीसीएमपीएल) के साथ हस्ताक्षरित किया गया था।
7. लखनपुर क्षेत्र में इब-वैली वाशरी (10 एमटीपीए) का निर्माण कार्य प्रगति है।(फरवरी 2020 तक 45%)

(ख) बीओएम संकल्पना पर बसुंधरा वाशरी (10.0 एमटीपीए क्षमता):

1. निविदा मई, 2013 को आमंत्रित की गई।
2. मई, 2014 को सूचना पत्र (एलओआई) "सर्वनिम्न बोलीदाता" मेसर्स एसीबी (भारत) लिमिटेड को जारी की गई।
3. बासुंधरा वाशरी की स्थापना के लिए एमओईएफ और सीसी से दिनांक 31.10.2019 को ईसी प्राप्त किया गया था।
4. बसुंधरा वाशरी (10.0 एमटीपीए) के संबंध में एल-। बोलीदाता अर्थात मैसर्स एसीबी (इंडिया) लिमिटेड ने बसुंधरा वाशरी के लिए बोली और बोली सुरक्षा की वैधता का विस्तार करने में असमर्थता व्यक्त की है और बैंक गारंटी वापस करने का अनुरोध किया है। बसुंधरा वाशरी की निविदा को रद्द करने का प्रस्ताव एमसीएल बोर्ड की दिनांक 28.03.2020 की बैठक में रखा गया है। बैठक के कार्यवृत्त की प्रतीक्षा है।

(ग) बीओएम संकल्पना पर हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए क्षमता):

1. दिनांक 04.05.2012 की हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) की स्थापना के लिए निविदा जारी की गई थी।
2. 30 अक्टूबर 2015 को हिंगुला वाशरी की स्थापना के लिए एमओईएफ और सीसी से ईसी प्राप्त किया गया था।
3. निर्धारित अवधि के भीतर पीएफएस जमा नहीं करने के कारण मेसर्स एमआईईएल को जारी एलओए दिनांक 03.11.2016 को रद्द कर दिया गया और मैसर्स एमआईईएल की बोली सुरक्षा के खिलाफ बैंक गारंटी दिनांक 05.11.2016 को भुनाया गया।
4. बीओएम अवधारणा पर हिंगुला वाशरी (10.0 एमटीपीए) के लिए नई निविदा 26 मार्च, 2018 को आमंत्रित की गई थी।
5. एमसीएल के निदेशक मण्डल ने दिनांक 28.01.2019 को आयोजित बैठक में "सबसे कम बोली लगाने" वाले यानी मेसर्स झार खनन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को "अवार्ड ऑफ वर्क " देने की मंजूरी दी।
6. दिनांक 07.02.2019 को सबसे कम बोली लगाने वाले को पत्र जारी किया गया था।
7. ईसी में संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 26.03.2019 को एमओईएफ़ वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।
8. दिनांक 27.05.2019 (45 वें), 03.10.2019 (48 वें) और 15.11.2019 (50 वें) को आयोजित ईएसी की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया।
9. 50 वीं ईएसी के एमओएम (दिनांक 3.12.19 को प्राप्त) के अनुसार, ईएसी ने विचार-विमर्श के बाद यह पाया है कि वाशरी रिजेक्ट्स के उपयोग के संबंध में पूर्व जांच का अनुपालन संतोषजनक नहीं है और बलराम ओसीपी की खदान योजना का संशोधन अभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ईएसी ने यह भी जोर देकर कहा कि पीपी वाशरी रिजेक्ट्स के उपयोग की नीति को अंतिम रूप देने के लिए कोयला मंत्रालय के साथ समन्वय कर सकता है। इसलिए प्रस्ताव उपरोक्त तर्ज पर टाल दिया गया है।
10. निदेशक (परियोजना/योजना) ने दिनांक 20.12.2019 को जारी पत्र के अनुसार सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से वाशरी रिजेक्ट्स के उपयोग के लिए नीति को अंतिम रूप देने के लिए अनुरोध किया गया।
11. ईएसी के प्रश्नों का उत्तर संशोधित ईसी के लिए तैयार किया जा रहा है।
12. हिंगुला वाशरी की स्थापना के लिए संशोधित पर्यावरण मंजूरी, स्थापना और अन्य सांविधिक मंजूरी के प्राप्त होने के बाद एल-1 बोलीदाता को लेटर ऑफ़ अवार्ड (LoA) को जारी किया जाएगा।

(घ) <u>बीओएम अवधारणा पर जगन्नाथ वाशरी (10 एमटीपीए क्षमता):</u>

1. अपेक्षित पुष्टिकरण दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने तथा एल-1 बिडर की पेशकश की अस्वीकृति के कारण 15 जून 2015 को ई-टेंडर मोड पर आमंत्रित निविदा को रद्द कर दिया गया। दिनांक 06.10.16 को रद्द करने के आदेश को दिनांक 07.10.16 को अपलोड किया गया।
2. जगन्नाथ वाशरी की स्थापना के लिए को दिनांक 31.08.16 को एमओईएफ़ तथा सीसी से ईसी प्राप्त किया गया था।
3. वाशरी स्थापना के लिए दिनांक 22.10.2016 को ओएसपीसीबी से सहमति प्राप्त हुई थी।
4. 15 जून 2015 को जारी निविदा के एल-1 बोलीदाता ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, कटक, उड़ीसा में निविदा रद्द करने को चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने 21.16.2017 में रिट याचिका को खारिज कर दिया और एल-1 बोलीदाता की बोली सुरक्षा के खिलाफ बैंक गारंटी को भुनाया (नगदीकरण) गया।
5. बीओएम अवधारणा पर जगन्नाथ वाशरी (10.0 एमटीपीए) के लिए नई निविदा 26 मार्च, 2018 को जारी की गई थी।
6. दिनांक 20.12.2018 को आयोजित एमसीएल निदेशक मण्डल अपनी बैठक में "सबसे कम बोलीदाता " अर्थात एम/एस ग्लोबल कोल एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को "अवार्ड ऑफ वर्क " का अनुमोदन दिया गया है।
7. दिनांक 29.12.2018 को सबसे कम बोली लगाने वाले को पत्र जारी किया गया था।
8. ईसी में संशोधन का प्रस्ताव दिनांक 05/03/2019 को एमओईएफ वेबसाइट पर अपलोड किया गया।
9. दिनांक 27.08.2019 (45 वां), 22.08.2019 (47 वां) और 05/12/2019 (51 वां) को क्रमशःआयोजित बैठक में ईएसी के प्रस्ताव पर विचार किया गया।
10. जगन्नाथ वाशरी की स्थापना के लिए दिनांक 24.02.2020 को एमओईएफ़ एवं सीसी से संशोधित ईसी प्राप्त किया गया था।
11. ओएसपीसीबी द्वारा संशोधित सीटीई की प्रतीक्षा की जा रही है।
12. हिंगुला वाशरी की स्थापना के लिए संशोधित सहमति और अन्य सांविधिक मंजूरी प्राप्त होने के बाद एल-1 बोलीदाता को लेटर ऑफ़ अवार्ड (एलओए) जारी किया जाएगा।

18. पर्यावरण प्रबंधन

18.1 <u>सीएसआर और संधारणीयता पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन</u> :

एमसीएल, 2011-12 से सीएसआर और संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। अब तक एमसीएल ने आठ रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। संधारणीयता रिपोर्टिंग में हमारा क्रमिक विकास, हमें साथियों के खिलाफ हमारे प्रदर्शन को बेंचमार्क करने में मदद कर रहा है और पर्यावरण और समाज के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है। हम सामग्री के मुद्दों पर अपने हितधारकों के लिए संधारणीयता प्रकटीकरण की प्रक्रिया को जारी रखना हमारा प्रयोजन हैं। वित्त वर्ष 2018-19(एमसीएल की वैबसाइट पर प्रकाशित एवं पुस्तक प्रकाशनाधीन है।) के लिए खनन और धातु क्षेत्र अनुपूरक सहित मुख्य मानदंडों के अनुसार 'ग्लोबल रिपोर्टिंग इनीशियाटिव्स-जीआरआई दिशा निर्देश' के अनुरूप किया गया है। जीआरआई दिशानिर्देश यूएनजीसी के 'दस सिद्धांतों' और एनवीजी सिद्धांतों के अनुरूप किए गए हैं।

18.2 सांविधिक मंजूरी और अनुपालन

18.2.1 मंजूरी:

18.2.1.1 वन मंजूरी (एफ़सी) प्राप्त करना:

वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 और उसके संशोधन के अनुसार गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) वन मंजूरी देता है। तदनुसार, एमसीएल ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान चरण-I और चरण-II वन मंजूरी (एफ़सी) प्राप्त की है।

क) चरण-I वन मंजूरी

क्रमांक	परियोजना का नाम	वन क्षेत्र (हेक्टयर में)	पत्रांक और दिनांक
1.	समलेश्वरी ओसीपी विस्तार	230.20	F.No.8/147/1989/-FC (pt.);15.11.2019

18.2.1.2 पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना:

ईआईए अधिसूचना, 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित) के अनुसार, किसी भी खदान, वाशरी के संचालन / निर्माण या किसी भी खदान के वृद्धि/विस्तार के लिए एमओईएफ़ और सीसी से पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। तदनुसार, एमसीएल द्वारा नियमित रूप से सभी खानों (नए और विस्तारित) के लिए ईसी लागू की जा रही है और प्राप्त की जा रही है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त होने वाले संदर्भ की शर्ते और ईसी को नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध किया गया है।

क) वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त संदर्भ की शर्ते

क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**क्षमता (एमटीवाई)**	**पत्रांक और दिनांक**
1.	एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़ लिलारी ओ.सी.पी.	40	28.04.2019;J-11015/15/2019-IA. II (M)

ख) वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त ईसी

क्रमांक	**परियोजना का नाम**	**क्षमता (एमटीवाई)**	**पत्रांक और दिनांक**
1.	जगन्नाथ ओसीपी विस्तार	7.5	J-11015/177/2005-IA-II(M) Dt. 06.09.2018 ईसी की वैधता में दिनांक 31-03-2020 तक विस्तार एमओईएफ़सीसी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23.03.2020 के अनुसार ईसी की वैधता में 30-06-2020 तक विस्तार। पत्र सं. J-11015/177/2005-IA-II (M) दिनांक 01.10.2019 का अवलोलकन करें।
2.	समलेश्वरी ओसीपी विस्तार चरण IV	15	J-11015/183/2008-IA-II(M) दिनांक 26-12-2019
3.	लखनपुर ओसी विस्तार	21	J-11015/391/2012-IA-II(M) dt: 10/01/2020- ईसी की वैधता में विस्तार- खदान की आयु के लिए।
4.	कुलड़ा ओसीपी विस्तार	14	J-11015/10/1995-IA-II(M) दिनांक 10/01/2020 ईसी की वैधता में विस्तार- खदान की आयु के लिए।
5.	जगन्नाथ वाशरी	10	वशरी प्रौद्योगिकी में संशोधन के कारण ईसी दिनांक 31/08/2016 में संशोधन कर दिनांक 05.03.2019 को लागू किया गया है। ईसी में संशोधन को दिनांक 24.02.2020 के पत्रानुसार स्वीकार किया गया है।

ग) एमसीएल खदानों में कुल उपलब्ध ईसी

क्र.	विवरण	तालचेर कोलफील्ड	ईब वैली कोलफील्ड	कुल
1	31.03.2019 के अनुसार कुल उपलब्ध ईसी	133.10 Mty	87.51 एमटीवाई	220.61 एमटीवाई
2	2019-20 में स्वीकृत ईसी (अतिरिक्त क्षमता)	0.00 एमटीवाई	0.00 एमटीवाई	0.00 एमटीवाई
3	01.04.2020 के अनुसार कुल उपलब्ध ईसी	132.75 एमटीवाई *	एमटीवाई #	218.562 एमटीवाई

* 1. ईसी के पुन: सत्यापन के लिए नंदीरा भूमिगत खदान (0.33 एमटीवाई) विचाराधीन है।

2. चेन्नीपाड़ा ओसीपी (0.35 एमटीवाई) - ईसी क्षमता को हटा दिया गया है क्योंकि खदान का संचालन बंद कर दिया गया है।

\# 1. ओरिएंट खान सं. 4 (0.50 एमटीवाई) - ईसी क्षमता को हटा दिया गया है क्योंकि खदान का संचालन बंद कर दिया गया है।

2. लिल्लारी ओसीपी (0.8 एमटीवाई) - ओरिएंट खान सं. 4 (0.50 एमटीवाई) - ईसी क्षमता को हटा दिया गया है क्योंकि खदान का संचालन बंद कर दिया गया है।

3. हिंगीर रामपुर कोलियरी (0.398 एमटीवाई)- ईसी क्षमता को हटा दिया गया है क्योंकि खदान का संचालन बंद कर दिया गया है।

18.2.1.3 भूजल निकासी अनुमति प्राप्त करना:

गजट अधिसूचना 18 दिसंबर 2018 के अनुसार, जल संसाधन मंत्रालय, आरडी एंड जीआर के तहत, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) नए उद्योगों द्वारा भूमिगत जल के विस्तार और 1999 के बाद से खनन परियोजनाएं अवसंरचना /खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करेगा। तदनुसार, एमसीएल की सभी मौजूदा और आगामी परियोजनाओं ने भूजल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सीजीडब्ल्यूए से एनओसी प्राप्त परियोजनाएं नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध हैं।

क्र.	परियोजना	एनओसी राशि (मी^{3}/दिन)	पत्रांक और दिनांक	वैधता
स	समलेश्वरी ओसीपी	2836.00	CGWA/NOC/MIN/ORIG/2020/7355 Dated: 31.01.2020	30.01.2022
2.	जगन्नाथ ओसीपी	1924.70	CGWA/NOC/MIN/ORIG/2020/7354 Dated: 31.01.2020	30.01.2022

सीजीडबल्यूए/सीजीडबल्यूबी में शेष 23 आवेदन सत्यापन के अधीन हैं।

18.2.3. वैधानिक अनुपालन:

- एमसीएल के सभी परिचालन खानों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी),ओड़िशा सरकार से जल और वायु अधिनियमों के तहत कार्य करने के लिए सहमति (सीटीओ) प्राप्त की गई है।
- एमसीएल के सभी परिचालन खानों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी),ओड़िशा सरकार से खतरनाक अपशिष्ट (मैनेजमेंट एंड ट्रान्सबाउंडरी मूवमेंट) नियमावली, 2016 के तहत "प्राधिकरण" भी प्राप्त किया गया है। इस्तेमाल की गई बैटरी और बरामद जले हुए तेल और ग्रीस अधिकृत री-प्रोसेसर के लिए नीलाम किए जाते हैं। विधि के अनुसार

बैटरी के लिए अर्ध-वार्षिक रिटर्न और अन्य खतरनाक कचरे के लिए वार्षिक रिटर्न एसपीसीबी, ओड़िशा सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

- ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी वाले सभी परिचालन खानों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की शर्तों के अनुपालन की अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट, एमओईएफ और सीसी, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, भुवनेश्वर और एमओईएफ और सीसी, नई दिल्ली को 2019-20 के दौरान समय पर प्रस्तुत की गई।
- वर्ष के दौरान पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम -14 के तहत फॉर्म-V में पर्यावरणीय विवरण तैयार करने के लिए 21 संचालित खानों में से प्रत्येक के लिए अधिकारियों की बहुअनुशासनिक टीम द्वारा पर्यावरण ऑडिट किया गया था। जो कि समय पर एसपीसीबी को दिनांक 09.09.2019 के पत्रांक का अवलोकन करते हुए उक्त रिपोर्ट पर सभी 21 संचालित खानों के लिए प्रस्तुत की गई थी।
- खनन कार्य के कारण भूजल की गुणवत्ता और अस्थिरता की नियमित निगरानी 39 पाइजोमीटर के नेटवर्क (तालचेर कोलफील्ड्स में 23 और ईब वैली कोलफील्ड्स में 16) के साथ-साथ अन्य बोर/खुले कुएं के माध्यम से की जा रही है।
- खदान जल का उपयोग :
  - क. अनुपयोगी खदानों (623.25 लाख क्यूबिक मीटर प्रतिवर्ष) में संग्रहीत ओसीपी के अधिशेष पानी का उपयोग एचईएमएम की धुलाई, धूल दमन, अग्निशमन और एक्वाफाइयर्स के पुनर्भरण जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
  - ख. अधिशेष भूमिगत खदान के पानी का उपयोग पेय, कृषि आदि हेतु समुदाय की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है।
- मोबाइल एप्लिकेशन "कोल जल" लॉन्च करने के लिए खदान के पानी के उपयोग का वैध डाटा दिनांक 14.08.2018 को सीएमपीडीआई, रांची को प्रस्तुत किया गया। जिसे संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया गया है। पीने के लिए लगभग 85,79,632 मी^{3} / वर्ष और आसपास के गाँवों में कृषि / सिंचाई के उद्देश्य से 54,64,656 मी^{3} / वर्ष पानी की आपूर्ति की जाती है।
- एमसीएल बोर्ड ने सीएमपीडीआई, आरआई-VII के लिए दिनांक 31.01.2018 को 11 सीएएक्यूएमएस (तालचेर कोलफील्ड्स में 04 ईब वैली कोलफील्ड्स में 04 और बसुंधरा क्षेत्र में 03) की खरीद, स्थापना और शुरुआत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीएमपीडीआई, आरआई -VII को पत्र सं. 1654 दिनांक 16.03.2018 के अनुसार कार्यादेश जारी किया गया है। सीएमपीडीआई, रांची द्वारा निविदा समिति की सिफ़ारिश और आपूर्ति आदेश 18 फरवरी 2020 को जारी किया गया है कृपया सं. 00157 का अवलोकन करें। आपूर्ति आदेश के अनुसार उपकरणों सुपुर्दगी 06 महीने के भीतर की जाएगी तथा उपकरण प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर स्थापना और कार्य की शुरुआत हो जाएगी।

18.3 पर्यावरण सुरक्षा और सुधार हेतु किए गए उपाय

18.3.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय

कंपनी की पर्यावरण के प्रति चिंता को ध्यान में रखते हुए इसने वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए लंबे समय से चले आ रहे कार्यों को उचित संख्या में किया जा रहा है, जिनमें से कुछ पर यहां प्रकाश डाला गया है।

- एमसीएल ने पर्यावरण के अनुकूल सरफेस माइनर तकनीक (1999-2000 में 4.2% से 2019-20 में 92.52% तक) के माध्यम से उत्तरोत्तर कोयला उत्पादन बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सर्फेस माइनर के माध्यम से कोयले का उत्पादन नीचे दर्शाया गया है।

कुल कोयला उत्पादन (एमटीवाई)	**खुले खदान द्वारा उत्पादन(एमटीवाई)**	**सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन**	
		एमटीवाई	**%**
140.36	139.52	129.09	92.52

यह एक गैर-विस्फोटक खनन तकनीकी है जो ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग जैसे धूल पैदा करने वाले कार्य के समय पानी छिड़कते हुए धूल को पूर्णरूप से समाप्त कर देती है। ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, ट्रांसपोर्टेशन टू क्रशर-अनलोडिंग और

री-लोडिंग जैसे आधारभूत कार्य संचालित करने और इन कार्यों में डीजल की खपत के परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन (पारंपरिक माध्यम से कोयला उत्पादन किया जा रहा था) में कमी आई है। 3 से 5% राख वाले कोयले को बिजली संयंत्रों तक परिवहन में कमी के परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों के उत्पादन में और भी कमी आई है और जिसे परिवहन में शामिल की सीमा और दूरी को देखते हुए बड़ी मात्रा में भेजा जा रहा है।

- 2019-20 के दौरान लगभग 68% कोयला परिवहन सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल इनलैंड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी रेल, बेल्ट और एमजीआर के माध्यम से और सड़क के माध्यम से मात्र 32% कोयले का प्रेषण किया जाता है। रेल मोड में, प्रति रेक ले जाने की क्षमता लगभग 3,800 टन है, जो लगभग 240 ट्रकों के बराबर है, जिनमें से प्रत्येक में 15-16 टन कोयला होता हैं।
- रेक लोडिंग सुविधा और रेल आधारभूत संरचना को बढ़ाया/बेहतर और मजबूत किया जा रहा है, वर्तमान में 23 रेलवे साइडिंग तालचेर कोलफील्ड्स में 14 और ईब कोलफील्ड्स में 09 रेलवे साईडिंग और 03 एमजीआर के माध्यम से कोयला प्रेषण किया जाता है।
- सरडेगा साइडिंग शुरू की गई तथा बसुंधरा कोलफील्ड से कोयला निष्कासन के लिए सरडेगा –बरपालि- झारसुगुड़ा समर्पित रेल कॉरिडॉर का उदघाटन किया गया है।
- **साइलो/सर्ज के साथ 11 रैपिड लोड सिस्टम (आरएलएस) निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं –**
  - ➢ भरतपुर साइलो (2X10 एमटीवाई) 173.20 करोड़ की लागत से - 100% पूर्ण।
  - ➢ लिंगराज साइलो (2X10 एमटीवाई) 230.82 करोड़ रुपये की लागत से से- 99.95% पूर्ण
  - ➢ हिंगुला साइलो (10 एमटीवाई) रु. 159.20 करोड़ की लागत से 33.10% पूर्ण।
  - ➢ भुवनेश्वरी साइलो (10 एमटीवाई) रु. 247.01 करोड़ की लागत से 90.33% पूर्ण।
  - ➢ आगामी साइलो सहित 03 आरएलएस - लखनपुर (10 एमटीवाई), भुवनेश्वरी (15 एमटीवाई),) और लखनपुर (20 एमटीवाई)।
  - ➢ आगामी साइलो सहित 04 आरएलएस - सर्ज बिन- कनिहा (10 एमटीवाई), अनंता (20 एमटीवाई) और सरडेगा (20 एमटीवाई) और लजकुरा (15 एमटीवाई)
- खनन गतिविधियों के कारण होने वाले धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न क्षमताओं के विभागीय और संविदात्मक दोनों ही 152 मोबाइल वाटर टैंकर (4 किलो से लेकर 34 किलो लीटर तक) खानों में तैनात हैं।
- आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों और अन्य क्षेत्रों को बायपास करते हुए अलग समर्पित कोयला परिवहन कॉरीडोर का निर्माण:
  - o समर्पित कोयला परिवहन कॉरीडोर की लंबाई तालचेर कोलफील्ड्स लिमिटेड में 20.99 किमी और ईब-वैली कोलफील्ड्स में 17.03 किमी है।
  - o <u>तालचेर कोलफील्ड्स:</u>

    चरण – । – कोयला परिवहन कॉरीडोर की भौतिक प्रगति बलराम- 85%, भरतपुर -100%, जगन्नाथ-100%, अनंत -100%, भुवनेश्वरी -85% और लिंगराज -100%।

    चरण ।। – भरतपुर, बलराम, अनंता, लिंगराज और जगन्नाथ ओसीपी के लिए कोल कॉरिडोर रोड (द्वितीय चरण) के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। बलराम – 76% भरतपुर 100% और अनंता ओसीपी- 87% कोयला परिवहन कॉरिडॉर की भौतिक रूप से प्रगति की गई है। लिंगराज ओसीपी, जगन्नाथ ओसीपी के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है।
  - o <u>ईब वैली कोफील्ड्स:</u>

    ओरिएंट क्षेत्र के संबंध में, 1.6 किमी की लंबाई का काम पूरा कर लिया गया है और ईब-वैली क्षेत्र का अनुबंध पूरा कर किया गया है तथा लजकुरा ओसीपी और समलेश्वरी ओसीपी के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है

- 35% राखवाला कोयला प्राप्त करने हेतु कोयले की धुलाई के लिए 10 एमटीवाई के क्षमता के प्रत्येक चार वाशरी पहले चरण में स्थापित की जानी है। इब वैली वाशरी का निर्माण पहले ही शुरू हो गया था। शेष वशरी की ईसी और एफसी की स्थिति नीचे दी गई है

क्रमांक	वाशरी का नाम	ईसी और एफ़सी स्थिति
1	हिंगुला वाशरी	ईसी दिनांक-28/10/2015 में संशोधन दिनांक 26.03.2019 को लागू। क्षेत्र और धुलाई प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण संशोधन की मांग की जा रही है। दिनांक 27.05.2019, 03.10.2019 और 15.11.2019 की ईएसी बैठकों पर विचार किया गया। ईएसी टिप्पणियों का जवाब प्रक्रियाधिन है।
2	जगन्नाथ वाशरी	धुलाई प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण ईसी दिनांक-31/08/2016 में संशोधन दिनांक 05.03.2019 को लागू। संशोधन की मांग की जा रही है। ईसी में संशोधन की स्वीकृति दी गई है कृपया दिनांक 24.02.2020 के पत्र का अवलोकन करे।
3	बसुंधरा वाशरी	दिनांक 13-14/12/2018 को आयोजित 41 वें बैठक के कार्यवृत्त (एमओएम) के अनुसार ईसी की सिफारिश की गई है। चरण - । एफसी की प्रस्तुती पर ईसी पत्र जारी किया जाएगा। दिनांक 15.01.19 को आयोजीय बैठक में एफएसी ने चरण -1 एफसी के लिए सिफारिश की है। चरण -1 दिनांक 11-03-2019 के पत्र के माध्यम से एफसी की स्वीकृति दी गई है। दिनांक 31-10-2019 के पत्र के माध्यम से ईसी की स्वीकृति दी गई है।

- एमएल क्षेत्र से परे कोयला क्षेत्र में कोयला परिवहन सड़क पर धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 12 किलोवाट क्षमता के मोबाइल पानी टैंकरों को संविदा पर लगाया जा रहा है।
- धूल दमन के लिए सभी रेलवे साईडिंग में स्थायी स्प्रिंकलर प्रदान किए गए हैं। स्प्रिंकलर के अलावा, मोबाइल वाटर टैंकर प्रदान किए जाते हैं। कुल 256 स्थायी वाटर स्प्रिंकलर स्थापित किए गए हैं और वे परिचालन में हैं।
- धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मिस्ट, स्थायी स्प्रिंकलर और रेन गन के साथ कोल हैंडलिंग प्लांट प्रदान किये जाते हैं। हालांकि पारंपरिक नगण्य कोयला उत्पादन (केवल 7.4%) ने सीएचपी में क्रशिंग कार्य को सीमित कर दिया है, जिसके कारण सीएचपी से धूल का उत्पादन काफी कम हो गया है।
- वर्ष के दौरान स्थायी और अर्ध-स्थायी सड़कों की ब्लैक टॉपिंग को बनाए रखा गया है और इसे और मजबूत किया गया है।
- सभी रोड सेल ट्रकों को खदान परिसर छोड़ने से पहले तिरपाल से ढंक दिया जाता है।
- कोयला परिवहन सड़कों के साथ स्पिलज कोयला और धूल की मैन्युअल स्वीपिंग और सफाई की जाती है।
- जगन्नाथ, लिंगराज, बलराम, समलेश्वरी, लखनपुर और कुल्दा परियोजनाओं द्वारा व्हील वाशिंग सिस्टम की स्थापना के लिए 06 प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई हैं। जगन्नाथ ओसीपी में प्रणाली स्थापना पूरी हुई और 02.03.2020 को शुरू कीया गया और लखनपुर ओसीपी में सिस्टम के लिए एलओए जारी किया गया। शेष 04 जांच के विभिन्न चरणों में हैं।
- तालचेर कोलफील्ड में पक्की कोयला परिवहन सड़कों पर कोयले के टुकड़े और धूल की सफाई और संग्रहण के लिए चार भारी ट्रक वाहन पर लगे वैक्यूम संचालित मैकेनिकल रोड स्वीपर संचलन में हैं। इसके अलावा प्रत्येक परियोजना के लिए ट्रक माउंटेड मैकेनिकल रोड स्वीपर को काम पर रखने का प्रस्ताव है।
- सभी ड्रिल में डस्ट एक्सट्रैक्टर सिस्टम और वेट ड्रिलिंग सिस्टम हैं।
- प्रभावी धूल दमन के लिए कम से कम 01, 10 पहियों वाले ट्रक माउंटेड मिस्ट ब्लोअर फॉग कैनन सिस्टम को प्रत्येक परियोजना में काम पर लगया जा रहा है । परियोजना स्तर से कुल 19 प्रस्ताव की शुरुआत की गई है और वर्तमान में

लखनपुर ओसीपी में 01 सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है और आगे 7 की शुरुआत की जाएगी। एलओए जारी किया गया है। शेष प्रस्ताव अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।

- रेलवे साइडिंग, कोयला परिवहन सड़कों, कोयले और ओबी फेसेस में प्रभावी धूल दमन के लिए 100 मीटर दूरी की 87 ट्रॉली माउंटेड फॉग कैनन के खरीद के लिए प्रस्ताव की प्रक्रिया की गई थी, जिसमें से कुल्डा ओसीपी में 01 सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है, 03 सिस्टम के आपूर्ति का आदेश दे दिया गया है, 05 सिस्टम के खरीद प्रस्ताव निविदाधीन है तथा 09 प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। शेष 69 प्रस्ताव जांच के विभिन्न चरणों में है ।
- आधारभूत संरचना सहित आवासीय क्षेत्रों और खदान के बीच ग्रीन बेल्ट का विकास जारी रखा जाएँ।

18.3.2 जल संसाधन प्रबंधन के लिए कार्यनीति:

- खनन कार्य के कारण अन्य बोर कुओं के साथ-साथ भूजल की गुणवत्ता और अस्थिरता की नियमित निगरानी 39 पाइज़ोमीटर के नेटवर्क के माध्यम से की जा रही है।
- सतह जल की गुणवत्ता और जल प्रवाह की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है। .
- मृदा जल संरक्षण के लिए बांध का निर्माण किया गया है।
- सतह के प्रवाह के लिए कैच नालियों और गारलैंड नालियों का निर्माण किया गया है।

- कोयला हटाने के बाद रिक्तियों (डी-कोल वाइडस) का उपयोग वर्षा जल संचयन और जलीय पदार्थ को पुनः चार्ज करने के लिए किया जाता है। वर्षभर औद्योगिक कार्यों जैसे अग्निशमन, धूल दमन, कार्यशालाओं में वाहन धोने, खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण आदि में खनन जल की आपूर्ति की जाती हैं।
- शुद्धिकरण के बाद भूमिगत जल उपयोग कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। आसपास के गांव में सिंचाई के प्रयोजनों के लिए इस तरह के पानी की मांग करते हैं।
- ये सम्प भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बरसात के मौसम में सतह के प्रवाह के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
- भूमिगत जल की रिचार्जिंग के लिए एम.सी.एल में कुल 72 जल संचयन संरचनाएं मौजुद हैं।
- समशेश्वरी ओसीपी में 21,060 किलोलीटर /माह की पुनर्भरण क्षमता के साथ 06 रीचार्ज पिट का निर्माण किया गया तथा भुवनेश्वर ओसीपी में एसपीसीबी के डिजाइन के अनुसार दो रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है, जिसकी पुनर्भरण क्षमता 10,000 लीटर/घंटा/पिट की है।
- शून्य डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए एनआईटी, राउरकेला को रनऑफ अध्ययन रिपोर्ट की सिफारिशों की स्थिति और सिस्टम की मजबूती के सत्यापन के लिए एक कार्य आदेश जारी किया गया था। अंतिम रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 को एनआईटी, राउरकेला द्वारा प्रस्तुत की गई थी। संबंधित परियोजनाओं से कार्रवाई की रिपोर्ट सदस्य सचिव, ओएसपीसीबी से मांगी गई है। कृपया पत्र संख्या 753 दिनांक 10.09.2019 का अवलोकन करे।
- एचईएमएम कार्यशालाओं से निकले प्रवाह को ईटीपी/तेल और ग्रीस ट्रेप में शुद्ध किया जाता है और शुद्ध किए गए पानी का पुन :उपयोग किया जा रहा है।
- स्थानीयकृत अपवाह के शुद्धिकरण के लिए अवशोषण तालाब/खनन जल निकासी उपचार संयंत्र प्रदान किए गए हैं।
- सभी बड़ी कॉलोनियो के लिए 09 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी) उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य कॉलोनियों में सीवेज नीकासी हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की गई है।

18.3.3 ध्वनि एवं भूमि कंपन नियंत्रण उपाय:

- कुल कोयले का 92.52% गैर-विस्फोटक पर्यावरण अनुकूल सर्फेस माइनर तकनीक के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है, जो पारंपरिक खनन की तुलना में शोर और जमीन कंपन को काफी कम करता है जिसके लिए आकार के कोयले के उत्पादन के लिए ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और सीएचपी ऑपरेशन की आवश्यकता होती है।
- इस प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नए आवासीय क्षेत्रों एवं खानों के बीच ग्रीन बेल्टों का विकास किया गया है।

- शोर शराबे में कार्य करनेवाले कामगारों तथा नए कामगारों को ईयर मफ एवं ईयर प्लगस प्रदान किए गए।
- विस्फोट के लिए नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स का प्रयोग किया गया है जिससे शोर तथा कम भूमिगत कंपन होता है। शोर और जमीन के कंपन को कम करने के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक को अपनाया जाता है।
- सभी एचईएमएम में पर्याप्त शोर के स्तर को कम करनेवाली तकनीक लगाई गई हैं।

18.3.4 भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण:

- कोयला रिक्ति स्थान को ओवरबर्डन मटेरियल से भए दिया जाता है और तत्पश्चात जैविक सुधार प्रक्रिया के रूप में वृक्षारोपण किया गया।
- एमसीएल ने कोयला रिक्ति स्थान को वैकल्पिक रूप से भरने के लिए पाइपलाइनों में स्लरी मोड के माध्यम से फ्लाईएश को अपनाया है। जगन्नाथ और बालगाम खानों में फ्लाईएश भरने के लिए टीटीपीएस, एसटीपीएस कनिहा, एनबीवीएल और बीएसएल के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिया गया है। दक्षिण बलान्डा ओसीपी कोयला रिक्ति में मार्च,2020 तक 14.776 Mm3 और जगन्नाथ ओसीपी कोयला रिक्ति में 0.558 Mm3 भरा गया है।
- पर्यावरण के लिए कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए एमसीएल ने खाली जगह के साथ-साथ बाहरी डंप तथा भरे हुए आंतरिक डंप पर (पर्याप्त भौतिक पुनर्वसन के बाद) मिश्रित देशी प्रजातियों के पौधे लगाए हैं। शुरुआत से (1992-1993 से 2019-20) 59.929 लाख (तालचेर कोलफील्ड्स- 21.708 लाख, ईब कोलफील्ड्स- 31.385 लाख, मुख्यालय और सरकार भूमि - 6.836 लाख) पोधों का वृक्षारोपण किया है।
- खदान क्षेत्रों में भूमि की कमी और परिणामस्वरूप वृक्षारोपण में गिरावट के कारण एमसीएल ने अपने परिचालन जिलों- अंगुल, झारसुगुडा, संबलपुर, खोरदा और सुंदरगढ़ में सरकारी भूमि पर वृक्षारोपन कार्य को बढ़ाया है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल वितरीत पौधों की संख्या 30,217 लाख (तालचेर कोलफील्ड्स में 24,800 ईब वैली कोलफील्ड्स 11,217 लाख तथा मुख्यालय में 1200 लाख) है।
- पेड़ों के साथ आवासीय बस्तियों और कार्यालय परिसर में विशेष रूप से फलदार, फूलदार और औषधीय पौधों का रोपण भी किया गया है।
- राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा बनाए गए रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से सीएमपीडीआईएल द्वारा दोनों खुली खदान (प्रत्येक वर्ष- 13> 5 Mm3/Yr और तीन वर्षों में एक बार 1<5m3/Yr क्षमता) के लिए भूमि के पुनर्ग्रहण/बहाली की निगरानी की गई है तथा वर्ष 2019-20 के दौरान तालचेर कोलफील्ड्स को पेड़ पौधों से आच्छादित किया गया है।

18.3.5 अपशिष्ट प्रबंधन:

- नीलामी में अपशिष्ट पदार्थो(एच.ई.एम.एम से जले हुए तेल एवं इस्तेमाल की गई बैटरियाँ) को पंजीकृत रीसाइक्लिंग एजेंसियों को बेचा गया है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान उपयोग किए गए 5.5 कि.ली तेल जिनकी कीमत रु 66,000.00 रुपए एवं 1131 एसीड बैटरियों, जिनकी कीमत रु 38,46,408.00 है और 10 मिलियन टन तांबा जिसका मूल्य रु. 24,30,000.00 है, को अधिकृत रिसाइक्लर को विक्रय किया जा चुका है।
- मेडिकल यूनिटों से बायो मेडिकल और अन्य खतरनाक अपशिष्टों का निपटान निर्धारित विधियों/प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है। .
- कचरे के संग्रह के लिए कॉलोनियों के निर्दिष्ट स्थानों में अलग-अलग डस्टबिन रखे गए थे।

18.3.6 पर्यावरणीय निगरानी:

- वर्ष 2019-20 के दौरान 9.02 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सीएमपीडीआई, आरआई- VII के माध्यम से एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा हवा, पानी और शोर की नियमित पर्यावरण निगरानी की गई। जीएसआर.742 (ई), ईसी / सीटीओ/सीटीई की शर्तों और एसपीसीबी /सीपीसीबी या किसी अन्य वैधानिक निकायों के निर्देशों के अनुपालन में नियमित पर्यावरण निगरानी (आरईएम) कार्य किए जाते हैं।

- सीपीसीबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियाविधि, आवृत्ति, आदि को सख्ती से अनुरक्षण किया गया था।
- संविधान के अनुसार एसपीसीबी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निगरानी के परिणाम प्रस्तुत किए गए थे। पर्यावरण निगरानी के परिणाम कंपनी के वेबसाइट पर मासिक आधार पर अपलोड किए जाते हैं।
- ईब नदी और ब्राह्मणी नदी में दो निरंतर जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीडब्ल्यूक्यूएमएस) स्थापित हैं, वास्तविक समय की निगरानी के परिणाम सीधे एसपीसीबी और सीपीसीबी साइटों पर प्रदर्शित होते हैं।

18.4 वेब साइट का प्रकाशन:

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एमसीएल अपनी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर नियमित रूप से निम्नलिखित पर्यावरण सूचना प्रकाशित और अद्यतन कर रहा है।

- पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके अर्ध-वार्षिक अनुपालन द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी पत्र।
- प्रत्येक डायवर्सन परियोजना के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन मंजूरी पत्र।
- प्रत्येक परियोजना के एसपीसीबी द्वारा जारी किए जाने वाले संचालन और सहमति के लिए सहमति।
- एस.पी.सी.बी द्वारा जारी प्रत्येक परियोजना का खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण।
- एमसीएल के सभी संचालित खानों का पर्यावरणीय विवरण।
- वार्षिक सीएसआर और संधारणीयता रिपोर्ट।
- पर्यावरणीय निगरानी रिपोर्ट की वार्षिक और मासिक रूटीन ।
- सेटलाइट डेटा पर आधारित भूमि उपयोग योजना पर रिपोर्ट्।
- भूमि पुनरुद्धार
- खदान जल उपयोगिता।

18.5 वर्ष 2019-20 के लिए खदान बंदी प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ:

- एमसीएल के पास 26 खानों के लिए एस्क्रो खाते हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष खदान बंदी दिशानिर्देशों 2009 और 2013 और संशोधित दिशा निर्देश 2019 के अनुसार खदान बंद करने की गतिविधियों के लिए धनराशि जमा की जाती है।
- समलेश्वरी ओसीपी, ईब वैली क्षेत्र के एस्क्रो अकाउंट से दिनांक 31.03.2020 को रु. 24.2637 करोड़ के फंड की प्रतिपूर्ति की गई थी ।
- वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं के एस्क्रो खाते से निधि की प्रतिपूर्ति के दावे के लिए फाइल सीसीओ, कोलकाता को प्रस्तुत की गई है।

क्रमांक	**खदान का नाम**	*** प्रगतिशील एमसीपी गतिविधियों का चरण**	**एमसीएल की दावा राशि रु. करोड़ में**
1	समलेश्वरी ओसीपी	चरण -2	44.415
2	अनंता ओसीपी	चरण -1	15.245
3	लखनपुर ओसीपी	चरण -1	41.94
4	लिल्लारी ओसीपी	चरण -1	7.338
5	बेलपहाड़ ओसीपी	चरण -1	29.532
6	नंदिरा भूमिगत	चरण -1	0.313
7	तालचेर भूमिगत	चरण -1	0.543
8	भरतपुर ओसीपी	चरण -1	41.628

* **चरण**, पांच साल के क्लस्टर को इंगित करता है।

18.6 शीर्ष समिति का गठन:

- दिनांक 11.06.2019 को कोयला खदानों में ईसी और एफसी स्थिति के अनुपालन की निगरानी के लिए कोयला मंत्रालय स्तर पर एक सर्वोच्च समिति का गठन किया गया है और इसकी प्रथम बैठक दिनांक 03.07.2019 को आयोजित की गई थी।
- ईसी के अनुपालन और शर्तों की बारंबार निगरानी के लिए सीआईएल/कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी क्षेत्रों में बहु-अनुशासनात्मक समितियों (क्षेत्र-स्तरीय समिति के लिए मासिक और मुख्यालय स्तर की समिति के लिए त्रैमासिक) का गठन किया गया है।
- सभी क्षेत्र स्तरीय समितियों ने अपना पहला और दूसरा निरीक्षण क्रमशः सितंबर-अक्टूबर 2019 और नवंबर-दिसंबर 2019 में पूरा किया है। निरीक्षण रिपोर्ट एमसीएल मुख्यालय स्तर की समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और बाद में मुख्यालय समिति के निदेशक मंडल की रिपोर्ट को कोयला मंत्रालय के निर्देश के अनुसार एमसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।
- एक माइन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम (एमडीएमएस) पोर्टल बनाया गया है, जहाँ नियमित पर्यावरण निगरानी आंकड़ों के साथ ईसी, एफ़सी शर्तों का अनुपालन अद्यतन किया जाता है।

18.7 सतत विकास प्रकोष्ठ:

पर्यावरणीय रूप से सतत कोयला खनन को बढ़ावा देने के लिए निदेशक तकनीकी (परियोजना और योजना), एमसीएल के तहत एक "सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल '(एसडीसी) का गठन किया गया है।

सतत विकास प्रकोष्ठ के लिए चिन्हित गतिविधियों के रूप में की गई गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. एमसीएल की सभी खुली खानों में प्रभावी धूल दमन के लिए प्रत्येक परियोजना में कम से कम 01 मोबाइल फॉग कैनन को लगाया गया है।
2. वैगन लोडिंग परिचालन के दौरान प्रभावी धूल दमन के लिए सभी खानों/क्षेत्रों की रेलवे साइडिंग में न्यूनतम 100 मीटर दूरी की स्थायी प्रकार के फॉग कैनन की स्थापना।
3. सक्रिय खदानों में कोयले और ओबी पर ऊपर से कृत्रिम बारिश करने के लिए 100 मीटर या उससे अधिक दूरी की फॉग कैनन की स्थापना करना ताकि कार्यशील खदानों में हवा से उत्पन्न धूल को प्रभावी रूप से दमन किया जा सके।
4. 4. पक्की सतहों और सड़क के किनारे आदि से धूल की निकासी के लिए सभी खानों में मैकेनिकल रोड स्वीपर की स्थापना ।
5. फ्लाई ऐश और इको-पार्क/पिकनिक स्पॉट का विकास और पर्याप्त उथले गहराई वाले जल निकायों के निर्माण द्वारा बलांडा, जगन्नाथ और भरतपुर की दक्षिणी छोड़ी गई खदानों का पुनर्निमाण।
6. एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल कोयला परिवहन मॉडल बनाने के लिए लिंगराज एमजीआर से चैनपाल फ्लाईओवर तक कोयला कॉरीडोर सड़क का फ्लाईओवर/बाय-पास।
7. रानी पार्क को जैव-विविधता-सह-इको पार्क के रूप में बनाना जिसमें मनोरंजक सुविधाएं, हवाई पट्टी आदि शामिल हो, ताकि यह पूरे तालचेर कोलफील्ड के लिए कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सके और आर्थिक गतिविधियों और आय सृजन के साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में स्थायी मॉडल बन सके।
8. एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल कोयला परिवहन मॉडल बनाने के लिए लिंगराज एमजीआर से चैनपाल फ्लाईओवर तक कोयला कॉरीडोर सड़क का फ्लाईओवर/बाय-पास।
9. स्थायी परिवहन मॉडल के लिए तालचेर कोलफील्ड की साइडिंग 1 और 2/3 और 4 /सेंट्रल कॉलोनी के पास रेलवे लाइनों और अन्य सार्वजनिक परिवहन सड़कों के साथ कोयला परिवहन सड़कों को पार करने से बचने के लिए फ्लाई ओवर के नेटवर्क का निर्माण।

10. ईब वैली कोल्फ़ोइएल्ड्स में अलग कोल कॉरिडोर - सार्वजनिक सड़कों/रेल लाइनों और सार्वजनिक सड़कों के साथ कोई क्रॉसिंग नहीं।
11. डंप के ढलान क्षेत्र के जैविक भूमि सुधार के लिए हाइड्रो सीडर्स की खरीद/किराए पर लेना।
12. 12. एमसीएल की सभी खानों में ओबी डंप ढलानों के स्थिरीकरण के लिए चेक डैम/समोच्च ट्रेंच/कंटूर ट्रेंच और अन्य मृदा जल संरक्षण के निर्माण के लिए उपकरणों/कुशल जनशक्ति को लगाना।
13. सभी खानों में खदान के पानी के माध्यम से अन-कन्फाइंड एक्विफर (डब्ल्यूटी) और कंफाइंड एक्विफर का रिचार्ज।

18.8 पर्यावरण जागरूकता:

विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

- विश्व पर्यावरण दिवस "बीट एयर पॉल्यूशन" थीम पर मनाया गया, जहां मुख्यालय और सभी क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक सप्ताह(जून-2019 का प्रथम सप्ताह) के दौरान पेंटिंग, आशु भाषण, मोनो-एक्टिंग, पर्यावरण पर लोक गीत, पर्यावरण रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, साइकिलिंग जैसी विभिन्न गतिविधियाँ और प्रतियोगिताएं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।
- **वनमहोत्सव**

  एनजीओ के आसपास के कर्मचारियों के बीच लगभग 1200 पौधों का वितरण कर वृक्षारोपण के साथ वृक्षों का त्योहार "वनमहोत्सव" मनाया गया। तालचेर कोलफील्ड्स में 24,800 और ईब वैली कोलफील्ड्स 11,217 पौधों के वितरण के साथ सभी क्षेत्रों में वनमहोत्सव मनाया गया।

18.9 पर्यावरण पुरस्कार

• बसुंधरा (प) ओसीपी और अनंता ओसीपी ने नई दिल्ली में ग्रीनटेक फाउंडेशन के 18 वें वार्षिक संधारणीयता सम्मेलन 2019 में धातु और खनन क्षेत्र की श्रेणी में ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार जीता है।

• एमसीएल को 01.11.2019 को आयोजित 45 वें सीआईएल स्थापना दिवस समारोह के दौरान सीआईएल की सभी अनुषंगी कंपनियों के मध्य पर्यावरण प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

19. <u>बिक्री और विपणन कार्य-निष्पादन</u>

एम.सी.एल ने वर्ष 2019-20 के दौरान हड़ताल, बंद तथा 134.016 मि.टन के ऑफ-टेक का लक्ष्य प्राप्त किया है यह बढ़ोत्तरी बंद तथा राज्य सरकार द्वारा गर्मी के दिनों में कोयला परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध तथा भरतपुर क्षेत्र में घातक दुर्घटना के बावजूद है।

19.1. मांग एवं ऑफ-टेक -

वर्ष 2019-20 के दौरान ऑफ टेक 160.00 मि.टन लक्ष्य की तुलना में 134.016 मि.टन ऑफ टेक प्राप्त किया गया है जो लक्ष्य का 83.76% है

2019-20 के दौरान क्षेत्रवार प्रेषण नीचे दिए गए हैं।

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्षेत्र	**2019-20**			**2018-19**
	लक्ष्य	वास्तविक	% प्राप्ति	वास्तविक
ऊर्जा	121.469	92.675	76.3	102.527
सीमेंट	0.263	0.206	78.3	0.221
सीपीपी तथा अन्य	38.268	41.133	107.5	39.555
कोलियरी उपभोग	0	0.002	-	0.003
कुल	160.000	134.016	83.76	142.306

2019-20 के दौरान अप्रत्याशित घटना एवं अन्य कारणों से कोयले के ऑफ-टेक की हानि के कारण नीचे दिए गए हैं:

(आंकड़े मिलियन टन में.)

परियोजना का नाम/ / विवरण	2019-20			अप्रत्याशित घटना के कारण वास्तविक हानि	टिप्पणी
	एमओयू लक्ष्य	वास्तविक	अंतर		
ओरिएंट क्षेत्र	0.790	0.681	0.109	0.109	कोयले की उपलब्धता का मुद्दा - कुल 15 ओसीपी में से 12 परियोजनाओं जगन्नाथ, अनंत, भुवनेश्वरी, भरतपुर, लिंगराज, कान्हा, हिंगुला, बलराम, समलेश्वरी, लखनपुर, बेलपहाड़ और कुल्डा ओसीपी में भूमि की कमी थी। भरतपुर में हुए भीषण हादसे के बाद दिनांक 25.07.19 से 05.08.2019 तक हड़ताल के कारण पूरे तालचेर कोयला क्षेत्र में परिवहन और लोडिंग रुक गई। जुलाई, 2019 से भरतपुर में निषेधात्मक आदेश (धारा 22) लागू होने के कारण प्रेषण प्रभावित हुआ।. ग्रामीणों द्वारा लगातार हड़तालों और बाधाओं विशेष रूप से पहले दो तिमाहियों में, के कारण तालचेर कोयला क्षेत्र में छिटपुट रूप से परिवहन प्रभावित हुआ है। गर्मियों के मौसम में राज्य सरकार द्वारा 11.00 बजे से 3.30 बजे तक लगाए गए प्रतिबंध के कारण प्रेषण में कमी।
ईब-वैली क्षेत्र	13.500	7.642	5.858	5.858	
लिंगराज क्षेत्र	15.000	13.313	1.687	1.687	
कनिहा क्षेत्र	10.000	6.970	3.03	3.03	
भरतपुर क्षेत्र	15.000	4.726	10.274	10.274	
हिंगुला क्षेत्र	15.000	10.093	4.907	4.907	
तालचेर क्षेत्र	0.110	0.082	0.028	0.028	
जगन्नाथ क्षेत्र	44.000	42.418	1.582	1.582	

अप्रत्याशित घटनाओं के कारण ऑफ टेक में कुल हानि 27.475 मेट्रिक टन था पर वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य खदानों द्वारा अधिक प्रेषण किए जाने के कारण प्रभावी हानि 25.984 मेट्रिक टन हुई।

19.2 वैगन लोडिंग –

एमसीएल में 2019-20 के दौरान दैनिक औसत वैगन लोडिंग 56.93 रेक / दिन थी जो कि 2018-19 के दौरान 66.2 रेक / दिन थी, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 9.27 रेक / दिन कम थी। लक्ष्य और आपूर्ति का क्षेत्रवार लोडिंग नीचे दिया गया है :

रैक/दिन में आंकड़े

क्षेत्र	2019-20			2018-19 वास्तविक
	लक्ष्य	आपूर्ति	लोडिंग	
ईब-वैली	33	23.68	23.68	29.97
तालचेर	45	33.30	33.30	36.22
कुल	78	56.93	56.93	66.20

19.3. ई- नीलामी

एम.सी.एल ने वर्ष 2019-20 में स्पॉट तथा अन्य विशेष प्रकार के ई-नीलामी के तहत 32.0126 मिलियन टन उपलब्ध कराया है जिसके जवाब में बोलीदाताओं ने 21.6619 मिलियन टन की बुकिंग की है जिससे अधिसूचित मूल्य पर रु 874.56 करोड़ प्रीमियम वसूली हुई है।

19.4. ईंधन आपूर्ति समझौता (एफ़एसए) तथा एमओयू

वर्ष 2019-20 के दौरान एमसीएल ने उपभोक्ताओं के साथ छियासी (86) एफएसए/एमओयू में हस्ताक्षर किया गया।

20. कोयला गुणवत्ता सुधार

एमसीएल ने उपभोक्ता संतुष्टि हेतु विभिन्न ऊर्जा घरों के साथ-साथ अन्य उपभोक्ताओं को निर्धारित आकार और गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति के लिए कई उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान किए गए उपाय इस प्रकार हैं :-

1. उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ बार-बार संवाद किया गया है।
2. उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से साइडिंग्स के कोयला लोडिंग व्यवस्था की और साथ ही कोल एनालिसिस लैबोरेटरीज में जाँच और पर्यवेक्षण के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
3. उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच की जाती है और संबंधित क्षेत्रों द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
4. सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले कोयले के प्रेषण के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा सभी रेलवे साइडिंग्स की लगातार निगरानी की जा रही है।
5. गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा नियमित रूप से कार्य पद्धति, साइडिंग और कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पाए गए किसी भी विसंगतियों या गलती के मामले में, सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित क्षेत्र को सूचित किया जाता है।
6. बेहतर पारदर्शिता और उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए, सीआईएमएफ़आर और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (क्यूसीआई) क्रमशः ऊर्जा क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के कोयला प्रेषण के सैंप्लिंग में लगे हुए हैं। वर्तमान में लगभग 70% कोयला प्रेषण तीसरे पक्ष के सैंप्लिंग के तहत आते हैं और शेष उपभोक्ताओं को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
7. विभिन्न क्षेत्रों यथा ईब वैली, लखनपुर, ओरिएंट, बसुंधरा, जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर, हिंगुला, तालचेर और कनिहा में कुल दस कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएँ हैं। ईब वैली, भरतपुर, जगन्नाथ, हिंगुला, कनिहा और लखनपुर क्षेत्रों की छह कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता प्राप्त है। लिंगराज क्षेत्र के कोयला विश्लेषण प्रयोगशाला के एनएबीएल मान्यता के लिए आवेदन को सफलतापूर्वक एनएबीएल आधिकारिक पोर्टल में प्रस्तुत किया गया है। बसुंधरा और ओरिएंट क्षेत्र की कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
8. इस वर्ष के दौरान भी, कोयले के निष्कर्षण की चयनात्मक खनन विधि को जारी रखा गया था और कोयले की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करने वाले कोयले के सीम से अलग किए गए थे। लगभग 92% उत्पादन सर्फेस माइनर के माध्यम से किया गया था।
9. उपभोक्ताओं को -100 मिमी आकार के कोयले की आपूर्ति की ओर उचित सावधानी बरती गयी है। इसके लिए, पारंपरिक मोड द्वारा निकाले गए कोयले को रेल, बेल्ट और एमजीआर द्वारा प्रेषण के लिए सीएचपी और एफबी द्वारा क्रश किया गया है।
10. पारदर्शिता के उद्देश्य से और गुणवत्ता पर उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने के लिए, मोटी जिल्द की रजिस्टरों को सभी साइडिंग्स / लोडिंग पॉइंट्स में रखा गया है, जिसमें लोडिंग के समय उपस्थित उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता / आकार और अन्य सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणी / सुझाव दर्ज करा सकें।
11. क्षेत्रों और परियोजनाओं में कोयला उत्पादन में शामिल विभागीय / संविदात्मक वेतन लोडर ऑपरेटर, सरफेस माइनर ऑपरेटर, कोल फ़ेस पर्यवेक्षक, कोल लोडिंग पर्यवेक्षक, कोल फ़ेस ओवरमैन और माइनिंग सरदार, कोल प्रभारी, प्रेषण प्रभारी, साईडिंग प्रभारी, शिफ्ट प्रभारी जैसे आधारभूत स्तर के कर्मचारियों तथा उपभोक्ता प्रतिनिधियों के मध्य कोयला उत्पादन और प्रेषण में शामिल सभी कर्मियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सभी क्षेत्रों में कोयला गुणवत्ता पर संवेदीकरण बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई।

12. ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के खंड 4.6 के अनुसार, उपभोक्ताओं के दावे पर मासिक आधार पर +250 मिमी पत्थरों का मूल्यांकन किया जाना है, जिसके लिए कंपनी को भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए वित्तीय पहल पर विचार करते हुए, ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) प्रावधानों के प्रकाश में +250 मिमी पत्थरों के मूल्यांकन कार्य को सुव्यवस्थित किया गया। एफएसए के अनुसूची- VI के अनुसार, जो ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) का अभिन्न हिस्सा है, इसके लिए एमसीएल के अधिकारियों को पावर स्टेशन पर अलगाव की प्रक्रिया के लिए +250 मिमी के पत्थर के अलग-अलग स्टैकिंग और क्रेता और विक्रेता द्वारा संयुक्त मूल्यांकन के बारे में संवेदनशील बनाया गया है।
13. कोयले के नमूने लेने के लिए कोयले के नमूनों का संग्रह करना बहुत आवश्यक है। इसलिए 11 योग्य विभागीय कर्मचारियों में से तकनीकी इंस्पेक्टरों को एमसीएल के लोडिंग पॉइंट्स पर पर्याप्त पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए चुना गया था।
14. एमसीएल की कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं में कोयले के नमूनों के विश्लेषण में पर्याप्त संख्या में रसायनज्ञ और उनकी क्षमता महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए, वर्ष के दौरान, केमिस्ट की नौकरी के लिए विभागीय कर्मचारियों से 05 योग्य केमिस्ट का चयन किया गया था। वर्ष के दौरान, 10 रसायनज्ञों को इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड क्वालिटी मैनेजमेंट, (आईएक्यूएम), कोलकाता में मापन अनिश्चितता, आकलन निर्णय नियम और जोखिम आकलन पर प्रशिक्षण दिया गया। और 04 केमिस्ट्स और 01 सहायक प्रबन्धक (खनन/क्यूसी) को एमसीएल में सुगम नमूनाकरण गतिविधियों के लिए केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), भुवनेश्वर में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक लेखा परीक्षा 'का प्रशिक्षण दिया गया।
15. इस वर्ष के दौरान, लखनपुर, बसुंधरा, ईब वैली, हिंगुला, जगन्नाथ और भरतपुर क्षेत्रों में पलवेराइजर्स नमूना तैयार करने वाले क्रशर और पलवेराइजर्स प्रदान किए गए हैं। परिणामस्वरूप, कोयले के नमूनों की तैयारी में एमसीएल में 100% सक्षम है। इसके अलावा, कोयला उत्पादन और प्रेषण में वृद्धि के कारण भविष्य में नमूने की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के नमूनों की तैयारी और विश्लेषण और निर्बाध नमूना तैयार करते और विश्लेषण के लिए व्यवस्था के रूप में कार्य करने के लिए भी उपकरणों के अतिरिक्त सेट प्रदान करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई की गई है।

21. सुरक्षा और बचाव

कंपनी सचिव, एमसीएल द्वारा जारी पत्र क्र. MCL/SBP/CS/DR-28/2020/10935 दिनांक 06/03/2020 के संदर्भ में बिंदुवार रिपोर्ट इस प्रकार है:

1. <u>दुर्घटना सांख्यिकी</u>

क्र.	विवरण	2019-20	2018-19
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	5	7
2	मृत्यु संख्या	8	7
3	गंभीर दुर्घटना की संख्या	6	4
4	गंभीर चोट की संख्या	6	4
5	मृत्यु दर प्रति मिलियन टन आउटपुट प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.057 0.489	0.049 0.436
6	गंभीर चोट की दर प्रति मिलियन टन आउटपुट प्रति 3 लाख मैनशिफ्ट	0.043 0.366	0.028 0.249
7	स्थान-वार मृत्यु यूजी ओसी एजी	0 7 1	1 3 3

2. <u>सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम:</u>

(i) सभी कर्मचारियों को सुरक्षा साधन जैसे हैलमेट, सुरक्षा जूते, एलईडी कैप लैम्प आदि प्रदान किए जाते हैं ताकि आघात की स्थितियों में बचाव हो सके। वर्ष 2019-20 में 7364 माइनिंग सेफ़्टी हेलमेट, 15990 माइनिंग शूज तथा 570 जोड़ी गमबूट खरीदे गए।

(ii) 11वें सुरक्षा सम्मेलन, कोयला खदानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, सीआईएल सुरक्षा बोर्ड, कंपनी स्तरीय सुरक्षा समिति, क्षेत्र स्तरीय सुरक्षा समिति और परियोजना स्तरीय सुरक्षा समितियों की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है।

(iii) कोयला खान विनियमन 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किए गए खदान अधिकारियों द्वारा सांविधिक निरीक्षण के अतिरिक्त, सुरक्षा मानकों का कामगार निरीक्षकों (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), खान स्तर पर सुरक्षा समिति (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), क्षेत्र स्तर पर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति और कंपनी स्तर पर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

(iv) परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों, क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों और अनुषंगी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श किया जाता है। सहायक स्तर की त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक 05.11.2019 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

(v) क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी और कंपनी मुख्यालय स्तर पर पूर्णरूपेण आईएसओ विभाग में सुरक्षा अधिकारी द्वारा आंतरिक सुरक्षा संगठनों के जरिए सांविधिक नियमों विनियमों और सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का बहु-स्तरीय निरीक्षण किया जाता है।

(vi) कंपनी के सुविधाजनक स्थानो में स्थापित सामूहिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को सुरक्षा संबंधी पक्षों पर उनके कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण व पुन: प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कौशल का उन्नयन किया जाता है। प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार बाहरी संस्थानों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उदाहरण के लिए डंपर ऑपरेटरों के कौशल सुधार के लिए वर्ष 2019-20 में 28 डंपर ऑपरेटरों को नोर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में सिम्युलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

(vii) कामगारों और पर्यवेक्षकों के दोष व बीमारियों का पता लगाने हेतु नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि सही समय पर उनका उपचार हो सके। वर्ष 2019-20 के दौरान, एमसीएल के आवधिक चिकित्सा परीक्षण(पीएमई) केंद्रों में 4868 विभागीय कर्मचारियों और 942 संविदात्मक (कॉन्ट्रक्चुअल) व्यक्तियों की पीएमई जांच की गई।

(viii) वर्ष 2019-20 के दौरान बलराम ओपनकास्ट खदान में 27 मई 2019 की 3 शिफ्ट में हुई भयानक दुर्घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म और भरतपुर ओपनकास्ट खदान में 23 जुलाई 2019 को 3 शिफ्ट में हुई भयानक दुर्घटना पर एक एनीमेशन फिल्म बनाई गई। इन फिल्मों को अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता लाने के लिए एमसीएल की खानों, क्षेत्रों और सुरक्षा समन्वय बैठकों में दिखाया गया है।

(ix) 2019-20 के दौरान एमसीएल के सभी खुली और भूमिगत खानों में एमसीएल के अंतर-क्षेत्र बहु-विषयक टीमों द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षा की।

(x) एमसीएल सभी खानों और केंद्रीय कार्यशाला में क्रमशः दिनांक 29.06.2019 से 13.01.2020 तक तथा दिनांक 13.01.2020 से 19.01.2020 तक विद्युत सुरक्षा पर विशेष सुरक्षा लेखा परीक्षा और सुरक्षित ब्लास्टिंग कार्यों पर विशेष सुरक्षा अभियान चलाया गया था।

(xi) 27 अप्रैल, 2019 को एमसीएल मुख्यालय में सुरक्षा और बचाव विभाग द्वारा "कोयला उद्योग में कार्य पर स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन में ठेकेदारों की बाध्यता एवं प्रमुख नियोक्ताओं की भूमिका" विषय पर एक दिवसीय सेफ्टी वर्कशॉप आयोजित की गई थी। सुरक्षा उपकरणों और सेवाओं के सुरक्षा पहलुओं पर मुद्दों को हल करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करने के लिए कार्यशाला से पहले दिनांक 26.04.2019 को बैठक सुरक्षा एवं बचाव विभाग एमसीएल मुख्यालय द्वारा बोलीदाताओं की बैठक आयोजित की गई थी।

(xii) कोल इंडिया सेफ्टी इंफॉर्मेशन पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा संबंधी जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है। एमसीएल द्वारा विकसित सेफ्टी ऐप के माध्यम से सभी हितधारकों को सुरक्षा से संबंधित जानकारी साझी की जाती है और यह "माइन सेफ्टी इन्फो" टैग के तहत गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

(xiii) भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 16 दिसंबर, 2019 को वर्ष 2016 के लिए सबसे कम क्षति आवृत्ति दर (एलआईएफ़आरएम) हीराखंड बुंदिया खदान (भूमिगत) को नेशनल सेफ़्टी अवार्ड(माइंस) (रनर) से सम्मानित किया गया।

3. **<u>बचाव सेवाएँ</u>**

एमसीएल की खदानों में आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमसीएल ने ईब वैली कोलफील्ड्स में ओरिएंट क्षेत्र में और तालचेर कोलफील्ड्स में आरआरआरटी,तालचेर क्षेत्र में सुसज्जित खदान बचाव स्टेशन स्थापित किए है। एमसीएल की बचाव सेवा के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा किया गया :

1. दिनांक 15.10.2019 से 16.10.2019 तक ओरिएंट क्षेत्र के माइन्स रेस्क्यू स्टेशन और खान सं.-4 में आंचलिक खान बचाव प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज़ लिमिटेड (आईएमएफ़ए) सहित 08 बचाव टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ईब ओसीपी टीम को चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया।
2. दिनांक 19.11.2019 से 22.11.2019 तक अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (कोयला और धातु) -2019 का आयोजन माइंस रेस्क्यू स्टेशन, ओरिएंट क्षेत्र , खान सं. नंबर 4 और कल्याण मंडप,ईब वैली एरिया,एमसीएल, ब्रजराजनगर में सफलतापूर्वक किया गया था। एमसीएल-ए और एमसीएल-बी टीमों को क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान से सम्मानित किया गया।
3. 2019-20 के दौरान खान बचाव स्टेशन और आरआरआरटी ने कुल 12 आपात स्थिति/अग्निशमन अभियान में भाग लिया है जिसमें खान सं. 3 मैगज़ीन में 01, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में 02, ओपनकास्ट खानों में 02 और 07 किसी भी खनन गतिविधि से संबंधित न होकर आस-पास के सोसायटी/सिविल टाउनशिप में चलाए गए है।
4. 2019-20 के दौरान बचाव और रिकवरी ऑपरेशन में 16 नए व्यक्तियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया।
5. 189 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को माइंस रेस्क्यू स्टेशन, ओरिएंट एरिया और आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र में बचाव और रिकवरी ऑपरेशन में पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया।
6. कुल 188 रेस्क्यू प्रशिक्षित व्यक्तियों की चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें स्वस्थ पाया गया।
7. 2019-20 के दौरान रायगढ़ क्षेत्र में मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को निजी भूमिगत खानों गेर पलामा IV/ 4 और IV / 5 को प्रशिक्षण और आपातकालीन सहायता दी गई।
8. अग्निशमन, गैस क्रोमैटोग्राफ, कार्डियो-पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर और अन्य सामग्री और उपकरणों) के संबंध में 13 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमआरएस ओरिएंट क्षेत्र में 06 तथा आरआरआरटी, तालचेर क्षेत्र में 07) का आयोजन किया गया था।

<u>वर्ष 2019-20 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए थे:</u>

1.आरआरआरटी, तालचेर के लिए 01 प्राथमिक चिकित्सा मानिकीन ।

2.स्क्रीन के साथ 01 एलईडी प्रोजेक्टर।

3.05 वाटर मिस्ट अग्निशामक

4.01 कोंक्रीट कटर

5.प्रोजेक्टर, रंगीन टीवी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम

6.ओड़िशा माइनिंग कॉरपोरेशन (ओएमसी), बांगुर, क्योंझर और इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड (आईएमएफ़ए), सुकिंडा, जाजपुर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

7.श्वास उपकरण (बायोपाक-240 आर) के लिए स्पेयर पार्ट्स

8. ऑक्सीजन सिलेंडर का हाइड्रोलिक परीक्षण

वर्ष 2019-20में निम्नलिखित सामग्रियों की खरीदी की गई थी:

1. आरआरआरटी, तालचेर के लिए 01ऑक्सीजन प्यूरिटी टेस्टर
2. 01 वाटर प्यूरिफायर कम कूलर
3. 04 विंडो टाइप एयर कंडीशनर
4. 46.7 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर
5. 12 रिससीटिंग/रिवाइविंग उपकरण
6. रिससिटिंग / रिवाइविंग उपकरण के लिए फेफड़े 02 टेस्ट लंग/ टेस्टर
7. 02 बचाव डमी
8. प्रशिक्षण के लिए स्मार्ट बोर्ड

वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित सामग्रियों के लिए आपूर्ति आदेश दिया गया:

1. 02 बूस्टर पंप (बिजली संचालित)
2. 04 बूस्टर पंप (हस्त संचालित)
3. कार्बन डाइऑक्साइड शोषक के 2000 पैकेट
4. 04 हैंड हेल्ड सर्च लाइट ।
5.

22. कंप्यूटरीकरण :

कोलनेट अनुकूलित ईआरपी प्रणाली: - मुख्यालय और क्षेत्र में कोलनेट एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल जैसे कि वित्तीय सूचना प्रणाली (एफआईएस), व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (पीआईएस), पेरोल, विपणन एवं विक्रय , सामाग्री प्रबंधन प्रणाली, उत्पादन सूचना तथा इक्विपमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम चालू हैं।

कोलनेट, कस्टमाइज्ड ईआरपी सिस्टम - मुख्यालय और क्षेत्र में कोलनेट एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल जैसे वित्तीय सूचना प्रणाली (एफआईएस), पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम (पीआईएस), पेरोल, मार्केटिंग एंड सेल्स, मटीरियल्स मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टमैन्ड इक्विपमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम चालू हैं। कोलनेट एप्लिकेशन के सभी मॉड्यूल मुख्यालय स्थित केंद्रीय सर्वर पर चल रहे हैं। कोलनेट प्रणाली में कुछ विविध मॉड्यूल भी जोड़े गए हैं जिनमें शामिल हैं बिल ट्रैकिंग सिस्टम, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल फंड मैनेजमेंट सिस्टम (ई-कैपेक्स), ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अनुबंधित श्रमिकों की तस्वीरों के साथ विस्तृत जानकारी कैप्चर करने के लिए कार्मिक सूचना प्रणाली, गणना उत्पादकता सुधार योजना के तहत भुगतान के लिए प्रोत्साहन, समय-समय पर चिकित्सा जांच, निविदाओं का विवरण और 2 लाख रुपये से कम के अनुबंध, अवकाश गृह की ऑनलाइन बुकिंग आदि।

विपणन एवं विक्रय - इस मॉड्यूल का मुख्यालय में सड़क वितरण आदेशों के जारीकरण, क्षेत्रों द्वारा रेल और रोड सेल बिल तैयार करने और मुख्यालय में केंद्रीय कोलनेट सर्वर पर देनदारों के खातों के रखरखाव के लिए उपयोग किया जाता है। एमसीएल द्वारा कारोबार किए जा रहे कोयले की बिलिंग के लिए प्रणाली को संशोधित किया गया है। कोलनेट के सेल्स मॉड्यूल में निम्नलिखित नई विशेषताएं जोड़ी गई हैं: -

(i) रियल टाइम आधार पर ग्राहक लेजर का जेनरेशन

(ii) ई-मेल के माध्यम से उपभोक्ता को रेल बिक्री बिल की ऑटो डिलीवरी

(iii) रेल के माध्यम से प्रेषण के लिए उपभोक्ता को ई-वे बिल चालान और उसी के स्वतः सूचना का जेनरेशन।

(iv) रियल टाइम आधार पर संबन्धित अधिकारियों को रेक वार/सीडिंग वार अंडर लोडिंग विवरण को एसएमएस के माध्यम से स्वतः सूचना

(v) विश्लेषण ग्रेड के आधार पर डेबिट / क्रेडिट नोट का ऑटो जेनरेशन।

(vi) रेल उपभोक्ताओं द्वारा विलंबित भुगतान के लिए पार्टी वार ब्याज गणना

(vii) सीआईएमएफ़आर परीक्षा व्यय के 50% आकस्मिक शुल्क भुगतान हेतु उपभोक्ताओं को जारी बिल का जेनरेशन

(viii) एंट्री स्क्रीन तथा कोल सैंपल रिज़ल्ट का निर्माण

(ix) रियल टाइम पर देनदार शेष बनाए रखने के लिए रेल बिक्री बिल जेनरेट होने के बाद ऑटो-जर्नल वाउचर का कार्यान्वयन

(x) मल्टीपल बिलिंग अगेन्स्ट सिंगल आरआर, कंपनी के कोयले और ट्रेडेड कोयले को बेचने के लिए आरंभ किया गया।

(xi) रोड वेहब्रिज पर इंटीग्रेटेड माइंस, मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम्स (आई3एमएस) के माध्यम से जारी किए गए गेट पास पर अतिरिक्त जानकारी छापना।

वित्तीय लेखा प्रणाली - वित्त मॉड्यूल का उपयोग केंद्रीय सर्वर पर एमसीएल के सभी स्थानों के लिए जर्नल प्रविष्टि सहित हर वित्तीय लेनदेन को कैप्चर करने के लिए किया जाता है, जो समय में परीक्षण शेष, विवरण लेजर, लेखा अनुसूची, बैलेंस शीट और लाभ और हानि लेखा सहित सभी वित्तीय जानकारी के समेकन और बेहतर एमआईएस रिपोर्ट जनरेशन में मदद करता है। वित्त मॉड्यूल में निम्नलिखित अतिरिक्त विशेषताएं जोड़ी गई हैं: -

(i) टीए / डीए, एलटीसी और मेडिकल प्रतिपूर्ति के भुगतान: - टीए / डीए, एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति खर्च के साथ मासिक वेतन के भुगतान के लिए कोलनेट के वित्त और पेरोल मॉड्यूल में प्रावधान को शामिल किया गया है।

(ii) केंद्रीय कोलनेट सर्वर के माध्यम से आयकर गणना: - केंद्रीय कोलनेट सर्वर के माध्यम से कर गणना और संबद्ध रिपोर्टों के जेनरेशन को एमसीएल भर में समरूप आईटी गणना प्रक्रिया को अपनाने के लिए लागू किया गया है।

(iii) सीएमपी पोर्टल के माध्यम से वेतन का केंद्रीय संवितरण: एमसीएल के सभी स्थानों के लिए वेतन का वितरण एसबीआई के सीएमपी (कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट) का उपयोग करके केंद्रीय रूप से मुख्यालय के माध्यम से किया जा रहा है।

ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली (ओएमएमएस):- सभी केंद्रीय/क्षेत्रीय स्टोर और केंद्रीय कर्मशालाओं से संबंधित गतिविधियों और यूनिट स्टोर्स पर पीओएल / विस्फोटक के जारी / प्राप्ति के लिए ओएमएमएस केंद्रीय कोलनेट सर्वर पर चल रहा है। इन्वेंट्री के प्रभावी नियंत्रण के लिए विभिन्न रिपोर्ट भी उपलब्ध हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल फंड मैनेजमेंट - कोयलेनेट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पीआर) के प्रावधानों को बनाए रखने के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया है - हेड वार और यूनिट वार, फंड आवंटन के लिए अनुरोध की पहल, फंड का पुनः विनियोजन (यदि आवश्यक हो), परियोजना और योजना विभाग, वित्त विभाग और सक्षम प्राधिकारी की अंतिम स्वीकृति के विभिन्न स्तरों पर अनुरोध की जांच और अनुमोदन। यह मॉड्यूल उपयोगकर्ता विभागों की आवश्यकता को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। इसके अलावा, "बियॉन्ड-पीआर" प्रावधान के तहत किसी विशेष परियोजना के लिए फंड समाप्त हो जाने पर परियोजना स्तर से फ़ाइल शुरू करने के लिए मॉड्यूल में प्रावधान किया गया है। ऑटो जेनरेटेड एसएमएस उन संबंधित अधिकारियों को दिया जाता है जो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जब भी ऑनलाइन मोड में धन आवंटन / पुन: विनियोजन के लिए एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाता है।

उत्पादकता सुधार योजना सॉफ्टवेयर: - उत्पादकता सुधार योजना के तहत प्रोत्साहन राशि की गणना के लिए विकसित सॉफ्टवेयर, एमसीएल के विभिन्न ऑपेनकास्ट खानों में सफलतापूर्वक चल रहा है। सॉफ्टवेयर योजना में समय-समय पर किए गए बदलावों को शामिल करने के लिए आवश्यक संशोधन करता है।

बिल भुगतान का अनुश्रवण - एप्लिकेशन के तहत बिल ट्रैकिंग मॉड्यूल सफलतापूर्वक कोलनेट पर चल रहा है। इस प्रणाली में ठेकेदारों / विक्रेताओं से प्राप्त बिल को संबंधित उपयोगकर्ता विभागों द्वारा कोलनेट एप्लिकेशन के बिल ट्रैकिंग मॉड्यूल के माध्यम से कैप्चर किया जाता है। मॉड्यूल के माध्यम से इन बिलों की स्थिति को भी अपडेट किया जा रहा है और इन्हें संबंधित पार्टियों

द्वारा ऑनलाइन देखने के लिए "बिल स्टेटस" लिंक के तहत एमसीएल की वेबसाइट पर रियल टाइम बेसिस पर उपलब्ध कराया गया है।

फ़ाइल ट्रैकिंग सिस्टम - फाइल ट्रैकिंग सिस्टम:-एमसीएल के विभिन्न विभागों और स्थानों पर महत्वपूर्ण फाइलों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कोलनेट में विकसित सॉफ्टवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। 31 मार्च 2020 तक लगभग 84001 फाइलों को इस मॉड्यूल के माध्यम से संसाधित किया गया है।

अनुबंध प्रबंधन अनुश्रवण प्रणाली - कोलनेट एप्लिकेशन के तहत विकसित कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम मॉड्यूल का उपयोग सभी कोल और ओबी से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रभावी अनुश्रवण के लिए अनुबंध विवरण, कार्य आरंभ करने, मुख्यालय / क्षेत्र / परियोजना में दैनिक कार्यनिष्पादन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। मॉड्यूल में विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट उपलब्ध हैं।

एमसीएल वैबसाइट - एमसीएल की वेबसाइट **www.mahanadicoal.in** कंपनी के विभिन्न विभागों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करती है, जिसमें उत्पादन, बिक्री, वित्त, सामग्री, पर्यावरण, सतर्कता, ई-प्रोक्योरमेंट आदि शामिल हैं। इस वेबसाइट में कॉर्पोरेट समाचार, परिपत्र, नोटिस, भर्ती संबंधी जानकारी जैसे नोटिस, परिणाम आदि, सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा आपूर्ति आदेशों को अपलोड करना, कोयला उपभोक्ताओं के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए प्रावधान, बिजली उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न खानों से कोयले की मासिक मात्रा के लिए आवश्यकता बढ़ाना, कोयला उपभोक्ताओं को धन वापसी से संबंधित जानकारी मासिक तृतीय पक्ष कोयला नमूना विश्लेषण परिणाम, सीएसआर से संबंधित गतिविधियाँ, रु .2 लाख से नीचे के निविदा मूल्य के लिए निविदा विवरण अपलोड करने के लिए जैसे फीचर मौजूद हैं। वेबसाइट को नियमित रूप से आवश्यकतानुसार पुनर्गठित किया जाता है। कोलनेट डेटाबेस में उपलब्ध ठेकेदारों / विक्रेताओं को बिल भुगतान की स्थिति भी वास्तविक समय पर वेबसाइट पर दिखाई देती है। स्टेक धारकों के बिलों के भुगतान से संबंधित प्रासंगिक जानकारी साप्ताहिक / मासिक आधार पर "भुगतान वितरण" टैब के तहत अपलोड की गयी है।

ऑनलाइन शिकायत निवारण (समाधान): - ऑनलाइन शिकायत निवारण "समाधान" हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए एमसीएल की वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ है।

निविदाएं अपलोड करना: सीआईएल के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से मंगाई गई सभी निविदाएं भारत सरकार के सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सीपीपी) पोर्टल में स्वचालित रूप से दिखाई देती हैं। **2** लाख रुपये से नीचे की निविदाओं से संबंधित जानकारी को कोलनेट में कैप्चर किया जाता है और नियमित आधार पर एमसीएल की वेबसाइट में होस्ट किया जाता है।

कंट्रीब्यूटरी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फॉर एक्जिक्यूटिव्स (सीपीआरएमएसई): -
सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है जिसके माध्यम से वे कंट्रीब्यूटरी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फॉर एक्जिक्यूटिव्स के तहत अपने चिकित्सा बिलों की भुगतान स्थिति को देख सकते हैं। अधिकारी अपनी सीमा और सीमा रहित एनटाइटलमेंत पर शेष राशि भी देख सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स के संबंध में ऑटो जेनरेटेड एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं।
एमसीएल इंट्रानेट: -एमसीएल इंट्रानेट पोर्टल को सर्कुलर / मैनुअल, निर्देशों और पत्रों को साझा करने के लिए विकसित और लॉन्च किया गया है, जिन्हें उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इंट्रानेट वर्तमान, अतीत की जानकारी / दस्तावेज प्रदान करता है, जिसे कहीं से भी और कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। इससे कंपनी के अधिकारियों के बीच सूचना संवादधीनता को नियंत्रित करेगा और साथ ही बाहरी लोगों को अवांछित सूचनाओं के प्रसार

से बचाएगा। इंट्रानेट पोर्टल को व्यापक रूप से ई-जर्नल, डिस्कशन फॉरम, ई-बुक्स, मैनुअल, फोटोग्राफ, महत्वपूर्ण घटनाओं के वीडियो आदि जैसे नए फीचर जोड़कर नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल के रूप में विकसित किया जाएगा।

ई-मेल खाते: एमसीएल के सभी अधिकारियों को एनआईसी से प्राप्त **"Coalindia.in"** डोमेन के तहत ई-मेल खातों के साथ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त एमसीएल मुख्यालय के कुछ चुने हुए कर्मचारियों को भी आवश्यकता के अनुसार ईमेल खाते उपलब्ध कराए गए हैं।

इंटरनेट लीज्ड लाइन: - मेसर्स बीएसएनएल और मेसर्स रेलटेल से प्राप्त दो 40 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन्स मौजूदा कॉर्पोरेट नेटवर्क के माध्यम से एमसीएल के उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए और कोयला उत्पादन / आंतरिक परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रक / टिपर में इन्स्टाल किए गए वीटीएस सर्वर और जीपीएस यूनिट के बीच निरंतर डेटा संचार के लिए रिडनडेंट मोड में हैं।

केंद्रीय कंप्यूटर केंद्र और नोडल कंप्यूटर केंद्रों में सर्वर: मुख्यालय और तीन नोडल क्षेत्रों यानी तालचेर कोलफील्ड्स के जगन्नाथ क्षेत्र, ईब वैली कोलफील्ड्स के ईब वैली क्षेत्र और बंसुंधरा गर्जनबहाल क्षेत्र में हाई एंड आईबीएम सर्वर स्थापित हैं। सर्वर के लिए रखरखाव सहयोग सीधे मैसर्स आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। बसुंधरा क्षेत्र के कंप्यूटर सेंटर को डिज़ास्टर रिकवरी साइट के रूप में स्थापित किया गया है।

एसएमएस/ईमेल अलर्ट: - एमसीएल का प्रयास रहा है कि अपने हितधारकों को ऑटो जनरेट एसएमएस भेजें।
एमसीएल द्वारा उठाए गए विभिन्न ई-पहल के अनुसार, रोड डिलीवरी ऑर्डर, आरडीओ वार डेली डिस्पैच, आरडीओ पर रिफंड के विवरण के बारे में ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। लंबित फाइलों की स्थिति पर संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष / महाप्रबंधक को, वेतन निर्माण से संबंधित कर्मचारियों को एसएमएस अलर्ट भी भेजे जाते हैं, जिन्हें नियमित आधार पर कोलनेट के फाइल ट्रैकिंग मॉड्यूल के माध्यम से ट्रैक किया जाता है। बैंक गारंटी की समाप्ति के संबंध में संबंधित विक्रेताओं / पार्टियों और वित्त विभाग के अधिकारियों को एसएमएस भेजने का प्रावधान भी किया गया है। कोलनेट में बिलों की प्राप्ति पर पावती, बिलों और भुगतान की पुष्टि से संबंधित दस्तावेजों (यदि कोई हो) के बारे में जानकारी के लिए एसएमएस अलर्ट भी पेश किए गए हैं। ग्राहकों हेतु ई-वेबिल जेनरेशन के लिए रेल बिक्री चालान और कोल इन्वाइस की प्रतियाँ भेजने के लिए ऑटोमेटेड मेलिंग सिस्टम भी मौजूद हैं।

मोबाइल एप्लिकेशंस - मोबाइल एप्लिकेशन का विकास एमसीएल में एक सतत प्रक्रिया है और साझेदारों के साथ संबंधित जानकारी को सुविधाजनक रूप से व्यावहारिक और स्वीकार्य रूप से साझा करने हेतु कई मोबाइल एप विकसित किए गए हैं। निम्न विषयों पर विभिन्न एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं - (i) कोयले के उत्पादन / आंतरिक परिवहन से संबंधित स्टेटिक और इन-मोशन वेहब्रिज पर वजन का विवरण देखे जाने,(ii) ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों की स्थिति की ट्रैकिंग (iii) सीएससीआर नीति, वार्षिक रिपोर्ट, बजट और सीएसआर के तहत व्यय, प्रमुख सीएसआर गतिविधियों की चित्रों के बारे में जानकारी के साथ ही, ओड़िशा के कई जिलों में एमसीएल की सीएसआर गतिविधियों से संबंधित उपयोगी गतिविधियां शुरू किए जाने / पूरा करने (iv) डिलीवरी ऑर्डर विवरण, लोडिंग शेड्यूल, दैनिक डिस्पैच सारांश और किसी भी आरडीओ के खिलाफ डिस्पैच विवरण देखना, जिसे सीआईएल के मोबाइल ऐप "ग्राहक सड़क कोयला वितरण"के साथ एकीकृत किया गया है। (v) खान सुरक्षा संबंधी जानकारी जैसे सुरक्षा पहल, घटनाओं की झलक, डीजीएमएस परिपत्र, खान सुरक्षा पर वीडियो क्लिप प्रदान करना (vi) सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा कंट्रीब्यूटरी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम फॉर एक्ज़ीक्यूटिव्स आदि के तहत प्रस्तुत मेडिकल बिलों की भुगतान स्थिति को देखना।

ई ऑफिस क्रियान्वयन - 01.07.2017 से पत्र प्राप्तियों और फाइलों के संचलन के डायरीकरण के लिए एमसीएल मुख्यालय में ई-ऑफिस का उपयोग किया जा रहा है। 2019-20 के दौरान, पत्र प्राप्तियों और फाइलों के संचलन के डायरीकरण के लिए ई-ऑफिस का विस्तार एरिया और प्रोजेक्ट ऑफिसों के लिए भी किया गया है।

पीसी और आनुषंगिकों की खरीद / प्रतिस्थापन: एंड यूसर की कम्प्यूटेशनल आवश्यकता को पूरा करने और कंपनी द्वारा समय-समय पर कंपनी द्वारा की गई विभिन्न आईटी पहलों को लागू करने के लिए नियमित समयावधि पर नई आवश्यकता पर पीसी और आनुषंगिक उपकरणों की खरीद और सर्वेड ऑफ किए गए हार्डवेयर के प्रतिस्थापन किए जाते हैं।

<u>भविष्य की योजना / अन्य चल रही गतिविधियाँ: -</u> एसएपी ईआरपी के कार्यान्वयन - एसएपी ईआरपी के कार्यान्वयन को पहले चरण में एमसीएल में लिया गया है और कार्य के कार्यात्मक स्कोप में (1) विपणन और बिक्री, (2) सामग्री प्रबंधन, (3) प्लांट रखरखाव, (4) मानव संसाधन प्रबंधन, (5) वित्त (लेखा और नियंत्रण), (6) उत्पादन योजना, (7) परियोजना प्रणाली से संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी। ईआरपी टीम के गठन जैसी सभी आवश्यक गतिविधियाँ जिनमें विषय विशेषज्ञ, कोर टीम के सदस्य, प्रशिक्षण, मास्टर डेटा तैयारी आदि शामिल हैं।

अस्पताल प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन: - अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (एचएमएस) केंद्रीय अस्पताल, ईब वैली में लागू की जाएगी। सभी क्लिनिकल और गैर-क्लीनिकल विभाग, फार्मेसी के अलावा आउट-डोर और इन-डोर इकाइयों के प्रबंधन, नैदानिक वर्गों और दुकानों को प्रभावी प्रबंधन के लिए एकीकृत मंच में संगठित किया जाएगा। संपूर्ण अस्पताल भवन के एचएमएस और नेटवर्किंग के लिए आवश्यक विभिन्न हार्डवेयर वस्तुओं की खरीद के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

वेब होस्टिंग:- एमसीएल की वेब साइट को उसके परिसर में होस्ट किया जाएगा जिसमें रखरखाव की आसानी और कोलनेट डेटाबेस के साथ बेहतर एकीकरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में वेब सर्वर स्थापित है। यह न केवल होस्टिंग और रखरखाव की लागत को बचाएगा, बल्कि कई पोर्टल आधारित ऐप के विकास और लॉन्च करने में भी मदद करेगा।

पोर्टल आधारित एप का विकास- निम्न क्षेत्रों में कई पोर्टल आधारित ऐप विकसित किए जा रहे हैं (i) विभिन्न सिविलियन, ईएसएम और पीएपी अनुबंधों के तहत अपनी क्षमता के अनुसार क्षेत्रवार / यूनिट-वार और शिफ्ट वार तैनाती, टिपर, पे लोडर और सरफेस माइनर की निगरानी (ii) कर्मचारियों के लिए शिकायत दर्ज और निवारण प्रणाली (iii) आईटी एसेट ट्रैकिंग एंड ब्रेकडाउन मॉनिटरिंग सिस्टम।

सीएसआर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल का विकास: - सीएसआर गतिविधियों की बेहतर निगरानी के लिए एक नए मॉड्यूल की योजना बनाई जा रही है ताकि सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित धन के उपयोग की निगरानी आसान हो सके। मॉड्यूल को मुख्यालय और क्षेत्रों में किए गए विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के विभिन्न चरणों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए मौजूदा कोलनेट एप्लिकेशन के साथ एकीकृत किया जाएगा।

23. दूरसंचार

- **<u>अनावश्यक डेटा संचार नेटवर्क-</u>** एमसीएल की लगभग सभी इकाइयों को कवर करते हुए आई.पी. आधारित वाइड एरिया नेटवर्क(डब्लू.ए.एन.) स्थापित किया गया है, जो आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न वित्तीय, कार्मिक और परिचालन अनुप्रयोगों को चलाने के लिए एक नेटवर्क के आधार के रूप में व्यापक रूप से और सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही है, जिसमें संगठन की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऑनलाइन डेटा संचार और प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध है।

  आपकी कंपनी द्वारा ई.आर.पी., ई-निगरानी आदि जैसे अन्य रियल टाइम डेटा सेवाओं में इसका उपयोग बढ़ाने के लिए नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए कदम उठाए गए हैं। मुख्यालय के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों/परियोजना

कार्यालयों/वेब्रिज आदि को एम.पी.एल.एस./ वी.एस.ए.टी. आधारित माध्यमिक डेटा संचार नेटवर्क से जोड़ने का काम बी.एस.एन.एल. द्वारा संचालित किया जा रहा है। चरण-I और चरण-II में एम.पी.एल.एस. कनेक्टिविटी 50 स्थानों पर पूरी हो गई है। तीसरे चरण में, 66 वी.एस.ए.टी. नोड्स के माध्यम से 116 वेब्रिज पर एम.पी.एल.एस. वी.पी.एन. कनेक्टिविटी की स्थापना अधिकांश स्थानों पर पूरी हो चुकी है और शेष स्थापन का कार्य प्रगति पर है। आपकी कंपनी ने बीएसएनएल एमपीएलएस नेटवर्क के साथ मौजूदा कोलनेट नेटवर्क (आईसीएन) के इंटरफेस की सुविधा भी प्रदान की है, जो अब कोलनेट कनेक्टिविटी के लिए एक अनावश्यक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है।

आपकी कंपनी ने 284 स्थानों पर एम.पी.एल.एस.-वी.पी.एन. कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मैसर्स रेलटेल को कार्यादेश जारी किया है, जिसका उपयोग एमसीएल में ई.आर.पी. के लिए प्राथमिक डेटा कनेक्टिविटी के रूप में किया जाएगा। रेल और रोड वेब्रिज (इन-मोशन और स्टैटिक) दोनों को मैसर्स आई.टी.आई. लिमिटेड द्वारा स्थापित रेडियो लिंक के माध्यम से जोड़ा गया है।

<u>जी.पी.एस./जी.पी.आर.एस. आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली: -</u>

(i) आपकी कंपनी द्वारा कोयला तथा ओ.बी. के उत्पादन और आंतरिक परिवहन में लगे 2970 निजी ट्रकों/टिपरों, एचईएमएम और अन्य वाहनों के साथ-साथ सुरक्षा विभाग द्वारा पेट्रोलिंग हेतु उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए जी.पी.एस. आधारित वी.टी.एस. (वाहन ट्रैकिंग सिस्टम) इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन वाहनों की लाइव ट्रैकिंग के साथ-साथ जियो फेंसिंग, ट्रिप, लंबी अवधि तक रोक, तय की गई दूरी आदि के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों को देखने के लिए वेब सक्षम लिंक यानी http://mclvts.in पर उपलब्ध करायी गयी हैं। यह लिंक हमारी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर भी उपलब्ध है। परियोजनाओं के संबंधित उपयोगकर्ताओं और क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑटो जनरेटेड एस.एम.एस. अलर्ट भेजने की भी व्यवस्था की गई है।

(ii) मार्गों के साथ-साथ खदान सीमा में जियो फेंसिंग लगाने का काम आपकी कंपनी द्वारा जियो फेंसिंग की सीमा को पार कर रहे वाहनों पर नजर रखने के लिए किया गया है।

(iii) अलर्ट की निगरानी के लिए एमसीएल-मुख्यालय और आपकी कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

<u>ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओ.आई.टी.डी.एस.):</u>

एमसीएल के 03 खुली खदान परियोजनाओं यथाः बलराम, लिंगराज और भरतपुर ओ.सी.पी. में ओ.आई.टी.डी.एस. स्थापित किये गए हैं, जो कि सफलतापूर्वक चल रहे हैं। ओ.आई.टी.डी.एस. के उपकरण के साथ कुल 137 एच.ई.एम.एम. लगाये गए हैं।

- **सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली:**

(i) आपकी कंपनी ने एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला के कार्यालय परिसर में 71 कैमरों की सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली स्थापित की है जिसका उपयोग कॉर्पोरेट कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

(ii) आपकी कंपनी ने एमसीएल के सभी क्षेत्रीय/केंद्रीय भंडारों और केंद्रीय कार्यशालाओं में 376 कैमरों के सी.सी.टी.वी. द्वारा निगरानी प्रणाली स्थापित की है।

(iii) आपकी कंपनी ने एमसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर कई सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जैसे कि के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, कोल स्टॉक, कोल सैम्पलिंग लैब्स आदि सहित एमसीएल के सभी क्षेत्रों में लगाये गए हैं।

(iv) आपकी कंपनी ने 21 रेलवे साइडिंग्स में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए हैं।

(v) आपकी कंपनी ने स्टील-शॉट 90 इन-मोशन और स्टैटिक रोड वेब्रिज पर आईपी कैमरों को स्थापित किया है।

(vi) इन-मोशन और स्टैटिक वेब्रिज (जो आंतरिक परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है) से वेमेंट डेटा को एमसीएल-मुख्यालय में केंद्रीय वी.टी.एस. और कोलनेट सर्वर पर ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है।

(vii) आपकी कंपनी ने एक व्यापक सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए पहल की है, जिसमें खानों और मैगजीन क्लस्टर, एच.ई.एम.एम. कार्यशालाओं, डीजल वितरण स्टेशनों, और परियोजनाओं के अन्य संवेदनशील बिंदुओं को कम करने के लिए विभिन्न प्रवेश/निकास द्वार पर अनधिकृत गतिविधि की संभावना को रोकने, सुरक्षा को बढ़ाने तथा अनधिकृत वाहनों और कर्मियों के प्रवेश को रोकने के लिए 2188 कैमरे लगाए हैं।

- एमसीएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में **वाई-फाई नेटवर्क** स्थापित किया गया है। जागृति विहार के आवासीय क्षेत्रों में वाईफाई नेटवर्क को पुन: सुदृढ़ और पुनर्संचालित किया जा रहा है
- 24x7 दिन असीमित संचार को न्यूनतम लागत पर सक्षम बनाने हेतु ओड़िशा राज्य में एमसीएल के सभी संगठनों की विभिन्न इकाइयों में सेवा प्रदान करने के लिए एमसीएल के सभी अधिकारियों, जेसीसी सदस्यों, प्रमुख कर्मचारियों, रेलवे साइडिंग अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों, बचाव ब्रिगेड कार्मिकों और खान बचाव स्टेशनों के ड्राइवरों तथा बायो-मेट्रिक अटेंडंस सिस्टम को कंपनी द्वारा **मोबाइल सीयूजी सुविधा** प्रदान की गई है, जिससे एमसीएल के संचार के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके।

सभी अधिकारियों को असीमित डेटा और आवाज प्रदान करने के लिए कंपनी के किसी भी अतिरिक्त वित्तीय लागत के बिना मौजूदा सीयूजी योजनाओं को उन्नत किया गया है।

- **<u>वीएचएफ़ संचार</u>** : आपकी कंपनी ने वीएचएफ संचार नेटवर्क को कोयला खानों की परियोजनाओं में संचार के लिए विभिन्न खानों में स्थापित किया गया है। परिचालन क्षमता में वृद्धि के लिए इसे हर साल बढ़ाया जा रहा है।
- **<u>आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) :</u>** भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और सीआईएल के एचआर विजन 2020 के साथ एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल कोलकाता कार्यालय, एमसीएल भुवनेश्वर कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, परियोजना कार्यालयों, एमटीके एवं एमसीएल के सभी उपस्थिती स्थलों पर एईबीएएस स्थापित किए है। सम्पूर्ण एमसीएल में कुल 807 डिवाइस स्थापित किए गए है।
- **<u>टेलिफ़ोन एक्सचेंज :</u>** एमसीएल की लगभग सभी इकाइयों में आंतरिक टेलीफोन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी ने हजारों आंतरिक टेलेफोन लाइनें और ईपीएबीएक्स स्थापित किए है और उसका रखरखाव किया है।
- आपकी कंपनी द्वारा 24x7 दिन तेज गति के साथ अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने हेतु संचार और सूचना चैनल सुनिश्चित करने के लिए ऑन-द-गो इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवासीय कार्यालयों में बीएसएनएल ब्रॉडबैंड/एफ़टीएचएच(फ़ाइबर टू द होम) के अतिरिक्त एमसीएल मुख्यालय के सभी निदेशकों, सीवीओ और एचओडी के अलावा कुछ अन्य अधिकारियों को **<u>हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट हॉटस्पॉट</u>** प्रदान किए गए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी से इन सभी सलाहकारों ने दैनिक संचार को कागज से इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्थानांतरित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप समय और संसाधनों की बचत होती है।
- **<u>सुरक्षित टेलीफोन नेटवर्क</u>** : आपकी कंपनी द्वारा शीर्ष प्रबंधन विशेष रूप से निदेशकों और सीवीओ के बीच गोपनीयता और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक इंटरनल क्लोज्ड टेलीफोन नेटवर्क बनाया गया है।
- **<u>डीटीएच सेवा</u>** : एक उबाऊ जगह होने के कारण आपकी कंपनी ने एमसीएल मुख्यालय में कर्मचारी के मनोरंजन के लिए, मुख्यालय के जागृति विहार और आनंद विहार दोनों में कर्मचारियों और अधिकारियों के आवास और अन्य स्थानों जैसे

गेस्ट हाउस आदि में लगभग 700 कनेक्शन से अधिक डीटीएच सेवाएं प्रदान की जाती है और विभाग द्वारा उसकी व्यवस्था और रखरखाव किया जाता है।

- आपकी कंपनी द्वारा तीव्र और सुरक्षित संचार के लिए सभी भूमिगत परियोजनाओं में **भूमिगत संचार प्रणाली** स्थापित की गई है। विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में पर्यावरण टेली-निगरानी प्रणाली का भी अनुरक्षण किया जा रहा है और इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली** : मुख्य प्रबंधन कार्मिक द्वारा त्वरित और सहयोगी निर्णय लेने को सक्षम करने तथा समय और लागत की बचत हेतु सीआईएल के निजी नेटवर्क के साथ-साथ इंटरनेट (सार्वजनिक नेटवर्क) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा एमसीएल मुख्यालय, संबलपुर और एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर में एक एंटरप्राइज़ ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। यह प्रणाली लाइसेंस प्राप्त उद्यम ग्रेड मल्टी कांफ्रेंस यूनिट और एमसीएल के क्लाइंट सर्वर पर चलती है, जो संसाधनों की गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करती है। आपकी कंपनी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ एमसीएल के भुवनेश्वर और कोलकाता कार्यालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं।

24. अनुषंगी उद्योगों का विकास

एमसीएल स्थानीय उभरते उद्यमियों को आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया के माध्यम से एसवी-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भंडार/उपभोग्य/मरम्मत आदि के क्षेत्रों में राजस्व द्वारा पर्याप्त हिस्सेदारी के द्वारा उन्हें एक स्थायी व्यवसाय प्रदान करता है।

उपरोक्त कारणों के लिए एमसीएल की पूर्ण एमएसएमई-सहायक विकास प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है :

- ओड़िशा राज्य के भीतर अपने परिचालन क्षेत्राधिकार में छोटे पैमाने पर उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने और उनके विकास के लिए अनुमति देता है और सभी प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- राज्यों के उद्योग निदेशालय और डी.आई.सी. की सहायता से एमसीएल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात प्रतिस्थापन, पुर्जों की उपलब्धता में सुधार करना।
- बढ़ी हुई स्व-रोज़गार की संभावना को बनाने और राज्य के क्षेत्रीय युवा जनसंख्या के बीच आत्मनिर्भरता के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक मानक को पाने की नई गतिशीलता तक पहुंचने के लिए इस राज्य के आम जनता की समृद्धि और देश के औद्योगिक मानचित्र में इस राज्य की उन्नति और एमएसईएस के साथ एससी/एसटी एमएसईएस के औद्योगिक उत्पादों का समायोजन।

कंपनी की स्थापना के बाद से एम.सी.एल. ने ओड़िशा के एम.एस.ई. की मदद और विकास का कार्य किया है। एम.एस.ई. इकाइयों को विभिन्न उपभोग्य पुर्जों/वस्तुओं और सेवा से संबंधित नौकरियों के लिए निविदाएं प्रदान की गई हैं, जो एम.सी.एल. के इंजीनियरिंग और खनन खंड में शामिल उत्पादन प्रक्रियाओं से सीधे जुड़ी हुई हैं।

इसके अलावा अपने क्रियात्मक प्रयासों को जारी रखते हुये एमसीएल उन सहायक इकाईयों को स्थायी व्यवसाय दे रहा है जो गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आपूर्ति और शीघ्र वितरण कार्यक्रम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार द्वारा चिन्हित एम.एस.ई के लिए 358 सामग्री आरक्षित हैं। भारत में विशेष रूप से केवल एम.एस.ई. से सामाग्री खरीदे जाते हैं और इसके लिए एक विशिष्ट एन.आई.टी. भी तैयार की जाती है।

एमसीएल लगातार सहायक इकाईयों के साथ निरंतर सामंजस्य बनाये रखता है और समय-समय पर संवादात्मक सत्रों/बैठकों का आयोजन करके उनकी शिकायतों का निवारण करने की कोशिश कर रहा है। यह सत्य है कि वित्त वर्ष 2019-20 में एमसीएल

ने राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर वेंडर डेवल्पमेंट प्रोग्राम सह बी2बी के कुल 07 (सात) कार्यक्रमों में भाग ले चुका है जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:-

i. आई.सी.सी. द्वारा आयोजित दिनांक-11.04.2019 को भुवनेश्वर में **एम.एस.एम.ई. शिखर सम्मेलन-2019** का आयोजन किया गया। इस उदेश्य हेतु एमसीएल द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में जी.एस.टी. सहित रु.100,000.00 (केवल एक लाख) व्यय किए गए।

ii. 11 और 12 अगस्त, 2019 को भुवनेश्वर में **"ओड़िशा एम.एस.एम.ई. मीट-2019"** का आयोजन ओ.ए.एस.एम.ई. द्वारा किया गया। इस उदेश्य हेतु एमसीएल द्वारा वित्तीय सहायता के रुप में जी.एस.टी. सहित रु. 200,000.00 (केवल दो लाख रुपये) व्यय किए गए।

iii. एमसीएल द्वारा दिनांक-13.09.2019 को तालचेर में "**वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंटरैक्शन मीट विथ एमसीएल**" का आयोजन किया गया।

iv. एमसीएल द्वारा दिनांक-04.11.2019 को भुवनेश्वर में **एस.सी./एस.टी.** उद्यमियों के लिए "**वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटरैक्शन मीट**" का आयोजन किया गया।

v. ओड़िशा सरकार द्वारा दिनांक-8 जनवरी से 12 जनवरी, 2020 तक "**ओड़िशा एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2020"** यूनिट-**III** में, आईडीसीओ प्रदर्शनी ग्राउंड, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इस आयोजन में एमसीएल द्वारा रु 500,000 (पांच लाख रुपये मात्र) व्यय किए गए।

vi. भारत सरकार ओर ओ.ए.एस.एम.ई. द्वारा दिनांक-22 जनवरी, 2020 को संबलपुर में **"गवर्नमेंट –ई- मार्केट (GeM)** और विक्रेता विकास कार्यक्रम" पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस आयोजन में एमसीएल द्वारा जी.एस.टी. सहित रु. 80,000 (अस्सी हजार रूपये मात्र) व्यय किये गए।

vii. भारत सरकार द्वारा दिनांक-13 से 15 मार्च, 2020 तक **नेशनल लेवल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम-कम - इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन एंड बायर्स सेलर्स मीट"** चौलीगंज क्लब ग्राउंड, नियर ओएमपी स्क्वायर, कटक में आयोजित किया गया। इस आयोजन में एमसीएल द्वारा जीएसटी सहित रु. 200,000 (दो लाख रूपये मात्र) व्यय किए गए।

एमसीएल द्वारा अपनाई गई नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

भारत सरकार के सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई आदेश 2012 के अनुसार सार्वजनिक खरीद नीति का कार्यान्वयन 2015-16 से अनिवार्य हो गया है। एमसीएल ने जुलाई, 2013 से प्रभावी मौजूदा सहायक नीति को तैयार और कार्यान्वित कर लिया था। एमएसईएस और अनुषंगी उद्योग के लिए एमसीएल द्वारा अनुसरित नई खरीद नीति एमसीएल पोर्टल में सहायक और एमएसई के शीर्ष(http://www.mahanadicoal.in/About/pdf/ANCILLARY_ POLICY.pdf) पर उपलब्ध है।

– सूक्ष्म और लघु उद्योग द्वारा उत्पादित कुल वार्षिक उत्पादों और सेवाओं की कम से कम 25 प्रतिशत की खरीद की जाएगी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों से वार्षिक खरीद के 25 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत (अर्थात 25 प्रतिशत में से 5 प्रतिशत) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदे जाएंगे। हालांकि, ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्योग की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा आवश्यकताओं और एल-। मूल्य को पूरा करने की विफलता की स्थिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए निर्धारित 4% उपलक्ष्य को अन्य सूक्ष्म और लघु उद्योग से खरीदा जाएगा। इसके अलावा 25 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत भी महिला उद्यमी के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदे जाएंगे।

– निविदा में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योग, एल-I+15 प्रतिशत के प्राइस बैंड के भीतर कीमत का हवाला देते हुए उनकी कीमत एल-I से कम कर ऐसी स्थिति में आपूर्ति की अनुमति दे सकते हैं जहां एल-I मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्योग के अलावा अन्य एंटरप्राइजेज दे और ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्योग को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।

– वर्तमान व्यापार करने के लेन-देन की लागत को कम करने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निविदा का सेट नि:शुल्क देकर, बकाया धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर सहायता प्रदान की जाएगी।
– सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 358 मदों की खरीद, जिसे उनसे विशेष खरीदारी के लिए आरक्षित किया गया है, नई नीति के कार्यान्वयन के लिए एक मानक एनआईटी पहले से ही कार्यान्वित कर दी गई है जहां केवल एमएसई फर्म ही भाग ले सकते हैं सूक्ष्म और लघु उद्यम कंपनियों के अलावा कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  यह बताया जा सकता है कि एमसीएल के पास निविदा 2.00 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य वाले निविदाओं के लिए ई-निविदा की नीति है। एमएसई सहित सभी के लिए खुला है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

एमसीएल की वार्षिक खरीद और पिछले तीन वर्षों के एमएसई से खरीद का % नीचे दिया गया है:

		2017-18	**2018-19**	**2019-20**
1	कुल वार्षिक खरीद (लाख में)	9460.00	8181.00	7246.00
2	सूक्ष्म और लघु उद्यम से कुल खरीद (लाखों में)	5621.76	3272.43	3639.74
3	कुल खरीद में एमएसई से खरीद का %	59.42	40.00	50.22

एमसीएल ने वित्त वर्ष 2019-20 में कुल वार्षिक खरीद का 50.22 % एमएसई से खरीदा है और न्यूनतम 25% लक्ष्य को लगातार प्राप्त कर रहा है और भविष्य में इस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पॉलिसी में एमएसई द्वारा उत्पादित या प्रदान किए गए उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद के 25% को प्राप्त करने की जरूरत है, जो सफलतापूर्वक हासिल की गई है। एमसीएल, खरीद प्रक्रिया की निगरानी, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोलीदाताओं के डाटाबेस को अद्यतन, 25% लक्ष्य को हासिल करने और सुधार करने के लिए हितधारकों के साथ परसस्पर विचार विमर्श कर रहा है।

25. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)

औद्योगिक संबंध :

अग्रणी औद्योगिक संस्थान के रूप में कंपनी ने संस्थान में सौहार्दपूर्ण कार्य का वातावरण बनाने के लिए अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ स्वस्थ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखा है। हमारी कंपनी ने बाह्य एजेन्सियों तथा खनन क्षेत्रों के नजदीक के ग्रामीणों से भी मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखा है।

उच्च विकास के लिए प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध ही एक धुरी (Pivotal) है और कंपनी सदैव उत्तम औद्योगिक संबंध को बनाए रखने पर ज़ोर देती है। इस वर्ष भी कंपनी ने त्रिस्तरीय औद्योगिक संबंध अर्थात इकाई स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा कॉर्पोरेट स्तर पर कायम रखने में सफलता प्राप्त किया। मुद्दों एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन(डेलिगेशन आफ पावर) के आधार पर कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को विभिन्न स्तर पर औद्योगिक संबंध प्रणाली द्वारा सुलझाया जाता है।

विभिन्न राजनीतिक दलों के आव्हाहन पर दिनांक 23 से 25 सितंबर,2020 तथा 8 जनवरी 2020 को कोल इंडिया के सेंट्रल ट्रेड यूनियनों द्वारा किए गए दो "भारत बंद" के अलावा औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण रहे। इसके अलावा वर्ष 2019-20 के दौरान कोई हड़ताल नहीं हुई जो प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है।

कार्यरत सभी चार श्रम संगठनों द्वारा प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय औद्योगिक संबंध बनाये रखने के लिए किए गये प्रयास बहुत ही सराहनीय है।

सहभागी प्रबंधन :
प्रबंधन के साथ एक निश्चित स्तर तक दैनंदिन कार्यों के साथ-साथ कार्पोरेट प्लानिंग में निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी कॉर्पोरेट लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग बनाती है। आपकी कंपनी एमसीएल कंपनी ने सहभागिता प्रबंधन के मूल्यों को जानते हुए इसके आरंभ से ही इस सिद्धांत को अपनाया है।

जेसीसी और वेलफेयर बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का नामांकन परिचालित ट्रेड यूनियनों द्वारा (आईआर प्रणाली के तहत शामिल) किया जाता है। उल्लेखित द्विपक्षीय फोरम के अलावा क्षेत्र के साथ-साथ कारपोरेट स्तर पर भी त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां कार्य कर रही हैं जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा नामांकित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उपरूल्लेखित द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां विशेष निर्णय लेने और समस्याएं सुलझाने में प्रबंधन की सहायता करने में सक्रिय हैं।

एमसीएल न केवल सहभागिता प्रबंधन के जरिए ही नहीं बल्कि राजभाषा पखवाड़ा, सुरक्षा सप्ताह, गुणवत्ता पखवाड़े इत्यादि मे सहभागिता के अवसर पर वाद-विवाद और संगोष्ठी जैसी श्रेष्ठ कार्यों में शामिल होकर कार्य संस्कृति, सौहार्दपूर्ण परिवेश और निष्ठा विकसित करने में विश्वास रखता है।

आपकी कंपनी लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व को समझती है और अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों के निपटान के लिए विशेष ध्यान देती है। महिलाओं के उन्नति एवं विकास के लिये एमसीएल विप्स (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) फोरम के माध्यम से महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं सेमिनार के द्वारा उन्हें सूचना एवं विचारो के आदान प्रदान के लिये मंच उपलब्ध कराता है ताकि वे अवसरों का सर्वोतम उपयोग अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रभावी रुप से आगे बढ़ सके।
कंपनी में 2019-20 में कंपनी स्तर/क्षेत्र स्तर/परियोजना स्तर पर औद्योगिक संबंध , कल्याण, सुरक्षा, जेसीसी इत्यादि से संबंधित नियमित बैठकें हुईं जिसमें कर्मचारी कल्याण, सुरक्षा और कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित विभिन्न मामलों पर यूनियन प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और समरस्याएं मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाई गईं। चर्चा के दौरान, कार्य प्रक्रियाओं के सुधार और संगठन के दैनंदिनी कार्यों में सुधार के लिए अनेक नए विचार और सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र/मुख्यालय पर कोल इंडिया अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सी.आई.एस.टी.ई.ए) के साथ बैठक भी की गई जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और उन्हें मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाने हेतु कार्यवाही की गई।
एससी/एसटी संघ का एक सदस्य इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय स्तर की निम्नलिखित फोरम में शामिल किया गया जो सहभागिता प्रबंधन की ओर एक अच्छा कदम है :-

i) आवास आबंटन समिति
ii) क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार समिति
iii) कॉर्पोरेट संयुक्त सलाहकार समिति

25.3 **प्रशिक्षण तथा विकास**

तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य के साथ तालमेल रखते हुए कंपनी अपने कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रबंधकीय कौशल के विभिन्न पहलुओं में सतत प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के प्रक्रिया के माध्यम से विकसित करने का प्रयास करती रही है। प्रशिक्षण हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट नीति का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें मानव संसाधनों के विकास को संगठनात्मक विकास की कुंजी के रूप में शामिल किया गया है।

कार्यनीति योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए तीन प्रबंधन संस्थानों- प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान(एमटीआई), बुर्ला; बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान(बीटीआई) लखनपुर क्षेत्र; खनन इंजीनियरिंग एवं उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान(एमईईटीआई), केंद्रीय

कर्मशाला,तालचेर तथा पाँच ग्रुप वोकेशनल/वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर (जीवीटीसी) क्रमश: जगन्नाथ क्षेत्र, तालचेर, लखनपुर, ओरियंट और बसुंधरा क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के प्रयासो को एकीकृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक मानव संसाधन विकास योजना पर कार्य किया जाता है।

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए प्रशिक्षण विवरण

1. आंतरिक प्रशिक्षण - एमटीआई, बीटीआई, एमईईटीआई और जीवीटीसी

क्र.सं.	कर्मचारी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1.	अधिकारी	246	395
2.	पर्यवेक्षक	789	569
3.	श्रमिक	5797	6162
	कुल	6832	7126

2. बाह्य प्रशिक्षण विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1.	अधिकारी	741	644
2.	पर्यवेक्षक	50	50
3.	श्रमिक	61	12
	कुल	852	706

3. कुल प्रशिक्षण (आंतरिक और बाह्य)

क्र.सं.	कर्मचारी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1.	अधिकारी	987	1039
2.	पर्यवेक्षक	839	619
3.	श्रमिक	5858	6174
	कुल	7684	7832

4. वर्ष 2018-19 और 2019-20 में प्रशिक्षण प्राप्त मानव दिवस

क्र.	कर्मचारी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1.	अधिकारी	5523	4094
2.	पर्यवेक्षक	4438	3177
3.	श्रमिक	59422	60712
	कुल	69383	67983

2019-20 में 33.33% के लक्ष्य के मुकाबले 35% कर्मचारियों को कौशल उन्नयन अपग्रेडेशन प्रशिक्षण दिया गया है।

5. **विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को इंटर्नशिप प्रशिक्षण**

क्र.	विद्यार्थी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1.	खनन अभियंता	146	102
2.	खनन डिप्लोमा	756	437
3.	बी टेक	98	93
4.	एमबीए	91	71
5.	अन्य	73	38
	कुल	1164	741

6. **एमसीएल बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया**

क्र.	वर्ष	प्रशिक्षण की संख्या	भारत में	विदेश में
1.	2018-19	शून्य	शून्य	शून्य
2.	2019 -20	शून्य	शून्य	शून्य

7. **विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम**

क्र.	कर्मचारी	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20
1.	परियोजना प्रबंधन	11	16
2.	संविदा प्रबंधन	9	02
3.	जोखिम प्रबंधन	4	23
4.	पर्यावरण, वन प्रबंधन और भूमि अधिग्रहण	12	23
5.	सिम्युलेटर प्रशिक्षण	17	28

8. **एमटीआई, बीटीआई और एमईईटीआई में एक दिन/दो दिन का लघु कार्यक्रम/कार्यशाला/संगोष्ठी**

	2018-19	प्राप्त मानव दिवस	2019-20	प्राप्त मानव दिवस
अधिकारी	582	867	1448	1857
पर्यवेक्षक	132	261	409	443
श्रमिक	120	216	351	402
कुल	834	1344	2208	2702

9. **वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी एमओयू पैरामीटर और प्रशिक्षण लक्ष्य / उपलब्धियां का विवरण**

क्र.	पैरामीटर का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीडबल्यूएआई, एएससीआई आदि में कुल अधिकारियों के 05 % अधिकारियों को कम से कम एक सप्ताह/पांच दिन या उससे अधिक का कौशल प्रबंधन और व्यवसाय प्रगति प्रशिक्षण कार्यक्रम	90	107
2.	कार्य संतुलन के साथ-साथ नेतृत्व विकास के लिए महिला कर्मचारियों के लिए कम से कम 15 पहल	15	20

12. **प्रशिक्षु अधिनियम**, 1961 (**संशोधित** 2016) **के तहत प्रशिक्षण देना**

क्र.	वर्ष	आईटीआई से उत्तीर्ण छात्रों की अप्रेंटिस के रूप में संलग्न सं. (एनएपीएस के माध्यम से)	पीडीपीटी की संलग्न सं. (एनएटीएस के माध्यम से)	पीजीपीटी की संलग्न सं. (एनएटीएस के माध्यम से)	कुल
1.	2018-19	705	145	03	853
2.	2019-20	747	219	18	984

<u>नई पहल</u>

1. एनएटीएस के तहत एमसीएल कर्मचारियों / पूर्व कर्मचारियों के लड़कों/लड़कियों के लिए पीडीपीटी प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त **50** सीटों का अनुमोदन हो चुका है तथा एमसीएल की भूमिगत खानों में उनके प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है। उनकी जांच और चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लॉकडाउन **"कोविड-19"** अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

2. एमसीएल में एचईएमएम ऑपरेटरों की कमी है और कैटेगरी-**I** श्रमिकों की अधिकता है। डम्पर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर और पे लोडर ऑपरेटर की कमी को दूर करने और अधिशेष केटेगरी-**I** कर्मचारियों के लाभकारी उपयोग के लिए एमसीएल के नवनियुक्त कैटेगरी-**I** को डम्पर/पे लोडर, क्रेन ऑपरेटर (प्रशिक्षु) के रूप में पदावनति के लिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद दिनांक 10.03.2020 को उनके हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। जांच और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा।

<u>प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, संबलपुर, बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान, बेलपहाड़/खनन इंजीनियरिंग तथा उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान, तालचेर</u>

<u>प्रशिक्षण पाठ्यचर्या</u>:

क. <u>अधिकारी विकास कार्यक्रम</u> :-

सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम : अधिकारियों के प्रबंधन कौशल एवं कार्यनिष्पादन को बढ़ाने हेतु।

कार्यात्मक और क्रॉस कार्यात्मक कार्यक्रम: अन्य विभाग के कार्य के संबंध में ज्ञान विकसित करने के लिए।

कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल एवं सुगमतापूर्वक कार्यकलाप हेतु।

ख. <u>पर्यवेक्षक कार्यक्रम :-</u>

पर्यवेक्षक विकास कार्यक्रम: ज्ञान व कौशल उन्नयन हेतु ।

पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा प्रबंधन : पर्यवेक्षकों में सुरक्षा जागरुकता विकसित करने हेतु।

कैरियर संवर्धन के लिए ओवरमैन व माइनिंग सरदार के कंपिटेंसी सर्टिफिकेट परीक्षा हेतु कोचिंग क्लास।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम : सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु।

ग. <u>श्रमिकों हेतु कार्यक्रम</u>:-

श्रमिक विकास कार्यक्रम: श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु।

एचईएमएम प्रशिक्षण: उचित प्रशिक्षण के बाद विभिन्न खदानों मे पदस्थापना के लिए भू-विस्थापितों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना गया है।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम : सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु।

प्रबंधन प्रशिक्षण<u>:</u>

प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को संगठनात्मक विकास के विभिन्न प्रबंधकीय और व्यवहारिक पहलुओं में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला में समय-समय पर कंपनी की आवश्यतानुसार विभिन्न विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा कुछ अधिकारियों को विभिन्न बाह्य संगठनों जैसे आई.आई.सी.एम. रांची, आई.आई.एम., आई.आई.टी.,एन.आई.टी. एवं भारत तथा विदेश के अन्य प्रख्यात् प्रशिक्षण केन्द्रों में नए कौशल हासिल करने और ज्ञान को अद्यतन करने के लिए भेजा जाता है।

तकनीकी प्रशिक्षणः

खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार जी.वी.टी.सी. में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य तेजी से आगे बढ़ रही तकनीकी के साथ श्रमिकों/ऑपरेटरों/मैकानिकों के तकनीकी कौशल को बढ़ाने हेतु किया जाता है। जी.वी.टी.सी. में श्रमिकों को निम्नवत प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। जी.वी.टी.सी. में सभी प्रशिक्षण वैधानिक प्रकृति की होती है।

बुनियादी पाठ्यक्रम:

इस प्रशिक्षण का मूल उद्धेश्य नवनियुक्त श्रमिकों को खनन गतिविधियों, नियमों और विनियमों तथा प्रौद्योगिकियों से परिचित कराना है।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

ये कार्यक्रम पांच साल में एक बार उन लोगों के लिए आयोजित किए जाते हैं जो पहले से ही बुनियादी पाठ्यक्रम से गुजर चुके हैं और खानों में कार्यरत् हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य श्रमिकों के तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना तथा उसे अद्यतन करना है, ताकि उन्हें अधिक कुशल बनाया जा सके।

विशिष्ट पाठ्यक्रमः

इन कार्यक्रमों के तहत् श्रमिकों को प्रौद्योगिकी में बदलाव, नौकरी प्रोफाइल में बदलाव, उपकरण विन्यास/क्षमता में परिवर्तन और उत्पादन प्रणाली में सुधार के मामलों की जानकारी दी जाती है।

25.5 मनोरंजक गतिविधियां -

टीम भावना को प्रेरित करने और कर्मचारियों के बीच आपसी भावना के विकास को ध्यान में रखते हुए एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों सहित मुख्यालय में नियमित रूप से विभिन्न सामाजिक व मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न अंतर्क्षेत्रीय टूर्नामेंट के आयोजनार्थ प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स-कैलेंडर बनाए जाते हैं। सीआईएल स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार सीआईएल की विभिन्न अनुषंगियों में आयोजित सीआईएल टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए टीम प्रतिनियुक्त किया गया। कोल इंडिया स्थापना के साथ-साथ एमसीएल के स्थापना दिवस के अवसर पर एमसीएल मुख्यालय में पुरूषों, महिलाओं व बच्चों के लिए उत्कृष्टता हेतु दौड़ का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इन दोनों अवसरों पर सभी प्रतिभागियों को नारे व लोगो सहित टी-शर्ट व कैप प्रदान किया गया। 01 अप्रैल से लेकर 03 अप्रैल, 2019 के दौरान उत्कल दिवस से एमसीएल स्थापना दिवस आदि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोल्फ टूर्नामेंट तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का क्रम जारी रहा। खनिक दिवस आयोजन 2019 के दौरान सर्वोत्तम खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। एमसीएल महिला मंडल ने एमसीएल परिधि के आस-पास परोपकारी कार्य किए। विभिन्न संस्थाओं को अपने क्षेत्रों में मनोरंजक व सामाजिक गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई। एमसीएल मुख्यालय के हमारे कर्मचारियों साथ-साथ दोनों कोयलांचलो(तालचेर एवं ईब कोलफील्ड्स) की सांस्कृतिक उन्नति के लिए, हमने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु 99,73,710.00/- की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हमारे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रचार जैसी गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है।

25.5.1 शिक्षा :

एमसीएल ने कोयला खदानों के आस-पास चल रही शैक्षिक संस्थाओं, 17 निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है । हमारे बच्चों के लिए अच्छी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एमसीएल में 09 डीएवी पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से बालिकाओं के लिए डीएवी गर्ल्स हाई स्कूल तथा सभी डीएवी स्कूल में स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान शामिल है। वर्ष 2019-20 के दौरान, डीएवी पब्लिक स्कूलों के आवर्ती व्यय हेतु रू. 5165.54 लाख (राजस्व) तथा निजी स्कूलों को रू 98,06,800/- उपलब्ध कराए गए। उपर्युक्त के अलावा, आईजीआईटी, सारंग और ओएसएमई, क्योंझर (डिप्लोमा तकनीकी स्कूलों) में वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले हेतु 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

25.5.2 मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति –

सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार कर्मचारी के बच्चों का योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। 2019-20 के दौरान इस शीर्ष से रु 9,05,760/ - की राशि 551 मेधावी विद्यार्थियों (सभी कर्मचारी के बच्चे हैं) को प्रदान की गई ।

एमसीएल ने कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस और हॉस्टल का किराया देकर वित्तीय सहायता दी थी। वर्ष 2019-20 के दौरान 139 कर्मचारियों के बच्चों को इस योजना के तहत 41,63,395/- रुपये वितरित किए गए।

साफ-सुथरा आवास/सामाजिक सुविधाएं :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, साफ-सुथरे आवास के लिए राशि-42,12,61,000/- रु के विशेष बजट की स्वीकृति दे दी गई, जिसमें आवासीय भवन, सड़क और अन्य सहयोगी कार्यों, गैर आवासीय भवन और स्वच्छता इत्यादि शामिल हैं।

26. **राजभाषा**

वर्ष 2019-20 के दौरान एमसीएल में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियाँ

भारत सरकार की राजभाषा नीति को एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में लागू करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम / कैलेंडर तैयार किया जाता है और सभी कार्यक्रम कैलेंडर के अनुसार किए जाते है।

वर्ष 2019-20 के दौरान एमसीएल में निम्न कार्यक्रमो/गतिविधियों का आयोजन किया गया :

1. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:**

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठकें प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रों और मुख्यालय द्वारा की आयोजित जाती है। मुख्यालय द्वारा दिनांक 27.04.2019, 23.07.2019, 24.10.2019 और 28.01.2020 को आयोजित की गईं, जिसमें क्षेत्रों और मुख्यालय के विभागों में राजभाषा गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की गई और भारत सरकार के राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

2. राजभाषा कार्यशाला:

वर्ष 2019-20 में एमसीएल में कुल 38 राजभाषा कार्यशालाएं (स्वास्थ्य जागरूकता और तकनीकी संबंधी 02 विशेष कार्यशालाओं सहित) आयोजित की गई, जिसमें 1335 प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के नियम और विनियमों से परिचित कराया गया। प्रतिभागियों ने हिंदी में टिप्पणियां और मसौदा तैयार करने का अभ्यास किया। वर्ष 2018-2019 में 14 राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें विभिन्न संवर्ग के कुल 445 अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए।

3. राजभाषा (हिंदी) का प्रशिक्षण:

राजभाषा (हिंदी) प्रशिक्षण और परीक्षाओं का आयोजन हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार के अंतर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रों एवं मुख्यालय के कुल 114 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए है तथा वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 167 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए थे, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है: -

सत्र	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	कुल
2019-20	38	67	09	114
2018-19	45	43	79	167

कोल इंडिया लिमिटेड के परिपत्र के अनुसार सफल उम्मीदवारों को एक बार एकमुश्त नगद राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। इसके अलावा प्राज्ञ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एमसीएल द्वारा एकमुश्त नगद राशि के साथ-साथ उनके वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है।

4. कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण:

दिनांक 26-27 फरवरी, 5-6 मार्च तथा 13-14.मार्च 2020 को राजभाषा विभाग, एमसीएल, मुख्यालय द्वारा कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें एमसीएल के 41 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया, जबकि 2018-19 में 51 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

5. राजभाषा उन्मुखीकरण कार्यक्रम:

दिनांक 10.06.2019 से 14.06.2019 तथा 17.02.2020 से 21.02.2020 तक ईब वैली कोलफील्ड्स के बीटीआई, लखनपुर में 2 राजभाषा उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 43 प्रतिभागी उपस्थित हुए। इसी प्रकार दिनांक 01.07.2019 से 05.07.2019, 03.09.2019 से 07.09.2019, 16.12.2019 से 20.12.2019 और 10.02.2020 से 14.02.2020 तक एमईईटीआई,तालचेर कोलफील्ड्स में 04 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें तालचेर कोलफील्ड्स से कुल 144 प्रतिभागी उपस्थित हुए।

इस कार्यक्रम में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई :

प्रतिभागियों को विभिन्न प्रारूपों के नोटिंग ड्राफ्टिंग के सिद्धांत, कार्यालयीन कार्य के आवश्यकतानुसार उनका उपयोग, विभिन्न दस्तावेज तैयार करना, पाँचवाँ अक्षर, नाक से ध्वनि, बिन्दु और नुक्ता लेखन की कला और उनके उपयोग, कम्यूटर में उपलब्ध सुविधाएं जैसे यूनिकोड, वर्तनी जाँच, उच्चारण, तथा वाक्य संरचना, राजभाषा के प्रति हमारा कर्तव्य और ज़िम्मेदारी आदि से अवगत कराया गया ।

6. हिंदी दिवस/हिंदी पखवाडा:

दिनांक 14.09.019 को एमसीएल मुख्यालय तथा क्षेत्रों में हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री एल. एन. मिश्रा, वरिष्ठ सलाहकार, एमसीएल द्वारा किया गया । एमसीएल मुख्यालय/क्षेत्रों में 14 से 28 सितंबर, 2019 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। इस अवसर पर एमसीएल के कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध लेखन, वाद-विवाद, टिप्पण आलेखन तथा हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं स्कूली छात्र/छात्राओं के लिए सरस्वती शिशु मंदिर, बुर्ला में विशेष कार्यक्रम के रूप में निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

एमसीएल ऑडिटोरियम, जागृति विहार में दिनांक 28.09.2019 को हिंदी पखवाड़ा के समापन के अवसर पर प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को श्री बी. एन. शुक्ला, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

7. अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन:

एमसीएल में राजभाषा हिन्दी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा "अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन" का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019-20 में भी राजभाषा पखवाड़ा के समापन दिवस पर दिनांक 28.09.2019 को "अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

8. राजभाषा पुरस्कार योजना:

एमसीएल में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और गति प्रदान करने के लिए, **"एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना"** वर्ष 2015 में शुरू की गई है। कुल 09 में से 03 पुरस्कार क्षेत्रो को, 03 बड़े विभागों को और शेष 03 कंपनी मुख्यालय के छोटे विभागों को दिए गए । वर्ष 2018-19 के लिए सभी 9 पुरस्कार दिनांक 28.09.2019 को आयोजित राजभाषा पखवाड़ा-2019 के समापन समारोह के अवसर पर श्री बी. एन. शुक्ला,अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा प्रदान किए गए।

9. विश्व हिंदी दिवस:

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.01.2020 को श्री बी.एन. शुक्ला, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक(तक./संचालन), श्री केशव राव, निदेशक (कार्मिक) विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। श्री ए. के. सिंह महाप्रबंधक(खनन),मा.सं.वि. भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर एक राजभाषा संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। संकाय सदस्य के रूप में डॉ. संजय कुमार सिंह, राजेंद्र कॉलेज बलांगीर को आमंत्रित किया गया और उन्होंने सभा को संबोधित किया।

10. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संबलपुर की बैठकें:

वर्ष के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास),संबलपुर की दो छमाही बैठकों का आयोजन दिनांक 21.06.2019 और 27.11.2019 को एमसीएल मुख्यालय में हुआ। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक, प्रबं.प्रशि.सं./राजभाषा ने की ।

11. नराकास, राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता:

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संबलपुर के सभी सदस्य कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए "नराकास राजभाषा शील्ड" प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष 2019-20 में कुल 09 चयनित सदस्य कार्यालय को "नराकास राजभाषा शील्ड" से सम्मानित किया गया। दिनांक 27.11.2019 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सम्बलपुर की बैठक के अध्यक्ष महोदय द्वारा शील्ड प्रदान की गई।

राजभाषा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यालयों द्वारा नराकास अंतर-कार्यालय राजभाषा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दिनांक 21.06.2019 को आयोजित बैठक के अध्यक्ष द्वारा नराकास सदस्य कार्यालयों के प्रतिभागियों को कुल नौ पुरस्कार दिए गए।

12. पुस्तकों की खरीद:-

वर्ष 2019-20 के दौरान एमसीएल पुस्तकालय के लिए कुल रु. 74107.20/- की किताबें खरीदी गईं, जिनमें से हिंदी और ओड़िया पुस्तकों के लिए कुल रु. 55893.20 की पुस्तकें खरीदी गई, जो भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार 50% से अधिक अर्थात 75.42% है।

13. एमसीएल की वेबसाइट:

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

14. राजभाषा पोर्टल:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वेबसाइट में राजभाषा पोर्टल उपलब्ध है, जिसमें एमसीएल की राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को अद्यतन के रूप में देखा जा सकता हैं।

15. राजभाषा पत्रिका:

वर्ष 2019-20 के दौरान नराकास,संबलपुर की गृह पत्रिका "संबलप्रभा" के सातवें अंक का विमोचन दिनांक 21.06.2019 को एमसीएल मुख्यालय में आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सम्बलपुर की प्रथम बैठक के दौरान किया गया था।

27. भूमि/आर एंड आर

आपकी कंपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना प्रभावित / विस्थापित परिवारों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है जो इसकी आर एंड आर नीति में काफी स्पष्ट दिखाई देता है। एमसीएल ओड़िशा राज्य की आर एंड आर नीति का पालन करता है और 2019-20 के दौरान रोजगार / वार्षिकी के बदले 415 रोजगार / नकद मुआवजा प्रदान किया है और शुरुआत के बाद से कुल 16312 रोजगार/वार्षिकी के बदले में रोजगार/नकद मुआवजे प्रदान किया है । एमसीएल भूमि निकायों से संबंधित शिकायतों के निवारण की दिशा में आरपीडीएसी की सलाह पर काम कर रहा

है। भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़कों, सड़क प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों , डाकघरों, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों , पूजा स्थानों आदि के साथ पुनर्वास कॉलोनियां स्थापित कीगई हैं। एमसीएल कोलफील्ड्स में उपलब्ध मौजूदा अस्पतालों/ दवाखानों में मुफ्त में या 2.00 रुपये प्रति रोगी के मामूली शुल्क पर सभी आसपास के ग्रामीणों को ओपीडी सुविधा प्रदान करता है।

आपकी कंपनी ने प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करके खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण करती है। वर्ष 2019-20 के दौरान एमसीएल ने 664.81 हेक्टेयर भूमि का भौतिक कब्जा कर लिया है ।

28. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वर्ष 2019-20 में, कंपनी ने रु 156.5 करोड़ के वार्षिक सीएसआर बजटीय आवंटन के मुकाबले रु 165 करोड़ व्यय किए हैं।

इस वर्ष एमसीएल की 492 करोड़ की प्रमुख फ्लैगशिप परियोजना - मेडिकल कॉलेज-कम-अस्पताल के निर्माण पूरा हुआ। कंपनी 500 बिस्तर वाले अस्पताल और 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज के संचालन की प्रक्रिया में है।

पाइप्ड जलापूर्ति योजनाएँ कंपनी की सिग्नेचर सीएसआर परियोजनाएँ हैं, जहाँ कंपनी 74 करोड़ के निवेश के साथ तीन मेगा परियोजनाओं के माध्यम से तालचेर कोलफील्ड्स में 81 गाँवों में पाइप्ड पानी उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखती है। 2019-20 में 38.35 करोड़ का भुगतान किया गया है। एक परियोजना पूरी हो गई है और दो परियोजनाओं ने 2019-20 में क्रमशः 60% और 70% प्रगति दिखाई है।

एमसीएल ने 58 करोड़ की परियोजना लागत के साथ ओड़िशा के 232 रेलवे स्टेशनों के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रीफैब शौचालय परिसरों की स्थापना के लिए राइट्स और पूर्व तटीय रेलवे के साथ एक संयुक्त समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया।

भारत सरकार ने आकांक्षी जिलों के विकास में कॉर्पोरेट भागीदारी की अनुशंसा की है। 2019-20 में, एमसीएल ने स्कूली शिक्षा (5.30 करोड़) और स्वास्थ्य देखभाल (4.85 करोड़) के विषयगत क्षेत्र में आकांक्षी जिलों में 10.15 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी।

भारत सरकार ने सीएसआर का 60% व्यय स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की वार्षिक थीम पर व्यय किए जाने हेतु अनुशंसा की है। एमसीएल ने विषयगत क्षेत्रों पर 71% खर्च किया है।

वर्ष 2019-20 में गैर-लाभकारी संगठनों के साथ साझेदारी में किए गए दो ग्रामीण विकास परियोजनाओं में तेजी से प्रगति देखी गई।

क) 'ग्राम विकास' के साथ परियोजना 'मन्त्र': इस परियोजना का उद्देश्य झारसुगुडा और सुंदरगढ़ जिले के **5** ग्रामों में 364 घरों में पाइप लाइन से जलापूर्ति के साथ शौचालय और स्नानघर उपलब्ध कराना है।

ख) 'बीएआईएफ़' के साथ प्रोजेक्ट ‘सीसीडीपी-उत्थान': यह कृषि-उद्यान विकास और मवेशी पालन कार्यक्रम पर 20 करोड़ की 5 साल की स्थायी आजीविका परियोजना है। यह अंगुल, झारसुगुडा**,** संबलपुर और सुंदरगढ़ जिलों के 40 ग्रामों को लाभान्वित करता है।

वर्ष 2019-20 में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योगदान के लिए प्रदत्त राष्ट्रीय सीएसआर अवार्ड से कंपनी को सम्मानित किया गया है।

ओड़िशा राज्य में कॉर्पोरेट्स द्वारा सामुदायिक सेवा में कंपनी सबसे आगे रही है। कंपनी ने एक बुकलेट 'एनरिचिंग लाइव्स, इम्पैक्टिंग कम्युनिटीज़' प्रकाशित की है, जिसमें सीएसआर परियोजनाओं के उच्च प्रभाव को दर्शाया गया है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन किया है। अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ओ) और कंपनियों के नियम 9 (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 आवश्यक अस्वीकरण से संबंधित है। क़ानून द्वारा आवश्यक अनुलग्नक- I के रूप में संलग्न है।
आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन किया है। अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (o) और कंपनियों के नियम 9 (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के अनुसरण में, संविधि द्वारा वांछित आवश्यक विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

29. जेंडर बजट की व्यवस्था -

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि विकास के लाभों की पुरूषों के बराबर महिलाओं तक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग में जेंडर बजट व्यवस्थापन एक शक्तिशाली माध्यम है। नीति/कार्यक्रम निर्धारण, कार्यान्वयन तथा इसकी समीक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य को बनाए रखते हुए एमसीएल में यह मात्र एक लेखा कार्य न होकर एक सतत प्रकिया है। 31 मार्च 2020 को कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 2163 थी, जो एमसीएल के कुल कर्मचारियों की 9.84% थी।

एमसीएल ने अपनी सामाजिक त्वरित क्रिया के तहत हमेशा जेंडर बजट के मुद्दों पर कंपनी में और कंपनी के बाहर संवेदनशीलता दिखाई है और हर संभव प्रयासों द्वारा उन्हें संबोधित करने की कोशिश की है। कुछ उदाहरण निम्न है :

- एमसीएल में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका (विप्स) को सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देने के साथ विस्तृत प्रदर्शन व ज्ञान वर्धन हेतु कंपनी और बाहर के सेमिनारों और सम्मेलनों में इसके सदस्यों को भाग लेने की अनुमति देना।
- अपने कार्यबल के जेंडर विशिष्ट डाटाबेस का अनुरक्षण।.
- महिला कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई शिकायतों के उपयुक्त व समयानुसार निवारण के लिए शिकायत समिति गठित की गई है ।
- सीआईएल नियमावली तथा विनियमन के अनुसार योग्य महिला अधिकारियों को शिशु देखभाल अवकाश (सीसीएल) प्रदान करना।
- खान दुर्घटनाओं में मृत कर्मचारियों की पत्नियों के रोजगार हेतु आयु सीमा में छूट।
- महिला संबंधित मामलों के प्रतिनिधित्व तथा निवारण हेतु प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच होनेवाली औद्योगिक संबंध बैठकों में महिला कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

<u>कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण</u>

"कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी ने एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। इस नीति के तहत सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) शामिल हैं।

यौन उत्पीड़न

2019-20 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	1
2019-20 के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	:	शून्य

30. जनसम्पर्क

आपकी कंपनी अपनी संचार नीति में सक्रिय बनी हुई है जो समाज में उच्च प्रतिष्ठा की नींव है। जनसंपर्क टीम कंपनी के व्यवसाय संचालन, कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्य, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायीतव (सीएसआर) और साथ ही मीडिया प्रबंधन के माध्यम से जनता के लिए जानकारी की आवश्यकता के संबंध में सक्रिय, हितधारकों के लिए सुलभ और आपत्तियों का संचार समाधान प्रदान करने के लिए हमेशा उत्सुक है।

"संपर्क से समाधन" (संचार के माध्यम से समाधान) के आदर्श वाक्य पर खरा उतरने के लिए टीम जनसंपर्क ने हितधारकों को संगठन में होने वाली घटनाओं/स्पर्धाओं के संबंध में सूचित करने और अद्यतन रखने के लिए उपलब्ध संचार माध्यमों द्वारा सामाजिक गतिविधियों के साथ-साथ व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपने रुख को लगातार बनाए रखा। हम प्रेस, चौथा स्तम्भ को कंपनी के विभिन्न व्यवसाय-संबंधी तथा सामाजिक और विकास संबंधी पहलों को पूरा करने में सहायक मानते है।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी चौथे स्तम्भ के सदस्यों के साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवसायीक संबंध रखती है, जो वास्तव में समाज के कान और आंखें हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान टीम जनसंपर्क बड़े पैमाने पर संचार के लिए पारंपरिक और नए मीडिया उपकरणों का सफलतापूर्वक उपयोग कर कोल इंडिया की ब्रांडिंग के साथ-साथ स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने तथा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार संचार अभियानों में शामिल रही।

अपनी मुख्य संचार गतिविधियों के अलावा, जनसंपर्क विभाग ने राजभाषा के प्रचार में विशिष्टता हासिल की। विभाग ने मुख्यालय में बड़े विभागों की श्रेणी का प्रथम राजभाषा पुरस्कार जीता।

आपकी कंपनी ने ओड़िशा के साथ-साथ राज्य के बाहर भी विभिन्न प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया। चार दिवसीय 8 वें भोपाल विज्ञान मेले में कंपनी को "एक्संप्लेरी एक्ज़िबिट" के लिए प्रथम पुरस्कार हेतु चुना गया था।

प्रेस ब्यानों / विज्ञप्तियों की नियमित प्रकाशन के लिए पारंपरिक मीडिया के अतिरिक्त कंपनी का जनसंपर्क विभाग सोशल नेटवर्किंग साइट Facebook@/mahanadicoal; माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Twitter @/mahanadicoal; और ऑडियो-वीडियो चैनल YouTube@/MahanadiCoalfields पर हितधारकों के बीच बड़े पैमाने पर सूचना प्रसार के लिए कुशलता से सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है।

सोशल मीडिया स्पेस, विशेष रूप से किशोरों के बीच और अधिक पैठ जमाने के लिए आपकी कंपनी फ़ोटो और वीडियो साझा करने के लिए अब एंड्रॉइड आधारित सोशल प्लेटफॉर्म जिसे Instagram @/pro.mcl कहा जाता है, पर भी है ।
सोशल मीडिया दो-तरफ़ा संचार का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है जो कंपनी की गतिविधियों पर उनकी प्रशंसा और आलोचना को पोस्ट करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से प्राप्त प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक और प्रेरक रही है।

मुझे विश्वास है है कि पारंपरिक (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) मीडिया चैनलों के साथ-साथ बड़े पैमाने पर संचार के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सक्रिय उपयोग आपकी कंपनी की छवि को मजबूत करता रहेगा।

31. सामाजिक सुविधाओं पर पूंजीगत निवेश

31.03.2020 को 31.03.2019 को सामाजिक सुविधाओं पर पूंजी निवेश 31.03.2019 से 31.03.2020 का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	स्थाई आस्तियों का सकल मूल्य	
		31.3.2020 के अनुसार	31.3.2019 के अनुसार
1	भवन	574.86	550.56
2	संयंत्र और मशीनरी	88.06	77.75
3	फर्नीचर, फिटिंग और उपकरण	10.58	10.21
4	वाहन	7.73	6.71
5	विकास	10.23	10.29
	कुल	**691.46**	**655.52**

32. सतर्कता गतिविधियां और उपलब्धियां

एमसीएल के सतर्कता विभाग का मुख्य केंद्र, लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से, निवारक सतर्कता पर रहा है। उनकी मुख्य भूमिका कंपनी के कारोबारी लेनदेन में मानव हस्तक्षेप को कम कर भ्रष्टाचार से प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में व्यवस्थित सुधार का सुझाव देना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, एक निवारक, भविष्य सूचक और प्रथम सतर्कता उपायों के रूप में, विभिन्न क्षेत्र संचालन के साथ-साथ उचित प्रणाली और प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की पहचान के लिए सीवीओ के मार्गदर्शन में नियमित औचक निरीक्षण किया गया है।

1. **सतर्कता निवारक गतिविधियां :**

(क). **निरीक्षण:**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 35 औचक निरीक्षण और 09 नियमित निरीक्षण किए गए हैं। इस तरह के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र संचालन में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए प्रणाली / प्रक्रिया की सुव्यवस्था पर ध्यान देना रहा है।

(ख) **2019-20 के दौरान किए गए प्रणालीगत सुधार :**

व्यवस्थित सुधार लाने हेतु सतर्कता विभाग द्वारा 14 परामर्श जारी किए गए हैं।

2. दंडात्मक सतर्कता :

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जांच, पूछताछ इत्यादि के लिए गए सतर्कता मामलों का विवरण।
रेपोर्टिंग अवधि 01.04.2019 से 31.03.2020 तक :

विवरण		**01.04.2019 से 31.03.2020 तक मामलों की संख्या**	**शामिल कार्मिकों की संख्या**
(ए.)	कुल पंजीकृत सतर्कता मामलों की संख्या	15	93
(बी)	विभागीय कार्यवाही के लिए मामलों की कुल संख्या	07	05
(सी)	प्रमुख दंड कार्रवाई की संख्या	08	33
(डी)	लघु दंड कार्रवाई की संख्या	04	17
(i)	कुल मामले जिनमें जुर्माना लगाया गया	22	57
	i) प्रमुख	07	10
	ii) लघु	10	36
	iii) अन्य	05	11

3. कर्मचारियों का रोटेशन :

कंपनी में संवेदनशील पदों/विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रोटेशन की व्यवस्था है। वर्ष के दौरान, 215 कर्मचारियों को रोटेड किया गया।

4. सतर्कता मंजूरी :

वर्ष के दौरान, निदेशक, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी सहित 13,720 कर्मचारियों की पदोन्नति, परिवीक्षा, अधिवर्षिता मामलों से संबंधित सतर्कता अनापत्ति स्थिति कोल इंडिया लिमिटेड/, कोयला मंत्रालय/ मुख्य सतर्कता आयुक्त को प्रस्तुत किया गया।

5. <u>कोयला खानों में बेहतर निगरानी और अनुरक्षण के लिए आईटी और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग</u>

कोयला खानों एवं कार्यालयों में बेहतर निगरानी और अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित आईटी और अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है:

(i) जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वेहिकल ट्रैकिंग डिवाइज।
(ii) आंतरिक कोयला परिवहन टिपर्स और आरएफ़आईडी रीडर की आरएफआईडी टैगिंग।
(iii) सीसीटीवी निगरानी।
(iv) वेब्रिज और कनेक्टिविटी।
(v) कोलनेट का उपयोग।
(vi) **3** डी स्थलीय लेजर स्कैनर **(3** डीटीएलएस)।
(vii) एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली ।
(viii) मोबाइल एप्लीकेशन।

9. <u>सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2019 का आयोजन :</u>

केंद्रीय सतर्कता आयोग**,** नई दिल्ली के निर्देशानुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड**,** सम्बलपुर में दिनांक 28 अक्टूबर 2019 से 02 नवंबर 2019 तक मुख्यालय एवं इसके सभी क्षेत्रों एवं परियोजनाओं में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 (वीएडबल्यू**-2019)** मनाया गया। VAW-2019 से संबंधित गतिविधियाँ एमसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित की गईं:

1. एमसीएल कोरपोरेट मुख्यालय, सम्बलपुर
2. आनंद विहार, बुर्ला
3. संबलपुर शहर
4. बुर्ला टाउन
5. भुवनेश्वर, ओड़िशा
6. ईब वैली, झारसुगुडा
7. लखनपुर
8. ओरिएंट , ब्रजराज नगर
9. बसुंधरा, सुंदरगढ़
10. जगन्नाथ,अंगुल
11. तालचेर, अंगुल
12. कनिहा, अंगुल
13. लिंगराज, अंगुल
14. हिंगुला, अंगुल
15. भरतपुर, अंगुल

32. <u>ई-प्रोक्योरमेंट</u>

एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली दिनांक 15.08.2009 को शुरू की गई और यह प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही है और आज तक इस माध्यम से 20000 से अधिक निविदाएं को अंतिम रूप दिया गया हैं। एमसीएल इस वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर समाधान को लागू करके अत्यधिक लाभान्वित हुआ है। निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए समय में महत्वपूर्ण कमी आई है और यह निविदा प्रबंधन की प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता और सुविधा की आवश्यकता पर जोर देता है। विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा जमा बयाना राशि **(**ईएमडी**)** का प्रबंधन स्वचालित किया गया है और इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के बाद बोलीदाताओं को उनकी ईएमडी**,** बोली की अस्वीकृति के अगले दिन स्वतः वापस कर दी जाती है। बोलीदाताओं के लिए

बेहतर पारदर्शिता और सुविधा की वजह से संगठन के साख में वृद्धि हुई है। सिस्टम में निरंतर सुधार हैं और समय-समय पर नई सुविधाओं को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में वर्तमान नीति के अनुसार रु. 2.00 लाख और उससे अधिक की कीमत वाले निविदाओं को ई-प्रोक्योरमेंट मोड के माध्यम से अंतिम रूप दिया जा रहा हैं।

34. <u>एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)</u>

एमसीएल 1995 से आईएसओ/आईएमएस प्रमाणीकरण का अनुसरण कर रहा है और वर्ष 2012-13 में, एमसीएल का कंपनी-व्यापी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) आईएसओ 9001: 2008 - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ14001: 2004-पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएएस 18001: 2007 - व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली से मान्यता प्राप्त है, जो 3 साल की अवधि के लिए सभी लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करता है तथा 2019 में निम्नानुसार पूरी कर ली जाएगी। -

आईएसओ 9001: 2015: क्यूएमएस – संगठन के आंतरिक दक्षता तथा ग्राहकों के ध्यानकेन्द्रीयता को नियंत्रित करने हेतु
आईएसओ 14001: 2015 ईएमएस - संगठन के पर्यावरणीय की चिंताओं के प्रबंधन के लिए ओएचएसएएस 18001:2007
ओएचएसएमएस – संगठन की व्यावसायिक-स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं के प्रबंधन के लिए।

<u>वर्ष 2019-20 में आईएमएस कक्ष द्वारा जारी की गई गतिविधियां :-</u>

सीएमपीडीआईएल को आईएसओ मानकों के परामर्श और उन्नयन तथा प्रभावी कार्यान्वयन का कार्य सौपा गया था। इसके बाद सीएमपीडीआईएल ने एमसीएल अधिकारियों के साथ बैठकें और चर्चा सत्र आयोजित करके एमसीएल में आईएमएस का व्यापक अध्ययन किया

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा यानी आईएसओ 45001 के लिए नए प्रबंधन मानकों के प्रकाशन पर, सीएमपीडीआईएल ओएचएसएएस 18001 से आईएसओ 45001 तक आईएमएस मैनुअल के संशोधन मे लगा हुआ है।

आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 और आईएसओ 45001: 2018 का अनुपालन करने वाला नया आईएमएस मैनुअल, सीएमपीडीआईएल, रांची के परामर्श के साथ तैयार किया जा रहा है। निरर्थक विशेषताओं को मिलाकर और अप्रचलित आवश्यकताओं को खत्म कर नई नियमावली को शिथिल और आसान बना दिया गया है।
प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, अब तक क्षेत्रों / इकाइयों के 2 युवा अधिकारियों को आईआईसीएम रांची में प्रशिक्षण दिया गया है।

<u>आईएमएस का उद्देश्य -</u>

1. कंपनी की गुणवत्ता, आंतरिक क्षमता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक जवाबदेही और ऊर्जा निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थित और समान प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना।
2. विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयासों के दोहराव और लागत को दूर करना, जो कि अन्यथा असंबंधित और असंगत हो सकते हैं।
3. एक अच्छे प्रबंधन प्रणाली नेटवर्क और स्वस्थ कार्य वातावरण के तहत बेहतरीन कार्य संकृति, सतत संचालन तथा स्पष्ट परिभाषित भूमिकाओं के माध्यम से परिचालन विवाद समाप्त करना, उत्तरदायीतव, जवाबदेही, और अधिकार को शामिल करना
4. नियमित कार्य निश्चित करने के दौरान हानिकारक और गैर मूल्य युक्त संचालनों को कम करना, इसके फलस्वरूप संचालन के दौरान समय, लागत और संसाधनों की प्रत्यक्ष बचत तथा पर्यावरण और सामाजिक लागतों पर अप्रत्यक्ष बचत करना।
5. सभी इच्छुक पार्टियों में आत्मविश्वास पैदा करना।

ए) कोयले का खनन एवं आपूर्ति जो लगातार उपभोक्ता, नियामक निकाय एवं समाज की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

बी) पर्यावरण, व्यवसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा, समाज और ऊर्जा के संबंध में अपनी जिम्मेदारी के प्रति वचनबद्धता।

सी) सतत सुधार करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण।

डी) सभी विधिक एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन।

ई) कुछ अल्प अवधि की उपलब्धियों के स्थान पर स्थायी एवं सतत सुधार पर जोर देना।

भावी योजना : - 2020-21 में

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली के साथ कंपनी व्यापी पुनर्प्रमाणन जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001: 2015), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001: 2015) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001: 2018 या ओएचएसएएस 18001, 2007) का अनुपालन करती है।

35. औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की गई गतिविधियाँ -

सीआईएल में औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग की प्राथमिक भूमिका संसाधनों के क्षमता उपयोग के संदर्भ में कंपनी के लिए एक कार्य निष्पादन ढांचा प्रदान करना है। इस दिशा में प्रमुख कार्य, कार्य निष्पादन मानकों को तय करने और उत्पादकता में सुधार करने आदि में नई तकनीकों को लागू करने आदि के बारे में निर्णय लेना है। विभाग द्वारा 2019-20 के दौरान किए गए विभिन्न कार्य निम्नानुसार हैं : -

- एक्स सर्विसमेन और परियोजना प्रभावित लोगों (विक्रेता विकास योजना के तहत) को खान से कोयले की ढुलाई से लेकर प्रेषण प्वाइंट तक के लिए भुगतान किया गया।
- हमारे ग्राहकों से वर्ष में दो बार वसूले जाने वाले सरफेस परिवहन शुल्क (एसटीसी) की तैयारी।
- एमसीएल में कोयला निष्कासन, ओवरबर्डन हटाने और संबद्ध गतिविधियों के लिए दरों की अनुसूची तैयार करने की सुविधा, जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा की जा रही है।
- प्रोत्साहन की गणना के लिए कोलनेट प्रणाली का उपयोग करने के साथ-साथ एमसीएल की खुली खदान परियोजनाओं में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का गठन और कार्यान्वयन।
- सीएमपीडीआईएल मानदंडों के लिए विशिष्ट डीजल की खपत में सुधार करने के लिए एमसीएल की खुली खदान परियोजनाओं पर अध्ययन।
- ओवर टाइम आवर्स में कमी के रूप में लागत नियंत्रण के उपाय।
- कोयले के प्रेषण के लिए परिवहन मैट्रिक्स की तैयारी और कोयले के उत्पादन और प्रेषण के लिए एमसीएल के ओसीपी में उपलब्ध कार्यदल की पर्याप्त संख्या को बनाए रखना। एमसीएल की खुली खदान परियोजनाओं में चल रहे टिपरों की दैनिक शिफ्ट वार रिपोर्ट तैयार करना और उनकी निगरानी करना।

36. पुरस्कार और मान्यताएँ

1. हमारे रिकॉर्ड के अनुसार एम.सी.एल. को वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुये:

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को **राष्ट्रीय प्राथमिकता क्षेत्र: उप-श्रेणी- स्वास्थ्य, सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता** श्रेणी में योगदान हेतु राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार, **2018** से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह दिनांक **29-10-2019** को विज्ञान भवन**,** दिल्ली में कॉर्पोरेट मंत्रालय**,** भारत सरकार के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। श्री के. आर. वासुदेवन**,** निदेशक (वित्त/कार्मिक) और श्री बी साईराम, महाप्रबंधक (सीएसआर) ने माननीय

वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री, भारत सरकार से पुरस्कार ग्रहण किया। इस पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की गयी।

2. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने **सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए मिनी रत्न श्रेणी में "सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार**" जीता। यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित 30 वें राष्ट्रीय मीट फ़ोरम ऑफ़ वूमेन इन पब्लिक सेक्टर (WIPS) में प्रदान किया गया जिसे सुश्री कोमला वी. जावेद, उप-महाप्रबंधक (का-अधि.स्थापना)/समन्वयक, WIPS, एम.सी.एल. ने ग्रहण किया। WIPS की राष्ट्रीय बैठक जिसका विषय "पावर टू ट्रांसफॉर्म- डिसीजन टू एक्शन" था, का उद्घाटन तेलंगाना के महामहिम राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सुंदरराजन द्वारा किया गया।
3. महानदी कोलफील्ड्स को वर्ष 2018 के लिए दलाल स्ट्रीट इन्वेस्ट जर्नल द्वारा **मिनीरत्न श्रेणी में भारत के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (गैर-विनिर्माण)** के रूप में पुरस्कार प्राप्त हुआ।
4. एमसीएल ने ग्रीनटेक फाउंडेशन, नई दिल्ली का 18वीं वार्षिक संधारणीयता सम्मेलन 2019 में **ग्रीनटेक इंभायर्मेंटल पुरस्कार** जीता, जो **बसुंधरा(डब्लू) ओ.सी.पी. तथा अनंत ओ.सी.पी.** हेतु था।
5. एमसीएल को दिनांक 01-11-2019 को आयोजित कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह के दौरान वर्ष 2018-19 के लिए सहायक कंपनियों के बीच **पर्यावरण प्रबंधन हेतु प्रथम पुरस्कार** से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कोलकाता में दिनांक 01-11-2019 को 45वें कोल इंडिया स्थापना दिवस के अवसर पर, श्री प्रहलाद जोशी, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया।
6. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को वित्त वर्ष 2018-19 में कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों के बीच सी.एस.आर. में सबसे अधिक ऋणदाता होने के कारण **कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर. कॉर्पोरेट पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 01-11-2019 को कोलकाता में श्री प्रहलाद जोशी, माननीय केंद्रीय संसदीय मंत्री, कोयला और खान, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार श्री बी साईराम, महाप्रबंधक(सीएसआर) ने प्राप्त किया।
7. राउरकेला स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने ओड़िशा में खेल को बढ़ावा देने की दिशा में हमारे योगदान को मान्यता देते हुए "स्पोर्ट्स प्रमोशन एक्सीलेंस अवार्ड-2019" को प्रस्तुत किया है। कंपनी की ओर से यह पुरस्कार कल शाम राउरकेला में आयोजित एक समारोह में जनसंपर्क प्रमुख श्री डिकेन मेहरा ने प्राप्त किया।
8. एमसीएल को **8वें भोपाल विज्ञान मेले में एच.ई.एम.एम. के कामकाजी मॉडल के माध्यम से ओपन कास्ट कोल माइनिंग ऑपरेशंस दिखाने के लिए "एक्जम्प्लरी एक्ज़िबिट"** के लिए सम्मानित किया गया। एमसीएल के ईब वैली क्षेत्र के लजकुरा ओ.सी.पी. की टीम ने प्रदर्शनी में खनन कार्य प्रदर्शित किए। ये पुरस्कार मुख्य अतिथि श्री कप्तान सिंह सोलंकी, माननीय पूर्व राज्यपाल, त्रिपुरा और हरियाणा और श्री कमलेश्वर पटेल, माननीय मंत्री पंचायती राज और ग्रामीण विकास, म.प्र. सरकार द्वारा प्रदान किए गए।
9. एम.सी.एल. को **"ओड़िशा एम.एस.एम.ई. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला - 2020" के अगस्त के अवसर पर सी.पी.एस.ई. श्रेणी में उत्कृष्टता के पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है जिसे 8 जनवरी से 12 जनवरी, 2020 तक आई.डी.सी.ओ. प्रदर्शनी ग्राउंड, यूनिट- III, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। यह व्यापार करना, तेज और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया और MSEs के उत्थान के लिए एम.एस.एम.ई. सेक्टर के प्रति उत्कृष्टता के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद, मेक इन इंडिया पहल और देश के रोजगार का पूरक हैं।

36. लेखा परीक्षक

36.1 **सांविधिक लेखा परीक्षक**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के तहत वर्ष, 2019-20 के लिए निम्नलिखित लेखा परीक्षा फर्मों को सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षकों के रुप में नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षक	**शाखा लेखा परीक्षक**
सिंह राय मिश्रा एंड कंपनी	मेसर्स एस.सी.एम. एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	केशरी टॉकिज कॉम्प्लेक्स(प्रथम तल)
भुवनेश्वर	98, खरवल नगर, इकाई-III भुवनेश्वर, ओड़िशा-751001

36.2 **लागत लेखा परीक्षक**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियमवाली, 2014 के साथ पढ़ा जाए, के तहत कंपनी कोयला के खनन से संबंधित लागत लेखा परीक्षा का रिकॉर्ड रखती है, जिसका लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है।

आपके निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर (i) मेसर्स मनी एंड कंपनी, अशोक बिल्डिग, 111, साउदर्न एवन्यू, कोलकाता-700029 को कंपनी, मुख्यालय एवं ईब वैली कोलफील्ड्स तथा केन्द्रीय कर्मशाला (ईब वैली) के लिए वितीय वर्ष, 2019-20 के कुल लेखा परीक्षा शुल्क रु 6,00,000.00 (आई.सी.सी.एस. समीक्षा सहित) तथा ज़ेब खर्च रु3,00,000.00 (अधिकतम) लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू सेवा कर लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए मुख्य लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है तथा (ii) मेसर्स आशुतोष एंड एसोसिएट्स, कोस्ट एकांउटेंट, प्लॉट नं. एन4/232, प्रथम तल, आई.आर.सी. ग्राम, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751015, ओड़िशा को वर्ष, 2019-20 के लिए कंपनी की शाखा लागत लेखा परीक्षक के तौर पर केन्द्रीय कर्मशाला(तालचेर) सहित तालचेर कोलफील्ड्स के क्षेत्रों के लेखा परीक्षा लागत रिकॉर्ड पर कुल लेखा परीक्षा शुल्क रु 3,98,000.00 तथा ज़ेब खर्च रु1,99,000.00 (अधिकतम) तथा देय जी.एस.टी. के साथ लेखा परीक्षा शुल्क पर नियुक्त किया गया है।

36.3 **सचिवीय लेखा परीक्षक**

कंपनी लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (नियुक्त और प्रबंधन कार्मिक के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के तहत कंपनी ने मेसर्स देव महापात्र एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, भुवनेश्वर, ओड़िशा को वर्ष, 2017-18 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट को **अनुलग्नक** II में संलग्न किया गया है। .

37. सावधि जमा

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथापरिभाषित रूप में, लोगों से जमा के रूप में कोई राशि स्वीकार नहीं की है।

38. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) (यूएस) के तहत सूचनाओं का विवरण.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के प्रावधान के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी विनिमय के आय तथा व्यय से संबंधित सूचना इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक**-III में दी गई है।

39. निदेशक मण्डल

39.1 रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक बने रहे –

1.	श्री आर.आर. मिश्रा	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2.	श्री ओ.पी. सिंह	निदेशक (तकनीकी/प्रचालन)
3.	श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)
4.	श्री आर. के. सिन्हा	संयुक्त सचिव, कोल मंत्रालय
5.	श्री एस.एन. प्रसाद	निदेशक (विपणन),
6.	सुश्री सीमा शर्मा	स्वतंत्र निदेशक

39.2 रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति वर्ष के दौरान निदेशक नियुक्त हुए

1.	श्री बी.एन. शुक्ला	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक(14.06.2019 से प्रभावी)
2.	श्री के.के. मिश्रा	निदेशक(तकनीकी/योजना एवं परियोजना) (24.06.2019 से प्रभावी)
3.	श्री केशव राव	निदेशक(कार्मिक) (18.12.2019 से प्रभावी)
4.	श्री नागराजू मडिराला	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (17.03.2020 से प्रभावी)
5.	श्री एस. मोहन	स्वतंत्र निदेशक (10.07.2019 से प्रभावी)

39.3 रिपोर्ट के अंतर्गत निम्न व्यक्ति वर्ष के दौरान निदेशक पद से मुक्त हुएः

1.	श्री आर.आर. मिश्रा	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (14.06.2019 तक)
2.	श्री आर.के. सिन्हा	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (17.03.2020 तक)
3.	श्री एस.एन. प्रसाद	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (31.11.2019 तक)

40. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है कि आपकी कंपनी के निदेशकगण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसार निम्न विवरण प्रस्तुत किये गए हैं-

क) मार्च 31, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही एवं स्पष्ट जानकारी दी जा सके।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा निवारण हेतु कंपनी अधिनियम, 1956/ कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्डों के अनुरक्षण के लिए उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती है।

घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उन्नतशील व्यवसाय के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

ङ) उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कार्य कर रहे हैं और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी रूप से संचालित है। सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली कार्य कर रही हैं एवं वह पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से संचालित हैं।

41. निगमित शासन

इस रिपोर्ट के साथ निगमित शासन पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक- IV** में संलग्न है।

42. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एंव विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक** -V में संलग्न है।

43. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-VII** में संलग्न है।

44. लेखा परीक्षा समितिः

एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिपत्र संकल्प संख्या 20-(2019-20), दिनांक 02.12.2019 के तहत निम्नलिखित सदस्यों की समिति का पुनर्गठन किया गया हैः-

1.	श्री एस.मोहन, आई.डी.	-	अध्यक्ष
2.	सरकारी नामित निदेशक	-	सदस्य
3.	सी.आई.एल. नामित निदेशक	-	सदस्य
4.	सुश्री एस. शर्मा, आई.डी.	-	सदस्य
5.	निदेशक (तकनीकी/प्रचालन)	-	सदस्य
6.	निदेशक (वित्त)/सी.एफ.ओ.	-	आमंत्रित

44.1 **कार्यक्षेत्र**

पुनर्गठित समिति के प्रावधान के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में काम का दायरा और अधिकार निहित है, इसे कंपनी (बोर्ड और उसकी शक्तियों की बैठक) नियमावली, 2014 के साथ में पढ़ा जा सकता है।

लेखा परीक्षा समिति के पास एमसीएल के वित्तीय और अन्य आंकड़ें /जानकारी को प्राप्त किया जाता है। समिति द्वारा किए गए अवलोकन की सूचना एमसीएल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। समिति जितनी बार चाहे उतनी बार बैठक कर सकती है लेकिन एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करना अपेक्षित है।

46. लागत रिकॉर्ड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी के लागत रिकॉर्ड का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा दिनांक-01.04.2011 से निर्धारित किया गया है। कंपनी एकमात्र कोयले का उत्पादन करती है और कंपनी ओवरहेड सहित मदवार लागत के ब्यौरों के साथ रिकॉर्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की निरंतर एकीकृत प्रणाली है। इसका नियमित अंतराल पर लागत रिपोर्टों से मिलान किया जाता है।

47. समझौता-ज्ञापन मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में निष्पादन

लोक उद्यम विभाग(डी.पी.ई.), भारी उद्योग एवं लोक उद्योग, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एमसीएल और अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड के बीच वर्ष **2019-20** के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन पर एमसीएल का निष्पादन तैयार किया गया है। वर्ष **2019-20** के लिये आपके कंपनी का भौतिक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित समझौता ज्ञापन रेटिंग **"बहुत अच्छा"** रहा है।

48. **सीआईएल के अंशधारकों के लिए अनुषंगी लेखा**

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 08.02.2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 के तहत् एम.सी.एल. मुख्यालय में एम.सी.एल. का वार्षिक लेखा कोल इंडिया लिमिटेड के अंशधारकों की मांग पर जांच एवं संबंधित सूचना की जानकारी प्रदान करने हेतु उपलब्ध रहेगा।

49. **वार्षिक रिटर्न का निष्कर्षण:**

कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **92 (1)** और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम **12 (1)** के नियम, **2014**, वार्षिक विवरणी (फॉर्म संख्या एमजीटी -**9**) का निष्कर्षण अनुलग्नक **VII** के रूप में **isannexed**। अधिनियम की धारा **134 (3)** के अनुसार, एमजीटी **7** में वार्षिक विवरणी की प्रति निम्नलिखित लिंक में कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है: **https://www.mahanadicoal.in/Financial/annual_report.php**

50. **अभिस्वीकृति**

50.1 आपके निदेशकगण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण केंद्रीय सरकार तथा ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे सहयोगी संगठनों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए निदेशकों ने सधन्यवाद आभार व्यक्त किया है।

50.2 निदेशकों ने श्रमिक संगठन एवं अधिकारी संगठन से प्राप्त सहयोग एवं सभी स्तर के कर्मचारियों की दलगत भावना, मूल्यवान तथा निष्ठापूर्ण सेवा के लिए आभार व्यक्त किया है, जिससे कंपनी अपना लक्ष्य तथा सर्वांगीण अभिवृद्धि प्राप्त करने में सफल रही है ।

50.3 निदेशकों ने महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके निरंतर समर्थन, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया है, जिसके बिना कंपनी इतनी मजबूती से उभर नहीं सकती थी।

50.4 निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय तथा ओड़िशा के कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई सेवा की भी सराहना की है।

50.5 निदेशकों ने संबलपुर एवं ओड़िशा के कोयला क्षेत्रों में रहने वाले विशिष्ट नागरिकों को समय-समय पर दिए गए उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया है।

51. **<u>कार्यसूची</u>**

निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अधीन निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जाने वाली आवश्यक सूचनाएं।

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (नियुक्ति तथा प्रबंधन से जुडे कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के अनुवर्ती सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) तहते निदेशकों की रिपोर्ट में अनुपूरक।
3. लेखा परीक्षकों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रस्तुत किये गए रिपोर्ट।
4. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

ह/-

(बी. एन. शुक्ला)

सम्बलपुर — अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

तिथि : **18.08.2020** — (डीआईएन: 05131449)

मैं पुष्टि करता हूँ कि समीक्षाधीन वर्ष में सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचरण संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

ह/-

(बी. एन. शुक्ला)

सम्बलपुर — अध्यक्ष सह प्रबंध निदेश

तिथि : **18.08.2020** — (डीआईएन: 05131449)

अनुलग्नक -I

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (0) और कंपनी नियमावली, 2014 के (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम 9 के खंड के अनुपालन में]

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (0) और कंपनी नियमावली, 2014 के (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम 9 के खंड के अनुपालन में]

I. कंपनी की सी.एस.आर. नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें शामिल किए जाने वाले परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सी.एस.आर. नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।

एमसीएल की सी.एस.आर. नीति की संक्षिप्त रूपरेखाः

उद्देश्य:
एमसीएल की सी.एस.आर. नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के सतत विकास के लिए सी.एस.आर. को प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश देना है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर समाज के कल्याणकारी उपायों की गतिविधियों में सरकार की भूमिका को बढ़ाना है।

एमसीएल कार्यान्वयन हेतु ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों को अपनाकर एक अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में कार्य करेगा।

कार्य क्षेत्र :
सी.सी.आर. के क्षेत्र में समय-समय पर संशोधन के साथ एमसीएल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII का पालन करता है।

सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रः
एमसीएल के संबंध में, सी.एस.आर. गतिविधियों को पूरा करने के लिए बजट राशि का 80% परियोजना/ साइट/खानों/क्षेत्रीय मुख्यालय/कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में खर्च किया जाना चाहिए और बजट का 20% खर्च ओड़िशा के बाकी हिस्सों में किया जाएगा।

एमसीएल (मुख्यालय) के संबंध में, सी.एस.आर. को विस्तृत रूप से परिचालित जिलों सहित पूरे ओड़िशा में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

राशि का आवंटन:
तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय लाभ के लिए सी.एस.आर. का फंड कंपनी के औसत सकल लाभ के 2% के आधार पर आवंटित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार औसत शुद्ध लाभ की गणना की गई है।

एमसीएल की पूर्ण सी.एस.आर. नीति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। सी.एस.आर. नीति के लिए वेब लिंक : http://www.mahanadicoal.in/About/csrpolicy.php

II. सी.एस.आर. समिति का गठन

एमसीएल में तीन प्रकार की सी.एस.आर. समितियां हैं, जो नीचे दी गई हैं:

1. क्षेत्रीय स्तर की सी.एस.आर. समिति :

- क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक — अध्यक्ष
- क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक — सदस्य
- क्षेत्र के परियोजना अधिकारी — सदस्य
- स्टाफ ऑफिसर (सिविल) — सदस्य
- क्षेत्रीय वित्त प्रबंधक — सदस्य
- क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी — सदस्य
- स्टाफ ऑफिसर (ई. एंड एम.) — सदस्य
- स्टाफ ऑफिसर (एल. एवं आर.) — सदस्य

2. मुख्यालय स्तर की सी.एस.आर. समिति

- निदेशक(कार्मिक), एमसीएल — अध्यक्ष
- महाप्रबंधक (सी.एस.आर.), एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (सिविल), एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (वित्त), एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (पर्यावरण), एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (एल. एंड आर.), एमसीएल — सदस्य
- महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ. सं.), एमसीएल — सदस्य
- मुख्य चिकित्सा प्रमुख, एमसीएल — सदस्य

3. एमसीएल बोर्ड की सी.एस.आर. एंड एस.डी. उप-समिति एक बोर्ड स्तर की समिति है. इसके निम्नलिखित सदस्य हैं -

- निदेशक (वित्त) - अध्यक्ष
- कोल इंडिया लिमिटेड नामित निदेशक - सदस्य
- सुश्री सीमा शर्मा (स्वतंत्र निदेशक) - सदस्य
- निदेशक(तकनीकी/योजना एवं परियोजना) - सदस्य
- निदेशक(कार्मिक) - आमंत्रित

III. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत सकल लाभ बजट गणना

बजट गणना

सी.एस.आर. (वर्ष 2019-20) का कर पूर्व 3 वर्षों के लाभ की गणना

वर्ष	**राशि (रू करोड़ में)**
2016-2017	6854.72
2017-2018	7339.66
2018-2019	9281.08
कुल	23475.46
गत तीन वर्षों का (कर पूर्व लाभ) औसत कुल लाभ	7825.15
औसत लाभ का 2%	**156.50**

IV. निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (उपरोक्त मद 3 के रूप में राशि का दो प्रतिशत)

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (टैक्स पूर्व लाभ) का दो प्रतिशत रु 156.50 करोड़ है।

V. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सी.एस.आर. का विवरण।

क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि ;

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि **रु 156.50 करोड़** है।

ख. अव्ययित राशि, यदि कोई हो;

पिछले वर्ष के लेखा परीक्षा के बाद से अव्ययित/बकाया राशि शून्य है। (वास्तविक खर्च बजट की राशि से अधिक है) (136.36 करोड़ रुपए – 167.16 करोड़ रूपए)

इस वर्ष में अव्ययित/बकाया राशि शून्य है। (वास्तविक व्यय बजट की राशि से अधिक है) [(156.50 करोड़ रुपये + 0 रुपये) – **165.50 करोड़ रुपए**}

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है।

निर्धारित प्रारूप में गतिविधियों की सूची संलग्नित **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

VI. अगर कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में असफल होती है, तो वह अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने का कारण प्रस्तुत करेगी।

लागू नहीं।

VII. सी.एस.आर. समिति का एक जवाबदेही कथन है कि सी.एस.आर. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सी.एस.आर. उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है-

कंपनी अधिनियम, 2013 में अपेक्षित सी.एस.आर. समिति का एक जवाबदेही विवरण **अनुलग्नक-2** में अलग से संलग्नित है।

अनुलग्नक -1

(आंकड़ें लाख में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्दिष्ट की गई सी.एस.आर. परियोजना या गतिविधि	परियोजना शामिल किए जाने वाले क्षेत्र	परियोजनाओं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले निर्दिष्ट करे जहां परियोजेन या कार्यक्रम लिए गए	परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजना ओं या कार्यक्रमों उप-प्रमुख (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2019 तक संचयी व्यय	व्यय राशिः प्रत्यक्ष और कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना, स्वास्थ्य देखभाल को बढावा देना, जिसमें स्वास्थ्य निवारक देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना शामिल है और यह केन्द्र सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष के अनुरुप है जिसमें स्वच्छता और शुद्ध पेय जल को बढावा देना भी शामिल है।	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिले	अंगुल, झारसुगुडा, सुन्दरगढ़, संबलपुर, पुरी खुर्दा, बालंगीर, ढेंकनाल, गजपति, गंजाम, जाजपुर, कालाहंडी, नयागढ़, रायगढ़, सोनपुर, कंधमाल और देवगढ	18191.13	5140.17	14329.74	एमसीएल और राज्य सरकार
2	विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने के कौशल, विशेषकर बच्चों, महिलाएं, बुजुर्गों और विकलांगो के शिक्षण को बढ़ावा तथा आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं को बढ़ाना	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिले	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर, जाजपुर,सोनपुर और बरगड़	53713.73	7913.48	47389.46	एमसीएल और एनबीसीसी और राज्य सरकार
3	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिले	अंगुल, झारसुगुडा और संबलपुर	121.97	66.16	68.36	एमसीएल और राज्य सरकार

	करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर जैसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय						
4	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि-संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा गंगा की सफाई कोष का गठन करते हुये गंगा नदी का जीर्णोद्धार करना शामिल है।	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिले	संबलपुर, अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़,खुर्दा	1702.18	725.70	1290.61	एमसीएल और राज्य सरकार
5	ऐतिहासिक महत्व के भवनों, स्थलो और कलात्मक कार्य के पुनर्स्थापना सहित राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति का संरक्षण; पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक हस्तशिल्प के विकास एवं उन्नयन	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिले	अंगुल, संबलपुर और सुन्दरगढ़	850.65	410.65	850.65	एमसीएल और राज्य सरकार
6	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध के कारण हुई विधवाओं और उनके आश्रितों के हितों के लिए उपाय			0.00	0.00	0.00	
7	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेल	ओड़िशा के सभी खनन	अंगुल, झारसुगुडा, संबलपुर,	2623.05	620.38	2188.48	एमसीएल तथा राज्य सरकार

	और ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	जिले और अन्य जिले	सुंदरगढ़ और जाजपुर				
10	ग्रामीण विकास परियोजना	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिले	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ, संबलपुर तथा बरगड़	8487.41	1595.19	4237.72	एमसीएल, आर.आई.टी.ई.एस . तथा राज्य सरकार
12	आपदा प्रबंधन जिसमें पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण गतिविधियां शामिल है	ओड़िशा के अन्य जिले	गजपति तथा पुरी	73.14	72.70	72.70	एमसीएम तथा राज्य सरकार
13	प्रशासनिक व्यय	सभी खनन जिले	अंगुल तथा संबलपुर	5.97	5.97	5.97	एमसीएल
	कुल			**85769.22**	**16550.38**	**70433.68**	

अनुलग्नक -2

<u>प्रमाण पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि सी.एस.आर. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सी.एस.आर. उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

ह/-
महाप्रबंधक(सीएसआर), एमसीएल

ह/-
निदेशक (कार्मिक), एमसीएल
(डीआईएन: 08651284)

ह/-
अध्यक्ष, सी.एस.आर. तथा एस.डी. समिति
(डीआईएन : 07915732)

<u>अनुलग्नक -II</u>

<u>फॉर्म संख्या एमआर-3</u>
<u>सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट</u>

समाप्त वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम सं. 9 (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कर्मियों) नियमावली, 2014 के अनुसरण में]

सेवा में
सदस्य
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर

हमने 31 मार्च,2020 को समाप्त वर्ष के लिए **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड** (जिसे इसके बाद 'कंपनी' कहा गया है) पर लागू वैधानिक प्रावधानों और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धति के अनुपालन द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई थी कि कॉर्पोरेट संहिता/ वैधानिक अनुपालन पर हमारी राय के मूल्यांकन का तार्किक आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी के अभिलेखों, कागज, कार्यवृत्त किताबों, भरें हुए फार्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी भी, सचिवीय लेखा परीक्षा के आयोजन के समय इसके अधिकारी, एजेंट, और प्राधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन के आधार पर हम अपने मतानुसार रिपोर्ट देते है कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है तथा कंपनी के पास रिपोर्टिंग के संबंध में उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ तथा विस्तृत अनुपालन-तंत्र है ।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने कंपनी के अभिलेखों, कागज, कार्यवृत्त किताबों, भरें हुए फार्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड का निम्न प्रावधान के अंतर्गत परीक्षण किया है:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियमावली।
ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियमावली **(लागू नहीं)**
iii. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और इसके तहत बनाए गए विनियम और उप-कानून (लागू नहीं)
iv. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारी के विस्तार के लिए इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियम।**(लागू)**
v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश:-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवेर्स); **(लागू नहीं)**
ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार पर प्रतिषेध) विनियम, 2015; **(लागू नहीं)**
ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे); **(लागू नहीं)**

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशानिर्देश, 1999; **(लागू नहीं)**

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2008 (मुद्दा और ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग); **(लागू नहीं)**

च. कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1993 को के बारे में (मुद्दा और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्ट्रार); **(लागू नहीं)**

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 **(लागू नहीं)** और

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूति की पुनर्खरीद); **(लागू नहीं)**

झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (संग्रहण और प्रतिभागी); **(लागू नहीं)**

vi. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश।

vii. विभिन्न विभागों द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को समय समय पर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित प्रमाणपत्रों और रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर औद्योगिक विशेष कानून के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया और अनुपालनों को सत्यापित किया जा रहा है।

क. खान अधिनियम, 1952

ख. खान रियायत नियमावली, 1960

ग. खान बचाव नियमावली, 1985

घ. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966

ङ. खान (एब्सट्रैक्ट की पोस्टिंग) नियमावली, 1954

च. खान और खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम, 1957

छ. भारतीय विद्युत नियमावली, 1985

ज. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

झ. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 2008

ञ. कोयला खान विनियम, 1957

ट. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974

ठ. कोयला खान पेंशन योजना, 1998

ड. कोयला खान भविष्य (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1948

ढ. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

ण. जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974

त. वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981

थ. मजदूरी भुगतान (खान) नियमावली, 1956

द. अवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियमावली, 1959

ध. मातृत्व लाभ (खान) नियमावली, 1963

न. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000

ऩ. कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004

प. भारतीय खान ब्यूरो (इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियमावली, 1990

हमने निम्न लागू खंड के अनुपालन की जांच की है:

i. भारत के कंपनी सचिव की संस्था द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।
ii. कंपनी द्वारा किसी स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध करार (लागू नहीं)

हम वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय अभिलेखों और खातों की पुस्तकों के रखरखाव पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, यद्यपि उनकी सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा की जा रही हैं।

अनुलग्नक 'ख' में निर्दिष्ट निरीक्षणों और योग्यता के संबंध में समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, नियमों, विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों, सचिवीय मानक, आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने किसी भी विशिष्ट घटना / कार्रवाई नहीं की है जो उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

हम आगे रिपोर्ट करते है कि-

<u>ए. बोर्ड का गठन:</u>

कंपनी के निदेशक मंडल को अनुलग्नक-बी में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण और योग्यता के अधीन विधिवत गठित किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे तथा बोर्ड को सूचना का खुलासा पर्याप्त था और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रिया का पालन किया गया था।

<u>बी. बैठक का आयोजन:</u>

बोर्ड बैठकें, एजेंडा को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणी अग्रिम रूप में भेजे गए और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले एजेंडा पर जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बोर्ड और कमेटी बैठक में बहुमत निर्णय लिए जाते है और अधिनियम के अनुसार तदाशय में रखे जा रहे कार्यवृत्त पुस्तक में विधिवत दर्ज किए जाते हैं।

<u>सी. वार्षिक आम बैठक का आयोजन</u>:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक का आयोजन अल्प सूचना पर 11 जुलाई 2019 को किया गया था। कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त की गई थी।

<u>डी. वैधानिक रजिस्टरों व अभिलेखों का रखरखाव:</u>

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और नियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्धारित सभी वैधानिक रजिस्टर, रिकॉर्ड और अन्य रजिस्टर, उसमें बनाए गए सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ यथोचित रूप में बनाए रखा गया था।

ई. कंपनियों, अधिनियमों, 2013 के अनुसार स्टेटमेंट फार्म और रिटर्न्स की फाइलिंग:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न फॉर्म और रिटर्न विधिवत फीस के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर या विस्तारित समय में एमसीए / रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास विधिवत दाखिल किए गए थे।

एफ. लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई स्पष्टीकरण के अनुसार लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए इसके आकार और संचालन के साथ पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं। कानून और क़ानूनों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से इसकी समीक्षा के लिए कंपनी बोर्ड को दी जाती है।

जी. लेखा परीक्षा एवं बोर्ड के निर्णयों का सत्यापन:

बोर्ड की बैठकों में लिए गए निर्णयों का तिमाही आधार पर लेखा परीक्षण किया जाता है और इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि निर्णय डीओपी के दायरे में हैं, बोर्ड के साथ त्रैमासिक आधार पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त किए जाते हैं।

एच. मैसर्स एमएनएच शक्ति लिमिटेड (एमसीएल का एक सहायक) की पूंजी में कमी:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, 18 अप्रैल 2019 को आयोजित 214 वीं बैठक में निदेशक मंडल ने एमएनएच शक्ति लिमिटेड की पूंजी में कमी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। एमएनएच शक्ति लिमिटेड की पूंजी रू.85.10 करोड़ से रू. 35.10 करोड़ रुपये करते हुए 10 प्रत्येक (रुपए केवल दस) की दर से 5,00,00,000/ - (पांच करोड़) इक्विटी शेयरों (जो कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का 58.75% है) जिनकी कुल राशि रू.50,00,00,000 (रूपये पचास करोड़) होती है, को रद्द किया। इस विषय पर पुष्टि हेतु एनसीएलटी के पास प्रस्तुत किया गया है।

आई. लाभांश की घोषणा:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने फरवरी 2020 तक कर पश्चात कमाई और चालू वर्ष के अनुमानित लाभ से रू.1,000/- प्रत्येक के 66,18,363 इक्विटी शेयर के लिए 5,225.00 करोड़ (यानी रू.7,894.70 प्रति इक्विटी शेयर) अंतरिम लाभांश घोषित व भुगतान किया है।

कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लाभांश वितरण कर (अधिभार और उपकर सहित) का भुगतान 1,074.01 करोड़ रुपये किया है।

जे. एमसीएल बोर्ड की उप-समितियों का पुनर्गठन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता विकास (सीएसआरएसडी) उप-समिति, नामांकन और पारिश्रमिक उप-समिति का पुन: गठन किया गया था। पुनर्गठित समिति के पास निहित कार्य और अधिकार का दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान सहित पढ़ी जाने वाली कंपनी (बोर्ड और उसकी शक्तियों की बैठक) नियम, 2014, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी अधिनियम, 2013 के डीपीई दिशानिर्देशों और धारा 178 के प्रावधान क्रमशः नियमों के तहत बनाए गए हैं।

के. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की नियुक्ति

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, श्री भोला नाथ शुक्ला ने 14.06.2019 से श्री राजीव रंजन मिश्रा के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है।

श्री भोला नाथ शुक्ला की नियुक्ति और श्री राजीव रंजन मिश्रा की पदमुक्ति को एमसीएल बोर्ड ने 11 जुलाई 2019 को आयोजित 216 वीं बोर्ड बैठक में नोट किया।

एल. गैर-सरकारी अंश-कालिक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति :

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, श्री श्रीनिवासन मोहन को राष्ट्रपति के अनुमोदन से, अधिसूचना के लागू होने के दिनांक से तीन वर्ष अथवा आगे किसी आदेश के आने तक, जो भी पहले हो, के लिए एमसीएल के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी अंश-कालिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया।

एम. सीएसआर के तहत कोविड-19 चिकित्सालयों के लिए वित्तीय सहायता :

कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए कंपनी के प्रबंधन ने अग्रिम कार्रवाई की है। निदेशक मंडल ने सुझाव दिया कि थर्मल इमेजर संक्रमित व्यक्तियों की आसान पहचान के लिए एक बेहतर उपकरण हो सकता है। इस प्रक्रिया में कंपनी के प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई।

(ए) सम हॉस्पिटल, भुवनेश्वर में 500 बिस्तर वाले कोविड-19 अस्पताल के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तदनुसार, आम जनता को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए ओड़ीशा सरकार, सम हॉस्पिटल एवं एमसीएल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है।

(बी) कंपनी ने लखनपुर अस्पताल, एमसीएल में एक आइसोलेशन/संगरोध चिकित्सा सुविधा भी स्थापित की है।

आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा ऑडिट अवधि के दौरान प्रदान की गई जानकारी और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए संबंधित विभाग द्वारा तिमाही अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी में सामान्य कानूनों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं और नियंत्रण तंत्र मौजूद है।

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 15.06.2020

कृते देब महापात्र एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह/-
सीएस, आँचल अगरवाल, साझेदार,
एफसीएस सं. 9393 सी पी संख्या: 10548

नोट: यह रिपोर्ट हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाएँ जिसे **अनुलग्नक क और अनुलग्नक ख** के रूप में संलग्न किया गया है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

'अनुलग्नक - क'

सेवा में
सदस्य
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर.

इस तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है :

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही है। हम मानते हैं कि पद्धति और प्रक्रियाएं जिनका हमने अनुसरण किया है, हमारे विचार को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के खातों के अभिलेखों तथा वित्तीय रिकॉर्ड की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की ज़िम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं के परीक्षण आधार पर सत्यापन तक सीमित था।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न ही कंपनी के भविष्य व्यवहार्यता के लिए और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए, जिसके साथ प्रबंधन कंपनी के मामलों का आयोजन किया गया है, के रूप में एक आश्वासन है।

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 15.06.2020

कृते देब महापात्र एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह/-
सीएस, आँचल अगरवाल, साझेदार,
एफसीएस सं. 9393 सी पी संख्या: 10548

'अनुलग्नक - ख'

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी

क्र.	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1.	कंपनी में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 04 स्वतंत्र निदेशक नही हैं।	स्वतंत्र निदेशकों के 02 (दो) पद रिक्त है तथा कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 15.06.2020

कृते देब महापात्र एंड कंपनी
कंपनी सचिव

ह/-
सीएस, आँचल अगरवाल, साझेदार,
एफसीएस सं. 9393 सी पी संख्या: 10548

अनुलग्नक - III

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी को ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी विनिमय, आय एवं व्यय से संबंधित कंपनी नियमावली,1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्योरे का उल्लेख) के साथ पढ़ा जाए।

1. ऊर्जा का संरक्षण

1 (क). अपनाए गए विद्युत ऊर्जा संरक्षण के उपाय

इस वर्ष की ऊर्जा स्थिति के मुख्य विवरण नीचे तुलनात्मक कथन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं.

- **i.** वर्ष 2019-20 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (कोयले हेतु) वर्ष 2018-19 के 2.16 किलोवाट/ टन की तुलना में 2.23 किलोवाट /टन अर्थात 3.24% अधिक है।
- **ii.** 2019-20 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला + ओ.बी. हटाकर) वर्ष 2018-2019 के 1.44 किलोवाट / क्यूबिक मीटर की तुलना में 1.50 किलोवाट / क्यूबिक मीटर है जो 4.17 % अधिक है।
- **iii.** पॉवर फैक्टर बनाए रखने के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान उपरोक्त 0.97 पॉवर फैक्टर के अनुरक्षण के लिए 129.88 लाख रुपए के पावर फैक्टर प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई।
- **iv.** वर्ष 2018-19 के दौरान सभी आपूर्ति केंद्र के मासिक बिजली बिल के भुगतान की व्यवस्था के लिए हर महीने के चौथे दिन को 177.14 लाख रुपए की छूट वेसको/सीईएसयू से उपलब्ध कराई गई थी।

1.(ख) विशेष पहल

i. 2 एमडबल्यूपी सोलर प्लांट दिनांक 13/10/2014 को 75% के औसत पीआर अनुपात के साथ सफलतापूर्वक चालू किया गया है। आज तक प्लांट ने 96,51,627 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम किया है।

ii. एमसीएल में पहले चरण में सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट की संस्थापना के लिए 66 सेवा भवनों की पहचान की गई है। जिसमें 16 भवनों की पहचान की गई है जो नोडल अधिकारी (सौर), सीआईएल के निर्देशानुसार 1.21 मेगावाट सौर क्षमता को समायोजित कर सकते हैं। एमसीएल की 1.21 एमडबल्यूपी की कुल क्षमता को सीआईएल के केंद्रीकृत निविदा में भारत के मैसर्स सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। क्षेत्र के आधार पर एल1 बोलीदाता की पहचान मैसर्स एसईसीआई द्वारा की गई है और 1.21 एमडब्ल्यूपी सोलर रूफ टॉप परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2020-21 के भीतर निष्पादित किया जाएगा।

iii. चिन्हित स्थानों को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है

क्र	क्षेत्र / स्थान	भवन	क्षमता (केडब्ल्यूपी)
1	ईब वैली क्षेत्र	महाप्रबंधक कार्यालय	65
2		केंद्रीय अस्पताल	335
3	ओरिएंट क्षेत्र	क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय	85
4	लखनपुर क्षेत्र	क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय	45
5		बेलपहाड़ परियोजना अधिकारी कार्यालय	55
6		त्रिवेणी गेस्ट हाउस	25
7	बसुंधरा क्षेत्र	महाप्रबंधक कार्यालय	40
8		मेघदुत सामुदायिक केंद्र	30
9	तालचेर क्षेत्र	सीडब्ल्यूएस तालचेर (3 भवन + 5 शेड)	230
10		डीएवी स्कूल	20
11	जगन्नाथ क्षेत्र	डीएवी स्कूल	155
12	लिंगराज क्षेत्र	क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय	50
13		अस्पताल	5
14		लिंगराज परियोजना अधिकारी कार्यालय	20
15	हिंगुला क्षेत्र	क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय	35
16		बलरामपुर परियोजना अधिकारी कार्यालय	15

iv. छेंदीपड़ा, भरतपुर क्षेत्र के लिए 30 सौर स्ट्रीट लाइट, बसुंधरा क्षेत्र के 48 बेडेड एमटी हॉस्टल के लिए 02 सौर जल तापन प्रणाली और भुवनेश्वरी ओसीपी के ट्रांज़िट हाउस के लिए 02 सोलर वॉटर हीटर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और उसी की खरीद प्रक्रिया चल रही है।.

1.(ग) <u>ऊर्जा के प्रभावी संरक्षण के लिए बिजली की खपत में संभावित / संभव कमी के लिए उठाए गए कदम</u>

i) 0.97 से ऊपर पावर फैक्टर का रख-रखाव: 2019-20 के दौरान 0.97 से अधिक पावर फैक्टर बनाए रखने के लिए 129.88 लाख रुपये का पावर फैक्टर प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।

ii) पावर फैक्टर के सुधार के लिए कनिहा क्षेत्र में 1 नं. 3X450 केवीएआर कैपसिटर की स्थापना की जा रही है।

iii) कनिहा ओसीपी के लिए एक समर्पित 11 केवी ओवरहेड लाइन निर्माणाधीन है। इससे खानों के डीवाटरिंग के लिए डीजल पंप चलाने के लिए डीजल की खपत को कम करने में मदद मिलेगी।

iv) केवल उच्च स्टार रेटिंग वाले एयर कंडीशनर की खरीद, एयर कंडीशनर के फिल्टर की नियमित सफाई, एयर कंडीशनर के उपयोग न होने पर उसे बंद रखना आदि। खरीदी जा रही सभी नई विंडो और स्प्लिट एयर-कंडीशनर फाइव स्टार रेटिंग के हैं. 2019-20 में खरीदे गए 5 स्टार रेटेड एसी का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	एयर कंडीशनर के प्रकार	मात्रा (सं.)	स्थिति
1	1.5 टन स्प्लिट एसी, 5 स्टार	472	खरीद प्रक्रियाधीन
2	1.5 टन विंडोज़ एसी, 5 स्टार	37	खरीद किया गया
3	2 टन स्प्लिट एसी, 5 स्टार	167	खरीद प्रक्रियाधीन

v) 1824 कुशल ऊर्जा वाले सुपर पंखे को वर्ष 19-20 में फिट किया गया है।

vi) 12965 एलईडी लाइटें वर्ष 19-20 में फिट की गई हैं।

vii) एमसीएल मुख्यालय के अधिकारियों के क्वॉटर में ऊर्जा मीटर लगाए गए है। एमसीएल के क्षेत्रों में अधिकारियों के क्वॉटर में ऊर्जा मीटर स्थापित की प्रकिया जारी है।

viii) आनंद विहार, एमसीएल मुख्यालय में घरेलू भार में वाणिज्यिक भार का विलय।

ix) सौर ऊर्जा की खपत को बढ़ाते हुए बिजली की आपूर्ति से बिजली की खपत को कम करना।

x) 23/09/2019 से वाणिज्यिक भार को घरेलू भार में विलय करने और सौर संयंत्र से अतिरिक्त ऊर्जा के उपयोग के कारण, एमसीएल ने ऊर्जा बिलों में कमी के रूप में 28,92,092.00 रुपये की बचत की है।

xi) सिंगल पॉइंट ट्रांसफॉर्मर से मल्टी पॉइंट पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर तक टाउनशिप पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पुनर्गठन।.

xii) सौर ऊर्जा के लिए प्रस्तावित स्थापना योजना की क्षमता - 1.21 मेगावाट, 16 रूफटॉप स्थानों को पहचाना जाता है।

xiii) कम स्तर पर बिजली की अधिकतम मांग को कम करने तथा जितना संभव हो सके टॉड (दिन का समय) प्रोत्साहन उपलब्ध करने के लिए पंपिंग जैसे नियमित लोड को ऑफ-पीक घंटों के दौरान संचालित किया जा रहा है।

xiv) औद्योगिक पम्पों द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, कदम उठाए गए हैं, जैसे रखरखाव की प्रभावशीलता, पोंटुन का उपयोग आदि।

xv) पंखो के लिए पारंपरिक चोक और रेग्युलेटर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर का उपयोग।

xvi) ढीली कनेक्शन से बचने और फ़्यूज़ के उचित आकार का उपयोग करना।.

xvii) केबल और कंडक्टर के उचित आकार के साथ न्यूनतम संचरण अर्थात रेटेड क्षमता का सुनिश्चित करना।

xviii) ट्रांसफार्मर की क्षमता का इष्टतम उपयोग जिससे ट्रांसफार्मर के घाटे को कम किया जा सकता है।

xix) पावर कैपेसिटर का उपयोग करके ऊर्जा के करीब करीब 0.97 का अनुरक्षण किया गया है, ताकि ऊर्जा क्षति को कम किया जा सके।

xx) उचित क्षमता के इलेक्ट्रिक मोटर को सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा के हानि को कम करने के लिए स्टेज पम्पिंग / इंटरमीडिएट पम्पिंग को कम कर दिया गया है ।

xxi) ऊर्जा अपव्यय को रोकने के लिए प्रकाश टावर के साथ स्वचालित टाइमर स्विच स्थापित किए गए हैं।

xxii) थ्रोटलिंग से बचने के लिए पंपों के डिजाइन के अनुसार स्क्सन और वितरण लाइनों के उचित आकार का उपयोग।

xxiii) पाइपलाइनों में कोई रिसाव न हो, को सुनिश्चित करना जिससे पंपिंग दक्षता में सुधार हो।

xxiv) बीयरिंग आदि की उचित स्थिति सुनिश्चित करना।

2. A. ईंधन और लुब्रिकैंट्स:

ईंधन और लुब्रिकैंट्स की उपभोग में कमी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

1. इंजन, प्रसारण और हाइड्रोलिक संचालित प्रणालियों की आवधिक मरम्मत की जा रही है।
2. सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों में विशेष डीजल खपत की नियमित नियमित रूप से निगरानी की जाती है।
3. उपकरणों के हाइड्रोलिक तेल के रिसाव को कम करने के लिए होज़ों और उनके मार्ग की आवधिक जांच की जा रही है।
4. टायर्स में हवा के दबाव की नियमित रूप से उचित जांच की जाती है।
5. सेल्फ स्टार्टर्स, अल्टर्नेटर्स और बैटरियों की नियमित जांच।
6. उपकरणों की खराबी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
7. उपकरणों को स्वचालित रखने के लिए पर्याप्त बैटरियां प्रदान की जा रही हैं।

2. B. ऊर्जा उपभोग के लिए (क) उपायों का प्रभाव और उत्पादन के मापदंडों पर परिणामस्वरूप प्रभाव

विवरण	**2019-20**	**2018-19**	**गत वर्ष से % परिवर्तन**
विद्युत ऊर्जा (I) बिजली की विशिष्ट खपत (कोयला के लिए), किलोवाट/टन में (ii) बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (यानि कोयला+ओबी रिमुवल), किलोवाट/क्यू. मीटर में	2.23 1.5	2.16 1.44	(3.24) (प्रतिकूल) (4.17) (प्रतिकूल)
ईंधन और लुब्रिकैंट्स (i) एचएसडी की खपत, संयुक्त उत्पादन के लीटर/क्यूबिक मीटर में। (ii) लुब्रिकैंट्स की खपत, संयुक्त उत्पादन के लीटर/क्यूबिक मीटर में ।. (iii) एचएसडी की खपत, कोयला उत्पादन के लीटर/टन में (iv) लुब्रिकैंट्स की खपत, कोयला उत्पादन के लीटर/क्यूबिक में । v) पीओएल की विशिष्ट लागत, रु./टन	0.178 0.007 0.285 0.011 19.69	0.193 0.009 0.303 0.014 20.07	(-7.77) (एफ़) (-22.22) (एफ़) (-5.94) (एफ़) (-21.43) (एफ़) (-1.89) (F)

एफ - अनुकूल ए – प्रतिकूल

2. ग. विदेश विनिमय उपार्जन और निर्गमः

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने की पहल, उत्पादों के निर्यात गतिविधियों के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएँ। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में नहीं लगी है

(ii) विदेशी विनिमय का उपयोग और उपार्जित

(₹ करोड़ में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**विगत वर्ष**
(क) विदेशी विनिमय का उपयोग :		
(i) सीआईएफ आयात का मूल्य क) घटक, भंडार और स्पेयर पार्ट्स ख) पूंजीगत वस्तुएं	0.03 1.93	0.10 28.37
(ii) यात्रा	0.09	0.36
(iii) ब्याज	0.07	0.09
(iv) अन्य	--	--
(ख़) विदेशी विनिमय उपार्जित	शून्य	शून्य

<u>अनुलग्नक-**IV**</u>

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यो
मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

हमने मैसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट शासन के शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कॉरपोरेट शासन के दिशा-निर्देश के अनुबंध में दी गई है।

कॉर्पोरेट शासन के शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार की गई प्रक्रिया एवं अनुपालन तक हमारी जांच सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार से तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण व प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुतीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर दर्शायें गए उल्लेखित निरीक्षण के आधार पर डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों के तहत् दिये गए कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह पुनः कहते हैं कि यह अनुपालन कंपनी के भविष्य में वैधता के लिए न तो आश्वासन है और न ही कंपनी के मामलों को देखने वाले प्रबंधन की प्रवीणता या प्रभावशीलता है।

कृते राघव गर्ग एंड एसोसियेट्स
(कंपनी सचिव)

ह/-
सी.एस. राघव गर्ग, ए.सी.एस.
प्रोपराइटर
एम नं. 51644, सीपी नं. 18834

स्थान: संबलपुर
तिथि: **04.06.2020**

यूडीआईएन: **A051644B000316216**

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

कंपनी का दर्शन :

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के संगठनात्मक प्रणाली में कॉर्पोरेट शासन व्यापारिक दर्शन के रूप में इसकी गइराई तक शामिल है, जिससे पारदर्शिता, वृहत्तर संगठनात्मक न्याय एवं कार्पोरेट स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

वर्ष 2010-11 से केंद्रीय सरकार से अनिवार्यत अनुपालन हेतु कॉर्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमा के अंदर कार्य नीति बनाने के लिए नये परिप्रेक्ष्य एवं समुचित अध्यवसाय के साथ दिशा-निर्देशों का पुनरावलोकन किया गया है।
समता, न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही इत्यादि कसौटी होने के नाते अच्छे गवर्नेन्स के मूलाधार के रूप में स्वीकार किये गये हैं, एमसीएल के संबंध में इन सभी आधारभूत मूल्यों को व्यापार के सभी आयामों में यथासंभव प्रयोग में लाया जाना है।

निदेशक मंडल:
कार्यकारी, नामित एवं स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड में उच्चतम जुड़ाव के सिद्धान्त को मानते हुए निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के 09 (नौ) निदेशकों को लेकर एमसीएल का निदेशक मंडल दिनांक 31.03.2020 को गठित किया गया:-

क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत, 05 (पांच) कार्यकारी निदेशक
ख) 02(दो) स्वतंत्र निदेशक
ग) 02(दो)अंशकालिक सरकारी निदेशक (नामांकित)।

इसके अलावा मुख्य प्रचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर को भी बोर्ड के स्थायी के रूप में आमंत्रित किया गया है।
वर्ष 2019-20 के दिनांकः 18.04.2019, 24.05.2019,11.07.2019, 30.07.2019, 04.09.2019, 30.10.2019, 23.11.2019, 30.12.2019, 03.02.2020, 02.03.2020 तथा 28.03.2020 को निदेशकों की उपस्थिति में 80 % औसत से अधिक उपस्थिति में 11 बार बैठकें की गई।
बोर्ड के गठन का विवरण, निदेशकों की निजी उपस्थिति और अन्य कंपनियों के निदेशकों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड की बैठकें		अन्य कंपनियों में निदेशक के पद पर	उपस्थित पिछले एजीएम	अन्य समिति में सदस्यता	
		कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित				
श्री बी.एन.शुक्ला	कार्यकारी	*09*	*09*	शून्य	हाँ	शून्य	*03*
श्री राजीव रंजन मिश्रा	कार्यकारी	*02*	*02*	i. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ii. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	शून्य	*01*
श्री ओ पी सिंह, निदेशक(संचा/यो.एवं परि.)	कार्यकारी	*11*	*11*	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	नहीं	*01*	*05*

श्री एस. एन. प्रसाद, निदेशक	सीआईएल मनोनीत	*07*	*05*	(i) कोल इंडिया लिमिटेड (ii) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि (iii) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (iv) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	*01*	*02*
डॉ राजीव. मल्ल निदेशक	स्वतंत्र	*06*	*06*	शून्य	नहीं	*01*	*02*
श्री एच.एस. पति, निदेशक	स्वतंत्र	*06*	*06*	शून्य	नहीं	*01*	*02*
श्री आर.के. सिन्हा,	सरकारी मनोनीत	*10*	*8*	कोल इंडिया लिमिटेड	नहीं	*01*	*01*
श्रीमती सीमा शर्मा,	स्वतंत्र	*11*	*10*	शून्य	नहीं	*01*	*02*
श्री के.आर .वासुदेवन	कार्यकारी	*11*	*11*	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	नहीं	शून्य	*04*
श्री के.के. मिश्रा	कार्यकारी	*09*	*07*	सीएमपीडीआईएल	नहीं	शून्य	*03*
श्री एस.मोहन	स्वतंत्र	08	06	i) यूनिकॉर्प एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ii) यूनिकोप बेज़ेक्स प्राइवेट लिमिटेड iii) रिलओन सॉफटेक लिमिटेड iv) कॉसिलेडेटेड कॉसिटियूशन कंसोर्टियम लिमिटेड	नहीं	01	01
श्री एस.एन. तिवारी	कार्यकारी	04	02	(I) कोल इंडिया लिमिटेड (ii) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	01	02
श्री के.राव	कार्यकारी	04	04	(i) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	नहीं	शून्य	02
श्री नागराजु मड्डिराला	कार्यकारी	01	01	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	01	01

छमाही और वार्षिक लेखों, पूंजीगत व्यय, कोयला बिक्री अनुबंध, जनशक्ति बजट, वैधानिक अनुपालन रिपोर्ट आदि जैसे प्रशासन के निश्चित विषय बोर्ड की समीक्षा और अनुमोदन के लिए आरक्षित हैं।

निदेशकों का पारिश्रमिक:

क) पूर्णकालिक निदेशक

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यापार संबंध, यदि कोई है	वर्ष 2019-20 के लिए पारिश्रमिक पारिश्रमिक पैकेज अर्थात वेतन, कार्य निष्पत्ति से जुड़े प्रोत्साहन योजना, पीएफ योगदान, पेंशन आदि (रु.) के सभी अवयव
श्री बी.एन.शुक्ला	शून्य	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	4420454.61
श्री के.आर .वासुदेवन	शून्य	निदेशक (वित्त)	3392198.19
श्री केशव राव		निदेशक (कार्मिक)	717745.8
श्री आर.आर मिश्रा		पूर्व सीएमडी	0
श्री ओ पी सिंह,		निदेशक (तकनीकी/संचालन)	6421297.7
श्री के.के.मिश्रा		निदेशक (तकनीकी/योजना परियोजना)	0
श्री ए.के. सिंह			4681844.27

ख) अधिकारिक अंशकालिक निदेशक
कंपनी द्वारा आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता है।

ग) गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक
बोर्ड/समिति की बैठकों शुल्क को छोड़कर कोई पारिश्रमिक भुगतान गैर-अधिकारी अंशकालिक निदेशकों को नहीं किया जाता है।

घ) सेवा करार, सूचना अवधि, पृथक्करण शुल्कः
. कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति 03 महीने की नोटिस पर या उसके बदले 03 महीने के वेतन के भुगतान पर दोनों तरह समाप्त कर दी जा सकती है।

बोर्ड की समितियाँ :

I. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मानना है कि उचित स्वशासन और निर्धारित कार्यक्षेत्र व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए कुशल मशीनरी हो सकती है। समिति में नियमित अंतराल पर बैठके होती है और जितनी जल्दी हो सके यह मुद्दों को संबोधित करती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकें भी उचित एजेंडे और कार्रवाई की गई रिपोर्टों के साथ समयबद्ध रूप से आयोजित की जाती हैं।

लेखा परीक्षा समिति के पास एमसीएल की वित्तीय और अन्य डेटा/जानकारी है। समिति द्वारा किए गए निरीक्षण से एमसीएल बोर्ड को सूचित किया जाता है। समिति जितनी बार वांछित बैठके बुला सकती है, लेकिन एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक की आशा की जाती है।

कार्य क्षेत्र

कंपनियों (बोर्ड और उसकी शक्तियों की बैठक) नियमवाली, **2014** के साथ पठित, कंपनी अधिनियम **2013** की धारा **177** के प्रावधान के अनुसार , लेखा परीक्षा समिति के पास निहित कार्य और प्राधिकारी का प्रावधान है ।

लेखा-परीक्षा समिति के गठन और बैठकों का ब्यौरा:
वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की सातवी बैठके जो कि दिनांक **24.05.2019, 30.07.2019, 04.09.2019, 23.09.2019, 30.10.2019, 03.02.2020, 02.03.2020,** को हुई और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	डॉ राजीव. मल्ल	अध्यक्ष	5	5
2.	श्री ओ पी सिंह,	अध्यक्ष	1	1
3.	श्री एस.मोहन	अध्यक्ष	2	1
4.	श्री एस एन प्रसाद	सदस्य	5	2
5.	श्री एच.एस. पति,	सदस्य	5	5
6.	श्रीमती एस. शर्मा,	सदस्य	7	7
7.	श्री ओ पी सिंह,	सदस्य	6	6
8.	श्री आर.के. सिन्हा,	सदस्य	7	5
9.	श्री एस.मोहन	सदस्य	3	2
10.	श्री एस. एन. तिवारी	सदस्य	2	1

लेखा-परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठकों में निदेशक(वित्त)/सी.एफ.ओ.,आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षकों को वित्त,लेखा,लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

मौजूदा लेखा परीक्षा समिति के अतिरिक्त, कंपनी की रणनीति और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उत्साह से पालन करने हेतु और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की आवश्यकता के माध्यम से मूल्य वर्धन को ध्यान में रखते हुए 2011-12 के दौरान 134 व 135 वीं बोर्ड की मीटिंग में निम्नलिखित उप-समितियां गठित की गई हैं।

ii) तकनीकी उप-समिति :

एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन,निरूपण और अनुशंसा

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः
वर्ष के दौरान उपसमिति की दो बैठकें दिनांक-27.08.2019 तथा 12.03.2020 को हुई जिनमें निम्न सदस्य उपस्थित थेः

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री बी.एन.शुक्ला	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	2	2
3.	श्री के.आर. वासुदेवन	सदस्य	2	1
4.	श्री के.के.मिश्रा	सदस्य	2	0
5.	श्री केशव राव	सदस्य	1	1

iii) सीएसआर तथा सतत विकास उप समिति (सी.एस.आर. एंड एस.डी.)

कार्य-क्षेत्रः

डीपीई के प्रावधानों तथा एमसीएल बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत पुनर्निर्मित समिति के साथ निहित कार्यक्षेत्र और प्राधिकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार होगा।

उप-समिति का संयोजन और बैठक विवरण:

वर्ष के दौरान 18.04.2019, 19.08.2019, 11.01.2020, 01.03.2020 तथा 24.03.2020 को सीएसआरएसडी उप-समिति की चार बैठके हुई, जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है-

:

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री एच.एस. पति	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री के. आर. वासुदेवन	अध्यक्ष	3	3
3.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	2	1
4.	डॉ राजीव. मल्ल	सदस्य	2	2
5.	श्रीमती एस. शर्मा	सदस्य	5	5
6.	श्री के. आर. वासुदेवन	सदस्य	2	2
7.	श्री एस.एन प्रसाद	सदस्य	2	0
8.	श्री के.के.मिश्रा	सदस्य	4	4
9.	श्री एस एन तिवारी	सदस्य	3	2

iv) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

कार्यक्षेत्र:

समिति का कार्यक्षेत्र सीआईएल की नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

उप-समिति का संयोजन और मीटिंग विवरण:

निम्नलिखित सदस्यों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 09 फरवरी, 2016 को किया गया था तथा वर्ष 2019-20 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

v) नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति

कार्य क्षेत्र:

समिति के साथ निहित काम और प्राधिकरण का क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार सरकार को दी गई छूट के अनुसार होगा। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को छूट दी जाएगी।

उप-समिति का संयोजन और मीटिंग विवरण:

वर्ष के दौरान दिनांक 04.09.2019 और 30.10.2019 को नामांकन और पारिश्रमिक उप-समिति की दो बार बैठक हुई सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	क्र.
1.	डॉ राजीव. मल्ल	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री एच.एस. पति	सदस्य	2	2
3.	श्रीमती एस. शर्मा	सदस्य	2	2
4.	श्री एस.एन प्रसाद	सदस्य	2	1

vi) भू-विस्थापित मामलों की उपसमितिः

कार्य क्षेत्रः

कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही आर. एंड आर. नीति के वर्तमान मानकों के अनुसार रोजगार, नगद क्षतिपूर्ति आदि के सभी मामलों पर विचार करना और अनुमोदन करना ।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

भू-विस्थापित मामलों की उपसमिति की वर्ष में 47 बैठकें दिनांक 06.04.2019, 11.06.2019, 18.06.2019, 20.06.2019, 22.06.2019, 02.08.2019, 25.08.2019, 10.09.2019, 17.09.2019, 17.09.2019, 19.09.2019, 24.09.2019, 27.09.2019, 11.10.2019, 19.10.2019, 21.10.2019, 28.10.2019,3.11.2019, 10.11.2019, 16.11.2019, 19.11.2019, 25.11.2019, 30.11.2019, 02.12.2019, 05.12.2019, 09.12.2019, 11.12.2019, 16.12.2019, 17.12.2019, 31.12.2019, 01.01.2020, 04.01.2020,07.01.2020, 23.01.2020, 27.01.2020, 05.01.2020, 09.02.2020, 15.02.2020, 24.02.2020, 05.03.2020, 09.03.2020,16.03.2020,18.03.2020, 24.03.2020, 26.03.2020, 30.03.2020 को हुई, जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री आर.आर.मिश्रा	अध्यक्ष	02	02
2.	श्री बी.एन. शुक्ला	अध्यक्ष	45	45
3.	श्री के. आर. वासुदेवन	सदस्य	47	47
4.	श्री ओ.पी.सिंह	सदस्य	47	44
4	श्री के.के.मिश्रा	सदस्य	42	20
5	श्री के.राव	सदस्य	18	17

vii) कार्यकारी निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति:

एमसीएल बोर्ड ने 11.07.2019 को आयोजित अपनी 216 वीं बैठक में सीआईएल द्वारा जारी संशोधित डीओपी के अनुपालन में 'कार्यकारी निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति' (ईसीएफडी) का गठन किया।

कार्य क्षेत्र: जैसा कि सीआईएल द्वारा परिचालित संशोधित डीओपी में परिभाषित किया गया है।

उप-समितियों का संयोजन और बैठक विवरण

समिति ने इस वर्ष के दौरान 11 (ग्यारह) बार दिनांकः 12.07.2019, 19.11.2019, 30.11.2019, 05.12.2019, 09.12.2019, 04.01.2020, 21.01.2020, 28.01.2020, 14.03.2020, 18.03.2020 को सदस्यों की उपस्थिति के साथ बैठक की।

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री बी.एन. शुक्ला	अध्यक्ष	11	11
2.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	11	11
3.	श्री के. आर. वासुदेवन	सदस्य	11	11
4.	श्री के.के.मिश्रा	सदस्य	11	06
5.	श्री केशव राव	सदस्य	06	06

viii) निदेशकों की अधिकार प्राप्त समिति:

एमसीएल बोर्ड ने सीआईएल द्वारा जारी संशोधित डीओपी के अनुपालन में 02.12.2019 को परिपत्र प्रस्ताव के माध्यम से निदेशक समिति (ईसीडी) का गठन किया है।

कार्य क्षेत्र: जैसा कि सीआईएल द्वारा परिचालित संशोधित डीओपी में परिभाषित किया गया है।

उप-समितियों का संयोजन और बैठक विवरण

समिति ने इस वर्ष के दौरान 30.12.2019 और 07.03.2020 के 02 (दो) बार बैठक की:

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1	श्री बी.एन. शुक्ला	अध्यक्ष	02	02
2.	श्री आर.के. सिन्हा	सदस्य	02	02
3.	श्री एस.एन. तिवारी	सदस्य	02	01
4.	श्री के. आर. वासुदेवन	सदस्य	02	02
5	श्री एस.मोहन	सदस्य	02	02

सांविधिक लेखापरीक्षक-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा, 139 के तहत निम्नलिखित परीक्षा संस्थाओं को वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक /शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

वैधानिक लेखा परीक्षक
सिंह राय मिश्रा एंड कं.,
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
भुवनेश्वर

शाखा लेखा परीक्षक
1. एस.आर.बी. एण्ड एसोसिएट्स (क्वार्टर -1)
5 वी मंजिल,आई.डी.सी.ओ. टावर्स, जनपथ,
भुवनेश्वर,-751022, ओड़िशा

2. मैसर्स एस.सी.एम. एसोसिएट्स
(2, 3 तिमाही तथा वार्षिक हेतु),
मुख्यालय,केशरी टाल्कीस कॉम्पलेक्स
(प्रथम तल),98 खारवेल नगर, इकाई-III,
भुवनेश्वर, ओड़िशा

लेखा परीक्षा के प्रकार	पारिश्रमिक (रु.)	टिप्पणियां
वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा	रू. 42,11,122.00 (जीएसटी के साथ) (रु. 25,93,234.00 प्रमुख लेखा परीक्षा के लिए और रु. 16,17,888.00 शाखा लेखा परीक्षा के लिए)	स्टैंडअलोन ऑडिट फीस के लिए वास्तविक विषय पर आउट ऑफ पोकेट व्यय की प्रतिपूर्ति / भुगतान। (प्रिंसिपल ऑडिटर के ऑडिट फीस में एमसीएल, इसकी चार सहायक कंपनियों के साथ के खातों के समेकन की समीक्षा के लिए शुल्क शामिल है,)
कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन	रू. 8,500.00	वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय का प्रतिपूर्ति/भुगतान और उस पर देय कर लागू होगा।

शेयरधारकों की सामान्य बैठक:
पिछले *03* वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

वार्षिक सामान्य बैठकें:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2017-18	21.07.2017	11.00 *पूर्वाह्न*	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	एक
2018-19	27.07.2018	10.00 *पूर्वाह्न*	कोयला भवन, परिसर नंबर-4 मार्च, प्लॉट नं- एएफ-III, एक्शन एरिया -1 ए, न्यू टॉउन, राजरहाट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	शून्य
2019-20	11.07.2019	10.30 *अपराह्न*	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	दो

विशेष सामान्य बैठक :

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2017-18	21.03.2018	10.30 पूर्वाह्न	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	*एक*
2018-19	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*
2019-20	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*	*शून्य*

एमसीएल बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु व्यापार आचरण एवं आचार संहिता।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 मार्च, 2008 को कोलकाता में आयोजित 94 वीं बैठक में निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता को अपनाया है जिसे कंपनी की वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर भी पोस्ट किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) पर रिपोर्ट:

एमसीएल के सभी आंतरिक लेखा परीक्षकों ने एमसीएल की प्रचलित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सभी लेखा परीक्षकों ने कहा है कि एमसीएल ने सभी भौतिक मामलों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (परिचालन नियंत्रण सहित) निर्धारित किया है और इस तरह के नियंत्रण पर्याप्त हैं और वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आंकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारम्परिक, आंतरिक एवं बाह्य जोखिम पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किये जाते हैं । भू-अधिग्रहण, वन स्वीकृति, भू-विस्थापितों की समस्याएं ऐसे कारक हैं, जिन पर प्रबंधन लगातार निगरानी करता है। आंतरिक कारकों जैसे मशीनों के बचाव हेतु रख-रखाव, सुरक्षा औद्योगिक संबंध इत्यादि पर भी आवश्यक महत्व दिया जाता है ताकि कंपनी का कार्य सुचारु रूप से चल सके। एमसीएल में जोखिम प्रबंधन कार्यविधि के संचालन की समीक्षा करने के लिए शीर्ष स्तर पर बोर्ड की एक अलग उप-समिति वर्ष 2011-12 में गठित की गई है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एन) की आवश्यकता अनुसार प्रावधानों के अनुपालन के लिए एमसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक.09.02.2016 को "जोखिम प्रबंधन समिति" (आरएमसी) के रूप में उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया था। महाप्रबंधक (एस एंड आर), एमसीएल को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया था, जो एमसीएल के जोखिम प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि के रुप में इसके जोखिम प्रबंधन से संबंधित मामलों का समन्वय एवं अनुपालन करेंगे।

व्हिसल ब्लोअर नीति:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियाँ, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखापरीक्षा हेतु खुली हैं। सीआईएल की नीति के अनुरूप एक नीति बनाई गई है जिसका पालन किया जाता है।

लेखांकन तरीका:

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, *2013* के तहत लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों और प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

संचार-साधन:

कंपनी के परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन की रिपोर्ट प्रमुख अंग्रेजी अखबारों एवं स्थानीय दैनिक अखबारों में प्रकाशित की जाती है तथा उपरोक्त के अलावा, वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा योग्यताएं:

कंपनी का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वह अयोग्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करें। *31* मार्च को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब, निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं तथा कंपनी अधिनियम, *2013* की धारा *143* के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी संलग्न की गई हैं।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

कार्यात्मक निदेशक, अपने संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता एवं अनुभव के आधार पर कंपनी के व्यवसाय तंत्र के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के जोखिम रुपरेखा से भलिभांति अवगत हैं। अंशकालिक निदेशक भी कंपनी के व्यवसाय तंत्र से भलिभांति अवगत हैं। हालांकि, कॉर्पोरेट प्रशासन कार्यों के साथ बेहतर परिचित होने के उद्देश्य से, स्वतंत्र निदेशकों को शीर्ष संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निदेशकों के लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण नीति भी लागू की गई है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन का अनुपालन:

आपकी कंपनी ने डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों को संख्या.ईपीडीपीईपी/*14(38)/10*-वित्त, दिनांक. *28.06.2011* के अनुसार कार्यान्वित किया है साथ ही सीईओ द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है।

आपकी कंपनी ने वर्ष *2019-20* के लिए कॉरपोरेट प्रशासन में *92%* का वार्षिक स्कोर हासिल किया है, जो 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग है।

अनुलग्नक -V

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

क. उद्योग संरचना और विकास:

कोयला - ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत :

कोयला ऊर्जा का प्रमुख, स्थायी और विश्वसनीय स्रोत है। वैश्विक रूप से, वर्ष 1950 के बाद से वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग कम होता जा रहा है, इसका मुख्य कारण है पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे और सस्ते तेल और गैस की उपलब्धता। हालाँकि, भारत में परिदृश्य बिलकुल अलग है, यहां देश के भीतर सीमित तेल के भंडार के साथ कोयला प्रचुर मात्रा में होने एवं आसानी उपलब्ध होने के कारण बिजली उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

कोयला भंडार :

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों का 97% कोयला मौजूद है। दिनांक. 01.04.2019 तक राष्टीय कोयला इन्वेंटरी ने 326.495 बिलियन टन (बीटी) ठोस कोयला संसाधनों को 1200 मीटर की गहराई तक 68 अलग-अलग कोलफील्ड्स में रखा है, विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	राज्य	कोलफील्ड्स की संख्या	कोयला भंडार (बिलियन टन में)	भारत की %
1	झारखंड	12	84.506	25.88
2	ओड़िशा	2	80.840	24.76
3	छत्तीसगड़	13	59.908	18.35
4	पश्चिम बंगाल	4	31.690	9.71
5	मध्यप्रदेश	8	28.793	8.82
6	तेलंगाना	1	21.839	6.69
7	महाराष्ट्र	5	12.677	3.88
8	पूर्वोत्तर राज्य	20	1.739	0.53
9	आंध्रप्रदेश	1	1.607	0.49
10	उत्तरप्रदेश	1	1.062	0.33
11	बिहार	1	1.834	0.56
कुल		68	326.495	100

झारखंड के बाद कोयले के आरक्षित भंडार में ओड़िशा भारत में दूसरे स्थान पर है। 1 अप्रैल, 2019 तक ओड़िशा का कुल कोयला भंडार 80.840 बिलियन टन होने का अनुमान है, जो कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का 24.76% है। ओड़िशा के दो कोयला क्षेत्र अर्थात तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स एमसीएल के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत हैं; तालचेर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र (51.220 बिलियन टन) है और ईब-वैली भारत का तीसरा सबसे बड़ा (29.620 बिलियन टन) कोयला क्षेत्र है। 80.840 बिलियन टन कोयला भंडार में से 39.654 बिलियन टन (49.05%)मापे गए कोयला भंडार हैं।

ओड़िशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स विशाल थर्मल ग्रेड नॉन-कोकिंग कोयला के भंडार हैं, जिसमें सबसे अनुकूल संभावनाएं हैं। मौजूदा थर्मल प्लांट्स और दक्षिणी एवं पश्चिमी भारत से कोयले की मांग बढ़ रही है।

कोयले का ऑफ-टेक और प्रेषण:

वर्ष 2020-21 के लिए एमसीएल ने 173.0 मिलियन टन के **ऑफ-टेक** कार्यक्रम हेतु योजना बनाई है।

XI योजना, XII योजना, 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए एमसीएल का क्षेत्रवार वास्तविक कोयला ऑफ-टेक कार्यक्रम हेतु और 2020-21 के लिए अनुमान

	XII योजना										(आंकड़े मिलियन टन में)			
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 (बीई)
उर्जा	68.09	70.47	70.88	74.73	77.11	88.16	78.223	87.717	91.173	98.550	99.274	102.527	92.679	153.553
सीमेंट	0.19	0.17	0.26	0.27	0.23	0.348	0.340	0.432	0.24	0.257	0.186	0.221	0.206	0.198
उर्वरक	-	-	-	0.02	0.026	0.060	0.0367	0.024	0.004	0.00	0.052	0.053	0.000	0.000
अन्य	15.35	20.06	27.01	27.07	25.16	23.396	35.742	34.828	48.797	44.204	38.750	39.505	41.131	19.249
कुल	83.63	91.30	98.15	102.09	102.52	111.964	114.342	123.001	140.214	143.011	138.262	142.306	134.016	173.0

XI योजना, XII योजना, 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए एमसीएल का साधन-वार वास्तविक कोयला संचालन और 2020-21 के लिए अनुमान

(आंकड़े मिलियन टन में)

	XI योजना					XII योजना								
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 (बीई)
रेल	51.68	54.18	55.84	59.24	60.310	68.727	72.2246	81.260	89.079	90.776	89.442	87.384	76.809	103.851
रोड	12.16	18.68	23.35	25.12	25.623	25.219	24.506	25.152	34.515	38.210	34.816	42.780	43.261	48.870
एमजीआर	18.59	17.08	17.37	16.11	14.797	16.191	15.745	15.166	15.231	12.611	12.588	10.567	12.432	17.879
अन्य	1.20	1.36	1.59	1.62	1.791	1.819	1.866	1.423	1.389	1.410	1.416	1.575	1.514	2.400
कुल	83.63	91.30	98.15	102.09	102.521	111.959	114.342	123.001	140.214	143.007	138.262	142.306	134.016	173.00

कोयले की उपलब्धता:

2008-09 से 2019-20 तक का वास्तविक कोयला उत्पादन और वर्ष 2020-21 के दौरान मौजूदा खदानों, पूर्ण की गई परियोजनाएं एवं एमसीएल में चालू परियोजनाओं का उत्पादन अनुमान नीचे दिया गया है।

									(आंकड़े मिलियन टन में)				
	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 (बीई)
मौजूदा खदान	1.32	1.35	1.32	1.333	0.967	0.778	1.127	0.981	0.8936	0.91	0.764	0.751	0.780
पूर्ण परियोजनाएं	64.85	71.19	73.27	66.645	67.344	59.988	70.906	76.220	77.5699	68.817	59.381	51.872	57.720
चालू एवं नई परियोजनाएं	30.17	31.54	25.69	35.140	39.584	49.674	49.346	60.70	60.7549	73.331	84.006	87.734	114.500
कुल	96.34	104.08	100.28	103.118	107.895	110.440	121.379	137.901	139.2084	143.058	144.151	140.357	173.00

उत्पादकता:

एमसीएल में खुली खदान परियोजनाओं से कोयला उत्पादन और ओबी निष्कासन संविदा और विभागीय रूप से किया जाता है। कुछ परियोजनाओं में ओबीआर को भी आउटसोर्स किया गया है। एमसीएल की ओएमएस स्थिति निम्नानुसार है:

	2008-09 वास्तविक	**2009-10 वास्तविक**	**2010-11 वास्तविक**	**2011-12 वास्तविक**	**2012-13 वास्तविक**	**2013-14 वास्तविक**	**2014-15 वास्तविक**	**2015-16 वास्तविक**	**2016-17 वास्तविक**	**2017-18 वास्तविक**	**2018-19 वास्तविक**	**2019-20 वास्तविक**	**2020-21 (BE)**
भूमिगत	1.25	1.29	1.25	1.24	0.97	0.84	0.77	0.67	0.65	0.74	0.73	0.86	0.90
खुली खदान	23.05	18.89	20.50	20.38	21.34	22.16	22.11	24.24	25.72	31.52	29.45	26.71	27.25
संपूर्ण	16.59	14.66	15.37	15.36	16.07	16.69	17.10	18.88	20.08	24.22	23.71	22.67	23.21

स्वॉट विश्लेषण

बल:

- सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के मध्य दूसरे सबसे बडी कोयला उत्पादक कंपनी।
- कोयला उत्पादन,उत्पादकता और राजस्व के मामले में वृद्धि का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड।
- अच्छी कार्य प्रणाली- कुशल, अनुभवी और समर्पित कार्य बल।
- अन्वेषण और खनन योजना की मजबूत क्षमता।
- ओड़िशा राज्य में कोयला खनन क्षेत्र में खनन संचालन और देश में प्रमुख उपभोक्ताओं की सेवा।

कमजोरी:

- भूमिगत संचालन से नुकसान।
- कोयला की निकासी बड़े पैमाने पर बाहरी एजेंसियों पर निर्भर करती है और बढ़ते कोयला क्षेत्रों में निकासी सुविधाओं की कमी है।
- उपलब्ध संसाधनों में कम ग्रेड के कोयले का प्रभुत्व।

अवसर:

- विद्युत उत्पादन के लिए विशेष रूप से देश में कोयले की भारी मांग।
- एमसीएल में कोयला खनन की बड़ी भारी संभावना।
- उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्र भी एमसीएल से जुड़े हुए हैं।
- एक स्वस्थ विपणन रणनीति तैयार करने के लिए और उपभोक्ताओं, रेलवे और वाहकों के साथ दीर्घकालिक समझौता तैयार करने के लिए।
- वाशरी की स्थापना के लिए
- सत्ता में विविधीकरण
- तरल (तेल) के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले के लिए संयुक्त उपक्रम।

चुनौती :

- खुली कोयला खनन के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता।
- भूमि अधिग्रहण और फलस्वरूप सामाजिक विस्थापन।
- पुनर्वास और पुन:स्थापना मुद्दे।
- पर्यावरण प्रदूषण के लिए खुली खदान खनन की विशिष्टता।
- कोयला परिवहन में रेलवे की अपर्याप्तता।
- अधिकांश उपभोक्ता कोयला क्षेत्र से दूर हैं अर्थात रेल भाड़े में वृद्धि का मतलब है उपभोक्ताओं के लिए उच्च भूमि लागत।
- तटीय आधारित ताप विद्युत संयंत्र के पास आयातित कोयले का इस्तेमाल करने हेतु विकल्प हैं।
- कैप्टिव खनन - बाजार में कोयले की बिक्री के लिए राज्य सरकार की कंपनियों, कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ब्लॉक का आवंटन।

क. कार्य प्रदर्शन:

मुख्य रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है।

ख. दृष्टिकोण

सदस्यों को ज्ञात है कि वर्तमान में, एमसीएल में 73.78 मिलियन टन की क्षमता के साथ 37 पूर्ण परियोजनाएँ हैं (समाप्त खानों की क्षमता सहित), जिसमें से 1.60 मिलियन टन की क्षमता वाली 02 परियोजनाएँ XI योजना अवधि के दौरान समाप्त हो गई हैं। कार्यान्वयन के तहत (मार्च 2020 तक) 156.83 मिलियन टन की क्षमता के साथ 16 चालू परियोजनाएं हैं। 2019-20 के दौरान इन चालू परियोजनाओं से 87.734 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है।

बसुंधरा क्षेत्र के ईब-वैली कोलफील्ड्स (गोपालपुर ट्रैक्ट के रूप में ज्ञात है) में पर्याप्त क्षमता है, लेकिन एकमात्र अड़चन कोयला निकासी व्यवस्था है। आपकी कंपनी ने कोयला परिवहन को बढ़ाने के लिए बसुंधरा क्षेत्र से झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन तक 52 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पूरी की है।

इसी तरह, तालचेर कोलफील्डस में कलिंग-अनगुल लिंक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। एक बार जब यह खंड पूरा हो जाने पर अनगुल की ओर से खाली रेल रेक का आवागमन होगा और लोडेड रेक को तालचेर की ओर से निकाला जा सकेगा। इससे तालचेर कोलफील्डस की रेक आवागमन की क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

ग. <u>जोखिम और चिंता</u>:

खनन स्थल विशिष्ट होते हैं एवं इसके स्थान क़ो बदला नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित जोखिम और चिंताएँ शामिल हैं:

- वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उच्च लागत
- निर्धारित मानदंडों से परे रोजगार की मांग जिसके परिणामस्वरूप लगातार कानून और व्यवस्था की समस्या और खनन और कोयला परिवहन संचालन में बाधा।
- एच.ई.एम.एम. और अन्य विद्युत एवं यान्त्रिकी सामान की खरीद मे देरी।

घ. <u>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी आवश्यकता</u>:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

ङ. <u>परिचालन कार्य निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:</u>

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

च. <u>अनेक कार्यरत लोगों के साथ मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में भौतिक विकास</u>:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

छ. <u>पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण।</u>

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

ज. <u>कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व</u>

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

<u>31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा 08 जूलाई, 2020 को संशोधित लेखा परीक्षा में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है, जो 16 जून, **2020** को पूर्व में की गई लेखापरीक्षा का अधिक्रमण करती है।

मैने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों को एक्सेस किए बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों, कंपनी के अधिकारियों एवं लेखा रेकॉर्ड के परीक्षण की जानकारी के लिए सीमित है।

अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट में किए गए संशोधन में प्रकाशित कुछ लेखा परीक्षा परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नही आई है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक लेखा परीक्षा (कोल)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: **14** अगस्त, 2020

<u>31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वितीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) जिसे अनुभाग 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, जिसे अनुभाग 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा 23 जूलाई, 2020 को संशोधित लेखा परीक्षा में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है, जो 16 जून, **2020** को पूर्व में की गई लेखापरीक्षा का अधिक्रमण करती है।

मैने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) जिसे अनुभाग 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है लेकिन उसी तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए निम्न अनुलग्नक में सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनीयों के वित्त विवरण का अनुपूरक लेखा परीक्षण नहीं किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों को एक्सेस किए बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों, कंपनी के अधिकारियों एवं लेखा रिकॉर्ड के परीक्षण की जानकारी के लिए सीमित है।

अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट में किए गए संशोधन में प्रकाशित कुछ लेखा परीक्षा परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नही आई है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से
हस्ता/-
(मौसूमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक लेखा परीक्षा (कोल)
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: **14** अगस्त, 2020

अनुलग्नक

अनुषंगी कंपनी का नाम	वर्ष **2019-20** के लिए अनुपूरक लेखा परीक्षा का विवरण
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी।
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी।
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी।
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	डीजीए (खदान) के कार्यालय द्वारा गैर समीक्षा प्रमाण पत्र जारी।

स्वतंत्रलेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट :

मत

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीयविवरणी की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा (अन्य समेकित आय सहित), नकद प्रवाह विविरण तथा वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानकके वित्तीयविवरणों" का संदर्भ) शामिल हैं। इस वित्तीय विवरणी में सात खनन क्षेत्रों एवं तालचेर कोलफील्ड्स की एक केंद्रीय कर्मशाला से संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित आंकड़े शामिल हैं।

31 मार्च, 2020 तक कंपनी के मामलों की स्थिति एवं आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसार हमारी राय और जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरण, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और इसके अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। और लाभ अन्)य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन(, उस वर्ष के लिए इक्विटी और उसके नकदी प्रवाह में परिवर्तन समाप्त हो गया है।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की गई है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षा की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षाके लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं। और हमने इन आवश्यकताओं और आचारसंहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है. हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में मैटर पैराग्राफ का प्रभाव

हम अन्य जानकारी के तहत वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी नोट -38 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं -

"कोरोना वायरस (कोविड -19) का प्रकोप भारत और विश्व में आर्थिक मंदी के लिए महत्वपूर्ण व्यवधान का कारण बन रहा है। समूह ने अपने व्यापार संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। समूह भावी आर्थिक स्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की सूक्ष्मता से निगरानी रखेगा। "

इस मामले में हमारा मत संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी
कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड रिपोर्ट सहित अनुबंध की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।
समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम निष्कर्ष के किसी भी आश्वासन को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:
कंपनी के निदेशक मण्डल, इस स्टैंडअलोनभारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों के निर्माण के संबंध में कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") 2013 की धारा 134(5) के तहत नियमों को पढ़े, मे उल्लेखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो धारा के तहत निर्धारित 133भारतीय लेखांकन मानक सहित भारतमेंस्वीकृतलेखासिद्धांतों के अनुसार मामलों की सही एवं स्पष्ट जानकारी (वित्तीय स्थिति), लाभ अन्य समेकित आय सहित) हानि-वित्तीय कार्यनिष्पादन(,नगद प्रवाह, कंपनी के एक्विटी शेयर मे परिवर्तन की जानकारी देता है।

कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम केप्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित वविवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने ,जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होनेवाली गलत विवरण से मुक्त हो, जो कंपनी के निदेशकों द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग की जाती हों।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार है, जो कि संस्था, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू हो, संस्था से संबंधित मामले और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन को बंदकर नेका इरादा रखता है, यायथार्थवादी नहीं है वैकल्पिक है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व
हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखांकन मानक के रूप समग्र रूप से वित्तीय विवरण के भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है।उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा।. गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के अंश के रूप में, हम व्यवसाय संबंधी निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में व्यवसाय संबंधी संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण की आशंका को पहचानें और उनका आकलन करते है, उन आशंकाओं के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की रचना और निष्पादन करते है और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते है, जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न सामग्री के गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न से बड़ा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुति , या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रचना करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझते है की समझ प्राप्त करते है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3)(i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियां जो भारत में निगमित की गई हैं, उनके पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निदेशक मण्डल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित घोषणाओं की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।
- लेखांकन के सतत मुद्दो के आधार को प्रबंधन की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता है जो कंपनी के सतत मुद्दो की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकते हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय परिणामों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के साक्ष्य पर आधारित हैं। यद्यपि भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह सतत मुद्दों को बंद कर सकता है।
- घोषणाओं सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।

समेकित वित्तीय विवरणों में भौतिकता, गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समूहिक रूप से इसे संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों का एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के अंतर्गत योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में चिन्हित किसी भी गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करते है ।

आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों सहित जिसे लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित किया जाता हैं, अन्य योजनाबद्ध कार्य-क्षेत्र, लेखा परीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष के मामलों में हम शासन विधि के लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम, शासन विधि के उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं जिसका हमने स्वतंत्र लेखा परीक्षा के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों में जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ संवाद करते है, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर उचित माना जा सकता है।

अन्य मामले

क) हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर 16.06.2020 बुर्ला में एक ऑडिट रिपोर्ट (मूल रिपोर्ट)जारी की थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार, हमने उक्त ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह ऑडिट रिपोर्ट मूल रिपोर्ट को सुपरसीड करती है जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अनुलग्नक क के पेरा vi, जगन्नाथ क्षेत्र के विवादित बकाया के संबंध में अनुलग्नक क में vii (b) के बिन्दु सं. 4, भरतपुर क्षेत्र के विवादित बकाया के संबंध में अनुलग्नक क में vii (b) के बिन्दु सं. 1 तथा बन्दु सं. (f) जैसा की ऊपर उल्लेखित है, टिप्पणियों को संशोधित किया गया है। मूल रिपोर्ट के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया इस पैराग्राफ में उल्लिखित मदों के लिए किए गए संशोधनों तक ही सीमित है।

ख) तालचेर क्षेत्र के सात खदान क्षेत्रों एवं एक केंद्रीय कार्यशाला के वित्तीय विवरण / सूचना का लेखा-परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया (कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल हैं जो 31 मार्च 2020 तक वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी में कुल रुपये 16388.34 करोड़ की संपत्ति तथा वर्ष की समाप्ति पर 9270.55 करोड़ रुपये का कुल राजस्व दर्शाती है) जिसकी रिपोर्ट हमारे लिए प्रस्तुत की गई है, और अब तक की हमारी राय में, जो शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।कंपनी ने अपने खनन अधिकार की अलग से घोषणा करने के बजाय अन्य भूमि के तहत अपने खनन अधिकार के मूल्य को समाविष्ट किया है।

ग) कंपनी ने खनन के अधिकार के रूप में अलग से घोषणा करने के बजाय अन्य भूमि के तहत अपने खनन अधिकार के मूल्य को शामिल किया है।

घ) कंपनी ने आग, चोरी और संबद्ध गतिविधियों के लिए अपनी आस्तियों जैसे अचल आस्तियां, भंडार और पुर्जों तथा कोयले के क्लोजिंग स्टॉक का कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है। हालांकि, कंपनी ने होल्डिंग कंपनी से बीमा के लिए एक नीति तैयार करने का अनुरोध करने के लिए कदम उठाए हैं और साथ ही इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के साथ कदम उठाया गया है।

ङ) कंपनी की ग्राहकों के साथ विविध देनदारों की समय पुष्टि की जाती है। इसने/पर सुलह समय-31.03.2020 तक रुपये 475.59 करोड़ के लिए सुलह पूरी कर ली है। विविध ऋणदाताओं की शेष राशि रु. 1055.39 करोड़ सुलह प्रक्रियाधीन है।

च) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अनुपूरक अंकेक्षण पर, यह पाया गया है कि:-

I. रुपये 24.67 करोड़ लाभ का ओवरस्टेटमेंट और रुपये 38.04 करोड़ लाभ अंडरस्टेटमेंट है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के अनुसार समेकित लाभ के कर पूर्व रु. 8645.47 करोड़ की तुलना में कर पूर्व लाभ पर शुद्ध प्रभाव रु .13.37 करोड़ अंडरस्टेटमेंट है। अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान पाए गए गलत विवरण का परिणाम, कंपनी के कर पूर्व लाभ का केवल 0.05% होने पर, हमारी राय में व्यक्तिगत या एकीकृत रूप से संभव कर देगा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय से प्रभावित नहीं हो सकता है।

II. **क)** स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या ‘6 ‘कर व्यय’ पर ध्यान आकर्षित करना और भारतीय मानक लेखांकन 12 "आयकर" में संशोधन करना जहां परिशिष्ट C भारतीय मानक लेखांकन 12 के रूप में आयकर की अनिश्चितताओं के लिए लेखांकन को स्पष्ट करता है। जब भारतीय मानक लेखांकन 12 के तहत आयकर नियमों में अनिश्चितता होती है तो कर योग्य

लाभ / (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों के निर्धारण पर व्याख्या लागू की जाती है। हमे उपलब्ध जानकारी और सूचना तथा उक्त मानक के अनुपालन के आधार पर स्पष्ट है कि भारतीय मानक लेखांकन 12 के रूप में परिशिष्ट C को अपनाने से कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

ख) महत्वपूर्ण लेखा नीति 'माटेरियलिटी' के पेरा सं. 2.23.1.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया जाता है कि प्रबन्धन ने मटेरियलिटी अवधारणा के आधार को परिवर्तित कर दिया है जहां "पूर्वावधि से संबंधित चालू वर्ष में हुए त्रुटि और भूलचूक महत्वहीन समझी जाती है और यदि ऐसी भूलचूक समग्र रुप से सीआईएल के पिछलें लेखा परीक्षा वित्तीय विवरण के अनुसार पिछलें वर्ष के लेखा नीति के "संचालन के कुल राजस्व (सांविधिक लेवी के सकल) 0.50% की तुलना में संचालन के कुल राजस्व (सांविधिक लेवी के सकल) का 1% से अधिक न हो तो कंपनी के पिछलें वित्तीय लेखा परीक्षा विवरण के अनुसार उनका चालू वर्ष में समायोजन किया जाता है।" भारतीय मानक लेखांकन 8 लेखा नीति के लेखा आकलन में परिवर्तन के अनुपालन में यहा कहा जाता है कि मटेरियलिटी पर ऐसे संशोधनों के कारण कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

हम निम्न बिन्दुयों पर विश्वास जताते हैं:

क. ओबीआर लागत के मानक एवं चालू अनुपात में समायोजिन सहित ओवर बर्डन में अग्रिम स्ट्रिपिंग, निष्काषित कोयला, मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात भिन्नता आदि का प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़े।

ख. खदान बंदी व्यय के लिए प्रावधान के उद्देश्य से सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)द्वारा तैयार किया गया तथा कंपनी प्रबंधन द्वारा अनुमोदित खदान बंद करने की योजना

ग. अचल संपत्तियों की हानि हेतु प्रावधान के लिए प्रबंधन तकनीकी अथवा अन्य का मूल्यांकन/अनुमान।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश ") के अनुसार हमने "अनुलग्नक- क ", निर्दिष्ट आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 का वक्तव्य प्रस्तुत किया है।
2. कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों के ऐसे चेक के आधार पर, जिसे हमने उचित माना और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों पर "अनुलग्नक- ख में हमें दी गई जानकारी और विवरण के अनुसार हम अपनी रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में संलग्न कर रहे हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं,:

   क. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छा है, जैसा कि पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक था।

   ख. हमारी राय में कंपनी के पास अभी तक उक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून के अनुसार आवश्यक उचित लेखा पुस्तकें हैं क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षाण रिपोर्ट से सामने आती है ।

ग. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखा परीक्षा किए गए तालचेर क्षेत्र के छह खानों और केंद्रीय कार्यशाला की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमे पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है।

घ. इस रिपोर्ट में तुलनपत्र, लाभ और हानि के विवरण,नकदी प्रवाह विवरणऔर इक्विटी विवरण के साथ भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ सहमति है(शाखा लेखा परीक्षक से प्राप्त लाभ)।

ङ. हमारी राय में, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो जारी किए गए संबंधित नियमावली 7 के कंपनी नियमावली 2014के साथ पढ़े जाते हैं।

च. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई दिनांक (5 जून 2015 की नियमों के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते, हमें सूचित किया जाता है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान समूह के तहत कंपनियों पर लागू नहीं है।

छ. समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, "**अनुलग्नक- ग** " में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

ज. कंपनी नियम (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक), 2014 के नियमावली 11 तथा हमारी राय और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में,

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण,नोट 38 :के संदर्भ संख्या 4 में कंपनी ने अपने वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. जैसा कि हमें समझाया गया है कि कंपनी ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है और दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी प्रकार के भौतिक नुकसान की कल्पना नहीं की है, इसलिए इस खाते पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

iii. चूंकि कंपनी के कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 के पूर्व धारा 205 सी) की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक रूप से निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित नहीं करनी है अत: फंड में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने में देरी उत्पन्न नहीं होती है।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई

(सीए जितन कुमार मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 052796
UDIN- 20052796AAAABF7471

स्थान : बुर्ला
दिनांक: 23.07.2020

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक -क

मार्च,2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणीमें कंपनी के सदस्यों के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों को संदर्भित अनुलग्नक में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) क .कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं परिसंपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरणों का समुचित रिकार्ड रखा है।

ख .उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की गई है। इन जाँचों में वस्तुओं की कोई अनियमितता नहीं देखी गई है।

ग. हमें दी गई जानकारी तथा व्याख्या के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर यह सप्ष्ट हुआ है कि कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि के लिए क्लीयर टाइटल लीज/ डीड हैयद्यपि कंपनी के कब्जे में आनंद विहार और जागृति विहार में 58.984 एकड़ भूमि है। कंपनी ने प्रीमियम जमा कर दिया है और उसके पक्ष में भूमि को स्वीकृत करने के लिए आवेदन कर दिया है,जिसके लिए संप्रेषणम कार्य निष्पादित किया जाना है।

(ii) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जांच एक तर्कसंगत अंतराल के बाद तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक की जॉच प्रबं (ठेकेदारों के पास निरीक्षण के तहत को छोड़कर/ओंया आपूर्तिकर्त्ता/ औरमार्गस्थ)धन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाती है।वास्तविक स्टॉक एवं पुस्तकीय स्टॉक के वास्तविक जाँच से उत्पन्न अंतर को लेखा की पुस्तक में दर्शाया गया।

(iii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार एवं रिकार्ड की जांच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि चालू लेखा बही सहित अल्प अवधि ब्याज का कोल इंडिया लिमिटेड, स्वामित्वधारी कंपनी तथा अनुषंगिक कंपनियों महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, एमकोल लिमिटेड .जे.एस.जे., एमशक्ति लिमिटेड .एच.एन., महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के साथ अनुरक्षित किया जाता है। हमने यह भी देखा कि कंपनी ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण अनुदान के रूप दिया है, जिसे कोयला मंत्रालय की सहमति भी मिली है।

क. रिकार्ड परीक्षण एवं उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह के दिये गये ऋण के निबंधन एवं शर्त कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।

ख. कोल इंडिया लिमिटेड, स्वामित्वधारी कंपनी और अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू शेष खाते पर ब्याज की नियमित प्राप्ति की जाती है। चालू जमा के ब्याज दर पर एमकोल इंडिया लिमिटेड के साथ ब्याज दर जमा करती है तथा .एल.सी. मा करने का कार्य करती है।एमसीएल की अनुषंगी कंपनियां भी इस प्रकार के ब्याज ज

एनएलसीआईएल को दिए गए ऋणों के संबंध में, एनएलसीआईएल द्वारा मूलधन का पुनर्भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और एनएलसीआईएल कंपनी को ब्याज का नियमित भुगतान कर रहा है।

ग. महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड, एम.जे.एस.जे. कोल इंडिया लिमिटेड, एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है क्योंकि पुनः भुगतान अवधि निर्धारित नहीं है तथा वित्त वर्ष के दौरान एनएलसीआईएल को प्रदान किए गए ऋण करने के संबंध में कोई बकाया नहीं है।

(iv) हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कर्ज, निवेश तथा गारंटी से संबंधित अधिनियम की धारा-185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है।

(v) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से लागत की लेंखा परीक्षा की जाती है तथा हमलोग कंपनी लागत) लेखांकन रिकार्ड (नियमावली,2014 जिसे केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत मोटे तौर पर कंपनी द्वारा अनुरक्षित गत रिकार्ड की समीक्षा की है और हमारा मत है स्पष्ट है कि दिया गया लागत रिकार्ड रखा एवं अनुरक्षित किया गया है।

Vii) (क) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पमष्टी करण के अनुसार कंपनी सामान्युत: अविवादित सांविधिक बकाये जिसमें भविष्यक निधि, आयकर, विक्रय कर, वैट, संपत्ति कर, सीमा शुल्क्, उत्पाि‍द शुल्कश एवं लागू अन्यि सांविधिक बकाये शामिल हैं, को वर्ष के दौरान उपयुक्तर प्राधिकारी के पास जमा करती है। वित्तीयय वर्ष की अंतिम तिथि को कोई बकाया देय, उसके देय होने की तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं।

ख) कंपनी के रिकार्ड एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31मार्च 2020 को आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर,सेवा कर,सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेस के विवादित बकायों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.	**नियम का नाम**	**बकाया की प्रकृति**	**राशि (रु. करोड़ में(**	**राशि से संबंधित अवधि**	सीआईटी (ए), संबलपुर
1	आयकर अधिनियम	आयकर	2271.37	2017-18, 2016-17, 2015-16, 2012-13	आईटीएटी, कटक
2	आयकर अधिनियम	आयकर	174.61	2015-16	उच्च न्यायालय, ओड़िशा
3	आयकर अधिनियम	आयकर	259.57	08-09,09-10, 10-11,11-12, 12-13,13-14, 14-15	सीआईटी (ए), संबलपुर
4	आयकर अधिनियम	आयकर	24.01	2009-10, 2008-09	निर्धारण अधिकारी /डीसीआईटी /जेसीआईटी, सम्बलपुर
मुख्यालय					
1	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	31.64	2012-13 से 2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
बसुंधरा					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994	उत्पाद शुल्क	6.54	2011-2014	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.03	2009-2012	आयुक्त (अपील)
3	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.31	2019-20	सहायक आयुक्त, राऊरकेला
ओरिएंट					
1	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.09	2014-15 और 2015-16	आयुक्त (अपील)

2	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.01	2007-08	सीईएसटीएटी
3	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.08	2013	सीईएसटीएटी
ईब वैलि					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	8.43	मार्च 2011 से मार्च 2012	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	10.15	2012-2013	सीईएसटीएटी
3	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	7.94	मार्च 2013 to दिसंबर 2013	सीईएसटीएटी
4	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	11.46	जनवरी 2014 to दिसंबर 2014	सीईएसटीएटी
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	0.30	2013-14 and 2014-15	आयुक्त (सीबीईसी)
6	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	2.44	जनवरी 2015 to मार्च 2015	सीईएसटीएटी, कोलकाता
7	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.02	2008-09	आयुक्त (सीबीईसी)
8	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.18	2010-11 to 2014-15	आयुक्त (सीबीईसी)
9	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	1.24	01-04-2005 to 30-11-2006	बिक्री कर आयुक्त
10	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	6.83	2006-07	बिक्री कर आयुक्त
11	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	0.03	2009-11	बिक्री कर आयुक्त
12	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	0.86	2013-14	बिक्री कर आयुक्त
13	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	66.95	2015-16	बिक्री कर आयुक्त
14	ओड़िशा वैट	बिक्री कर	2.57	2016-17	बिक्री कर आयुक्त
15	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.03	2016-17 to 2017-18	सहायक पीएफ आयुक्त और वसूली अधिकारी

लिंगराज					
1	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.08	2012-13, 2013-14	आयुक्त (अपील), भुवनेश्वर
2	ओड़िशा वैट	सीएसटी	0.02	1998-99, 2004-05	एसीसीटी , कटक II रेंज
3	ओड़िशा वैट	सीएसटी	0.16	2000-01, 2001-02	आयुक्त कटक
4	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	0.52	1999-00	सहायक आयुक्त, अंगुल
5	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	0.09	2003-04, 2004-05	उच्च न्यायालय, ओड़ीशा
भरतपुर					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	1.08	अप्रैल 2011 to मार्च 2015	माननीय उच्च न्यायालय, ओड़ीशा
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	1.42	अप्रैल 2011 to मार्च 2015	माननीय उच्च न्यायालय, ओड़ीशा
3	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.10	01.06.07 to 31.03.12	सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, अंगुल
4	सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	84.33	अप्रैल 2006-फरवरी 2011	सीईएसटीएटी, कोलकाता
जगन्नाथ					
1.	सीएसटी अधिनियम, 1957	सीएसटी	29.97	1985-86 to 2016-17	अपर आयुक्त, कटक, अपर आयुक्त (अपील) कटक, डीसीसीटी, अंगुल, बिक्री कर कार्यालय, बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
2.	ओईटी	प्रवेश कर	2.73	2004-05 to 2015-17	सहायक आयुक्त, कटक, अपर आयुक्त (अपील) कटक
3.	ओएसटी	बिक्री कर	0.81	1983-2002	अपर आयुक्त कटक बिक्री कर अधिकारी बिक्री कर, बिक्री कर न्यायाधिकरण, कटक
4.	वैट	वैट	60.35	2004-11, 2012-14	अपर आयुक्त (अपील), कटक

5.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	2.04	01.03.2011 to 31.03.2015	आयुक्तसेंट्रल एक्साइज , BBSR
6.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	68.69	2010-11 to 2014-15	आयुक्तसेंट्रल एक्साइज , राउरकेला
7.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	0.09	2011-12 to 2014-15	आयुक्त (अपील)
8.	स्वच्छ ऊर्जा उपकर अधिनियम एवं नियमावली	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	91.18	2010-11 to 2014-15	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राउरकेला
9.	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	0.23	2013-14 to 2015-16	आयुक्त (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क
लखनपुर					
1	सीईएस नियम 2010	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	49.76	2010-11 to 2014-15	सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT)
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	46.09	2011-12 to 2014-15	ओडिशा उच्च न्यायालय
तालचेर					
1	बिक्री कर	केंद्रीय बिक्री कर U/R 12(5)	0.0006	2000-01	अपर बिक्री आयुक्त, कटक
2	बिक्री कर	ओड़िशा बिक्री कर 12(4)	0.01	1998-99	वाणिज्यिक कर आयुक्त, कटक
3	बिक्री कर	ओड़िशा बिक्री कर	0.01	1993-94	एसटीओ, ढेंकनाल
4	सेवा कर	जल कर	0.05	2019-20	आयुक्त, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994	उत्पाद शुल्क	0.16	2013-14, 2014-15	सहा. आयुक्त , अंगुल
6	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994	उत्पाद शुल्क	0.73	मार्च 2011-फरवरी 2015	सीईएसटीएटी,
7	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.06	2013-14, 2014-15	सहा. आयुक्त , अंगुल

हिंगुला					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	161.63	2010-11 to 2014-15	उच्च न्यायालय
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	165.90	2010-11 to 2014-15	उच्च न्यायालय
3	ओड़िशा बिक्री कर	बिक्री कर	0.10	1993 to 2004	अपीलीय अपर आयुक्त, कटक
4	ओड़िशा बिक्री कर	बिक्री कर	0.58	1993 to 1996	बिक्री कर न्यायाधिकरण
5	ओड़िशा प्रवेश कर	ओईटी	1.35	2003 to 2005	अपर आयुक्त, (अपील)
7	सेवा कर अधिनियम 1994	सेवा कर	0.46	2013-14 to 2015-16	अपर आयुक्त/CESTAT

उपरोक्त राशि में से रु3 .3.91 करोड़ रुपये के बिक्री कर अंडर प्रोटेस्ट के रूप में जमा किया गया है, रु . 1465.97 करोड़ रुपये आयकर के रूप में जमा किए गए हैं, रुपये की राशि। प्रोटेस्ट के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के खिलाफ 2.99 करोड़ रुपये और एक करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है। विरोध के तहत सेवा कर के खिलाफ 2.87 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

(viii) प्रबंधन द्वारा हमें दिये गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्था , बैंक या सरकार से किसी भी ऋण या उधारी के पुनर्भुगतान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं हैं। कंपनी ने किसी भी प्रकार का ऋण जारी नहीं किया है।

(ix) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव तथा आवधिक ऋण के द्वारा कोई राशि नहीं की है। तदानुसार (ऋण साधन सहित) -आदेश का अनुच्छेद3(ix) लागू नहीं है।

(x) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा कंपनी में किसी भी प्रकार की धोखा संबंधी सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, कोयले की आपूर्ति के लिए कुछ निजी पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए संगठन के कुछ कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2013 से 2017 तक कोलकाता बिक्री कार्यालय में खातों में हेरफेर करने का आरोप दायर किया गया था, जिसके संबंध में प्रबंधन ने फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है, जिसकी रिपोर्ट किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रतीक्षित है।

(xi) हमें दी गई सूचना एवं स्पधष्टी करण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर प्रावधान की धारा-197, अधिनियम की अनुसूची-V में पढ़ी जाये तथा उसके द्वारा आदेशित आवश्यक अनुमोदन के अनुसार कंपनी ने प्रबंधकीय पारिश्रिक का भुगतान/प्रदान किया है।हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदानुसारआदेश का अनुच्छेद-3(xii) लागू नहीं है।

(xii) कंपनी एक राज्य नियंत्रक उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन के साथ भारतीय लेखांकन मानक- 24के अनुच्छेद-26 की तहत जरूरी प्रासंगिक विवरण को प्रस्तुत किया गया।

(xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कंपनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया। जैसा कि कंपनी आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नही किया, कंपनी अधिनियम,2013 धारा के आवश्यकता अनुसार जिस उद्देश्य के लिए फंड बढ़ाया गया उसमें इस्तेमाल राशि के अनुपालन 42, जो लागू नहीं है ।

(xiv) हमें दी गई सूचना एवं मानकीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकार्ड के जांच के आधार पर कंपनी के निदेशकों या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर कानूनी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया गया है। तड के आदेश का अनुच्छेद) 3- xv) लागू नहीं है।

(xv) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 45 के धारा 1934आईए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई
ह/-
(सीए जितन कुमार मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 052796

स्थान : बुर्ला
दिनांक: 23. 07.2020

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक -ख

वर्ष 2019-20 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम की 2013 उप (5)143 धारा-के अनुसार दिशानिर्देशों एवं अतिरिक्त दिशानिर्देशों की रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	लेखा परीक्षक का जवाब
	अनुलग्नक: ख(i)	
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है?यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन का रिकॉर्ड रखने हेतु कोलनेट नामक एक आईटी प्रणाली है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वास्तविक समय के आधार पर अप्रैल 2020 के दौरान आगे की एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित अनुमोदित बिक्री बिलिंग पर अधिकार करने के लिए कोलनेट में वित्त मॉड्यूल और बिक्री मॉड्यूल का एकीकरण शुरू किया गया है। एमसीएल कोलकाता विक्रय कार्यालय के लेखा परीक्षित खातों में 31.03.2020 के अनुसार देनदार शेष वित्त वर्ष 2020-21 में शेष राशि के रूप में एमसीएल मुख्यालय के खातों में कोलनेट के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज /ऋण ब्याज आदि के / छूट राइट ऑफ / का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	एमसीएल द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा छूट पत्रबट्टे खाते में / ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं है। / ऋण/ डालना
3	क्या केंद्रीय राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के / लिए प्राप्त के प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों / अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, सड़कों और रेल ढांचे के कार्यों के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पूंजी अनुदान के रूप में कोई सीसीडीए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। अब तक कुल 208.58 करोड़ रुपये का सीसीडीए अनुदान राशि प्राप्त किया गया है जिसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर संशोधित किया गया है और नोट -22 के तहत 180.77 करोड़ रुपए बकाया राशि का खुलासा विलंबित आय के रूप में किया गया है। जैसा कि चार सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था।

	अनुलग्नक: : ख(ii)	
1	क्या समोच्च नक्शे को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक माप किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शे के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।	हाँ। स्टॉक माप समोच्च नक्शे को ध्यान में रखते हुए किया गया है और भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शे के साथ हैं। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय पुनः / विभाजन / संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	हमें दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान महालक्ष्मी क्षेत्र को लेखा परीक्षा के तहत दिनांक 26.10.2019 को बसुंधरा क्षेत्र से अलग किया गया था। प्रबंधन द्वारा परिवर्तन की तिथि पर महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थानांतरित आस्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए लेखा परीक्षा की गई थी। प्रत्येक तिमाही में स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा आस्तियों का भौतिक सत्यापन करना भी कंपनी का कार्य है।
3	क्या सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलगअलग एस्क्रो खातों को बनाए-रखा गया है। खाते के फंड के उपयोग की भी जांच करें।	कंपनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ खान-वार एस्क्रो खातों का रखरखाव कर रहा है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोयला नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त अनुमोदन पश्चात खान बंदी गतिविधि के लिए रु. 24.26 करोड़ निकाला है।
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए दंड का प्रभाव विधिवत माना गया है और इसका हिसाब दिया गया है?	उप निदेशक खान के कार्यालय ने स्वीकृत पर्यावरण मंजूरी सीमा से परे कोयले के उत्पादन के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्षेत्रों को सूचना जारी किया है। एमसीएल पर रु 11212.81 करोड़ का दावा है। कंपनी ने इस तरह के दावों के लिए निगरानी संबंधी प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय में संशोधन आवेदन दायर किया है तथा निगरानी संबंधी प्राधिकरण ने रुपये 8297.77 करोड़ के दावे को अलग रखा है और कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में 2915.04 करोड़ रुपये की शेष राशि की घोषणा की है।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई
ह/-
(सीए जितन कुमार मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 052796

स्थान : बुर्ला
Date:23.07.2020

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुबंध -ग

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन

कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के संयोजन में, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी")के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षाहमारे द्वारा किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान)'आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा में बताए गए आंतरिक नोट के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार परआंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करनाकंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, के तहत 2013 डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव एवं कार्यान्वयन-, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समयबद्ध-प्रस्तुतीकरणशामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध मेंमत व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अधिनियम की धाराके तहत निर्दिष्ट एवं (10)143-चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदनपर (मार्गदर्शन नोट) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित कियाहै कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित है एवं वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदन और उनके संचालन की प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमी से होने वाली जोखिम का आकलन करना,डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण पर आंतरिक नियंत्रण को हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा से साक्ष्य प्राप्त किए हैं,वे वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षापर दी गई राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो

1. अभिलेखोंकेरखरखाव से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएँ
2. उचित आश्वासन प्रदान करेंकि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य की तैयारी की अनुमतिप्रदान करने के लिए आवश्यक लेनदेन रिकॉर्ड किए जा रहे हैंतथा कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं;तथा
3. अनधिकृतअधिग्रहण, उपयोगव कंपनी की संपत्ति का निपटान जिसका वित्तीय विवरण पर प्रभावपड़ सकता है, का समय पर पता लगाएँ एवं रोक थाम के संबंध में उचित-आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं -:

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की अभिसंधि या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्रियों में गलतियाँ हो सकती हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है।साथ ही भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा का ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित किया गया है।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई
ह/-
(सीए जितन कुमार मिश्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या. 052796

स्थान: बुर्ला
तिथि : 23.07.2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन

मत

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के (इसके बाद "धारक कंपनी" के रूप में संदर्भित) समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित तुलनपत्र में, समेकित लाभ-हानि विवरण (अन्य समेकित आय सहित), समेकित नकद प्रवाह विविरण तथा वर्ष के लिए समेकित इक्विटी में परिवर्तन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश (इसके बाद वित्तीय विवरणों के अनुसार "समेकित भारतीय लेखांकन मानक के रूप में संदर्भित") शामिल है।

हमारी राय, हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी सही अनुरूपता और भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा 31 मार्च,2020 समाप्त वर्ष के लिए समूह की समेकित स्थिति (वित्तीय स्थिति), और समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उसके समेकित नकदी प्रवाह का विवरण निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ प्रदान करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित की गई है।. हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को लेखा परीक्षा की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत और अन्य लेखा परीक्षा द्वारा दिए गए उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में अन्य लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, अन्य मामले अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (क) के नीचे दिए गए हैं जो वित्तीय विवरणों के अनुसार समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण पर हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त और उचित है।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में मैटर पैराग्राफ का प्रभाव

हम अन्य जानकारी के तहत वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणी नोट -38 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं -

"कोरोना वायरस (कोविड -19) का प्रकोप भारत और विश्व में आर्थिक मंदी के लिए महत्वपूर्ण व्यवधान का कारण बन रहा है। समूह ने अपने व्यापार संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। समूह भावी आर्थिक स्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की सूक्ष्मता से निगरानी रखेगा। "

इस मामले में हमारा मत संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड रिपोर्ट सहित अनुबंध की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम निष्कर्ष के किसी भी आश्वासन को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (तत्पश्चात"अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की आवश्यकता के अनुसार इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित मामलों (वित्तीय स्थिति), समेकित लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), समूह में इक्विटी और समेकित नकदी प्रवाह में समेकित परिवर्तन, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक सहित (भारतीय लेखांकन मानक के रूप में) संबंधित नियमों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करतें हैं, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव, संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए ; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, के लिए जिम्मेदार हैं , जिसका उपयोग धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त रूप में समेकित भारतीय लेखांकन मानक की तैयारी के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की क्षमता का आकलन करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जो एक लाभकारी कारोबार वाला संस्थान है, संस्थान से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के चलते संस्थान के आधार का उपयोग करना, जब तक प्रबंधन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कंपनी के निदेशक मंडल समूह की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखांकन मानक के रूप समग्र रूप से वित्तीय विवरण के भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा।. गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें यथोचित रूप से इन समेकित वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के अंश के रूप में, हम व्यवसाय संबंधी निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में व्यवसाय संबंधी संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण की आशंका को पहचानें और उनका आकलन करते है, उन आशंकाओं के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की रचना और निष्पादन करते है और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते है,जो हमारे मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित

हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न सामग्री के गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न से बड़ा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुति , या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रचना करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करते है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियां जो भारत में निगमित की गई हैं, उनके पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित घोषणाओं की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते है।
- लेखांकन के सतत मुद्दो के आधार को प्रबंधन की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता है जो समूह के सतत मुद्दो की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकते हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारे मत को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के साक्ष्य पर आधारित हैं। यद्यपि भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह सतत मुद्दों को बंद कर सकता है।
- घोषणा सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त यथोचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते है. हम समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा दिशा, पर्यवेक्षण और निर्देशन करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में भौतिकता, गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समूहिक रूप से इसे संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों का एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के अंतर्गत योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में चिन्हित किसी भी गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करते है ।

आंतरिक नियंत्रण में किन्हीं महत्वपूर्ण कमियों सहित जिसे लेखा परीक्षा के दौरान चिन्हित किया जाता हैं, अन्य योजनाबद्ध कार्य-क्षेत्र, लेखा परीक्षा का समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष के मामलों में हम शासन विधि के लोगों साथ संवाद करते हैं जो कंपनी के नियंत्रन और इस तरह की अन्य संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल , जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

हम, कंपनी द्वरा नियंत्रित उन लोगों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं जिसका हमने स्वतंत्र लेखा परीक्षा के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों में जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ संवाद करते है, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर उचित माना जा सकता है।

अन्य मामलें

क**)** हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए समेकित वित्तीय विवरणों पर 16.06.2020 बुर्ला में एक ऑडिट रिपोर्ट (मूल रिपोर्ट)जारी की थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत भारत के

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार, हमने उक्त ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह ऑडिट रिपोर्ट मूल रिपोर्ट को सुपरसीड करती है जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की निम्नानुसार बिन्दु (B) सकल हानी का समूहिक साझा संबंधी तथा बिन्दु (F)नीचे दिए गए अनुसार टिप्पणियों को संशोधित किया गया है। मूल रिपोर्ट के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया इस पैराग्राफ में उल्लिखित मदों के लिए किए गए संशोधनों तक ही सीमित है।

ख) हमने चार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं का लेखा-जोखा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2020 तक रुपये 259.20 करोड़ की कुल आस्तियां, रुपए 3.18 करोड़ का कुल राजस्व और वर्ष के समाप्ति पर रु. 4.38 करोड़ के सकल नकद प्रवाह को दर्शाती है जैसा कि समेकित वित्तीय वक्तव्यों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में समूह शेयर के हानि सकल राशि रुपये 11.34 करोड़ शामिल है। (31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, समेकित वित्तीय वक्तव्यों में समेकित के रूप में) जो हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं का लेखा-परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय से सुसज्जित है, और समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, अब तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

ग) कंपनी ने अपने खनन अधिकार की अलग से घोषणा करने के बजाय अन्य भूमि के तहत अपने खनन अधिकार का मूल्य को समाविष्ट किया है।

घ) कंपनी ने आग, चोरी और संबद्ध गतिविधियों के लिए अपनी आस्तियों जैसे अचल आस्तियां , भंडार और पुर्जो तथा कोयले के क्लोजिंग स्टॉक का कोई बीमा कवरेज नहीं लिया है। हालांकि, समूह ने होल्डिंग कंपनी से बीमा के लिए एक नीति तैयार करने का अनुरोध करने के लिए कदम उठाए हैं और साथ ही इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी के साथ कदम उठाया गया है।

ङ) होल्डिंग कंपनी की ग्राहकों के साथ विविध देनदारों की समय-समय पर सुलह/पुष्टि की जाती है। इसने 31.03.2020 तक रुपये 475.59 करोड़ के लिए सुलह पूरी कर ली है। विविध ऋणदाताओं की शेष राशि रु. 1055.39 करोड़ सुलह प्रक्रियाधीन है।

च) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अनुपूरक अंकेक्षण पर, यह पाया गया है कि: -

i) रुपये 24.67 करोड़ लाभ का ओवरस्टेटमेंट और रुपये 38.04 करोड़ लाभ उंडरस्टेटमेंट है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार समेकित लाभ के कर पूर्व रु. 8627.52 करोड़ की तुलना में कर पूर्व लाभ पर शुद्ध प्रभाव रु. 13.37 करोड़ अंडरस्टेटमेंट है। अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान देखे गए गलत विवरण का परिणाम कंपनी के कर पूर्व लाभ का केवल 0.05% होने के कारण यह हमारी राय में व्यक्तिगत या एकीकृत रूप से संभव कर देगा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय से नहीं हो सकता है।

ii) क) समेकित वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या '6 'कर व्याय पर ध्यान आकर्षित करना और भारतीय मानक लेखांकन 12 "आयकर" में संशोधन ' करना जहां परिशिष्ट C भारतीय मानक लेखांकन 12 के रूप में आयकर की अनिश्चितताओं के लिए लेखांकन को स्पष्ट करता है। जब भारतीय मानक लेखांकन 12 के तहत आयकरनियमों में अनिश्चितता होती है तो कर योग्य

लाभ / (कर हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों के निर्धारण पर व्याख्या लागू की जाटी है। हमे उपलब्ध जानकारी और सूचना तथा उक्त मानक के अनुपालन के आधार पर स्पष्ट है कि भारतीय मानक लेखांकन 12 के रूप में परिशिष्ट C को अपनाने से कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ख) महत्वपूर्ण लेखा नीति 'मटेरियलिटी' के पेरा सं. 2.24.1.2 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया जाता है कि प्रबन्धन ने मटेरियलिटी अवधारणा के आधार को परिवर्तित कर दिया है जहां "पूर्वावधि से संबंधित चालू वर्ष में हुए तृतीय और भूलचूक इम्माटेरियल समझी जाती है और यदि ऐसी भूलचूक समग्र रुप से सीआईएल के पिछलें लेखा परीक्षा वित्तीय विवरण के अनुसार पिछलें वर्ष के लेखा नीति के "संचालन के कुल राजस्व (सांविधिक लेवी के सकल) 0.50% की तुलना में संचालन के कुल राजस्व (सांविधिक लेवी के सकल) का 1% से अधिक न हो तो कंपनी के पिछलें वित्तीय लेखा परीक्षा विवरण के अनुसार उनका चालू वर्ष में समायोजन किया जाता है" । भारतीय मानक लेखांकन 8 लेखा नीति के लेखा आकलन में परिवर्तन का अनुपालन में यहा कहा जाता है कि मटेरियलिटी पर ऐसे संशोधनों के कारण कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर कोई मटिरियल प्रभाव नहीं पड़ता।

समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो काम पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में है।

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और उप-निर्देशों के **" अनुलग्नक -क"** में कंपनी और लेखा परीक्षकों की 4 सहायक कंपनियों की रिपोर्ट की पुस्तकों और रिकॉर्डों के आधार पर हमे दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण को हम अधिनियम की धारा 143 (5) के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट को संलग्न कर रहे हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं,:

   क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा है और प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सबसे अच्छा है, जैसा कि पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक था।

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा अभी तक उक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून के अनुसार आवश्यक उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखा परीक्षाण रिपोर्ट से सामने आती है।

   ग) समेकित तुलनपत्र, लाभ और हानि के समेकित विवरण और इस रिपोर्ट के साथ समेकित नकदी प्रवाह विवरण के साथ समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की संबंधित पुस्तकों के साथ सहमति है।

   घ) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जो जारी किए गए संबंधित नियमों के साथ पढ़े जाते हैं।

ङ) कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 की नियमों के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते, हमें सूचित किया जाता है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान समूह के तहत कंपनियों पर लागू नहीं है।

च) समूह की वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक ख में हमारी अलग प्रतिवेदन का संदर्भ लें।

छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियमावली 11 तथा हमारी राय और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में,

i. नोट -38 के क्रमांक संख्या 4, के समेकित वित्तीय वक्तव्यों (भारतीय लेखांकन मानक के अनुपालन) में इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया गया है।

ii. जैसा कि हमें समझाया गया है कि समूह ने किसी भी व्युत्पन्न अनुबंध में प्रवेश नहीं किया है और दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी प्रकार के भौतिक नुकसान की कल्पना नहीं की है, इसलिए इस खाते पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

iii. चूंकि समूह की कंपनियों (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां) को कंपनी अधिनियम, 2013 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 के पूर्व धारा 205 सी) की धारा 125 (2) के तहत आवश्यक रूप से निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित नहीं करनी है अत: फंड में किसी भी राशि को स्थानांतरित करने में देरी उत्पन्न नहीं होती है।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई
ह/-
(सीए जितन कुमार मिश्रा)
साझेदार
सदस्यता सं. 052796

स्थान : बुर्ला
UDIN-**20052796AAAABG2054**

तिथि : 27.07.2020

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - क

वर्ष 2018-19 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम 2013 की उप-धारा 143(5) के अनुसार दिशानिर्देशों एवं अतिरिक्त दिशानिर्देशों की रिपोर्ट

क्र.	विवरण	लेखा परीक्षक का जवाब
	भाग: क	
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर के खातों की विश्वसनीयता पर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ को वित्तीय निहितार्थ, के साथ बताया जा सकता है, यदि कोई हो।	होल्डिंग कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से लेन-देन का लेखा-जोखा रखने के लिए कोलनेट के नाम से आईटी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अप्रैल 2020 के दौरान आगे की एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अनुमोदित बिक्री बिलिंग अधिकार करने के लिए वास्तविक समय के आधार पर कोलनेट में वित्त मॉड्यूल और बिक्री मॉड्यूल का एकीकरण शुरू किया गया है। एमसीएल कोलकाता विक्रय कार्यालय के लेखा परीक्षित खातों में 31.03.2020 के अनुसार देनदार शेष वित्त वर्ष 2020-21 में शेष राशि के रूप में एमसीएल मुख्यालय के खातों में कोलनेट के माध्यम से एकीकृत किया जाएगा। जैसा कि चार सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि , सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी प्रणाली संबंधित सहायकों में मौजूद नहीं है, हालांकि यह खातों की अखंडता को प्रभावित नहीं करेगा।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने की असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के छूट / राइट ऑफ का मामला हुआ है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	एमसीएल द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी भी ऋणदाता द्वारा छूट पत्र/बट्टे खाते में डालना/ऋण/ब्याज आदि का पुनर्गठन नहीं है। जैसा कि चार सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि मौजूदा ऋण में छूट पत्र / बट्टे खाते में डालना/ ऋण / ब्याज इत्यादि का पुनर्गठन नहीं है।
3	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त / प्राप्य धनराशि का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, सड़कों और रेल ढांचे के कार्यों के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से पूंजी अनुदान के रूप में कोई सीसीडीए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। अब तक कुल 208.58 करोड़ रुपये का सीसीडीए अनुदान राशि प्राप्त किया गया है जिसे अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर संशोधित किया गया है और नोट -22 के तहत 180.77 करोड़ रुपए बकाया राशि का खुलासा विलंबित आय के रूप में किया गया है। जैसा कि चार सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था।

	भाग : ख	
1	क्या समोच्च नक्शे को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक माप किया गया था। क्या भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शे के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी।	एमसीएल के मामले में स्टॉक माप समोच्च नक्शे को ध्यान में रखते हुए किया गया है और भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शे के साथ हैं। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेरों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।
2	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनः संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया है। यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है?	हमें दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान महालक्ष्मी क्षेत्र को लेखा परीक्षा के तहत दिनांक 26.10.2019 को बसुंधरा क्षेत्र से अलग किया गया था। प्रबंधन द्वारा परिवर्तन की तिथि पर महालक्ष्मी क्षेत्र में स्थानांतरित आस्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए लेखा परीक्षा की गई थी। प्रत्येक तिमाही में स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा आस्तियों का भौतिक सत्यापन करना भी कंपनी का कार्य है। जैसा कि चार अनुषंगी कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि यहाँ कोई विलय/विभाजन/पुन: संरचना नहीं थी।
3	क्या सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग-अलग एस्क्रो खातों को बनाए रखा गया है। खाते के फंड के उपयोग की भी जांच करें।	एमसीएल, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ खान-वार एस्क्रो खातों का रखरखाव कर रहा है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोयला नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त अनुमोदन पश्चात खान बंदी गतिविधि के लिए रु. 24.26 करोड़ निकाला है।
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध खनन के लिए दंड का प्रभाव विधिवत माना गया है और इसका हिसाब दिया गया है?	उप निदेशक खान के कार्यालय ने स्वीकृत पर्यावरण मंजूरी सीमा से परे कोयले के उत्पादन के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्षेत्रों को सूचना जारी किया है। एमसीएल पर रु 11212.81 करोड़ का दावा है। कंपनी ने इस तरह के दावों के लिए निगरानी संबंधी प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय में संशोधन आवेदन दायर किया है तथा निगरानी संबंधी प्राधिकरण ने रुपये 8297.77 करोड़ के दावे को अलग रखा है और कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में 2915.04 करोड़ रुपये की शेष राशि की घोषणा की है। वर्ष के दौरान अन्य अनुषंगी कंपनियों के पास कोई खनन गतिविधि नहीं है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक - ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा के संयोजन में, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ("धारक कंपनी") और उसकी सहायक कंपनियों जो भारत की कंपनियों में शामिल हैं, के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा हमारे द्वारा किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारत के चार्टड अकाउंटन संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने और स्थापित करने, धारक कंपनी एवं इसके अनुषंगियों के संबंधित निदेशक प्रभाग की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव और कार्यान्वियन, व्यापार के व्यवस्थित और अनुकूल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, आशंका और त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम , और लेखा परीक्षा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर समयबद्ध प्रस्तुतीकरण शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करे। हमने अधिनियम की धारा-143(10) के तहत् निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित है एवं वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण पर आंतरिक नियंत्रण को हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा से साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षण ने अपने प्रतिवेदन के संदर्भ में जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे अन्य अनुच्छेद में उल्लिखित हैं। वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के

संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो

1. अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएँ
2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य की तैयारी की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक लेनदेन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तथा कंपनी की प्राप्ति और व्यय कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; तथा
3. अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग व कंपनी की संपत्ति का निपटान जिसका वित्तीय विवरण पर प्रभाव पड़ सकता है, का समय पर पता लगाएँ एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं -:

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की अभिसंधि या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्रियों में गलतियाँ हो सकती हैं और इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा का ह्रास हो सकता है।

मत

हमारी राय में, धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय प्रतिवेदन पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2020 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि कंपनी द्वारा आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण स्थापित किया गया है।

अन्य मामले

कंपनियों के लेखा परीक्षकों से संबंधित प्रतिवेदन अधिनियम की धारा 143 (3) (1) के तहत अब तक सहायक कंपनियों से संबंधित हमारी उपरोक्त प्रतिवेदन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर आधारित हैं, जो भारत में शामिल कंपनियाँ हैं ।

सिंह रे मिश्रा एंड कं
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 318121ई
ह/-
(सीए जितन कुमार मिश्रा)
साझेदार
सदस्यता सं. 052796

स्थान : बुर्ला
तिथि : 27.07.2020

2019-20

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलोन लेखा

तुलनपत्र

(रु. करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
आस्तियां			
गैर चालू आस्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	7,243.88	6,429.10
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	4	1,448.09	1,343.71
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन आस्तियां	5	124.73	143.08
(घ) अमूर्त आस्तियां	6	4.69	4.74
(ड.) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	7	1,075.41	1,075.41
(ii) ऋण	8	626.20	1,125.66
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	9	1,165.39	1,018.38
(च) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		-	-
(i) अन्य गैर-चालू आस्तियां	10	305.51	208.35
कुल गैर चालू आस्तियां (क)		11,993.90	11,348.43
चालू आस्तियां			
(क) वस्तु सूची	12	793.62	502.30
(ख) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	7	0.46	1,000.83
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	1,323.07	465.24
(iii) नगद एवं नगद समतुल्य	14	71.43	356.41
(iv) अन्य बैंक शेष	15	12,301.22	12,866.24
(v) ऋण	8	500.32	500.32
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	9	814.55	695.04
(ग) वर्तमान कर आस्तियां (निवल)		2,524.68	744.97
(घ) अन्य चालू आस्तियां	11	2,522.45	1,541.53
कुल चालू आस्तियां (ख)		20,851.80	18,672.88
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**32,845.70**	**30,021.31**

तुलनपत्र

(रु. करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्वीटी शेयर पूँजी	16	661.84	661.84
ख) अन्य इक्वीटी	17	3,261.27	3,211.33
कंपनी के इक्वीटीधारकों को इक्वीटी का श्रेय		3,923.11	3,873.17
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल इक्वीटी (क)		3,923.11	3,873.17
देयताएं :			
गैर-चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	5.48	5.71
(ii) भुगतान योग्य व्यापार		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	39.02	51.22
(ख) प्रावधान	21	20,152.14	18,905.78
(ग) आस्थगित कर दायिताएं(निवल)		307.04	321.99
(घ) अन्य गैर चालू दायिताएँ	22	180.77	194.68
कुल गैर चालू दायिताएं (ख)		20,684.45	19,479.38
चालू दायिताएं :			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	1,706.45	-
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		0.39	0.09
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		667.28	507.60
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,630.28	1,292.13
(ख) अन्य चालू दायिताएं	23	3,337.14	3,911.17
(ग) प्रावधान	21	896.60	957.77
(घ) चालू कर दायिताएं(निवल)			
कुल चालू दायिताएं (ग)		8,238.14	6,668.76
कुल इक्वीटी एवं दायिताएं (क+ख+ग)		**32,845.70**	**30,021.31**

साथ में दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

उसी दिन हमारे द्वारा संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई
ह/-
(सीए जे.के.मिश्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 052796

ह/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के. स्वर्णकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(के आर वसुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(बी.एन.शुक्ला)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05131449

दिनांक: 15.06.2020
स्थान : बुर्ला

लाभ-हानि विवरण

(रु. करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
	संचालन से राजस्व			
क	विक्रय (निवल अन्य उगाही)	24	14,162.00	15,324.75
ख	अन्य संचालन राजस्व(निवल अन्य उगाही)		1,649.17	1,686.25
(I)	**संचालनों से राजस्व (क+ख)**		15,811.17	17,011.00
(II)	अन्य आय	25	1,785.20	1,572.03
(III)	**कुल आय (I+II)**		**17,596.37**	**18,583.03**
(IV)	**व्यय**			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	26	598.71	672.19
	बिक्री के लिए माल की खरीद		60.80	-
	तैयार माल के बस्तुसूची में परिवर्तन/कार्य में प्रगति और व्यापार में स्टॉक	27	(280.67)	(32.01)
	कर्मचारी हितलाभ पर व्यय	28	3,154.85	3,009.95
	बिजली पर व्यय		131.31	134.72
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	165.50	167.16
	मरम्मत	30	161.18	197.91
	संविदात्मक व्यय	31	2,594.68	2,523.86
	वित्तीय लागत	32	80.31	32.83
	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि पर व्यय		494.74	501.19
	प्रावधान	33	(73.08)	62.72
	बट्टे खाते डालना	34	-	0.02
	अन्य व्यय	35	790.66	850.50
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		1,071.91	1,180.91
	कुल व्यय (IV)		**8,950.90**	**9,301.95**
(V)	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**8,645.47**	**9,281.08**
(VI)	अपवादात्मक मदें		-	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**8,645.47**	**9,281.08**
(VIII)	कर संबंधी व्यय	36	2,218.08	3,241.54
(IX)	**सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)**		**6,427.39**	**6,039.54**

लाभ- हानि विवरण जारी.....

(रु. करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(X)	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	संचालन बंद होने पर ब्याज व्यय		-	-
(XII)	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम /एसोसियेट्स के शेयर से लाभ/(हानि)		-	-
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**6,427.39**	**6,039.54**
	अन्य व्यापक आय	37		
	क. (i) ऐसे मदें जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे		(104.82)	(16.28)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(26.38)	(5.69)
	ख. (i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएंगे		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक लाभ**		**(78.44)**	**(10.59)**
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV+XV) वर्ष के लिए लाभ(हानि) एवं अन्य व्यापक लाभ सहित)**		**6,348.95**	**6,028.95**
	लाभ का श्रेय :			
	कंपनी के मालिक		**6,427.39**	**6,039.54**
	गैर नियंत्रित ब्याज			
			6,427.39	**6,039.54**
	अन्य व्यापक आय का श्रेय :			
	कंपनी का मालिक		**(78.44)**	**(10.59)**
	गैर नियंत्रित ब्याज			
			(78.44)	**(10.59)**
	कुल व्यापक लाभ का श्रेय :			
	कंपनी के मालिक		**6,348.95**	**6,028.95**
	गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
			6,348.95	**6,028.95**
(XVII)	**प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन जारी रखने हेतु)(रु. में):**			
	(1) मूल		**9,592.93**	**8,622.45**
	(2) मंदित		**9,592.93**	**8,622.45**
(XVIII)	**प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन बंद एवं सतत करने हेतु (रु. में):**			
	(1) मूल		-	-
	(2) मंदित		-	-
(XIX)	**प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन जारी रखने एवं बंद करने हेतु (रु. में):**			
	(1) मूल		**9,592.93**	**8,622.45**
	(2) मंदित		**9,592.93**	**8,622.45**

साथ में दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

ह/- (ए.के.सिंह) कंपनी सचिव	ह/- (पी.के. स्वर्णकार) महाप्रबंधक (वित्त)	उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई
ह/- (के आर वासुदेवन) निदेशक (वित्त) डीआईएन: 07915732	ह/- (बी.एन.शुक्ला) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डीआईएन: 05131449	ह/- (सीए जे.के.मिश्रा) साझेदार सदस्यता संख्या. 052796

दिनांक: 15.06.2020

स्थान: बुर्ला

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह

(₹ करोड़ म)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व लाभ :	**8,540.65**	**9,264.80**
	निम्न के लिए समायोजन :		
	स्थायी आस्तियों का ह्रास/हानि	494.74	501.19
	बैंक जमा पर ब्याज	(1,134.42)	(988.11)
	वित्तीय गतिविधियों संबंधी वितीय लागत	0.77	0.07
	अनवाइन्डिंग का डिस्काउन्ट	79.54	38.16
	स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	(0.51)	(0.52)
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	0.41	(0.20)
	स्ट्रीपिंग गतिविधियों का समायोजन	1,071.91	1,180.91
	निवेश से ब्याज/लाभांश	(384.64)	(195.99)
	बट्टे खाते एवं बनाये गए प्रावधान	39.53	(66.51)
	चालू / गैर चालू आस्तियों और देयताओं से पहले परिचालन लाभ निम्न के लिए समायोजन :	**8,707.98**	**9,733.80**
	निम्न के लिए समायोजन :		
	वस्तुसूची	(291.32)	(27.54)
	व्यापार से प्राप्य	(839.36)	(72.44)
	गैर चालू ऋण, अग्रिम,अन्य वित्तीय आस्तियों , अन्य आस्तियां	255.28	(170.36)
	चालू ऋण, अग्रिम,अन्य वित्तीय आस्तियों , अन्य आस्तियां	(218.64)	(481.34)
	चालू/गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं एवं अन्य देयताएं	(126.31)	699.87
	संचालन से उत्पन्न नगद	**7,487.63**	**9,681.99**
	भुगतान/वापस किए गए आयकर	(4,303.13)	(3,100.22)
	असाधारण मदों से पूर्व नगद प्रवाह	**3,184.50**	**6,581.77**
	असाधारण मदें	-	-
	संचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नगद (क)	**3,184.50**	**6,581.77**
ख	निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह		
	स्थिर आस्तियों की खरीद	(1,395.49)	(1,514.43)
	स्थिर आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	0.51	0.52
	निवेश में बदलाव	1,000.37	(1,000.83)
	निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	1,134.42	1,081.69
	निवेश से ब्याज/लाभांश	384.64	102.41
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद (ख)	**1,124.45**	**(1,330.64)**
ग	वितीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
	उधार में बदलाव	1,706.26	(0.80)
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	(0.41)	0.20
	वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्तीय लागत	(0.77)	(0.07)
	इक्वीटी शेयर पर लाभांश	(5,225.00)	(3,875.00)
	इक्वीटी शेयर संबंधी लाभांश पर कर	(1,074.01)	(796.52)
	इक्वीटी शेयर पूँजी का बाईबैक	-	(355.00)
	इक्वीटी शेयर पूँजी के बाईबैक पर कर	-	(72.38)
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद (ग)	**(4,593.93)**	**(5,099.57)**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	(284.98)	151.56
	वर्ष के शुरूआत में नगद एवं नगद समतुल्य	356.41	204.85
	वर्ष के अंत में नगद एवं नगद समतुल्य	**71.43**	**356.41**
		(0.00)	0.00

उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है

पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पुन: वर्गीकृत किया गया है।

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप

ह/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के. स्वर्णकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई

ह/-
(के आर वासुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(बी.एन.शुक्ला)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05131449

ह/-
(सीए जे.के.मिश्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 052796

दिनांक दिनांक: 15.06.2020

स्थान: स्थान : बुर्ला

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का विवरण

(₹ करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	01.04.2018 को बकाया के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2019 को बकाया के अनुसार	01.04.2019 को बकाया के अनुसार	वर्ष दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2020 के अनुसार बकाया
पूर्ण रूप से चुकाए गए ₹ 1000 प्रत्येक के 6618363 इक्विटि शेयर	706.13	(44.29)	661.84	661.84	-	661.84

ख . अन्य इक्विटी

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व				
01.04.2018 के अनुसार शेष	-	-	2,000.32	207.72	28.95	2,236.99
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-
01.04.2018 को पुन: घोषित बकाया	-		2,000.32	207.72	28.95	2,236.99
वर्ष के दौरान योग	44.29	-	-	-	-	44.29
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(355.00)	-	-	(355.00)
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,039.54	-	6,039.54
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन(कर का निवल)	-	-	-	-	(10.59)	(10.59)
<u>विनियोग</u>	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरण	-	-	301.98	(301.98)	-	-
अन्य रिजर्व को/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(3,750.00)	-	(3,750.00)
अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए)	-	-	-	(125.00)	-	125.00
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(796.52)	-	(796.52)
बाईबैक वितरण कर	-	-	-	(72.38)	-	(72.38)
31.03.2019 के अनुसार शेष	**44.29**	-	**1,947.30**	**1,201.38**	**18.36**	**3,211.33**
01.04.2019 के अनुसार शेष	**44.29**	-	**1,947.30**	**1,201.38**	**18.36**	**3,211.33**
वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,427.39	-	6,427.39
परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रतिपूर्ति (निवल कर)	-	-	-	-	(78.44)	(78.44)
<u>विनियोग</u>	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व से/ को अंतरण	-	-	321.37	(321.37)	-	-
अन्य रिजर्व से/ को अंतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(5,225.00)	-	(5,225.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(1,074.01)	-	(1,074.01)
बाई बैक वितरण कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार शेष	**44.29**	-	**2,268.67**	**1,008.39**	**(60.08)**	**3,261.27**

.वत्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी: 1 कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर ओड़िशा में स्थित है, जिसे 3 अप्रैल 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति एवं देयताएं शामिल थी।

कंपनी मुख्य रूप से कोयले का खनन और उत्पादन करती है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक ,ईंट-भट्ठे आदि शामिल हैं।

ओड़िशा में एमसीएल की 4 सहायक और एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। सभी सहायक कंपनियां विकास के चरण में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 38 में वर्णित है।

टिप्पणी 2: महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार:-

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक एमसीएल ने (बाद में जिसे कंपनी कहा गया) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक(ए.एस,) कंपनी लेखा नियमावली, 2014 के पैराग्राफ 7 तथा कंपनी (लेखांकन मानक), नियमावली, 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है।
मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि

- उचित वित्तीय संपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 मैं वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)
- परिभाषित लाभ योजना को संपत्ति योजना के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- वस्तु सूची पर लागत या एनआरवी इनमें से जो भी कम हो (अनुच्छेद 2.20 में वर्णित लेखांकन नीति का अवलोकन करे)।

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि :

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक करोड़ रुपए दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 **वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण** :

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब माना जाता है, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाये।
ख. सबसे पहले संपत्ति की देयताओं को व्यापार हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।
ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की पहचान की गई हो।

घ. परिसंपत्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) जब तक संपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है तब अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।

ख. सबसे पहले देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्ते जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती है, जिसके परिणामस्वरुप इक्विटी के जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।
अन्य सभी देयताएं गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत है।

2.3 राजस्व मान्यता:

भारतीय मानक लेखांकन 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय मानक लेखांकन 11 और भारतीय मानक लेखांकन 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय मानक लेखांकन 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण मॉडल स्थापित करता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो । कोल इंडिया लिमिटेड ('सीआईएल' या 'कंपनी') ने पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय मानक लेखांकन 115 को अपनाया है।

भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है । मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व :

भारतीय मानक लेखांकन 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है । मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है। कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि वह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह वस्तु एवं सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करती है।

निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करते हुये भारतीय मानक लेखांकन 115 के सिद्धांतों को लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

ख) अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ग) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय,कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और

ङ.) यह संभव है कि कंपनी उस विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगा। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है, यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंधों तय की जा सकती है;

ख) अनुबंध में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में तय किए गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल प्रदर्शनकारी दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

क) अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

ख) अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान:

अनुबंध करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को प्रत्येक प्रतिबद्धता को स्थानांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता रूप में पहचान करने के लिए:

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न होता है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण :

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:

- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद निर्णय;
- ग्राहक को देय निर्णय

बट्टा , छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है।जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि t मान्य संचयी राजस्व की राशि में में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता को बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो ।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है। प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन:

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्स्चेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को मान्यता देना :

कंपनी राजस्व को तब मान्यता देती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्थानांतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर वस्तु या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;

ख) कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है

ग) कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को मान्यता देती है। कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति को लागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशा लागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करता है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है।कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है। जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं है, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास वस्तु या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;

ख) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा कानूनी हक होता है;

ग) कंपनी ने वस्तु या सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पास महत्वपूर्ण जोखिम और वस्तु या सेवा के स्वामित्व होता हैं;

ड.) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

अनुबंध संपति :
एक अनुबंध संपति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

व्यापार प्राप्ति :
कंपनी स्वीकार करने योग्य विचारो का प्रतिनिधित्व करता है जो शर्तरहित है की समय केवल पूर्व से भुगतान देय अर्थात्)
(है अपव्ययता

अनुबंध देयताएं:
अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार होते प्राप्त (है देय राशि की विचार या)है। ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, जब भुगतान किया जाता है या देय है जाती दी मान्यता को देयता अनुबंध तब (हो पहले भी जो)।

ब्याज

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

लाभांश
भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

अन्य दावे
अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित ब्याज पर प्राप्ति) की गणना तब कि जाती है**,** जब प्राप्ति की निश्चित होती है तथा विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है ।

2.4 सरकार से अनुदान
सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी और तथा यह सुनिश्चित है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा ।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

सरकारी अनुदान / संपत्ति से संबंधित सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी समय पर क्रमवद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दियाजता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक अन्य आय 'के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में प्राप्य होते है या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

सरकार अनुदान या संवर्धक योगदान की प्रकृति में सीधे "कैपिटल रिजर्व" में दी गई है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.5 पट्टे

यदि संविदा, क्षतिपूर्ति के बदले एक समयावधि में चिन्हित आस्तियों के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार को व्यक्त करती है तो संविदा एक पट्टा है या जिसमें पट्टा शामिल है ।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी:

प्रारंभीक तिथि में, पट्टेदार लागत पर राइट-टू-यूज़ एसेट और पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को स्वीकृति प्रदान करेगा जिसका भुगतान उस तिथि पर नहीं किया गया है।

तत्पश्चात् राइट-टू-यूज़ एसेट को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को, पट्टा देयता में ब्याज दर्शाने के लिए बढ़ती वहन राशि, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को घटाकर, किसी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनको दर्शाने के लिए वहन राशि के पुनर्मूल्यांकन द्वारा द्वारा मापा जाता है।

2.5.2 पट्टादाता के रुप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में है।

एक पट्टे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्तियों के स्वामित्व के लिए मूलत: सभी प्रासंगिक रिस्क एंड रिवार्ड को स्थानांतरित करता है। एक पट्टे को एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित आस्तियों के स्वामित्व के लिए मूलत: सभी प्रासंगिक रिस्क एंड रिवार्ड को स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालन पट्टा - यदि पेटर्न का एक अन्य व्यवस्थित आधार अधिक प्रतिनिधिक नहीं होता जिसमें अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से लाभ कम होता है, परिचालन पट्टे से प्राप्त परिचालन भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है ।

वित्तीय पट्टा- वित्त पट्टे के तहत रखी गई आस्ति प्रारम्भ में अपने तुलन पत्र में स्वीकार किया जाता है तथा पट्टे में सकल निवेश के आकलन के लिए निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में सकल निवेश के बराबर की राशि के रूप में प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

तत्पश्चात पट्टे में पट्टेदार के सकल निवेश पर निरंतर आवधिक दर को प्रदर्शित वित्त आय को पट्टा अवधि पर वित्त आय को मान्यता दी जाती है।

2.6 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो, तो कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु उसे आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है तब इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए गैर-चालू परिसंपत्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- समुचित प्रबंधन स्तर से निष्पादित समूह को बिक्री के लिए यथोचित योजना तैयार करना अपेक्षित हो।
- क्रेता खोज के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा संपूर्ण योजना को निष्पादित करना अपेक्षित हो।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आकलित किया जाना अपेक्षित हो।

- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी परिसंपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति, संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

अन्य भूमि		
(पट्टेकृत भूमि सहित)	-	परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है। वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर.एफ.सीटी.एल.ए.ए.आर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति , संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

2.8 खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसिनिंग बाध्यताएँ –

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के

आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है। कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.9 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ –

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।
परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.10 विकास व्यय

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वितीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.11 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य हैं। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे कि लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) :

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।
यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.13 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में, विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।
निवेश संपत्ति का आकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।
निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.14 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

2.14.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य पर साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.14.2 अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिस पर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है।

2.14.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन:

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट:

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके साथ ही कंपनी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो।

कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.14.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:
भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश
भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।
अन्य सभी इक्विटी इन्स्ड्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंसटुमेंट दर इंसटुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंसटुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंसटुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।
पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ड्रूमेंट को मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना
एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो

(क)कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या

(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणतः ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएँ

2.14.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप-

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।
ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.14.3.2 अनुवर्ती माप –

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ड्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।
वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.14.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.14.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं उसे पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभहानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।

एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.14.5 वित्तीय साधन को पूरा करना:

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो, तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.15 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जब वह अधिग्रहण निर्माण या परिसंपत्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो, तो उसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक परिसंपत्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.16 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थाई करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देनदारियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।
संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.17 कर्मचारी हितलाभ

2.17.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.17.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए परिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं-

परिभाषित लाभ योजनाएं एक परिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्‌टी भुगतान आदि परिभाषित लाभ योजनाएं है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो, के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान

समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।
कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है।
पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइव कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए (आईएनआर) आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।
लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.19 अलग करने हेतु खर्च/समायोजन

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।
स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।
रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।
1 मिलियन टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.20 वस्तु सूची

2.20.1 कोयला भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना औसत भार पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।
कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।
कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।
कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पाट्र्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पाट्र्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.20.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।
हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो, और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।
सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।
जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा।
प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इनकी मान्यताएं यथोचित होती हैं।

2.22 उपार्जित शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करने वाले अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन

नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण-

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।

Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

Iv. मितव्ययी, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है। वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.23.1.2 सामग्रियाँ –

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

पिछले वर्ष के सीआईएल के समेकित वित्तीय विवरणी के लेखा परीक्षा के अनुसार (निवल सांविधिक लेवी) कुल मिलाकर सभी त्रुटियां और चूक परिचालन से कुल राजस्व का यदि 1% से अधिक नहीं हैं तो पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी त्रुटियों/चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन और समायोजित माना जाता है ।

2.23.1.3 परिचालन पट्टा –

कंपनी ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.23.2 आकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.23.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि –

अगर किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.23.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.23.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा –

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।
मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप –

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां –

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.23.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।

- छूट दर(प्रति कर दर) जो की समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।
-

2.24 संक्षेपों का प्रयोग :

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
ज.	P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	PPE	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)
ट.	EIR	प्रभिवी व्याज दर (Effective interest rate)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिग	फर्नीचर एंड फीक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारित संरचना	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :															
01.04.2018 के अनुसार	30.32	3,240.97	308.81	440.64	1,059.35	26.79	150.58	17.83	18.20	18.07	-	232.93	16.96	-	5,561.45
वृद्धि	-	875.37	28.15	149.17	328.68	0.23	4.02	3.00	6.86	2.36	-	1,022.13	2.57	-	2,422.54
विलोपन/समायोजन	-	-	(20.77)	0.21	(3.55)	0.04	-	(0.03)	(1.53)	(0.47)	-	(0.49)	(4.00)	-	(30.59)
31.03.2019 के अनुसार	30.32	4,116.34	316.19	590.02	1,384.48	27.06	154.60	20.80	23.53	19.96	-	1,254.57	15.53	-	7,953.40
01.04.2019 के अनुसार	30.32	4,116.34	316.19	590.02	1,384.48	27.06	154.60	20.80	23.53	19.96	-	1,254.57	15.53	-	7,953.40
वृद्धि	0.17	503.60	-	52.32	438.33	0.56	94.69	2.04	3.86	3.17	-	244.81	5.28		1,348.83
विलोपन/समायोजन		0.80	(5.37)	(0.15)	(17.28)	(0.06)	-	0.27	(2.10)	(0.59)	-	(0.85)	(1.18)		(26.51)
31.03.2019 के अनुसार	30.49	4,620.74	310.82	642.19	1,805.53	27.56	249.29	23.11	25.29	22.54	-	1,498.53	19.63	-	9,275.72
संचित,मूल्यह्रास एवं हानि															
01.04.2018 के अनुसार	-	318.73	112.84	41.56	434.57	14.11	28.19	6.53	6.13	6.61	-	49.80	6.47	-	1,025.54
वर्ष के लिए प्रभार	-	201.96	32.48	16.89	137.07	4.84	12.78	1.93	3.61	2.34	-	87.74	-	-	501.64
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	-	1.54
विलोपन/समायोजन	-	(0.02)	-	0.02	(0.42)	0.01	-	(0.05)	(1.17)	-0.40	-	-	(2.39)	-	(4.42)
31.03.2019 के अनुसार	-	520.67	145.32	58.47	571.22	18.96	40.97	8.41	8.57	8.55	-	137.54	5.62	-	1,524.30
01.04.2019 के अनुसार	-	520.67	145.32	58.47	571.22	18.96	40.97	8.41	8.57	8.55	-	137.54	5.62	-	1,524.30
वर्ष के लिए प्रभार		207.48	8.48	29.22	129.43	3.49	14.89	2.03	3.93	2.52	-	118.86	-		520.33
हानि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.17		3.17
विलोपन/समायोजन		0.41	(5.36)	0.04	(7.91)	(0.02)	-	(1.20)	(0.23)	(0.51)	-	(0.47)	(0.71)		(15.96)
31.03.2020 के अनुसार	-	728.56	148.44	87.73	692.74	22.43	55.86	9.24	12.27	10.56	-	255.93	8.08	-	2,031.84
निवल वहन राशि															
31.03.2020 के अनुसार	30.49	3,892.18	162.38	554.46	1,112.79	5.13	193.43	13.87	13.02	11.98	-	1,242.60	11.55	-	7,243.88
31 मार्च, 2019 के अनुसार	30.32	3,595.67	170.87	531.55	813.26	8.10	113.63	12.39	14.96	11.41	-	1,117.03	9.91	-	6,429.10

टिप्पणी:

1. अन्य भूमि में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, उड़ीसा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल हैं। कोयला धारक क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि को भूमि के स्वामित्व को उस सीमा तक स्थानांतरित करने की अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जिसके लिए मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि, ओड़िशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित अधिकार के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

2. कंपनी के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण विलेख कुछ मामलों में निष्पादन के लिए लंबित है।

3. भूमि पुनर्ग्रहण / स्थान पुनर्स्थापन लागत में विधिवत रूप से खदान बंद होने के कारण अनुमानित लागत शामिल होती है, जो मुद्रास्फीति के लिए (5% प्रतिवर्ष) तत्पश्चात 8% की छूट दर पर छूट दी जाती है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

4. नोट 2.8 में वर्णित उपयोगी कार्यकाल के आधार पर मूल्यह्रास देशया गया है।

5.रेलवे ट्रैक को सक्षम करने हेतु रु. 1124.35 करोड़ उपरोक्त अन्य खनन अवसंरचना में शामिल है।

6. उपर्युक्त संयंत्र और मशीनरी में रु. 7.37 करोड़ के उपकरण और स्टोर और पुर्जे शामिल है जो और पीपीई के रूप में मान्यता के लिए मानदंडों को पूरा करता है लेकिन अभी तक भंडारों से जारी नहीं किया गया है।

7.सीआईएल से दिनांक 17.04.2017 को परिचालित समिति की सिफारिश के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

8. संयंत्र और उपकरणों के तहत कुछ एचईएम के उपयोगी कार्यकाल को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान रु. 22.02 करोड़ की मूल्यह्रास में कमी आई है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -4 पूँजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ करोड़ में)

	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिग	अन्य खनन संरचना/ विकास	निर्माणधीन रेल कॉरीडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :							
01.04.2018 के अनुसार	266.98	530.02	82.72	1,374.16	-	-	2,253.88
वृद्धि	57.68	192.57	57.38	131.58	-	0.22	439.43
पूँजीकरण	(140.66)	(183.07)	(4.26)	(978.49)	-	(0.22)	(1,306.70)
विलोपन/ समायोजन	(0.61)	(1.88)	-	(26.23)	-	-	(28.72)
31.03.2019 के अनुसार	183.39	537.64	135.84	501.02	-	-	1,357.89
							-
01.04.2019 के अनुसार	183.39	537.64	135.84	501.02	-	-	1,357.89
वृद्धि	94.12	210.77	51.41	210.95	-	-	567.25
पूँजीकरण	(56.24)	(229.04)	(93.59)	(64.60)	-	-	(443.47)
विलोपन/समायोजन	(14.89)	(0.66)	(2.25)	(1.61)	-	-	(19.41)
31.03.2020 के अनुसार	206.38	518.71	91.41	645.76	-	-	1,462.26
संचित प्रावधान एवं हानि							
01.04.2018 के अनुसार	-	12.76	-	-	-	-	12.76
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
हानि	0.11	-	0.12	1.19	-	-	1.42
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	0.11	12.76	0.12	1.19	-	-	14.18
							-
01.04.2019 के अनुसार	0.11	12.76	0.12	1.19	-	-	14.18
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-	-	-	-	-
हानि		-			-	-	-
विलोपन/समंजन	-	(0.01)	-	-	-	-	(0.01)
31.03.2020 के अनुसार	0.11	12.75	0.12	1.19	-	-	14.17
निवल वहन राशि							
31.03.2020 के अनुसार	206.27	505.96	91.29	644.57	-	-	1,448.09
31.03.2019 के अनुसार	183.28	524.88	135.72	499.83	-	-	1,343.71

टिप्पणी :

1. उपरोक्त विकास में बांकीबाहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक दो लेन सड़क से चार लेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए `.228.65 करोड़ की संपत्ति और एसएच -10 पर बांकीबहल से भदबाहल तक चार लेन सड़कों के निर्माण के लिए `.59.84 करोड़ शामिल है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -5 : अन्वेषण और मूल्यांकन आस्तियां

(₹. करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2018 के अनुसार	126.95
वृद्धि	16.13
विलोपन/समायोजन	-
31.03.2019 के अनुसार	143.08
01.04.2019 के अनुसार	143.08
वृद्धि	13.88
विलोपन/समायोजन	(32.23)
31.03.2020 के अनुसार	124.73
संचित प्रावधान एवं हानि	
01.04.2018 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31.03.2019 के अनुसार	-
01.04.2019 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समायोजन	-
31.03.2020 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31.03.2020 के अनुसार	124.73
31.03.2019 के अनुसार	143.08

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -6 : अन्य अमूर्त(इंटेजीवल) परिसंपत्तियां

(₹. करोड़ में)

	कंप्यूटर साफ्टवेयर	अन्वेषनीय अमूत परिसंपातियाँ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2018 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
वृद्धि	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
01.04.2019 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
वृद्धि	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	(0.02)	-	(0.02)
31.03.2020 के अनुसार	0.60	4.56	-	5.16
संचित अमूर्त एवं हानि				
01.04. 2018 के अनुसार	0.35	-	-	0.35
वर्ष के लिए प्रभार	0.09	-	-	0.09
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	-	-	-	-
31.03.2019 के अनुसार	0.44	-	-	0.44
01.04. 2019 के अनुसार	0.44	-	-	0.44
वर्ष के लिए प्रभार	0.02	-	-	0.02
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समायोजन	0.01	-	-	0.01
31.03.2020 के अनुसार	0.47	-	-	0.47
निवल वहन राशि				
31.03.2020 के अनुसार	0.13	4.56	-	4.69
31.03.2019 के अनुसार	0.16	4.58	-	4.74

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 7(i) : निवेश

गैर चालू

(₹ करोड़ में)

	प्रतिशतता (%) धारक	चालू वर्ष में शेयरों की संख्या/(गत वर्ष)	चालू वर्ष प्रति शेयर अंकित मूल्य/ (गत वर्ष)	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
शेयर में निवेश					
अनुषंगी कंपनियों में इक्वीटी शेयर					
एमएनएच शक्ति लिमिटेड.	70%	59570000/ (59570000)	10.00	59.57	59.57
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	60%	57060000/ (57060000)	10.00	57.06	57.06
एमबीपीएल	100%	50000/ (50000)	10.00	0.05	0.05
एमसीआरएल	64%	32000/(32000)	10.00	0.03	0.03
गैर-व्यापार (उद्धृत)					
सुरक्षित बांड में					
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड		20000/ (20000)	100000/ (100000)	200.00	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त बॉन्ड		1087537/ (1087537)	1000/ (1000)	108.75	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड		4999/ (4999)	1000100/ (1000100)	499.95	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड		1500000/ (1500000)	1000/ (1000)	150.00	150.00
कुल :				**1075.41**	**1075.41**
अनुद्धत निवेश की कुल राशि				**116.71**	**116.71**
उद्धृत निवेश की कुल राशि				**958.70**	**958.70**
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य				**986.85**	**997.24**
निवेश -मूल्य में हानि की कुल राशि :				-	-

टिप्पणी- 7(ii) : निवेश

चालू:

(₹ करोड़ में)

	यूनिटों की संख्या (चालू वर्ष/(गत वर्ष)	एनएवी (रुपए में)	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
व्यापार (गैर उद्धृत)				
म्यूचुअल फंड निवेश				
एसबीआई प्रीमियर लिक्वीड फंड	546.257/ (5985576.207)	1003.25	0.06	600.50
यूटीआई मनि मार्केट फंड	3964.621/ (3926868.713)	1019.45	0.40	400.33
कुल:			**0.46**	**1,000.83**
उद्धत निवेश की कुल राशि			-	-
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि			0.46	1,000.83
अनुद्धत निवेश का बाजार मूल्य			0.46	1,000.83
निवेश -मूल्य में हानि की कुल राशि :			-	-

टिप्पणी : व्यापार (अनुद्धृत) म्युचुअल फंड एनएव्ही ऊपर निर्दिष्ट अंकित मूल्य के बराबर है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
गैर-चालू				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1.20		0.66	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	625.00		1,125.00	
क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
जमा से हानि	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते	-	626.20	-	1,125.66
कुल		**626.20**		**1,125.66**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		1.20		0.66
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया		625.00		1,125.00
क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि		-		-
जमा से हानि		-		-

टिप्पणी- 8 : ऋण

चालू				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.32		0.32	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	500.00		500.00	
क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
जमा से हानि	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु भत्ते	-	500.32	-	500.32
कुल		**500.32**		**500.32**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.32		0.32
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया		500.00		500.00
क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि		-		-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 9 :अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार
गैर चालू				
बैंक जमा		2.13		0.85
कार्यस्थल पुनः स्थापना के लिए जमा और प्राप्य:				
खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा		1,082.09		978.51
अन्य जमा(खदान बंदी तत्काल व्यय)		47.28		0.89
खदान बंदी व्यय हेतु इस्क्रो लेखा से प्राप्य		-		-
उपयोगिता हेतु सिक्यूरिटी डिपोजिट	33.89		38.13	
घटाव: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	33.89	-	38.13
अन्य जमा और प्राप्य	0.16		0.16	
घटाव: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता	0.16	-	0.16	-
कुल		**1165.39**		**1018.38**

टिप्पणी :

1.कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा बाद में कोयला नियंत्रक के साथ हुए करार के शर्तों के अनुसार आधिसूचित बैंक में ₹ 1082.09 करोड़ की पूर्णता तक खनन बंदी के लिए एसक्रो एकाउंट में जमा होता है।

2.न्यायालय के निर्देशानुसार करोड़ `2.13 करोड़ ( `0.85 करोड़) से अधिक के बैंक डिपॉजिट किए जाते हैं।

एस्क्रो खाते में शेष	**31.03.2020**	**31.03.2019**
प्रारंभिक तिथि पर इस्क्रो खाते में शेष राशि	978.51	834.81
वृद्धि : वर्तमान अवधि के दौरान जमा शेष राशि	66.97	97.01
वृद्धि : अवधि के दौरान ब्याज क्रेडिट	60.87	48.59
घटाव-वर्तमान अवधि के दौरान वापस ली गई राशि	24.26	1.90
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते (चालू/ गैर चालू) में शेष	1,082.09	978.51

टिप्पणी- 9 :अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार
चालू				
कार्य स्थल पुनः स्थापना के लिए जमा और प्राप्य:				
अन्य जमा(खदान बंदी चालू व्यय)		182.00		134.22
खदान बंदी व्यय हेतु इस्क्रो लेखा से प्राप्य		-		-
सीआईएल / अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता	94.91		101.24	
घटाव: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	94.91	-	101.24
असुरक्षित दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		-		-
अर्जित ब्याज		528.43		445.48
दावे एवं अन्य प्राप्य	9.27		14.16	
घटाव: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	0.06	9.21	0.06	14.10
कुल		**814.55**		**695.04**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -10 : अन्य गैर-चालू आस्तियां

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
(i) पूँजी अग्रिम	292.50		198.83	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.65	291.85	0.64	198.19
(ii) पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम				
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-		-	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-	-	-
(ख) अन्य जमा एवं अग्रिम	13.66		10.16	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	13.66	-	10.16
कुल		305.51		208.35

टिप्पणी

वर्गिकरण

असुरक्षित - अच्छा माना गया	305.51	208.35
- संदेहास्पद माना गया	0.65	0.64

टिप्पणी -11 : अन्य चालू आस्तियां

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (माल एवं सेवा)	304.39		233.45	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	6.54	297.85	6.54	226.91
(ख) वैधानिक बकाए का अग्रिम भुगतान	143.22		30.63	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	143.22	-	30.63
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
(घ) अन्य अग्रिम एवं जमा	1,528.03		964.88	
घटाव: संदेहास्पद दावे के लिए प्रावधान	0.02	1,528.01	0.02	964.86
(ङ) इनपूट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	553.37		319.13	
घटाव: प्रावधान	-	553.37	-	319.13
कुल		**2,522.45**		**1,541.53**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी - 12 : वस्तुसूची

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) कोयले का स्टॉक	704.56	425.46
विकासाधीन कोयला	-	-
कोयले का स्टॉक (निवल)	**704.56**	**425.46**
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत)	69.76	57.42
योग: मार्गस्थ भंडार	0.03	1.43
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक (लागत पर)	**69.79**	**58.85**
(ग) केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक	0.53	0.82
(घ) कार्यशाला कार्य	18.74	17.17
	793.62	**502.30**

मूल्यांकन की विधि: टिप्पणी संख्या- 2.20 के "वस्तुसूची" पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां देखें।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -13 : व्यापार से प्राप्य

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
चालू				
व्यापार से प्राप्य				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	1323.07		465.24	
क्रेडिट जोखिम में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट हानि	52.28		70.75	
घटाव: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	52.28	1323.07	70.75	465.24
कुल		**1323.07**		**465.24**

टिप्पणी:				
1 नियत तिथि से छ: माह से कम अवधि के लिए बकाया ऋण ।	1294.63		373.47	
2 नियत तिथि से छ: माह से अधिक अवधि लिए बकाया ऋण ।	28.44		91.77	
संदेहास्पद ऋण	52.28		70.75	
		1375.35		**535.99**

टिप्पणी:

1 कंपनी के निदेशक एवं अधिकारियों से व्यक्तिगत या संयुक्त रूप में कोई भी व्यापार एवं अन्य प्राप्य बकाया नहीं है । न ही किसी फ़र्म व निजी कंपनियां जिसमें कोई निदेशक, निदेशक सदस्य, भागीदार है, से किसी प्रकार का व्यापार व अन्य प्राप्य बकाया नहीं है।

2 3 महीने से कम के देनदारों से शेष राशि की पुष्टि अब तक प्राप्त नहीं की गई है

3 रु. 155.63 करोड़ (31.03.2019 के अनुसार रु. 257.58 करोड़) के प्रावधान को रिफ्री एवं सीआईएमएफ़आर के किए गए नमूना परिणामों के लिए कोयला गुणवत्ता के रूप में स्वीकृति दी गई है, जिसे व्यापार प्राप्तियों से समायोजित किया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) बैंक में शेष		
- जमा खातों में		
(3 महीने तक परिपक्वता के साथ)	-	-
- चालु खाता में		
क.(सीएलटीडी खाता इत्यादि) सहित ब्याज	53.23	334.81
ख. गैर ब्याज वहन	18.20	21.58
- नगद जमा लेखा में	-	-
(ख) भारत से बाहरी बैंक खाता में शेष	-	-
(ग) उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(घ) उपलब्ध नगद	-	-
(ङ) भारत के बाहर उपलब्ध नगद	-	-
(च) अन्य		0.02
कुल नगद और नगद समतुल्य	71.43	356.41
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का सकल)	71.43	356.41

अवधि के दौरान किसी भी समय अधिसूचित बैंक के आलावा बैंक में अधिकतम राशि शेष	शून्य	शून्य

टिप्पणी:

1 नगद और नकद समकक्ष में, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ उपलब्ध बैंक में नगद, स्वीप खाता तथा सावधि जमा शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
बैंक में शेष		
जमा लेखा	12,276.99	12,827.00
जमा खाते(विशिष्ट उद्देश्य के लिए नीचे नोट-2 देखें)	24.23	39.24
कुल	**12,301.22**	**12,866.24**

टिप्पणी:

1. अन्य बैंक शेष में सावधी जमा और अन्य बैंक जमा शामिल हैं जो की प्रतिवेदन की प्रारंभिक तिथि से 12 महीनो के भीतर नगद के रूप में वसुल किया जाना आपेक्षित है ।

2. `.24.23 करोड़ (`.39.24 करोड़) से अधिक की जमा राशि(विशिष्ट उद्देश्य के लिए) कोर्ट,विभिन्न सरकारी प्राधिकरण द्वारा दी जाती है तथा बैंक गारंटी के लिए जारी की जाती है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 16 : इक्वीटी शेयर पूँजी

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
<u>प्राधिकृत</u>		
प्रत्येक ₹1000 का 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
	775.82	**775.82**
<u>निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त</u>		
प्रत्येक 1000 रुपये के 6618363 इक्विटी शेयर	661.84	661.84
	661.84	**661.84**

टिप्पणी:

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखनेवाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) एवं इसकी नामिती	6618363	100

2 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, समूह ने कोई इक्विटी शेयर जारी या वापस नहीं किए हैं।

3 31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, समूह ने निविदा के माध्यम से रु. 1000 के अंकित मूल्य के 442967 शेयर खरीदे थे, जिनका पूरा भुगतान कर समाप्त किया गया था।

4 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, समूह ने 5649064 की संख्या में बोनस शेयर जारी किए थे, यानी पूरी तरह से भुगतान किए गए 4 मौजूदा इक्विटी शेयरों के हर 1 की संख्या में रु.1000 के अंकित मूल्य के पूरी तरह से भुगतान किए गए हैं।

5 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, समूह ने निविदा प्रस्ताव के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान किए गए रु. 1000 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की 451743 वापस खरीद ली और उन शेयरों को समाप्त कर दिया।

6 समूह के पास सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिनका अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 1000 है इक्विटी शेयर धारक को समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकारी है ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 17 : अन्य इक्वीटी

(₹. करोड़ में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व				
01.04.2018 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**2,000.32**	**207.72**	**28.95**	**2,236.99**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2018 के अनुसार पुनःघोषित शेष	-	-	2,000.32	207.72	28.95	**2,236.99**
वर्ष के दौरान जोड़	44.29	-	-	-	-	**44.29**
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(355.00)	-	-	**(355.00)**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,039.54	-	**6,039.54**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन(निवल कर)	-	-	-	-	(10.59)	**(10.59)**
विनियोग						
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	301.98	(301.98)	-	-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-		-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(3,750.00)	-	**(3,750.00)**
अंतिम लाभांश(वित्त वर्ष 2017-18 के लिए	-	-	-	(125.00)	-	**(125.00)**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(796.52)	-	**(796.52)**
बाईबैक पर कर	-	-	-	(72.38)	-	**(72.38)**
31.03.2019 के अनुसार शेष	**44.29**	-	1,947.30	1,201.38	18.36	**3,211.33**
01.04.2019 को अनुसार शेष	44.29	-	1,947.30	1,201.38	18.36	**3,211.33**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,427.39	-	**6,427.39**
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन(निवल कर)	-	-	-	-	(78.44)	**(78.44)**
विनियोग						
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	321.37	(321.37)	-	-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(5,225.00)	-	**(5,225.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(1,074.01)	-	**(1,074.01)**
बाईबैक पर कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार शेष	**44.29**	**-**	**2,268.67**	**1,008.39**	**(60.08)**	**3,261.27**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 18: उधार

(₹. करोड़ में)
(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
-बैंकों से	5.48	5.71
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	5.48	5.71
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	5.48	5.71
चालू		
मांग पर लौटाने वाले ऋण		
-बैंकों से	1,706.45	-
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	1,706.45	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

टिप्पणी

1.फ्रांस के लेभर से 4 हाइड्रोलिक शोवेल की खरीद के लिए नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और नैटेक्सिस बैंक के साथ समझौते के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की गई थी। 31.03.2019 (पुनर्भुगतान के बाद निवल) में ₹ 6.10 करोड़ ऋण बकाया है। (जो 31.03.2020 को ₹6.29 करोड़ था)।

शेष का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

	यूरो में	₹ करोड़ में
01.04.2019 के अनुसार शेष	808510.8	6.29
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनः भुगतान	74113.58	0.60
विनिमय अंतर	-	0.41
31.03.2020 के अनुसार शेष	734,397.22	6.10

`. 0.59 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता को `. 6.04 करोड़ के शेष से बाहर रखा गया है और नोट 20 'अन्य वित्तीय देनदारियों' में दर्शाया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	0.39	0.09
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पुर्जो -	59.78	42.82
ऊर्जा एवं ईंधन -	17.45	17.70
वेतन भत्ता -अन्य	258.30	264.07
	331.75	183.01
कुल	**667.67**	**507.69**

टिप्पणी- 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
गैर चालू		
प्रतिभूति जमा	36.48	47.69
अग्रिम राशि	-	-
अन्य(सुरक्षा जमा-मैनेजमेंट प्रशिक्षु)	2.54	3.53
	39.02	**51.22**
चालू		
चालू खाते		
- सीआईएल	9.80	-
- अनुषंगी कंपनियां	-	-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.62	0.58
प्रतिभूति जमा	202.14	145.87
अग्रिम राशि	48.16	52.83
पूंजीगत व्यय के लिए देय	1,117.44	868.58
अन्य	252.12	224.27
कुल	**1,630.28**	**1,292.13**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी- 21 : प्रावधान

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
गैर चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
उपदान	-	-
अवकाश नकदीकरण	125.60	45.98
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	104.33	64.78
	229.93	110.76
स्थल पुनः स्थापना/खदान बंदी	867.40	812.13
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	19,054.81	17,982.89
अन्य	-	-
कुल	**20,152.14**	**18,905.78**
चालू		
कर्मचारी हितलाभ	-	-
उपदान	57.05	25.07
अवकाश नकदीकरण	21.83	24.42
अनुग्रह राशि	135.39	127.63
- पीआरपी	159.06	177.97
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	36.04	73.23
	409.37	428.32
स्थल पुनः स्थापना/खदान बंदी	-	-
अन्य	487.23	529.45
कुल	**896.60**	**957.77**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 21 : प्रावधान(जारी.........)

टिप्पणी

1 .खदान बंदी के लिए प्रावधान

खदान बंदी योजना को बनाने के संबंध में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए एक प्रावधान किया गया। एसे प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी) के तकनीकी मुल्याकन के अनुसार बनाए जाते हैं । प्रत्येक खदान बंदी व्ययों के लिए (सीएमपीडीआई द्वारा यथा मूल्यांकित) के लिए देयता में 8% की छुट दी गई है तथा एसे प्रावधान के बनने के 01 साल तक खदान बंदी देयता को पूंजीकृत किया गया है। 31.03.2020 के अनुसार प्रावधानों को पूरा करने के लिए डिस्काउंट को अनदेखा करके अनुवर्ती वर्ष में प्रावधान का पुन:मूल्यांकन किया गया है।

2. 31.03.2020 तक सेवानिवृत्ति के लिए अन्य कर्मचारी लाभ (वर्तमान) में रु. 9.27 करोड़ शामिल हैं, प्रदान किए गए हैं।

3. स्थल पुनः स्थापना/खदान बंदी

	31.03.2020	31.03.2019
प्रारंभिक तिथि को स्थल पुनः स्थापना/ खदान बंदी का प्रावधान :	804.76	773.66
वृद्धि: एमसीपी में संशोधन के कारण प्रावधान में परिवर्तन		
वृद्धि: वर्तमान अवधि के लिए प्रभारित प्रावधान की अनुपलब्धता (पूँजीकृत सहित)	79.80	33.00
घटाव : एमसीपी प्रावधान एस्क्रो खाते से प्रतिपूर्ति के लिए समायोजित	24.53	1.90
स्थल पुनः स्थापना/ खदान बंदी प्रावधान	860.03	804.76

* देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कामकाज को रोकने और स्टोविंग के लिए किए गए प्रावधान के कारण रु. 9.44 करोड़ (रु. 18.21 करोड़ के विभागीय वेतन और मजदूरी के अलावा) वेतन और `0.27 करोड़ की मजदूरी को समायोजित करने के बाद स्थान पुनर्स्थापना/खदान बंदी लागत के प्रावधान में रु. 3.84 करोड़ शामिल है, जो लाभ और हानि में सामान्य वेतन और मजदूरी का अंश है। एस्क्रौ खाते से प्रतिपूर्ति के लिए समायोजित एमसीपी प्रावधान में रु. 0.27 करोड़ का प्रावधान समायोजित किया गया है। बसुंधरा (पूर्व) के लिए भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए एमसीपी के लिए प्रावधान में रु. 0.79 करोड़ भी शामिल है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू दायिताएँ

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
आस्थगित आय (सीसीडीए अनुदान)	180.77	194.68
कुल	**180.77**	**194.68**

1. आस्थगित आय में कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के तहत पूंजीगत प्रकृति के कामों के लिए मिलने वाली अनुपात शामिल है।

टिप्पणी- 23 : अन्य चालू देयताएँ

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
वैधानिक बकाया:	816.35	945.75
ग्राहकों/ अन्य से अग्रिम	2,479.36	2,841.53
अन्य देयताएँ	41.43	123.89
कुल	**3,337.14**	**3,911.17**

टिप्पणी:

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.2001के अनुसार वर्ष 2005-06 में उड़ीसा सरकार से प्राप्तियों के लिए अन्य देयताओं में कोयले पर उपकर में रु. 8.40 करोड़ (निवल भुगतान) के मूलधन और 7 9.47 करोड़ (निवल भुगतान) का ब्याज शामिल है। ग्राहकों को राशि वापस दी जाती है। ग्राहकों ने अभी तक सभी सहायक दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत नहीं किया है, निम्न आवश्यक शर्तों का पालन करने पर ही रिफंड किया जाएगा।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	**कोयले का विक्रय**	**22,834.92**	**24,607.68**
	घटाव :वैधानिक लेवी	8,672.92	9,282.93
	कोयले का विक्रय (निवल) (क)	**14,162.00**	**15,324.75**
ख.	**अन्य संचालन राजस्व**		
	बालू भरने और रक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान	-	(2.00)
	लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	1,039.18	1,039.81
	घटाव :वैधानिक लेवी	49.48	49.51
		989.70	990.30
	निकासी सुविधा शुल्क	692.44	732.85
	घटाव :वैधानिक लेवी	32.97	34.90
		659.47	697.95
	अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	**1,649.17**	**1,686.25**
	संचालन से राजस्व (क+ख़)	**15,811.17**	**17,011.00**

टिप्पणी:-

1. कोयले की गुणवत्ता परिवर्तन के लिए रु. 101.95 करोड़ (निवल अद्यतन) (8 84 .12 करोड़ (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निवल डाउनग्रेडेशन)) की राशि का प्रावधान कोयले की बिक्री के साथ समायोजित किया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 25 : अन्य आय

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय	1,432.26	1224.39
लाभांश से आय	86.80	102.41
अन्य		
आस्तियों की बिक्री से लाभ	0.51	0.52
विनिमय दर में भिन्नता	-	0.20
पट्टा किराया	11.81	13.76
देयता / प्रावधान प्रतिलेखन (राइट बैक)	133.32	0.20
विविध आय	120.50	230.55
कुल	**1,785.20**	**1,572.03**

टिप्पणी 26 :सामग्री खपत की लागत

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	143.70	164.80
लकड़ी	0.19	0.03
तेल एवं लुब्रिकेंट	278.44	320.69
एचईएमएम के पुर्जे	126.08	133.88
अन्य उपभोज्य भंडार और पुज	50.30	52.79
कुल	**598.71**	**672.19**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 27 : तैयार माल़, की सूची कार्य की प्रगति एवं व्यापार स्टॉक में परिवर्तन।

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	425.46	400.78
कोयले का अंतिम स्टॉक	704.56	425.46
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	(279.10)	(24.68)
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति एवं प्रेस जॉब का प्रारंभिक स्टॉक	17.17	9.84
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति का अंतिम स्टॉक	18.74	17.17
ख. कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन	(1.57)	(7.33)
(क+ख) { घटाव/अभिवृद्धि}	**(280.67)**	**(32.01)**

टिप्पणी 28 :कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी (भत्ता और बोनस इत्यादि)	2,296.51	2233.96
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान	696.83	644.55
कर्मचारी कल्याण व्यय	161.51	131.44
	3,154.85	**3,009.95**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 29 :कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सीएसआर व्यय	165.50	167.16
कुल	**165.50**	**167.16**

टिप्पणी:- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं।तृतीय निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर निधि का 2% औसत निवल लाभ या पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन का `. 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक हो, `156.50 करोड़ (`.136.36 करोड़) के अंतर्गत निहित है।

टिप्पणी 30 : मरम्मतें

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	96.89	104.28
संयंत्र एवं मशीनरी	60.20	90.77
अन्य	4.09	2.86
कुल	**161.18**	**197.91**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(₹. करोड़ में)

ब्याज पर व्यय	31.03.2020 को समाप्त वष. के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क:	1,139.43	1170.90
वैगन लदाई	67.28	72.81
संयंत्र एवं उपकरण भाड़ा पर लेना	1,309.60	1,214.08
अन्य संविदात्मक कार्य	78.37	66.07
कुल	**2,594.68**	**2,523.86**

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज पर व्यय		
उधार	0.77	0.07
छूट का अनवाइंडिंग (पुनःस्थापना)	79.54	32.76
अन्य	-	-
कुल	**80.31**	**32.83**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (परिवर्तन का निवल)

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) के लिए भत्ते/ किए गए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	1.54	41.56
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.02	0.09
भंडार एवं पुर्जे		-
अन्य	2.46	28.09
कुल(क)	**4.02**	**69.74**
(ख)भत्ते / प्रावधान परिवर्तन		
संदिग्ध ऋण	20.51	0.95
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे		0.13
भंडार एवं पुर्जे	5.35	3.23
अन्य	51.24	2.71
कुल(ख)	**77.10**	**7.02**
कुल (क-ख)	**(73.08)**	**62.72**

टिप्पणी		
अन्य:- सृजित		
सर्वे-ऑफ	2.46	1.54
ओएचपीसीएल की क्षतिपूर्ति की मांग		2.70
एनटीपीसी कनिहा पर लगाया गया एसटीसी	-	21.47
मेसर्स आईबीईयूएल के पट्टे किराए का प्राप्य	-	0.96
सीडबल्यूआईपी की हानि	-	1.42
	2.46	28.09
अन्य:- परिवर्तन		
देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कामकाज की स्टोविंग और स्थिरीकरण	0.27	0.32
पर्यावरण मंजूरी 2015-16 के लिए	50.97	-
सर्वे ऑफ		2.39
	51.24	2.71

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते में डालना (गत प्रावधानों का निवल)

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	0.02
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	0.02
कुल	**-**	**0.02**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
यात्रा व्यय	19.18	17.37
प्रशिक्षण व्यय	8.96	7.38
दूरभाष एवं डाक खर्च	5.65	6.38
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	7.00	9.97
भाड़ा प्रभार	0.06	0.07
विलंब शुल्क	19.18	2.25
सुरक्षा व्यय	113.07	104.98
सीआईएल का सेवा प्रभार	140.36	144.15
भाड़ा प्रभार	51.53	44.86
सीएमपीडीआई प्रभार	22.30	26.63
विधिक व्यय	7.83	4.32
परामर्श शुल्क	1.26	1.26
कम लदान शुल्क	93.50	179.65
विक्रय/आस्वीकार/सर्वेऑफ आस्तियां पर हानी	0.35	1.28
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.19	0.14
- कर संबंधी मामले के लिए	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	0.13	0.11
-व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.08	0.23
आंतरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा शुल्क पर व्यय	2.84	2.84
पुनर्वास शुल्क	80.37	85.38
GST		
किराया	0.43	0.45
दर एवं कर	23.72	20.24
बीमा	0.90	0.86
विनियम दर में अंतर से हानि	0.41	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.58	2.51
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.58	0.46
साईडिंग अनुरक्षण शुल्क	38.30	51.01
आर एंड डी व्यय	0.02	0.07
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	23.91	12.15
शेयरों के बायबैक पर व्यय	-	0.02
विविध व्यय	125.97	123.48
कुल	**790.66**	**850.50**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹. करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	2124.36	3165.24
स्थगित कर	(43.28)	76.30
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
पिछले वर्षों में	137.00	-
कुल	**2,218.08**	**3,241.54**
31.03.20 के लिए भारतीय आंतरिक कर से गुणित कर की गणना और लेखा लाभ		
कर पूर्व लाभ/(हानी)	8,645.47	9,281.08
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.168% (31 मार्च 2019: 34.944%)	2,175.89	3,243.18
घटाव :विगत वर्ष में चालू आयकर का समायोजन	-	-
घटावः कर से मुक्त आय	(39.64)	(60.50)
घटाव : संयुक्त उद्यम और शेयर के परिणामों का हिस्सा	-	-
योगः कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती व्यय	211.93	372.07
घटावः आयकर के अनुसार अतिरिक्त व्यय की अनुमति है	(224.19)	(389.50)
लाभ और हानि विवरण में आयकर व्यय की सूचना दी गई है	**2,123.99**	**3,165.24**
प्रभावी आयकर दरः	24.57%	34.10%
स्थगित कर देयता निम्न से संबंधित हैः		
विलम्बित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	163.77	165.14
अन्य	243.71	264.83
कुल स्थगित कर देयता	407.48	429.97
स्थगित कर आस्तियां		
प्राप्तियों से संबंधित व्यापार	12.42	23.87
कर्मचारी हितलाभ	59.13	44.01
अन्य	28.89	40.10
कुल स्थगित कर आस्तियां	100.44	107.98
निवल स्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं)	**(307.04)**	**(321.99)**

क) समूह कर परिसंपत्तियों और देयताओं पूर्ण कर देता है यदिऔर केवल यदिउसके पास एक ही कर प्राधिकरण द्वारा अर्जित आयकर से संबंधित वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ और वर्तमान कर देयताएँ और आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियों को निर्धारित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है हैं।

ख) 31 मार्च 2020 को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए रु. 54.53 करोड़ (31 मार्च 2019: `. 76.30 करोड़) की कर देयता को स्थगित कर दिया गया।

संशोधित आयकर की दर के आधार पर आस्थगित कर देयता के पुनर्कथन के कारण रु. 97.81 करोड़ को वापस कर दिया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹. करोड़ में)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(104.82)	(16.28)
		(104.82)	(16.28)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(26.38)	(5.69)
		(26.38)	(5.69)
	कुल (क)	**(78.44)**	**(10.59)**
(ख)	**(i)लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	कुल (ख)	**-**	**-**
	कुल (क+ख)	**(78.44)**	**(10.59)**

टिप्पणी – 38: 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

1. उचित मूल्य मापन

क) वर्गवार वित्तीय साधन

(. . करोड़ में)

	31 मार्च,2020		31 मार्च,2019	
	एफ़वीपीवाईएल	परिशोधित लागत	एफ़वीपीवाईएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
सुरक्षित बॉन्ड	-	958.70	-	958.70
प्राथमिक शेयर				
-इक्विटि घटक	-	-	-	-
-ऋण घटक	-	-	-	-
म्यूचुअल फंड / आईसीडी	0.46	-	1000.83	-
अन्य निवेश	-	-	-	-
ऋण	-	1126.52	-	1625.98
जमा एवं प्राप्य	-	1979.94	-	1713.42
व्यापार प्राप्य	-	1323.07	-	465.24
नगद एवं नगद समतुल्य	-	71.43	-	356.41
अन्य बैंक शेष	-	12301.22	-	12866.24
वित्तीय देयताएं				
उधार	-	1711.93	-	5.71
व्यापार देय	-	667.67	-	507.69
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	286.78	-	246.39
अन्य देयताएं	-	1382.52	-	1096.96

* अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यमों में इक्विटी शेयरों में निवेश को लागत पर मापा जाता है जो **31.03.20** को रु. **116.71** करोड़ (**31.03.2019** को रु..**116.71** करोड़) शामिल नहीं किया गया है

ख) उचित मूल्य अनुक्रम

ग) वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है एवं (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किये गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है ।

(रु. करोड़ में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया –आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 **मार्च** 2020		31 **मार्च** 2020	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
म्यूचुअल फ़ंड/आईसीडी	0.46	-	1000.83	-
वित्तीय देयताएँ				
मद,यदि कोई हो	-	-	-	- -

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया – आवर्ती उचित मूल्य प्रकट किया गया	**31 मार्च 2020**		**31 मार्च 2020**	
	स्तर I	**स्तर III**	**स्तर I**	**स्तर III**
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश	958.70	-	958.70	-
प्राथमिक शेयर इक्विटी अवयव ऋण के अवयव	- -	- -	- -	- -
अन्य निवेश				
ऋण	-	1126.52	-	1625.98
जमा एवं प्राप्य	-	1979.94	-	1713.42
व्यापार प्राप्य	-	1323.07	-	465.24
नगद एवं नगद समतुल्य	-	71.43	-	356.41
अन्य बैंक शेष	-	12301.22	-	12866.24
वित्तीय देयताएं				
उधार	-	1711.93	-	5.71
व्यापार देय	-	667.67	-	507.69
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	286.78	-	246.39
अन्य देयताएं	-	1382.52	-	1096.96

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है।
स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।
स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

क**) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग:**
मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एनएवी) को म्यूच्यूअल फंड में निवेश के संबंध में शामिल किया गया है।
ख**) महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापनः**
वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।
ग**) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य, परिशोधित लागत पर मापे जाते है**

- उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।
- समूह का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान समूह के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। समूह एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाता है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां
समूह के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। समूह के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

समूह बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति समूह की वित्तीय जोखिम

गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री ई-नीलामी एवं ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) के माध्यम से की गई बिक्री के अंतर्गत वर्गीकृत है।

वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ़एसए)

एन.सी.डी.पी. के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहकों या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करते हैं, जो बदले में अंतिम ग्राहकों(इंड कसटमर्स) के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

ई-नीलामी योजना–

जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो दीर्घावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा कोल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

जब संविदा संबंधी बाध्यताओं पर पार्टी की चूक होती है तो ऋण जोखिम उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है ।

अपेक्षित क्रेडिट हानि- कंपनी संदेहपूर्ण/परिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है।(सरलीकृत दृष्टिकोण)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित क्रेडिट हानि

दिनांक-31.03.2020 के अनुसार

(रु. करोड़ में)

विश्लेषण	**दो महीनों के लिए बकाया**	**छः माह के लिए बकाया**	**एक वर्ष के लिए बकाया**	**2 वर्ष के लिए बकाया**	**3 वर्ष के लिए बकाया**	**3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया**	**कुल**
कुल वहन राशि	920.80	373.83	16.98	0.09	5.45	58.21	1375.35
अपेक्षित हानि दर %	-	-	-	-	-	89.81	3.80
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	52.28	52.28

31.03.2019 के अनुसार **(रु.करोड़ में)**

विश्लेषण	**दो महीनों के लिए बकाया**	**छः माह के लिए बकाया**	**एक वर्ष के लिए बकाया**	**2 वर्ष के लिए बकाया**	**3 वर्ष के लिए बकाया**	**3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया**	**कुल**
कुल वहन राशि	354.56	62.87	10.00	0.58	35.18	107.98	535.99
अपेक्षित हानि दर %	-	-	-	-	-	65.52	13.20
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	70.75	70.75

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान – व्यापार प्राप्य

	रु.करोड़ में
दिनांक- 31.03.2019 तक हानि भत्ता	70.75
हानि भत्ता में परिवर्तन	(18.47)
दिनांक- 31.03.2020 तक हानि भत्ता	52.28

वित्तीय परिसम्पत्तियों में हुए हानि हेतु किये गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय : -

ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए अतीत के इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

ख) **नगदी जोखिम**

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(i) **वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता**

नीचे दी गई तालिका अनुबंधित अदत्त भुगतानों के आधार पर समूह की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को सारांशित करता है ।

	31.03.2020 के अनुसार			31.03.2019 के अनुसार		
	एक वर्ष से कम	एक और पाँच वर्ष के बीच	पाँच वर्ष से ज्यादा	एक वर्ष से कम	एक और पाँच वर्ष के बीच	पाँच वर्ष से ज्यादा
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां						
ब्याज बाध्यताओं सहित उधार	-	3.07	2.41	-	2.88	2.83
व्यापार देय	667.67	-	-	507.69	-	-
अन्य वित्तीय देनदारियां	1630.28	39.02	-	1292.13	51.22	-

ग) बाजार जोखिम

क) **विदेशी मुद्रा जोखिम**

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेन-देन, मान्य संपत्तियों या एक मुद्रा में मूल्यवर्ग देनदारियों से उत्पन्न होती है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपये) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाली विदेशी विनिमय जोखिम को प्रदर्शित होता है। विदेशी ऑपरेशन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम को अप्रभावी माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा जोखिम प्रबंधन किया जाता है। कंपनी की एक नीति है जिसे लागू किया जाता है, जब विदेशी मुद्रा जोखिम प्रभावी हो जाती है।

ख) **नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम**

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है : (रु. करोड़ में)

	31.03.2020	**31.03.2019**
इक्विटी शेयर पूंजी	661.84	661.84
वरीयता शेयर पूंजी	NIL	NIL
दीर्घकालिक ऋण	5.48	5.71
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्वता	0.62	0.58

3.कर्मचारी लाभ : मान्यता और माप (भारतीय लेखांकन मानक-19)

i) उपदान

उपदान एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में अनुरक्षित है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम में अंशदान जमा किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त देयता या संपत्ति, परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम होता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से बीमांककों द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न लाभ और हानि का पुनर्मापन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन उस अवधि में चिन्हित किए जाते हैं, जब वे सीधे अन्य व्यापक आय में समाहित होते हैं।

ii) छुट्टि नकदीकरण

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है ताकि अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो उसके दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः माप अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

iii) भविष्य निधि :

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करता है। वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण (टिप्पणी-28) में निधि किये गए (31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए `. 394.75 करोड़) ` 384.13 करोड़ का योगदान स्वीकार किया गया है।

iv) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

कंपनी सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भिन्न पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम द्वारा इस सुविधा को कवर किया गया है। दिनांक 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों हेतु चिकित्सा लाभ के लिए एक अलग योजना "कंट्रीब्यूटरी पोस्ट-रिटायरमेंट मेडिकल स्कीम फॉर एक्जिक्यूटिव ट्रस्ट" के माध्यम से संचालित की जाती है। चिकित्सीय लाभों के लिए देयताओं को एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर मान्यता प्राप्त है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए- 31.03.2020 को फंडेड राशि रु. 25.22 करोड़ (रु. 5.22 करोड़) तथा उस पर देयता रु. 8.59 करोड़ (₹ 6.10 करोड़) है।

v) पेंशन

कंपनी के पास कर्मचारियों के लिए एक सुयोजित कंट्रिब्यूशन पेंशन योजना है, जिसे सीआईएल एक्जिक्यूटिव डीफाइन कंट्रिब्यूशन पेंशन स्कीम -2017 ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसके लिए फ़ंड की स्थिति 31.03.2020 के अनुसार रु. 185.89 करोड़ (रु. 104.23 करोड़) और देयता 3 217.43 करोड़ (.8 154.84 करोड़) है।

vi) कंपनी द्वारा निम्नानुसार कुछ सुयोजित लाभ योजनाओं का बीमांकिक आधार पर संचालन किया जाताहै:

(क) फंडेड

- o उपदान
- o अवकाश नगदीकरण
- o चिकित्सा लाभ

(ख) अनफंडेड

- o जीवन सुरक्षा योजना
- o निपटान भत्ता
- o समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- o यात्रा छुट्टी रियायत
- o खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दिनांक- 31.03.2020 तक कुल देयता रु. 1847.81 करोड़ हैं, जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है।

(रु. करोड़ में)

विषय	दिनांक –01.04.2018 पर प्रारंभिक बीमांकिक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	दिनांक-31.03.2019 पर समाप्त बीमांकिक देयता
उपदान	1115.30	131.81	1247.11
अर्जित छुट्टी	289.34	51.52	340.86
अर्ध वेतन छुट्टी	51.85	10.06	61.91
जीवन सुरक्षा योजना	5.55	0.59	6.14
अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	5.62	0.54	6.16
गैर-अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	8.54	0.69	9.23
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.12	-	0.12
यात्रा छुट्टी रियायत	29.73	(0.95)	28.78
अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	75.09	40.13	115.22
गैर-अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	2.20	2.87	5.07
खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा	13.45	13.76	27.21
कुल	**1596.79**	**251.02**	**1847.81**

vii) बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार घोषणा

कर्मचारियों के लाभ के लिए गैच्युटी (फंडेड) एवं छुट्टी नगदीकरण (फंडेड) के प्रकटीकरण के बीमांकिक प्रमाण पत्र नीचे दिये गए हैं-

दिनांक-31.03.2020 के अनुसार उपदान देयता का बीमांकिक मूल्यांकन

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाणपत्र

(रु. करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	1115.30	1073.92
चालू सेवा लागत	70.18	58.60
ब्याज लागत	69.45	76.45
योजना संशोधनः अवधि के अंत में निहित भाग (पूर्व सेवा)	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक(लाभ)/घाटा	83.94	12.67
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	34.26	16.16
भुगतान किए गए लाभ	126.01	122.50
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	1247.11	1115.30

(रु. करोड़ में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	1092.78	928.41
ब्याज आय	72.12	70.09
कर्मचारी योगदान	137.80	204.23
भुगतान किए गए लाभ	126.01	122.50
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	13.37	12.55
अवधि के अंत में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	1190.06	1092.78

(रु. करोड़ में)

तुलनपत्र में सामंजस्य प्रदर्शित करती विवरणी	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
लगाई गई राशि की स्थिति	(57.05)	(22.52)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
संपत्ति निधि	1190.06	1092.78
देयता निधि	1247.11	1115.30

योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
छूट दर	6.60%	7.55%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	6.60%	7.55%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भाविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	13,14	13,14
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
उम्र में सेवानिवृत्ति (पुरूष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्तता	0.30%	0.30%

(रु. करोड़ में)

लाभ व हानि विवरण में चिन्हित किए गए व्यय	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
वर्तमान सेवा लागत	70.18	58.60
भूतपूर्व सेवा लागत(निर्दिष्ट)	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	(2.67)	6.36
लाभ लागत (लाभ व हानि विवरण में चिन्हित किए गए व्यय)	67.51	64.96

(रु. करोड़ में)

अन्य व्यापक आय	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	83.94	12.67
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	34.26	16.16
कुल बीमांकिक लाभ/हानि	118.20	28.83
योजना परिसंपति की वापसी, ब्याज आय को छोड़ कर	13.37	12.55
अवधि की समाप्ती पर उपलब्ध शेष	104.82	16.28
अन्य व्यापक आय में निर्दिष्ट अवधि में निवल (आय)/ व्यय	104.82	16.28

मृत्यु दर तालिका	
आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

(रु. करोड़ में)

मद प्रकटीकरण				
31.03.2019			31.03.2020	
बृद्धि	कमी	संवेदनशील विश्लेषण	बृद्धि	कमी
1076.55	1156.61	छूट दर (-/+0.5%)	1201.64	1295.77
-3.474%	3.704%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-3.646%	3.902%
1142.64	1087.42	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	1275.96	1217.79
2.452%	-2.499%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	2.313%	-2.351%
1116.30	1114.29	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	1248.25	1245.98
0.090%	-0.090%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.091%	-0.091%
1122.01	1108.58	मृत्यु दर (-/+ 10%)	1254.62	1239.60
0.602%	-0.602%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.602%	-0.602%

(रु. करोड़ में)

नगद प्रवाह की जानकारी पदर्शित करती तालिका	
आगामी वर्ष के लिए कुल (संभावित)	1265.14
न्यूनतम निधि आवश्यकताएं	128.96
कंपनी का विवेकाधिकार	-

अनुमानित भविष्य भुगतान लाभ की जानकारी दर्शाती तालिका (पूर्व सेवा)	
वर्ष	रु. करोड़ में
1	128.25
2	123.01
3	129.10
4	134.17
5	131.16
6 to 10	637.66
10 वर्ष से अधिक	1044.33
भूतपूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	2327.68
ब्याज हेतु कम छूट	1080.57
अनुमानित हित लाभ देनदारी	1247.11

(रु. करोड़ में)

आगामी वर्ष के शुद्ध आवधिक लाभ के घटकों को दर्शाती तालिका	
आगामी अवधि के लिए चालू सेवा लागत(केवल नियोक्ता अंश)	71.82
आगामी अवधि के लिए हित लाभ	78.08
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित लाभ	82.31
गैर मान्यता प्राप्त भूतपूर्व सेवा लागत	-
गैर मान्यता प्राप्त बीमांकिक/अवधि के अंत में लाभ-हानि	-
निपटान लागत	-
संक्षेप लागत	-
अन्य(बीमांकिक लाभ/हानि)	-
लाभ लागत	67.59

(रु. करोड़ में)

शुद्ध देयता का विभाजन	**31.03.2020 के अनुसार**	**31.03.2019 के अनुसार**
चालू देयता	124.22	117.74
गैर-चालू देयता	1122.89	997.55
शुद्ध देयता	1247.11	1115.30

दिनांक- 31.03.2020 में छुट्टी नकदीकरण लाभ (ई.एल./एच.पी.एल.) के रुप में बीमांकिक मूल्यांकन भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार प्रमाण-पत्र

(रु. करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2020 के अनुसार**	**31.03.2019 के अनुसार**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	341.19	290.38
चालू सेवा लागत	27.01	24.61
ब्याज लागत	19.33	20.89
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	33.34	4.77
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ) / हानि	78.61	28.02
लाभ भुगतान	96.71	27.48
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक लाभ/हानि	402.77	341.19

(रु. करोड़ में)

परिसंपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2020 के अनुसार**	**31.03.2019 के अनुसार**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	273.16	255.19
ब्याज आय	18.03	19.27
नियोक्ता योगदान	58.54	28.47
लाभ भुगतान	96.71	27.48
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	(0.90)	(2.28)
अवधि के अंत में संपत्ति योजना के उचित मूल्य	252.11	273.16

(रु. करोड़ में)

तुलनपत्र में सामंजस्य दर्शाते विवरण	**31.03.2020 के अनुसार**	**31.03.2019 के अनुसार**
लागत स्थिति	(150.65)	(68.03)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
संपत्ति निधि	252.11	273.16
देयता निधि	402.76	341.19

योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	**31.03.2020 के अनुसार**	**31.03.2019 के अनुसार**
छूट दर	6.60%	7.55%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	6.60%	7.55%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	अधिकारियों के लिए 9.00 % तथा कर्मचारियों के लिए 6.25%	अधिकारियों के लिए 9.00% तथा तथा कर्मचारियों के 6.25%
औसत अपेक्षित भाविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	13,14	13,14
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
उम्र में सेवानिवृत्ति (पुरूष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्तता	0.30%	0.30%

(रु. करोड़ में)

लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय	**31.03.2020 के अनुसार**	**31.03.2019 के अनुसार**
वर्तमान सेवा लागत	27.01	24.61
शुद्ध ब्याज लागत	1.30	1.62
शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि	112.85	35.08
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	141.16	61.31

मृत्यु दर तालिका	
आयु	**मृत्यु दर** (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

मद प्रकटीकरण				
31.03.2019			31.03.2020	
वृद्धि	कमी	संवेदनशील विश्लेषण	वृद्धि	कमी
326.66	356.89	छूट दर (-/+05%).5%)	384.58	422.54
-4.257%	4.603%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-4.516%	4.908%
356.74	326.67	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	422.18	384.72
4.559%	-4.256%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	4.821%	-4.480%
342.16	340.21	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	403.92	401.62
0.286%	-0.286%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.285%	-0.285%
343.26	339.11	मृत्यु दर (-/+ 10%)	405.17	400.36
0.609%	-0.609%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.597%	-0.597%

अनुमानित भावी भुगतान के लाभ की सूचना देती तालिका	
वर्ष	रु. करोड़ में
1	27.79
2	29.39
3	35.65
4	38.32
5	39.92
6 to 10	202.92
10 वर्ष से अधिक	528.89
पूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	902.88
ब्याज हेतु कम छूट	500.11
अनुमानित लाभ दायित्व	402.77

(रु. करोड़ में)

शुद्ध देयता का विभाजन	**31.03.2020 के अनुसार**	**31.03.2019 के अनुसार**
चालू देयता	26.92	24.42
गैर चालू देयता	375.85	316.77
शुद्ध देयता	402.77	341.19

4. अपरिचित मदें

क) आकस्मिक देयतायें

कंपनी द्वारा किये गए दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

तालिका I (रु. करोड़ में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य स्थान	सी.पी.एस.ई.	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.18	2919.82	11963.64	1.13	192.78	15077.37
वर्ष के दौरान सम्मिलित	4504.30	330.48	-	23.51	4858.29
वर्ष के दौरान निपटाये गए दावे					
क. प्रारंभिक शेष से	423.03	8354.16	-	12.00	8789.19
ख. वर्ष के दौरान संयोजन से	2.59	0.06	-	0.04	2.69
ग. वर्ष के दौरान निपटाये गए कुल दावे (क+ख)	425.62	8354.22	-	12.04	8791.88
31.03.2020 को समाप्त	6998.50	3939.90	1.13	204.25	11143.78

तालिका II (रु. करोड़ में)

कंपनी के खिलाफ दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया		
	31.03.2020	**31.03.2019**
केंद्रीय सरकार		
केंद्रीय उत्पाद	327.77	328.10
आय कर*	6244.20	2200.73
स्वच्छ ऊर्जा सेस	308.32	308.23
सेवा कर	117.62	82.32
अन्य	0.59	0.44
राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय		
बिक्री कर	170.48	160.41
रॉयल्टी	666.21	494.07
पर्यावरण क्लीयरेंस	2915.04	11161.77
अन्य	188.17	147.39
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मामले	1.13	1.13
अन्य	204.25	192.78
कुल	**11143.78**	**15077.37**

ख) गारंटीः

कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार की गारंटी प्रदान नहीं की गई।

ग) शाख पत्र एवं बैंक गारंटी:

दिनांक 31.03.2020 तक बकाया साख पत्र रु. 36.99 करोड़ हैं (31.03.2019 तक रु. 2.83 करोड़) लेटर ऑफ कम्फर्ट रु. 4.35 करोड़ है(31.03.2019 तक रु.13.35 करोड़ रू.) एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत रु. 8.80 करोड़ (31.03. 2019 तक रु. 17.17 करोड़) हैं।

घ) प्रतिबद्धता

संविदा की अनुमानित राशि जिसे पूंजी खाते में खर्च किया जाता है,

लेकिन जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया हैः- : रु. 1671.33 करोड़ (31.03.2019 तक रु.839.02 करोड़)

अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : रु. 2989.10 करोड़ रूपये (31.03.2019 तक रु.2304.91 करोड़)

5. समूह की जानकारी

नाम	एमसीएल के साथ संबंध	मूल गतिविधियां	निगमीकरण का देश	इक्विटी का ब्याज %	
				31.03.20	31.03.19
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	70	70
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	60	60
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	ऊर्जा उत्पादन	भारत	100	100
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	रेल कोरिडोर का निर्माण एवं संचालन परियोजना	भारत	64	64

6.अन्य जानकारी

क) प्रावधान

दिनांक 31.03.2020 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकित है, जो कि नीचे दिए गए हैं (रु. करोड़ में)

प्रावधान	01.04.2019 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अन वाईडिंग	31.03.2020 के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण :					
संपत्तियों की हानि एवं कमी	45.58	3.17	(0.71)	-	48.04
नोट 4: पूँजीगत कार्य प्रगति पर:					
सीडब्ल्यूआईपी के तहत	14.18	-	(0.01)	-	14.17
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन					
प्रावधान एवं हानि	-	-	-	-	-
नोट 8: ऋण :					
अन्य ऋण :	-	-	-	-	-
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां :					
अन्य जमा एवं प्राप्य	0.16	-	-	-	0.16
उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	-	-	-	-	-
अनुषंगियों के साथ चालू लेखा :	-	-	-	-	-
दावे एवं अन्य प्राप्य :	0.06	-	-	-	0.06
नोट 10: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां: **<u>परिसंपत्तियाँ :</u>**					
अग्रिम पूंजी	0.64	0.01	-	-	0.65
उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	-	-	-	-	
अन्य जमा एवं अग्रिम	-	-	-	-	-
नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम:	6.54	-	-	-	6.54
सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-	-
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम एवं जमा :	0.02	-	-	-	0.02
नोट 13:- प्राप्य व्यापार :					
गलत एवं संदिग्ध प्रावधानों हेतु प्रावधान :	70.75	-	(18.47)	-	52.28
नोट 21 :- गैर चालू एवं चालू प्रावधान :					
अनुदान	127.63	135.39	(127.63)	-	135.39
कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान	177.97	65.08	(83.99)	-	159.06
अन्य	529.45	487.23	(529.45)	-	487.23
स्थान पुनर्स्थापना/ खदान बंदी (भूमि के पुनर्ग्रहण सहित)	812.13	-	(24.53)	79.80	867.40

ख) सरकारी सहायता

31.03.2020 को समाप्त अवधि के दौरान सड़क और रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य के लिए कोयला मंत्रालय,भारत सरकार से पूंजी अनुदान के रूप में शून्य सीसीडीए ग्रांट प्राप्त किया गया। अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल के लिए अब तक कुल सीसीडीए अनुदान रु. 208.58 करोड़ का ऋण चुकाया जा रहा है और नोट -22 के तहत आस्थगित आय के रूप में रु. 180.77 करोड़ के बकाया राशिकी घोषणा की गई है।

ग) सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है, जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है- (रु. करोड़ में)

	भारत	अन्य देश
राजस्व	15811.17(PY 17011.00)	श्र्य

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	राशि	देश
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो **एन.टी.पी.सी.**	2008.38 (PY 2506.17)	भारत
अन्य	13802.79(PY 14504.83)	भारत

स्थान के द्वारा निवल चालू परिसंपत्ति निम्नानुसार

	भारत	अन्य देश
निवल चालू परिसंपत्ति	12613.66(PY 12004.12)	Nil

प्राधिकृत पूंजी: (रु. करोड़ में)

	31.03.2020	**31.03.2019**
प्रत्येक के रु. 1000 के 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
प्रत्येक रु.1000 के 20,41,800 का संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर का 10% (पहले की स्वीकृति अनुसार प्रतिदेय)	204.18	204.18

ङ) प्रतिशेयर आय

क्र.सं	विवरण	दिनांक-31.03.2020 को समाप्त वर्ष		दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष (पुनः वर्णित)	
		PAT	OCI	PAT	OCI
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (करोड़ रूपये में)	6427.39	(78.44)	6039.54	(10.59)
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर	6618363	6618363	6992154	6992154
iii)	रुपए में प्रति शेयर मूल एवं लघु आय (अंकित मूल्य ₹ .1000 प्रति शेयर)	9711.45	(118.52)	8637.60	(15.15)

च. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

1.संबंधित पार्टियों की सूची

i) अनुषंगी कंपनियां

1) महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड(एमबीपीएल)

2) एमएनएच शक्ति लिमिटेड

3) एमजेएसजे कोल लिमिटेड

4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड(एमसीआरएल)

1. **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

नाम	**पदनाम**	**से प्रभावी**
श्री बी. एन. शुक्ला	अध्यक्ष–सह-प्रबंध-निदेशक	14.06.2019
श्री आर. आर. मिश्रा	अध्यक्ष–सह-प्रबंध-निदेशक	25.09.2018 - 14.06.2019
श्री ओ.पी. सिंह	निदेशक (तकनीकी-संचालन)	01.09.2016
श्री के. आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	04.02.2018
श्री के.के. मिश्रा	निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)	24.06.2019
श्री के. राव	निदेशक (कार्मिक)	18.12.2019
श्री ए. के. सिंह	कंपनी सचिव	19.11.2012
सुश्री सीमा शर्मा	गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	06.09.2017
श्री एस. एन. तिवारी	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	23.12.2019
श्री आर के सिन्हा	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	12.06.2017-17.03.2020
श्री एस एन प्रसाद	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	16.02.2016 - 30.11.2019
श्री नागराजू मदिरला	आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	17.03.2020
श्री एस. मोहन	गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक	10.07.2019

2. प्रमुखप्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(रु. करोड़ में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक-31.03.2020 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष
i)	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ** सकल वेतन परिलब्धियां चिकित्सा लाभ	1.36 - -	1.50 - -
ii)	**रोजगार लाभ के उपरांत** पी.एफ एवं अन्य निधि का योगदान	0.13	0.16
iii)	**समाप्ति लाभ** (वियोजन के समय प्रदत्त) छूट्टी नकदीकरण गैच्युटी	- -	- -
	कुल	**1.48**	**1.66**

टिप्पणी:

i) इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ओ.एम. नं 2(18)/पी.सी.-64, दिनांक-20.11.1964 को संशोधित प्रावधानों के अनुसार 750 कि.मी. पर रियायत दर के भुगतान पर निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने हेतु अनुमति दी गई है।.

(रु. करोड़ में)

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	दिनांक-31.03.2020 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2019 को समाप्त वर्ष
i)	बैठक शुल्क	0.13	0.16

बकाया शेष (रु. करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

3. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेन-देन

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल किया है तथा अन्य सहायक कंपिनयों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है।

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन

(रु. करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	एपेक्स प्रभार	पनर्स्थापना प्रभार	कार्मशाला /प्रेस डेबिट	सीएमपीडीआई व्यय	अनुषंगी कंपनियों / सीआईएल के साथ निधि पर ब्याज	जारी भंडार सामग्रियां	अन्य	चालू खाता बकाया
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड(ईसीएल)	-	-	-	-	-	0.32	0.27	-
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	-	-	-	-	-	-		-
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	-	-	0.10	-	-	0.05		-
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लुसीएल)	-	-	-	-	-	0.14		-
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	-	-	(0.06)	-	-	1.85		-
नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	-	-	0.22	-	-	1.09		-
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिच्यूट लिमिटेड(सीएमपीडीआ ईएल)	-	-	-	74.23	-	(0.02)		-
कोल इंडिया लिमिटेड	140.36	80.37	-	-	(0.72)	-		(9.48)
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-	-	-	-	(1.16)	-		25.83
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	-	-	-	-	(0.01)	-	0.02	0.56
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-	-	-	-	(2. 40)	-		65.89
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	-	-	-	-	(0.09)	-		2.63

कोस्टक में दिए गए अंक शुद्ध आय या क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

छ)　　तत्कालीन लेखा विवरण

(i) **भारतीय लेखा मानक, 116 लीज**

30 मार्च, 2019 की कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कंपनी के लिए 01.04.2019 से भारतीय लेखा मानक 17 लीज को प्रतिस्थापित कर भारतीय लेखा मानक 116 , लीज प्रभावी हो गया है। भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार पट्टों पर लेखांकन नीति में परिवर्तन कर दिया गया है। परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के पट्टेदारों द्वारा लेखांकन में भारतीय लेखा मानक 116 लीज में मुख्य परिवर्तन किया जाता है। कंपनी के पट्टेदार होने के मामलें में परिसंपत्ति उपयोगिता अधिकर तथा भावी पट्टा भुगतान के लिए पट्टा देयताओं की स्वीकृति के लिए पट्टा अनुबंध किए गए है।

परिवर्तन काल में कंपनी ने संचयी पद्धति का पालन किया है अर्थात प्रारंभिक संतुलन के लिए एक समायोजन के रूप में शुरू में इस मानक को लागू करने के संचयी प्रभाव को मान्यता दी है ताकि आय को बनाए रखा जा सके । बैलेंस शीट में चिन्हित लीज देयता की गणना के लिए 8% का उपयोग पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर के रूप में किया गया है।

31.03.2018 के अनुसार पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर से अधिक का उपयोग करके परिचालन पट्टे के संबंध में दी गई छुट लीज देयता प्रतिबद्धता शून्य थी, जबकि 01.04.2019 के अनुसार तुलन पत्र में चिन्हित लीज देयता शून्य है ।

II. भारतीय लेखा मानक(आईएनडी एएस 19) में संशोधन – योजना संशोधन, परित्याग या निपटान-

30 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने योजना संशोधन, कटौति और निपटान के लिए लेखांकन के संबंध में इंडस्ट्रीज़ 19, 'कर्मचारी लाभ' के रूप में इंडस्ट्रीज़ को अधिसूचित किया है। संशोधनों के लिए एक इकाई की आवश्यकता होती है:

- योजना संशोधन, सुधार या निपटान के बाद शेष अवधि के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज निर्धारित करने के लिए अद्यतन धारणाओं का उपयोग करना; तथा
- पिछली सेवा लागत के हिस्से के रूप में लाभ या हानि, या निपटान पर लाभ या हानि के रूप में पहचान करने के लिए, अधिशेष में कोई कमी, भले ही उस अधिशेष को परिसंपत्ति छत के प्रभाव के कारण पहले से मान्यता नहीं मिली हो।

इस संशोधन के आवेदन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। वित्तीय विवरण में उपरोक्त परिवर्तन का प्रभाव शून्य है।

ज)　　बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब लगाया जाता है।

झ)　　लेखा में रखे गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले /नॉन-मूविंग /अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ञ) चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ट) चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ठ) शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध एवं अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान रखा गया है।

ड) कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण

(रु.करोड़ में एवं परिमाण '000 मिलियन टन में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		**31.03.2019 को समाप्त वर्ष**	
	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य
प्रारंभिक शेयर	**130.23**	**444.90**	**111.78**	**420.54**
उत्पादन	1403.58	14384.83	1441.51	15349.83
कोयले की खरीद	5.14	56.69	-	-
विक्रय	1335.02	14105.60	1423.03	15324.75
स्व खपत	0.02	0.43	0.03	0.73
खरीदे गए कोयले का प्रेषण	5.12	56.40	-	-
बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-
5% से अधिक की कमी	1.17	19.43	1.17	19.43
5% से अधिक	-	-	-	-
अंतिम स्टॉक	**197.62**	**704.56**	**129.06**	**425.46**

ढ) आईएनडी एएस 115 **के अनुसार अलग-अलग राजस्व**

	परिणाम (लाख टन में)	मूल्य (रु. करोड़ में)
31.03.19 के अनुसार अंतिम शेष (ग्रहीत स्टॉक)	**129.06**	**425.46**
जोड़: 31.03.19 के अनुसार को 5% से कम की कमी (बट्टे खाते में नहीं डाला गया)	1.17	19.43
कुल	130.23	444.89

ण) भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार अलग-अलग राजस्व

पृथक राजस्व जानकारी:	31.03.2020 को को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को को समाप्त वर्ष के लिए
माल एवं सेवा के प्रकार:-		
- कोयला	14162.00	15324.74
- अन्य	-	-
कोयला विक्रय से कुल राजस्व	**14162.00**	**15324.75**
ग्राहकों के प्रकार		
- पावर सेक्टर	8791.46	9185.30
- गैर- पावर सेक्टर	5370.54	6139.45
- अन्य सेवाएं	-	-
कोयला विक्रय से कुल राजस्व	**14162.00**	**15324.75**
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	11420.70	12451.98
- ई-ऑक्सन	2741.30	2872.77
- अन्य	-	-
कोयला विक्रय से कुल राजस्व	**14162.00**	**15324.75**
माल एवं सेवा का समय		
- ठीक समय पर सामग्रियों का अंतरण	14162.00	15324.75
- समय के बाद सामग्रियों का अंतरण	-	-
- ठीक समय पर सेवाओं का अंतरण	-	-
- समय के बाद सेवाओं का अंतरण	-	-
कोयला विक्रय से कुल राजस्व	**14162.00**	**15324.75**

त) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है -

कंपनी का नाम	संबंध	ऋण/निवेश	राशि (`. करोड़ में)
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	57.06
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	59.57
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.05
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.03
एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड		दिये गये ऋण	1125.00 (o/s)

- 31.03.2020 अंतर्गत ऋण के संदर्भ में समूह द्वारा कोई भी कारपोरेट गारंटी नहीं दिया गया है।

- निधिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कंपनी ने मासिक आधार पर 7% ब्याज देयता पर एन.एल.सी.आई.एल. को 2000 करोड़ का ऋण दिया है एवं मूलधन का पुनर्भुगतान 48 माह तक समान किश्तों

में होगा। एनएलसीआईएल को यह ऋण पात्र निवेश के रूप में सीपीएसई द्वारा अधिशेष निधियों के निवेश पर दिशानिर्देशों के खंड 8 (iv) के अंतर्गत शामिल है।

थ) प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा प्रबंधन संस्थान एमसीएल(MINREM) का निर्माण

कंपनी प्रारंभिक अनुमानित कुल राशि रु. 138.83 करोड़ के साथ ठेकेदार मेसर्स एनबीसीसी के माध्यम से 'एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट (MINREM), भुवनेश्वर ' का निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य रोक दिया गया क्योंकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने पहले अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। हालाँकि 02.11.2018 को भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने ने एमसीएल के पक्ष में आवश्यक अनुमति दे दी है। एमओयू को दिनांक 09.01.2020 से दो साल की अवधि के लिए पुं;सत्यापित किया गया है और उपरोक्त कार्य 12 माह के भीतर पूरा किया जाना है तथा संशोधित परियोजना लागत रु. 155.33 करोड़ है। ठेकेदार MINREM के शेष कार्य को पुन: शुरू करेगा। कंपनी ने अब तक संस्थान के निर्माण के लिए 8 104.48 करोड़ खर्च किए हैं।

द) बालिपंडा मौजा, पुरी में भूमिः-

पुरी नगर पालिका के साथ 99 वर्ष के पट्टा अवधि (दिनांक-01.04.1996 से प्रभावी) से 05 करोड़ रूपये बालिपंडा मौजा, पुरी की भूमि जिसकी कीमत रूपये 0.94 करोड़ (बाउंडरी वाल के लिए जमा सहित) है, पट्टे के तौर पर लिया गया है। हालांकि तहसीलदार, पुरी द्वारा दिये गए कार्यालय ज्ञापन संख्या-7206 दिनांक-21.08.2004, कलेक्टर, पुरी को संबोधित की गई एक प्रतिलिपि एमसीएल, भुवनेश्वर को “स्वीट वॉटर जोन” के तहत आती हैं तथा इस क्षेत्र को आवास एवं शहरी विकास विभाग में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जैसा कि कथित भूमि स्वीट वॉटर जोन के तहत आती है, इसलिए तहसीलदार, पुरी में 2008-09 तक भाड़े के साथ ही उपकर स्वीकार किया है। इसके अलावा निदेशक (कार्मिक), एमसीएल ने पत्र सं. 4707 दिनांक 08.01.2019, द्वारा कलेक्टर, पुरी को स्टाल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वैकल्पिक जमीन सौंपने का अनुरोध किया। कार्यकारी अधिकारी, पुरी नगर पालिका ने एडीएम को दिनांक 05.11.19 को अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि एमसीएल को भवन निर्माण के लिए अनुबंध के निष्पादन की तारीख 09.04.1997 से तीन साल के भीतर निर्माण करना था।

हालाँकि एमसीएल द्वारा निर्धारित अवधि में कोई निर्माण नहीं किया गया था, अब अमृत योजना के तहत उसी भूमि पर एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। दिनांक 05.12.2019 को वैकल्पिक भूभाग के आवंटन के लिए उप महाप्रबंधक, एमसीएल द्वारा कलेक्टर पुरी को पुन: पत्र लिखा गया है, और राज्य प्राधिकरण में मामला सक्रियरूप से विचाराधीन है। एमसीएल आशा कर रहा है कि उसके पक्ष में वैकल्पिक भूमि जल्द ही आवंटित की जाएगी। जब तक एमसीएल के पास वैकल्पिक भूमि उपलब्ध है, तब तक जमा की गई राशि को पूंजी अग्रिम के तहत रखा जाता है।

झ) वर्ष के दौरान, कंपनी ने TDR को 2052 करोड़ की राशि देकर 2000 करोड़ के अग्रिम कर के रूप में भुगतान करने के लिए ।बैंक से रु. 1,840 करोड़ की राशि का ऋण लिया है।

ञ) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फाइल सं. 34011/28/2019-CPAM दिनांक 16.12.2019 के माध्यम से कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक हेतु खनन योजना तैयार करने के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.02.2020 को जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार एसओपी जारी किया गया।

यद्यपि वर्ष के दौरान एस्क्रो खाते में खदान बंद करने की लागत और इसके निक्षेपण की गणना का कोई प्रभाव नहीं है।

t) वर्ष के दौरान कंपनी ने ओपीसीएल से रु. 60.80 करोड़ की राशि का कोयला खरीदा है। खरीदे गए कोयले की बिक्री रु. 56.40 करोड़ तथा उस पर सरफेस परिवहन शुल्क 14.98 करोड़ और निकासी सुविधा शुल्क रु. 2.56 करोड़ है। खरीदे गए कोयले का क्लोजिंग स्टॉक रु. 0.29 करोड़ है।

ट) एमसीएल ने कर कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई **विवाद से विश्वास योजना, 2020** के तहत घोषणा की है। कंपनी ने इस योजना के तहत मूल्यांकन वर्ष 1997-98 से 2007-08 तक संबंधित सभी आयकर विवादों को निपटाने के लिए घोषणा करने की योजना बना रही है। पूर्व वर्षों के लिए लाभ एवं हानी खाते से रु. 142.23 करोड़ का कर व्यय किया गया है।

ठ) उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एफ़आईएफ़ओ विधि से इन्वेंट्री की लागत की गणना के तरीके को भारित औसत विधि में बदल दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018-19 के क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन पर काफी प्रभाव पड़ा है, इसलिए पिछले वर्ष के रिपोर्ट आंकड़ों को पुनर्व्यक्त नहीं किया गया है।

दिनांक 31.03.2020 के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन की विधि में बदलाव के चलते क्लोजिंग स्टॉक के मूल्य में कमी आई है तथा रु. 5.52 करोड़ का लाभ हुआ है।

ड) विभिन्न सरकारी प्राधिकरण, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार रु.26.36 करोड़ (PY- .09 40.09 करोड़) का जमा खाता (निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए) खोला गया है, टिप्पणी -9 और टिप्पणी-15 के तहत बैंक गारंटी के मुद्दे दर्शाए गए है। विवरण निम्नानुसार हैं:

टिप्पणी -15

i. न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर अनुबंधों में वसूली गई मूल्य अंतर की राशि रु. 6.45 करोड़ सावधि जमा में शामिल हैं।

ii. जो मैसर्स आईआरसी लोजीस्टिक्स लिमिटेड की बैंक गारंटी के नकदिकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से सावधि जमा में रु. 0.22 करोड़ शामिल हैं।

iii. माननीय उच्च न्यायालय,कटक के आदेशानुसार मेसर्स श्री महावीर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 2015 की लिखित याचिका सं. 3109 के अंतिम परिणाम तक 40% टेपरिंग मनी के रूप में रु. 0.19 करोड़ सावधि जमा में शामिल है।

iv. माननीय उच्च न्यायालय, कटक (ओडिशा) के अंतरिम आदेश से रु. 6.58 करोड़ सावधि जमा में शामिल है अर्थात किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में विवादित भूमि में शामिल मुआवजे की शेष राशि के लिए जमा किया जाए।

v. मैसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेड (एमसीएल) और मैसर्स कुणाल स्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (केएसआईपीएल) संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी के नकदीकरण के बारे में ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रु. 1.17 करोड़ सावधि खाते में जमा की गई है।

vi. अनुषंगी कंपनी-मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की ओर से ब्लॉकों के आवंटन की शर्तों को पूरा करने हेतु भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए लेटर ऑफ कंफ़ोर्ट जारी करने के लिए स्टेट बैंक इंडिया के ग्रहणाधिकार के तहत निर्धारित 5 4.35 करोड़ की राशि जमा की गई है।

vii. कनिका रेलवे साइडिंग में पूर्ण स्वामित्ववाली एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में रु. 0.06 करोड़ की सावधि जमा राशि रखी गई है।

viii. तीन महीने के अग्रिम जल शुल्क और नौ महीने तक 1.336 क्यूसेक पानी के निकालने लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए कार्यकारी अभियंता मेन डैम डिवीजन, बुर्ला के पक्ष में रु. 0.45 करोड़ की सावधि जमा राशि निर्धारित की गई है।

ix. ओआईटीडीएस के संबंध में दूर संचार विभाग, भारत सरकार से मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए रु. 0.03 करोड़ जमा हैं।

x. एक अधिकारी द्वारा नकद गबन के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय सुंदरगढ़ के माध्यम से अर्जित विशेष अवधि जमा ब्याज सहित रु. 2.12 करोड़ के बैंक डिपॉजिट वसूल किया गया है को वापस लिया गया है जो न्यायालय द्वारा लंबित मामले का अंतिम रूप है।

xi. बैंक के पास रु. 1.39 करोड़ के बैंक में जमा है जो हस्ताक्षरित एमओयू / अनुबंध पर वाटर डैम डिवीजन के पक्ष में हैं।

xii. लिलारी नाले से ड्रॉ के लिए अनुबंध के निष्पादन के लिए टीडीआर के रूप में रु. 0.02 करोड़ की बैंक जमा राशि है।

xiii. ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर मैसर्स उत्कल राजमार्गों के लिए टीडीआर के रूप में रु. 1.19 करोड़ की बैंक जमा राशि है।

<u>टिप्पणी-9</u>

xiv. कार्यकारी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रभाग, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में रु. 0.08 करोड़ की बैंक राशि जमा है।

xv. कार्यकारी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रभाग, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में रु. 1.20 करोड़ की बैंक राशि जमा है।

xvi. एमआईएमएसआर के लिए संस्थागत भवन योजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तमदा(टीएएमडीए) के पक्ष में बीजी जारी करने के लिए रु. 0.85 करोड़ बैंक डिपॉजिट में शामिल हैं।

ढ) एमसीएल में, 22 ओपन कास्ट माइंस और 12 भूमिगत खदान हैं, जिनमें से 4 ओपन कास्ट माइंस और 5 अंडरग्राउंड माइंस गैर-उत्पादक हैं और 3 ओपन कास्ट माइंस और 3 अंडरग्राउंड माइंस विकासाधीन हैं: -

गैर उत्पादक खदानों की सूची:-

क्र.	खदान का नाम	गैर उत्पादक होने के लिए कारण
1.	छोंडिपदा ओसीपी	खदान बंद होने के कारण।
2.	लिलारी ओसीपी	लिलारी ओसीपी की खनन योजना मार्च 2018 तक वैध थी।
3.	साउथ बलंडा ओसीपी	कोयला भंडार नि:शेष होने के कारण।
4.	बसुंधरा ईस्ट ओसीपी	कोयले के सम्पूर्ण निष्कर्षण के कारण खदान बंद है।
5.	हिंगिर रामपुर कोलियरी भूमिगत	ओरिएंट एरिया से जारी खदान बंदी सूचना के साथ इस खदान को 27.05.2013 से छोड़ दिया गया है।
6.	ओरियेंट खदान नं.4 भूमिगत	क. दिनांक 02.07.2017 से डेवलपमेंट पैच की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन बंद कर दिया गया है क्योंकि खदान की पूरी संपत्ति पहले से ही विकसित है और चरण II के वन क्लीयरेंस के अभाव में डिप्लीयरिंग के लिए अनुमति नहीं है। ख. सेवानिवृत्ति आदि के कारण ओरिएंट क्षेत्र में श्रमशक्ति की कमी है। चूंकि ओरिएंट क्षेत्र की अन्य खानों की उत्पादक इकाइयों में श्रमशक्ति की कमी है, इस खदान की उपलब्ध श्रमशक्ति को लाभकारी उपयोग के लिए अन्य उत्पादक खानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब खदान को आउटसोर्स मोड में चलाने की प्रक्रिया चल रही है।
7.	तालचेर भूमिगत	डीएमएस, भुवनेश्वर की सूचना संख्या - 010686 / बीबीआर-डीएच / सीओ -6 / नोटिस -22 ए (1/2015/2015/4562) द्वारा खानों अधिनियम 1952 की धारा 22 ए (1) का पालन नहीं करने के कारण अस्थायी रूप से कोयले का खनन बंद। दिनांक 03.09.2015, ड्रिफ्ट टॉप सेक्शन (वर्तमान में काम कर रहे) को तीसरी प्रविष्टि प्रदान करने के लिए, और CMR-2017 के प्रावधान के अनुसार, आरईजी नं. - 158 (3) उत्पादन 24.02.2018 से निलंबित कर दिया गया था।
8.	देउलबेरा भूमिगत	उत्पादन को नोटिस से रोकना पड़ा। अधीक्षण अभियंता की नोटिस कि पानी राइट बैंक कैनाल में छोड़ा जाएगा, जिसके नीचे खदान का काम दिनांक 19.07.2006 तक चालू था
9.	हाँडिधुआ भूमिगत	भारी नुकसान के कारण दिनांक 16.09.1998 से उत्पादन रोक दिया गया है।

विकास खदानों की सूची:-

क्र.	विकास खदान
1.	तालचेर वेस्ट (भूमिगत)
2.	जगन्नाथ (भूमिगत)
3.	नटराज भूमिगत
4.	सियारमाल ओसीपी
5.	बसुंधरा वेस्ट (विस्तार) ओसीपी
6.	सुभद्रा ओसीपी

ण) कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप भारत और विश्व में आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण व्यवधान और मंदी का कारण रहा है। कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। कंपनी भावी आर्थिक परिस्थितियों और व्यवसाय पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की सूक्ष्म निगरानी रखेगी।

y) महत्वपूर्ण लेखा नीति

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है।

त) अन्य:

a) पिछले वर्ष / अवधि के आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पुनर्व्यक्त किया गया है और आवश्यक समझे जाने पर इसे फिर से पुन: एकत्रित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

b) नोट संख्या 3 से 38 में पिछली अवधि के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

c) नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को प्रस्तुत करता है, नोट 3 से 23, 31 मार्च 2020 के अनुसार तुलन पत्र को तथा नोट 24 से 37 में उस तिथि पर समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानी के विवरण शामिल है तथा नोट-38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी को दर्शाता है।

नोट 1 से 38 तक हस्ताक्षर।

साथ में दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

ह/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के. स्वर्णकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(के आर वसुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(बी.एन.शुक्ला)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05131449

उसी दिन हमारे द्वारा संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई

ह/-
(सीए जे.के.मिश्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 052796

दिनांक: 15.06.2020

स्थान : बुर्ला

2019-20

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित लेखा

समेकित तुलनपत्र

(` करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार (पुन:घोषित)
आस्तियां			
गैर चालू आस्तियां			
(क). संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	7,244.17	6,494.79
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	1,515.56	1,404.00
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन आस्तियां	5	124.73	158.40
(घ) अमूर्त आस्तियां	6	4.69	4.74
(ङ) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	7	958.70	958.70
(ii) ऋण	8	626.20	1,125.66
(iii) अन्य वित्तीय आस्तियां	9	1,166.14	1,019.13
(च)आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		-	-
(छ) अन्य गैर-चालू आस्तियां	10	314.04	214.95
कुल गैर चालू आस्तियां (क)		11,954.23	11,380.37
चालू आस्तियां			
(क) वस्तुसूची	12	793.62	502.30
(ख) वित्तीय आस्तियां			
(i) निवेश	7	0.46	1,000.83
(ii) व्यापार प्राप्य	13	1,323.07	465.24
(iii) नगद एवं नगद समतुल्य	14	151.48	432.09
(iv) अन्य बैंक शेष	15	12,301.22	12,866.24
(v) ऋण	8	500.32	500.32
(vi) अन्य वित्तीय आस्तियां	9	800.95	628.22
(ग) चालू कर आस्तियां (निवल)		2,527.99	748.75
(घ) अन्य चालू आस्तियां	11	2,525.84	1,545.55
कुल चालू आस्तियां(ख)		20,924.95	18,689.54
कुल आस्तियां (क+ख)		**32,879.18**	**30,069.91**

समेकित तुलनपत्र जारी......

(` करोड़ में)

	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार (पुन:घोषित)
इक्विटी एवं देयताएं			
इक्विटी			
क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	661.84	661.84
(ख) अन्य इक्विटी	17	3,230.56	3,192.45
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए इक्विटी		3,892.40	3,854.29
गैर नियंत्रित ब्याज		57.04	64.61
कुल इक्विटी (क)		3,949.44	3,918.90
देयताएं			
गैर- चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	5.48	5.71
(ii) व्यापार प्राप्य		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	39.02	51.22
(ख) प्रावधान	21	20,152.14	18,905.78
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		307.04	321.99
(घ) अन्य गैर- चालू देयताएं	22	180.77	194.68
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		20,684.45	19,479.38
चालू देयताएं			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	1,706.45	-
(ii) व्यापार प्राप्य	19		
सूक्ष्म और लघु उद्यम के कुल बकाया राशि		0.39	0.09
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के कुल बकाया राशि		668.25	508.70
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,636.38	1,293.78
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	3,337.22	3,911.26
(ग) प्रावधान	21	896.60	957.80
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		8,245.29	6,671.63
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**32,879.18**	**30,069.91**

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

ह/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के. स्वर्णकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

उसी दिन हमारे द्वारा संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई
ह/-
(सीए जे.के.मिश्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 052796

ह/-
(के आर वसुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(बी.एन.शुक्ला)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05131449

दिनांक: 15.06.2020
स्थान : बुर्ला

समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(` करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन:घोषित)
	संचालन से राजस्व			
क	विक्रय ((अन्य लेवी से कुल)	24	14,162.00	15,324.75
ख	अन्य संचालन राजस्व (अन्य लेवी से कुल)		1,649.17	1,686.25
(I)	**प्रचालन से राजस्व (क+ख)**		15,811.17	17,011.00
(II)	अन्य आय	25	1,785.78	1,571.91
(III)	**कुल आय (I+II)**		**17,596.95**	**18,582.91**
(IV)	**व्यय**			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	26	598.71	672.19
	बिक्री के लिए माल की खरीद		60.80	-
	तैयार माल के वस्तुसूची में परिवर्तन / कार्य में प्रगति और व्यापार में स्टॉक	27	(280.67)	(32.01)
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	3,155.05	3,009.95
	बिजली व्यय		131.31	134.72
	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	29	165.50	167.16
	मरम्मत	30	161.18	197.91
	संविदात्मक व्यय	31	2,594.68	2,523.86
	वित्तीय लागत	32	80.31	32.83
	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि व्यय		512.11	501.20
	प्रावधान	33	(73.08)	62.72
	बट्टे खाते में डालना	34	-	0.02
	अन्य व्यय	35	791.62	850.55
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		1,071.91	1,180.91
	कुल व्यय (IV)		**8,969.43**	**9,302.01**
(V)	**असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ(III-IV)**		**8,627.52**	**9,280.90**
(VI)	असाधारण मदें			
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**8,627.52**	**9,280.90**
(VIII)	कर व्यय	36	2,219.53	3,241.54
(IX)	**सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**6,407.99**	**6,039.36**

समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(` करोड़ में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन:घोषित)
(X)	बंद संचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	बंद संचालन के कर व्यय		-	-
(XII)	बंद संचालन से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम / सहयोगी के शेयर में लाभ/ (हानि)		-	-
(XIV)	**वर्ष के लिए लाभ(IX+XII+XIII)**		**6,407.99**	**6,039.36**
	अन्य व्यापक आय	37		
	क (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(104.82)	(16.28)
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		(26.38)	(5.69)
	ख (i) मदे जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(78.44)**	**(10.59)**
(XVI)	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XIV + XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल है)**		**6,329.55**	**6,028.77**
	मुनाफे का कारण:			
	कंपनी के मालिक		**6,415.56**	**6,038.34**
	अनियंत्रित ब्याज		**(7.57)**	**1.02**
			6,407.99	**6,039.36**
	अन्य व्यापक आय का कारण:			
	कंपनी के मालिक		**(78.44)**	**(10.59)**
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
			(78.44)	**(10.59)**
	कुल व्यापक आय का कारण:			
	कंपनी के मालिक		**6,337.12**	**6,027.75**
	अनियंत्रित ब्याज		**(7.57)**	**1.02**
			6,329.55	**6,028.77**
(XVII)	**आय प्रति इक्विटी शेयर (जारी संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		**9,563.62**	**8,622.19**
	(2) तरलीकृत		**9,563.62**	**8,622.19**
(XVIII)	**आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		-	-
	(2) तरलीकृत		-	-
(XIX)	**आय प्रति इक्विटी शेयर (बंद संचालन एवं जारी के लिए):**			
	(1) मूलभूत		**9,563.62**	**8,622.19**
	(2) तरलीकृत		**9,563.62**	**8,622.19**

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

ह/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के. स्वर्णकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

उसी दिन हमारे द्वारा संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई

ह/-
(के आर वसुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(बी.एन.शुक्ला)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05131449

ह/-
(सीए जे.के.मिश्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 052796

दिनांक: 15.06.2020
स्थान : बुर्ला

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नगद प्रवाह

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन:घोषित)
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	कर पूर्व लाभ	**8,522.70**	**9,264.62**
	समायोजन के लिए :		
	अचल आस्तियां का मूल्यह्रास / हानि	512.11	501.20
	बैंक जमा पर ब्याज	(1,134.42)	(988.12)
	वित्त पोषण गतिविधि से संबंधित वित्त लागत	0.77	0.07
	अनवडिंग डिस्काउंट	79.54	38.16
	स्थायी आस्तियां के विक्रय पर लाभ / हानि	(0.51)	(0.52)
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	0.41	(0.20)
	स्ट्रिपिंग गतिविधियों का समायोजन	1,071.91	1,180.91
	निवेश से ब्याज / लाभांश	(385.22)	(195.99)
	बनाए गए प्रावधान और बट्टे खाते में डालना	39.50	(66.64)
	चालू/ गैर चालू संपत्तियों और देयताओं से पूर्व संचालन लाभ समायोजन के लिए:	**8,706.79**	**9,733.49**
	समायोजन के लिए :		
	वस्तु सूची	(291.32)	(27.54)
	व्यापार से प्राप्य	(839.36)	(72.44)
	गैर चालू ऋण/अग्रिम अन्य वित्तीय आस्तियों अन्य आस्तियों	253.35	(176.95)
	चालू ऋण, अग्रिम, अन्य वित्तीय आस्तियों , अन्य आस्तियों	(271.68)	(386.70)
	चालू/ गैर चालू प्रावधान, अन्य वित्तीय देयताएं और अन्य देयताएं	(121.99)	690.46
	संचालन से अर्जित नगद	**7,435.79**	**9,760.32**
	आयकर भुगतान /प्रतिदाय	(4,303.67)	(3,100.22)
	विलंबित कर देयताएँ		
	असाधारण वस्तुओं से पहले नकदी प्रवाह	**3,132.12**	**6,660.10**
	असाधारण सामग्री	-	-
	संचालन गतिविधियों से निवल नगद (क)	**3,132.12**	**6,660.10**
ख	**निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	स्थिर आस्तियों का क्रय	(1,339.32)	(1,517.73)
	स्थायी परिसंपतियों के विक्रय पर लाभ/ हानि	0.51	0.52
	निवेश में बदलाव	1,000.37	(1,000.83)
	बैंक जमा से संबंधित ब्याज	1,134.42	1,081.70
	निवेश से ब्याज / लाभांश	385.22	102.41
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद (ख)	**1,181.20**	**(1,333.93)**

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नगद प्रवाह जारी......

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 को समा.त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (पुन:घोषित)
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	(0.41)	0.20
	वित्त गतिविधियों से संबंधित ब्याज और वित्त लागत	(0.77)	(0.07)
	इइक्विविक्वटटीी शशेयेयरोंरों पपरर ललााभभाांशंश	(5,225.00)	(3,875.00)
	इक्विटी शेयरों पर लाभांश पर कर	(1,074.01)	(796.52)
	इक्विटी शेयर पूंजी का बॉयबैक	-	(355.00)
	इक्विटी शेयर पूंजी के बॉयबैक पर कर	-	(72.38)
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद (ग)	**(4,593.93)**	**(5,099.57)**
	नगद और नगद समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	(280.61)	226.60
	वर्ष के अंत में नगद और नगद समतुल्य	**151.48**	**432.09**

उपरोक्त विवरण अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।
पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान अवधि में किए गए वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पुन: वर्गीकृत किया गया है।

ह/-
(ए.के.सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(पी.के. स्वर्णकार)
महाप्रबंधक (वित्त)

उसी दिन हमारे द्वारा संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई

ह/-
(के आर वसुदेवन)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 07915732

ह/-
(बी.एन.शुक्ला)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 05131449

ह/-
(सीए जे.के.मिश्रा)
साझेदार
सदस्यता संख्या. 052796

दिनांक: 15.06.2020
स्थान : बुर्ला

को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(` करोड़ मे)

क. इक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	01.04.2018 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में बदलाव	31.03.2019 के अनुसार शेष	01.04.2019 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में बदलाव	31.03.2020 के अनुसार शेष
पूर्ण भुगतान किए गए प्रति रु. 1000 के 6618363 इक्विटी शेयर	706.13	(44.29)	661.84	661.84	-	661.84

ख. अन्य इक्विटी

पुनः घोषित

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	अनियंत्रित ब्याज	कुल (गैर-नियंत्रित ब्याज को छोड़कर)
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	पूँजी रिजर्व					
01.04.2018 के अनुसार	-	-	2,000.32	190.04	28.95	63.59	**2,219.31**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-			-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-			-
01.04.2018 को पुनः घोषित शेष के अनुसार	-		2,000.32	190.04	28.95	63.59	**2,219.31**
वर्ष के दौरान वृद्धि	44.29		-	-	-	-	**44.29**
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(355.00)	-	-	-	**(355.00)**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,038.34	-	1.02	**6,038.34**
परिभासित लाभ योजनाओं का प्रतिपूर्ति (कर का निवल)	-	-	-	-	(10.59)	-	**(10.59)**
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	301.98	(301.98)	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(3,750.00)	-	-	**(3,750.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-	(125.00)	-	-	**(125.00)**
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(796.52)	-	-	**(796.52)**
बाय बैक वितरण कर	-	-	-	(72.38)	-	-	**(72.38)**
31.03.2019 के अनुसार शेष	**44.29**	-	**1,947.30**	**1,182.50**	**18.36**	**64.61**	**3,192.45**
01.04.2019 के अनुसार शेष	**44.29**	-	**1,947.30**	**1,182.50**	**18.36**	**64.61**	**3,192.45**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,415.56	-	(7.57)	**6,415.56**
परिभासित लाभ योजनाओं का प्रतिपूर्ति (कर का निवल)	-	-	-	-	(78.44)	-	**(78.44)**
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	-	-	321.37	(321.37)	-	-	-
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(5,225.00)	-	-	**(5,225.00)**
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(1,074.01)	-	-	**(1,074.01)**
बाइबैक वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार शेष	**44.29**	-	**2,268.67**	**977.68**	**(60.08)**	**57.04**	**3,230.56**

<u>वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी</u>

<u>टिप्पणी</u>: 1 <u>कॉर्पोरेट जानकारी</u>

महानद. कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर ओड़िशा में स्थित है, जिसे 3 अप्रैल 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100%अनुषंगी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति एवं देयताएं शामिल थी।

कंपनी मुख्य रूप से कोयले का खनन और उत्पादन करती है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता ऊर्जा और इस्पात क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक,ईंट-भट्ठे आदि शामिल हैं।

ओड़िशा में एमसीएल की 4 अनुषंगी कंपनियां है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 38 में वर्णित है।

<u>टिप्पणी **2:**महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां</u>

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

कंपनी(भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक एमसीएल ने (बाद में जिसे “कंपनी” कहा गया है) ने कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक (ए.एस) कंपनीलेखा नियमावली,2014 के पैराग्राफ 7 तथा कंपनी (लेखांकन मानक), नियमावली,2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। वित्तीय विवरण को ऐतिहासिकअंकन लागत के आधार परतैयार किया गया है, सिवाय इसके कि

- उचित वित्तीय आस्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 में वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)
- परिभाषित लाभ योजना को आस्ति योजना के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- वस्तु सूची पर लागत या एनआरवी,इनमें से जो भी कम हो (अनुच्छेद 2.20में वर्णित लेखांकन नीति का अवलोकन करे)।

2.1.1<u>पूर्ण अंकों में राशि</u>

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक “रुपए करोड़ में” दो दशमलव अंको तक राउंड ऑफ किए जाएंगे।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 अनुषंगियां

अनुषंगी कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण है। एक इकाई पर कंपनी तब तक नियंत्रण करता है, जब तक कंपनी को इकाई के साथ अपनी भागीदारीसे परिवर्तनीय लाभ हो या लाभ पर इनका अधिकार हो तथा इकाई की गतिविधियों को निर्देशित कर उन लाभों को प्रभावित करने की क्षमता हो। कंपनी को नियंत्रण हस्तांतरित होने की तिथि से इसकी अनुषंगियों को समेकित किया जाता है। नियंत्रण समाप्त होने कीतिथि से उन्हें डिकॉन्सॉलिडेट दिया जाता है।

कंपनी द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

कंपनीआस्ति,देयताओं, इक्विटी, नकदी प्रवाह आय एवं व्ययकी वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य कंपनी एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। इंटरकंपनी लेनदेन, शेष राशि और समूह कंपनियों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त अभिलाभ को समाप्त कर दिया जाता हैं।समूह कंपनियों के मध्य अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया गया है, जब तक अंतरित आस्तियों की क्षति का प्रमाण नहीं मिलता है। एमसीएल के समेकित सभी कंपनियाँ समरूप अंतरण तथा समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए आम तौर पर एमसीएल द्वारा अपनाई गयी नीतियों का पालन करती है। एमसीएल के समेकित एक सहायक कंपनी विशेष के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में एमसीएल के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक समूह के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

अनुषंगियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित को पृथक रूप से क्रमशः लाभ एवं हानि विवरण, इक्विटी में बदलाव के समेकित विवरण एवं बैलेंस शीट में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहायिकाएँ

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन उस पर कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां समूह 20%से 50% तक का मताधिकार रखती है।

लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सहयोगी कंपनियों में निवेश का लेखा-जोखा लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है, जब तक बिक्री के लिए आयोजित निवेश व इसके एक हिस्से को वर्गीकृत नहीं किया जाता है, जिसका लेखा-जोखा भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुरुप किया जाएगा।

समूह अपनी सहायक कंपनियों में शुद्ध निवेश कोउद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां कंपनी एक या एक से अधिक पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान यासंयुक्त उद्यम के रूप मेंवर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाएप्रत्येक निवेशकके अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.3.1संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत कंपनी को संपत्ति से संबंधित देयताओं के लिए आस्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

समूहआस्तियों ,देयताओं, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चों और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए आस्तियों,देयताओं ,राजस्व और व्ययों का अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचितशीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.3.2संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें समूह को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

समेकित तुलन-पत्र में लागत के रुप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात सन्युक्त उद्यम में हितों का लेखा-जोखा इक्विटी पद्धति का उपयोग कर किया जाता है।

प्रारंभ में लागत परपहुंचने के बादसंयुक्त उद्यममें निवेश लेखांकन पद्धति को उपयोग हेतु ध्यान में लाया जाता हैं, जबकि निवेश या उसके किसी हिस्से को बिक्री किया जाता है तो उस स्थिति में इसेभारतीय लेखा मानक 105 के अनुसारमान्यता प्राप्त है।समूह उद्देश्य केसाक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश कोह्रास करती है।

2.2.4इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद समूह के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा समूह शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब समूह के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है,तो समूह अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

समूह और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेनदेन की नीतियों में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, समूह द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिएजहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.5स्वामित्व के हितों में बदलाव

समूह इक्विटी स्वामित्व के साथ लेनदेन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक

कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करतीहै। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य मेंकिसी भी प्रकार केअंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।
जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी कंपनी ,संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि समूह में संबंधित संपत्ति या देयताओं का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानिके रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है।

यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

समूह अपने तुलन-पत्र में चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर आस्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। समूह द्वारा किसी आस्ति को चालू तब माना जाता है जब,
(क) यह सामान्य परिचालन चक्र में आस्तियों की वसूले अथवा बिक्री अथवा इसके उपभोग की इच्छा रखती है।
(ख) यह आस्ति को मुख्य तौर पर व्यापार के उद्देश्य के लिए रखती है
(ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीने के भीतर आस्ति के वसूली की अपेक्षा रखती है अथवा
(घ) आस्ति नकद समकक्ष (लेखांकन नीति 7 में यथा-परिभाषित) रुप में तब तक रहती है जब तक आस्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए विनिमय किए जाने या देयता के निपटान के लिए उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध न लगा दिया गया हो। अन्य सभी आस्तियों को गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत किया जाता है।

समूह के द्वाराकिसी देयता को चालू के रुप में तब माना जाता है जब:
(क) यह अपने सामान्य परिचालनचक्र में देयता के निपतान की अपेक्षा रखती है।
(ख) इसकी देयता मुख्य तौर पर व्यपार के लिए होती है।
(ग) रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर बकाये देयता का निपटान किया जाना है अथवा।
(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का कोई शर्तहीन अधिकार इसके पास नहीं है। प्रतिरुप के विकल्प पर किसी देयता के जो नियम इक्विटी-विपत्रों को जारी करके इसके निपटान के फलस्वरुप हो सकते थे, वे इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करते हैं।
अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.4राजस्व स्वीकृति

भारतीय लेखांकन मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले राजस्व भारतीय लेखांकन मानक 11 और भारतीय लेखांकन मानक 18 राजस्व मान्यता का अधिक्रमण करता है, और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व पर लागू होता है। भारतीय लेखांकन मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त होने

वाले राजस्व के लिए एक पांच-चरण मॉडल स्थापित करता हैऔर उसके लिए यह आवश्यक है कि वह राजस्व एक राशि पर मान्य हो जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि ग्राहक को सेवायें हस्तांतरित करने के लिए कंपनी एक्सचेंज के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती हो।कोल इंडिया लिमिटेड ('सीआईएल' या 'कंपनी') ने पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करते हुए भारतीय लेखांकन मानक115 को अपनाया है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है। मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व

भारतीय लेखांकन मानक 115 के लिए संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए को निर्णय लेने कि आवश्यकता होती है। मानक, अनुबंध के वृद्धिशील लागतों को प्राप्त करने और अनुबंध को पूरा करने से संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।कंपनी ने आम तौर पर निष्कर्ष निकाला है कि वह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह वस्तु एवं सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करती है।

निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करते हुये भारतीय लेखांकन मानक115 के सिद्धांतों को लागू किया जाता है:

चरण 1: अनुबंध की पहचान:

क) ग्राहक के साथ अनुबंध के लिए कंपनी तभी ज़िम्मेदारी लेती है जब ग्राहक निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है:

ख) अनुबंध के पक्षकारों को अनुबंध को स्वीकार करना होता है और वे अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं;

ग) कंपनी स्थानांतरित किए जाने वाले वस्तु या सेवाओं से संबंधित प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

घ) अनुबंध में वाणिज्यिक विषय (यानी, अनुबंध के प्रत्याशित बदलाव स्वरूप जोखिम, समय,कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह की राशि); और

ङ) यह संभव है कि कंपनी उस विचार करेगी जिसके लिए वह ग्राहक को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं हेतु एक्स्चेंज के लिए हकदार होगा। तय की गई राशि जिस पर कंपनी हकदार होगी, वह अनुबंध में निर्दिष्ट कीमत से कम हो सकती है,यदि तय की गई राशि परिवर्तनशील है क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, बट्टा, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या इसी तरह पारितोषिक प्रदान किए जा सकते हैं।

अनुबंधों का संयोजन

कंपनी दो या दो से अधिक अनुबंधों को समेकित करती है यदि एक ही ग्राहक द्वारा एक ही समय में या एक ही समय के आस-पास अनुबंध दाखिल की जाती है (या ग्राहक के संबंधित पक्षों) और अनुबंध एक एकल अनुबंध के रूप में मान्य होगा, यदि निम्न में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा किया जाता है

क) एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एकमुश्त में अनुबंधों तय की जा सकती है;

ख) अनुबंध में भुगतान किए जाने वाले तय राशि दूसरे अनुबंध के निष्पादन या कीमत पर निर्भर करती है; या

ग) अनुबंध में तय किए गए वस्तु या सेवायें (या प्रत्येक अनुबंध में तय किए गए कुछ वस्तु या सेवाएं) एकल प्रदर्शनकारी दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में अनुबंध संशोधन के लिए उत्तरदायी है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं:

क) अनुबंध की गुंजाइश बढ़ जाती है क्योंकि तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं से यदि वे अलग हों,

ख) अनुबंध की कीमत तय की गई कीमत से बढ़ सकती है यह कंपनी की स्टैंड-अलोन अतिरिक्त तय की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री मूल्यों और उस मूल्य के कोई उपयुक्त समायोजन जो विशेष अनुबंध के परिस्थितियों को दर्शाता हो।

चरण 2: निष्पादन दायित्वों की पहचान

अनुबंध करते समय, कंपनी ग्राहक के साथ अनुबंध में तय किए गए वस्तुओं या सेवाओं का आकलन करती है और ग्राहक को प्रत्येक प्रतिबद्धता को स्थानांतरित करने के लिए निष्पादन बाध्यता रूप में पहचान करने के लिए:

क) वस्तुओं या सेवाओं (वस्तुओं या सेवाओं का एक समूह) जो अलग है; या

ख) अलग-अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक एक समान होती है और ग्राहक के लिए स्थानांतरण का समान पैटर्न होता है।

चरण 3: लेन-देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी अनुबंध की निबंधन और लेन-देन की कीमत निर्धारित करने के लिए उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं अनुबंध की शर्तों का ध्यान रखती है। लेन-देन का मूल्य तय की गई वह राशि है, जिसके बारे में कंपनी उम्मीद करती है कि वह तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़कर, किसी ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करने हेतु एक्सचेंज के लिए हकदार होगी। एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में तय किए गए प्रतिबद्धता में नियत राशि, परिवर्तनीय राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

- लेन-देन मूल्य निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों का ध्यान रखती है:
- परिवर्तनीय स्वीकार्यता;
- परिवर्तनीय निर्णय के आकलन;
- महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अस्तित्व;
- गैर-नकद प्रतिफल;
- ग्राहक को देय प्रतिफल

बट्टा, छूट, प्रतिदाय, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस, या अन्य समान पारितोषकों के कारण तय की गई राशि भिन्न हो सकती है। यदि कंपनी भविष्य में होने वाली घटना के होने या न होने पर विचार करती है तो प्रतिबद्ध निर्णय भी भिन्न हो सकता है ।

कुछ अनुबंधों में, दंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के सारांश के अनुसार दंड की गणना की जाती है।जहां लेन-देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनीय निर्णय का हिस्सा है।

कंपनी लेन-देन मूल्य में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनीय निर्णय की राशि को शामिल करती है जिससे अत्यधिक संभावना है कि मान्य संचयी राजस्व की राशि में में एक महत्वपूर्ण व्युत्क्रम तब नहीं होगा जब परिवर्तनीय निर्णय से जुड़ी अनिश्चितता कों बाद में दूर किया जाए।

कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्रभावों के लिए तय की गई प्रतिबद्ध राशि को समायोजित नहीं करती है यदि वह अनुबंध की आरंभ में अपेक्षा करता है, कि उस अवधि के दौरान जब वह ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं हस्तांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है, तो वह अवधि एक वर्ष या उससे कम की हो ।

कंपनी प्रतिदाय दायित्व को स्वीकार करती है यदि कंपनी ग्राहक से भुगतान प्राप्त करती है और कंपनी ग्राहक को उस भुगतान के कुछ या पूर्ण प्रतिदाय की उम्मीद करती है।प्रतिदाय दायित्व को प्राप्त भुगतान (या प्राप्य) की उस राशि के आधार पर तय किया जाता है, जिसके लिए कंपनी स्वत्वाधिकारी की उम्मीद नहीं करती है (यानी लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं की गई राशि) प्रतिदाय दायित्व (और लेन-देन मूल्य में संगत परिवर्तन और , इसलिए, अनुबंध दायित्व) को परिस्थितियों में बदलाव के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की प्रारंभ होने के बाद, लेनदेन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं का समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस भुगतान की राशि को बदल सकती, जिसके लिए कंपनी प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक्स्चेंज में हकदार होने की उम्मीद करती है।

चरण 4: लेन-देन मूल्य का आवंटन

लेन-देन मूल्य का आवंटन करते समय कंपनी का उद्देश्य कंपनी के लिए प्रत्येक निष्पादन दायित्व (या अलग-अलग वस्तुओं या सेवा) के लिए उस राशि पर लेनदेन मूल्य आवंटित करना है जो इसमें कंपनी को ग्राहक को दिए गए माल या सेवाओं को हस्तांतरित करने के लिए एक्स्चेंज में कंपनी द्वारा अपेक्षित हकदार होने की भुगतान की गई राशि को प्रदर्शित करती है।

संबंधित स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य आधार पर प्रत्येक निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करने के लिए कंपनी अनुबंध में प्रत्येक निष्पादन बाध्यता के आधार पर अलग वस्तुओं या सेवाओं के अनुबंध के प्रारंभ पर स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करती है और उन स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्यों के अनुपात में लेन-देन मूल्य आवंटित करती है।

चरण 5: राजस्व को दर्शना

कंपनी राजस्व को तब दर्शाती है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को प्रतिबद्ध माल या सेवाओंको अंतरित करके निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। वस्तु या सेवा तब हस्तांतरित की जाती है जब (या जैसे) ग्राहक उस वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

कंपनी समय पर माल या सेवा का नियंत्रण हस्तांतरित करती है, और इसलिए, कंपनी समय पर निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है और राजस्व को मान्यता देती है, यदि निम्न मानदंडों में से एक को पूरा किया जाता है:

क) ग्राहक कंपनी के साथ-साथ कंपनी के निष्पादन द्वारा प्राप्त लाभों को प्राप्त करता है और उनका उपभोग करता है, जैसा कि कंपनी प्रदर्शन करती है;

ख) कंपनी का निष्पादन संपति सृजित करता है या बढ़ाता है और जितनी संपति सृजित या बढ़ाई जाती है, उतना ही ग्राहक उसे संपति के रूप में नियंत्रित करता है

ग) कंपनी का निष्पादन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजित नहीं करती है तो कंपनी को अब तक के निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

प्रत्येक निष्पादन बाध्यता को समय पर पूरा करने लिए, कंपनी उस निष्पादन बाध्यता की पूर्ण प्राप्ति की प्रगति को ध्यान में रख कर समय पर राजस्व को दर्शाती है। कंपनी समय पर पूर्ण प्रत्येक निष्पादन बाध्यता की प्रगति को आँकने के लिए एक पद्धति कोलागू करती है और कंपनी उस पद्धति को समान निष्पादन बाध्यताओं और समान परिस्थितियों में हमेशालागू करती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आंकलन करता है।

कंपनी अनुबंध के अंतर्गत तय किए गए शेष सामानों या सेवाओं के सापेक्ष ग्राहक को स्थानांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के प्रत्यक्ष आंकलन के आधार पर राजस्व मान्यता के लिए उत्पाद पद्धति लागू को करती है। उत्पाद पद्धति में आज तक पूर्ण किए गए निष्पादन सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, प्राप्त उपलब्धि , व्यतीत समय और उत्पादित इकाइयाँ या सुपुर्द इकाइयाँ जैसे पद्धतियां शामिल हैं।

जैसे-जैसे समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं, कंपनी निष्पादन बाध्यता के परिणाम में किसी भी बदलाव को दर्शाने की प्रगति के अपने उपाय को अद्यतन करती है।कंपनी की प्रगति के आंकलन में इस तरह के बदलावों को भारतीय लेखांकन मानक 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी सिर्फ समय पर पूर्ण निष्पादन बाध्यता के लिए राजस्व को मान्यता देती है, यदि जब कंपनी निष्पादन बाध्यता की पूर्ण समाधान के लिए अपनी प्रगति का आंकलन यथोचित रूप से करती है।जब (या जैसे) निष्पादन बाध्यता पूरा हो जाता है, तो कंपनी लेन-देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देती है जो कि परिवर्तनीय भुगतान के अनुमानों को शामिल नहीं करता है जो उस निष्पादन बाध्यता के लिए आवंटित होता है।

यदि निष्पादन बाध्यता समय पर पूरा नहीं है, तो कंपनी एक समय में निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है। उस समय को निर्धारित करने के लिए, जिस पर ग्राहक प्रतिबद्ध वस्तुओं या सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है और

कंपनी निष्पादन बाध्यता को पूरा करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों को तय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यहाँ तक सीमित नहीं हैं:

क) कंपनी के पास माल या सेवा के भुगतान का अधिकार होता है;

ख) ग्राहक के पास माल या सेवा कानूनी हक होता है;

ग) कंपनी ने वस्तुया सेवा के भौतिक कब्जे को स्थानांतरित कर दिया है;

घ) ग्राहक के पासमहत्वपूर्ण जोखिम और माल या सेवा के स्वामित्व होता हैं;

ड.) ग्राहक ने माल या सेवाको स्वीकार कर लिया है।

जब अनुबंध के लिए किसी पार्टी ने निष्पादन किया है, तो कंपनी, कंपनी के निष्पादन और ग्राहक के भुगतान के बीच के संबंध के आधार पर अनुबंध को अनुबंध आस्ति या अनुबंध देयता के रूप में तुलन पत्र में प्रस्तुत करती है। कंपनी अलग-अलग प्राप्य के रूप में भुगतान करने के लिए बिना शर्त अधिकार प्रस्तुत करती है।

<u>अनुबंध आस्ति :</u>

एक अनुबंध संपति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के एक्स्चेंज में निर्णय का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहक को हस्तांतरित करती है, तो अनुबंध आस्ति अर्जित निर्णय के लिए मान्यता प्राप्त है जो सशर्त है।

<u>व्यापार प्राप्ति:</u>

कंपनी स्वीकार करने योग्य विचारो का प्रतिनिधित्व करता है जो शर्तरहित है केवल पूर्व से भुगतान देय अर्थात्)
(है अपव्ययता की समय

<u>अनुबंध देयताएं:</u>

अनुबंध देयता ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व रखती है जिससे कंपनी को ग्राहक के विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त होते है। ग्राहक के विचार करने से पूर्व कंपनी ग्राहक को वस्तुओं या सेवाओं को हस्तांतरित करती है, जब भुगतान किया जाता है या देय (जो भी पहले हो) तब अनुबंध देयता को दर्शाया जाता है ।

ब्याज

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को दर्शाया जाता है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय को दर्शाया जाता है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित ब्याज पर प्राप्ति) की गणना तब कि जाती है, जब प्राप्ति की निश्चित होती हैतथा विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है।

2.5 **सरकार से अनुदान**

सरकारी अनुदान को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि उचित आश्वासन नहीं दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी और तथा यह सुनिश्चित है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा ।

सरकारी अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें समूह संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिससे अनुदान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

सरकारी अनुदान / संपत्ति से संबंधित सहायता अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके बैलेंस शीट में प्रस्तुत किया जाता है और आस्ति के उपयोगी समय पर क्रमवद्ध आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दियाजता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानी संपत्ति के अलावा अन्य अनुदान) सामान्य शीर्षक अन्य आय ’के तहत लाभ या हानि के विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

सरकारी अनुदान जो खर्च या नुकसान के मुआवजे के रूप में प्राप्य होते है या भविष्य में संबंधित लागत को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें यह प्राप्य हो जाते है।

सरकार अनुदान या संवर्धक योगदान की प्रकृति में सीधे "कैपिटल रिजर्व" में दी गई है जो "शेयरधारकों के फंड" का हिस्सा है।

2.6पट्टे

यदि एक अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए किसी पहचाने गयी आस्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो वह अनुबंध पट्टा है, या पट्टे को सम्मिलित करता है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

प्रारंभ तिथि में, पट्टेदार लागत पर एक उपयोग-अधिकार आस्ति तथा पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पट्टा देयता को चिह्नित कर लेगा जो उस तिथि तक भुगतान नहीं किए गए थे।

तत्पश्चात, उपयोग-अधिकार आस्ति को कॉस्ट मॉडल का उपयोग कर आँका जाता है जबकि, पट्टा देयता को उस पर लिए गए ब्याज को दर्शाने के लिए कैरिंग राशि को बढ़ाकर, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए कैरिंग राशि को घटाकर तथा पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन दर्शाने हेतु कैरिंग राशि को पुनरांकित कर आँका जाता है।

2.6.2पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में हैं।

एक पट्टे को एक वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह सभी जोखिमों को अंतरित कर अंतर्निहित आस्ति को इंसीडेंटल टू ओनरशिप प्रदान करता है। एक पट्टे को एक ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह वस्तुतः सभी जोखिमों को अंतरित कर अंतर्निहित आस्ति को इंसीडेंटल टू ओनरशिप प्रदान नहीं करता है।

ऑपरेटिंग पट्टे - ऑपरेटिंग पट्टों से लीज भुगतान को स्ट्रेट लाइन आधार पर आय के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करे जिसमें अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से लाभ कम हो।

वित्तीय पट्टे - एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई आस्ति को शुरू में इसकी बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है और पट्टे में शुद्ध निवेश को आँकने के लिए पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

2.7बिक्री हेतुगैर चालूसंपत्ति

यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो, तो समूह गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत एवं बिक्री हेतु उसे आयोजित करती है। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रियाओं में, बिक्री में महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु वापस लिए गए निर्णय का संकेत होना चाहिए। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता हैतब इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में अन्य गैर-चालू आस्तियों के लिए गैर-चालू आस्तियों के आदान-प्रदान को भी शामिल किया जाता है। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि आस्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। संपत्ति या निष्पादन समूह वर्तमान स्थिति के अनुसार इसे निष्पादित करने के लिए सक्षम हो सकेगा, जब

- समुचित प्रबंधन स्तर से निष्पादित समूह को बिक्री के लिए यथोचित योजना तैयार करना अपेक्षित हो।
- क्रेता खोज के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा संपूर्ण योजना को निष्पादित करना अपेक्षित हो।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य कोआकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8संपत्ति, संयंत्र और उपकरण(पीपीई)

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजे आदि शामिल हैं।

मान्यता के बाद, अन्य सभी आस्तियों, संयंत्रों और उपकरणों की मद को कम लागत पर किसी भी संचित मूल्यह्रास और लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित हानि के नुकसान पर ले जाया जाता है। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क) व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख) स्थान तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग) सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थान तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे समूह ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। हालांकि, पीपीई के मद के महत्वपूर्ण भाग (एस) में एक ही उपयोगी जीवन और अवमूल्यन विधि है, जो मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहबद्ध होती है।

'मरम्मत और रखरखाव' के लिए वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसमें समान खर्च होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि समूह के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ समूह के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आकलित किया जायेगा। विगत जांच के लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) अस्वीकृत की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति, संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

अन्य भूमि		
(पट्टेकृत भूमि सहित)	-परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो	
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-30 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए आस्तियों का

उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का अवशिष्ट मूल्य आस्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है, जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।
वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर.एफ.सीटी.एल.ए.ए.आर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति , संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

समूह द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या समूह के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

2.9खदान बंदी, साइट का उद्धार एवं डिकमिसिनिंग बाध्यताएँ

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए समूह के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। समूह खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटते हैं, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। समूह सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय

खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना/खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी। रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ –

अन्वेषित तथा मूल्यांकित आस्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण।
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन आस्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा आस्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई आस्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11विकास व्यय

प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृत निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत पहचाने जाते हैं तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

<u>वाणिज्यिक संचालन :</u>

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत आस्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त आस्तियाँ

प्राप्त अमूर्त आस्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनके उचित मूल्य हैं। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन(उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति के उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त आस्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या आस्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त आस्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त आस्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त आस्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं आस्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे कि लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त है।

अंवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।
सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.13 आस्तियों की हानि (वित्तीय आस्तियों के अलावा) :
समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्तियों में कमी का आकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो समूह संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। आस्तियों से प्राप्त राशि, आस्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत आस्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक आस्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई आस्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु समूह व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

यदि वर्तमान राशि आस्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान आस्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.14निवेश संपत्ति
आस्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में, विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।
निवेश संपत्ति का आकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।
निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.15वित्तीय साधन
वित्तीय साधन एक अनुबंधहै जो कि आस्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 वित्तीय आस्तियाँ

2.15.1 प्रारंभिक स्वीकृति और माप

वित्तीय आस्तियाँ जिन्हें लाभ या हानि के उचित मूल्य परसाथ ही वित्तीय आस्तियों के विशेष रूप से अधिग्रहण के मामलों में एवं सभी वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर पहचाना जाता है। खरीददारी या वित्तीय आस्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर आस्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें समूह की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय आस्तियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. आस्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य आस्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर आस्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर)करते हुए ऐसे वित्तीयआस्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिस पर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है।

2.15.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय आस्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. आस्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार कोअन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे समूह ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। आस्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में

पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ड्रूमेंट

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ड्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएलके रूप में श्रेणीकरण केमानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही समूह एकडेब्ट इंस्ड्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएलमें ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई केमानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो।

समूह ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ड्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएलश्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ड्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत समूह उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। समूह ऐसा चुनाव इंसटुमेंट दर इंसटुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर समूहएफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंसटुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंसटुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।

पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ड्रूमेंट को मापा जाता है।

2.15.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय आस्ति (या जहां लागू हो,आस्ति के एक भाग या समान वित्तीय आस्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- आस्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- समूह ने आस्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार कोस्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया और या तो(क)समूह ने आस्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है या(ख) समूहने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन आस्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जबसमूह ने आस्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। समूह ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब समूह सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में समूह भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। समूह द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार समूह निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय आस्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय आस्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथाभारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए समूह ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से समूह को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है।

2.15.3वित्तीय देयताएँ

2.15.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप-

समूह की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है। ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.15.3.2 अनुवर्ती माप -

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देयताओं के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में समूह द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देयताओं को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। समूह ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित आस्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण

समूह प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय आस्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देयतायां हैं उसे पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की आस्तियों में बदलाव किया जाए। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो समूह के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तनतब होता हैजब समूह महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। समूह वित्तीय आस्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। समूह पहले से स्वीकृत किसी लाभहानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनः वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।

एफवीटीपीएल	**एफवीटीओसीआई**	**पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।**
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	आस्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय साधन को पूरा करना

वित्तीय आस्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समिति द्वारा तुलनपत्र में शुद्ध राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो, तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.16उधार लेने की लागत

उधार लेने की विशिष्ट लागत के रूप में और जबवह अधिग्रहण निर्माण या आस्तियों का उत्पादन करने के लिए सीधे रूप से जुड़े हुए हो, तोउसे छोड़कर खर्च किया जा सकता है, जो संपत्ति अपने उपयोग के लिए पर्याप्त अवधि लेती है उस स्थिति में उन्हें उन तारीखों तक आस्तियों की लागत के एक हिस्से के रूप में पंजीकृत तब तक किया जा सकता है जब तक कि संपत्ति उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है।

2.17कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर,अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरोंकी देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षो मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

आस्थगित कर देयताओं को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए स्वीकार किया जाता है।
काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थाई करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देयताओं को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि अस्थाई अंतर सद्भावना से या अन्य आस्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थाई अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओंको मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थाई अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथाब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थाई अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है किआस्थगित कर संपत्ति केसभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 अल्पावधि हितलाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत समूह कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं-

परिभाषित लाभ योजनाएं एक परिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी है। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि परिभाषित लाभ योजनाएं है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो, के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में समूह के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं आस्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं।इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना समूह के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत आस्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयतायां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो समूहको आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल परिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें आस्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा आस्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। समूह निर्धारित अवधि के लिए परिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयताओं (आस्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान परिभाषित लाभ देयताएं (आस्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त परिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत आस्तिऑं में परिवर्तन करती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण मेंखर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइव कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए (आईएनआर) आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण समूह ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए समूह ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय/समायोजन

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में समूह को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाखटन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि आस्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंगअनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् आस्ति एवं तुलनपत्र की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान आस्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

1 मिलियन टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.21वस्तु सूची

2.21.1 कोयला भंडार:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना भारित औसत पद्धति के माध्यम से की जाती है। निवल प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोलआरक्षितस्टॉक खाते में यह माना जाता हैकि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5%से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य परमूल्यवान होते हैंऔरउसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर केवाशरी औरउनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार औरपुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब समूह की पिछली घटना के परिणामस्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो, और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक होगा या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों कोआकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोटनहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती, तब तक उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा।

प्रासंगिक संपत्तियोंको वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जबआय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और इनकी मान्यताएं यथोचित होती हैं।

2.23उपार्जित शेयर

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजितकरके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.24निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित करने वाले अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और संपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक संपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करता है। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखांकन नीतियों का उपयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.24.1 निर्णय

समूहकी लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क) उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और
ख) वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता :
(i) समूह ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है। (ii) आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है। (iii) तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त, (iv) मितव्ययी, तथा (v) सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।
क.भारतीय लेखांकन मानकमें लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और
ख. परिभाषित मानदंड और आस्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।
निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जोकि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति नपैदा हो।

समूह खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। समूह लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है। वित्तीय वक्तव्यों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा समूह अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।
01.04.2019 से लागू,पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों / चूक को वर्तमान वर्ष के दौरान सारहीन और समायोजित माना जाता है, यदि कंपनी का अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार औसतन ऐसी सभी त्रुटियां और चूक पिछले ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार ऑपरेशन से कुल राजस्व का 1% से अधिक न हों।

2.24.1.3 परिचालन पट्टा

समूह ने पट्टा समझौते में प्रवेश किया है। समूह शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और आस्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आकलन और धारणाएँ

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। समूह आकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। समूह भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि

अगर किसी आस्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, तो हानि का संकेत है, जो कि इसके उचित मूल्य से निपटने की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। समूह हानि के परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग नकद उत्पादन इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए समूह अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की आस्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी आस्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर आस्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो

भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

समूह ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त आस्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6 खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुन: स्थापना और डीकमिसनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। समूह परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर(प्रति कर दर) जो की समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देयताओं के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आकलन को दर्शाती है।

2.25 संक्षेपों का प्रयोग :

क.	सीजीयू	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	डीसीएफ़	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	एफ़वीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	एफ़वीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	जीएएपी	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	भारतीय लेखांकन मानक	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
ज.	पी&एल	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)
ट.	ईआईआर	प्रभावी व्याज दर (Effective interest rate)

टिप्पणी 3 :संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पुनः घोषित

	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुल सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन आधार संरचना	सर्वेक्षण किए गए आस्तियां	अन्य
सकल वहन राशि:														
01.04.2018 के अनुसार	30.32	3,305.50	308.81	440.64	1,059.35	26.79	150.58	18.08	18.37	18.07	-	232.93	16.96	-
वृद्धि	-	875.37	28.15	149.17	328.68	0.23	4.02	3.23	6.86	2.36	-	1,022.13	2.57	-
विलोपन / समायोजन	-	0.82	(20.77)	0.21	(3.55)	0.04	-	(0.03)	(1.54)	(0.47)	-	(0.49)	(4.00)	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	30.32	4,181.69	316.19	590.02	1,384.48	27.06	154.60	21.28	23.69	19.96	-	1,254.57	15.53	-
1 अप्रैल 2019 के अनुसार	30.32	4,181.69	316.19	590.02	1,384.48	27.06	154.60	21.28	23.69	19.96	-	1,254.57	15.53	-
वृद्धि	0.17	503.60	-	52.32	438.33	0.56	94.69	2.04	3.86	3.17	-	244.81	5.28	-
विलोपन / समायोजन	-	(64.55)	(5.37)	(0.15)	(17.28)	(0.06)	-	0.27	(2.10)	(0.59)	-	(0.85)	(1.18)	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	30.49	4,620.74	310.82	642.19	1,805.53	27.56	249.29	23.59	25.45	22.54	-	1,498.53	19.63	-
संचित मूल्यह्रास और हानि														
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	-	323.65	112.84	41.56	434.57	14.11	28.19	6.61	6.25	6.61	-	49.80	6.47	-
वर्ष में किए गए परिवर्तन	-	201.96	32.48	16.89	137.07	4.84	12.78	2.00	3.65	2.34	-	87.74	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.54	-
विलोपन / समायोजन	-	(4.94)	-	0.02	(0.42)	0.01	-	(0.05)	(1.18)	(0.40)	-	-	(2.39)	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-	520.67	145.32	58.47	571.22	18.96	40.97	8.56	8.72	8.55	-	137.54	5.62	-
01 अप्रैल 2019 के अनुसार	-	520.67	145.32	58.47	571.22	18.96	40.97	8.56	8.72	8.55	-	137.54	5.62	-
वर्ष में किए गए परिवर्तन	-	207.48	8.48	29.22	129.43	3.49	14.89	2.08	3.94	2.52	-	118.86	-	-
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.17	-
विलोपन / समायोजन	-	0.41	(5.36)	0.04	(7.91)	(0.02)	-	(1.20)	(0.24)	(0.51)	-	(0.47)	(0.71)	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	-	728.56	148.44	87.73	692.74	22.43	55.86	9.44	12.42	10.56	-	255.93	8.08	-
निवल वहन राशि														
31 मार्च 2020 के अनुसार	30.49	3,892.18	162.38	554.46	1,112.79	5.13	193.43	14.15	13.03	11.98	-	1,242.60	11.55	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	30.32	3,661.02	170.87	531.55	813.26	8.10	113.63	12.72	14.97	11.41	-	1,117.03	9.91	-

टिप्पणी:

1. अन्य भूमि में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, उड़ीसा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 के तहत अधिग्रहित भूमि शामिल हैं। कोयला धारक क्षेत्रों (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि को भूमि के स्वामित्व को उस सीमा तक स्थानांतरित करने की अधिसूचना के आधार पर पूंजीकृत किया गया है, जिसके लिए मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहित भूमि, उड़ीसा सरकार भूमि निपटान अधिनियम 1962 को राज्य प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित अधिकार के आधार पर पूंजीकृत किया गया है।

2. कंपनी के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण विलेख कुछ मामलों में निष्पादन के लिए लंबित है।

3. भूमि पुनर्ग्रहण / स्थान पुनर्स्थापन लागत में विधिवत रूप से खदान बंद होने के कारण अनुमानित लागत शामिल होती है, जो मुद्रास्फीति के लिए (5% प्रतिवर्ष) तत्पश्चात 8% की छूट दर पर छूट दी जाती है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शात

4. नोट 2.8 में वर्णित उपयोगी कार्यकाल के आधार पर मूल्यह्रास देशया गया है।

5.रेलवे ट्रैक को सक्षम करने हेतु रु. 1124.35 करोड़ उपरोक्त अन्य खनन अवसंरचना में शामिल है।

6. उपर्युक्त संयंत्र और मशीनरी में रु. 7.37 करोड़ के उपकरण और स्टोर और पुर्जे शामिल है जो और पीपीई के रूप में मान्यता के लिए मानदंडों को पूरा करता है लेकिन अभी तक भंडारों से जारी नहीं किया गया है।

7.सीआईएल से दिनांक 17.04.2017 को परिचालित समिति की सिफारिश के अनुसार घटक लेखांकन का पालन किया जा रहा है।

8. संयंत्र और उपकरणों के तहत कुछ एचईएम के उपयोगी कार्यकाल को तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान रु. 22.02 करोड़ की मूल्यह्रास में कमी आई है।

टिप्पणी 4 : पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पुनः घोषित

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन अवसंरचना / विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:							
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	266.98	530.02	82.72	1,406.77	30.02	0.23	2,316.74
वृद्धि	57.68	192.57	57.38	134.14	0.65	0.22	442.64
पूंजीकरण	(140.66)	(183.07)	(4.26)	(978.49)	-	(0.45)	(1,306.93)
विलोपन / समायोजन	(0.61)	(1.88)	-	(31.78)	-	-	(34.27)
31 मार्च 2019 के अनुसार	183.39	537.64	135.84	530.64	30.67	-	1,418.18
							-
01 अप्रैल 2019 के अनुसार	183.39	537.64	135.84	530.64	30.67	-	1,418.18
वृद्धि	94.12	210.77	51.41	212.65	21.78	-	590.73
पूंजीकरण	(56.24)	(229.04)	(93.59)	(64.60)	-	-	(443.47)
विलोपन / समायोजन	(14.89)	(0.66)	(2.25)	(0.55)	-	-	(18.35)
31 मार्च 2020 के अनुसार	206.38	518.71	91.41	678.14	52.45	-	1,547.09
संचित प्रावधान और हानि							
01 अप्रैल 2018 के अनुसार	-	12.76	-	-	-	-	12.76
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
हानि	0.11	-	0.12	1.19	-	-	1.42
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	0.11	12.76	0.12	1.19	-	-	14.18
							-
01 अप्रैल 2019 के अनुसार	0.11	12.76	0.12	1.19	-	-	14.18
वर्ष के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-
हानि	-	-	-	17.36	-	-	17.36
विलोपन / समायोजन	-	(0.01)	-	-	-	-	(0.01)
31 मार्च 2020 के अनुसार	0.11	12.75	0.12	18.55	-	-	31.53
निवल वहन राशि							
31 मार्च 2020 के अनुसार	206.27	505.96	91.29	659.59	52.45	-	1,515.56
31 मार्च 2019 के अनुसार	183.28	524.88	135.72	529.45	30.67	-	1,404.00

टिप्पणी :

1. उपरोक्त विकास में बांकीबाहाल से कनिका रेलवे साइडिंग तक दो लेन सड़क से चार लेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए `228.65 करोड़ की संपत्ति और एसएच -10 पर बांकीबहल से भदबाहल तक चार लेन सड़कों के निर्माण के लिए `59.84 करोड़ शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन आस्तियां

(₹ कारोड में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2018 के अनुसार	142.27
वृद्धि	16.13
विलोपन / समायोजन	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	158.40
01.04.2019 के अनुसार	158.40
वृद्धि	13.88
विलोपन / समायोजन	(47.55)
31 मार्च 2020 के अनुसार	124.73
संचित प्रावधान और हानि	
01.04.2018 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
समायोजन / विलोपन	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	-
01.04.2019 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
समायोजन / विलोपन	-
31 मार्च 2020 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31.03.2020 के अनुसार	124.73
01.03.2019 के अनुसार	158.40

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 : अन्य अमूर्त आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	अन्वेषनीय अमूर्त परिसंपतियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2018 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
वृद्धि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
01.04.2019 के अनुसार	0.60	4.58	-	5.18
वृद्धि	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	(0.02)	-	(0.02)
31 मार्च 2020 के अनुसार	0.60	4.56	-	5.16
संचित परिशोधन और हानि				
01.04.2018 के अनुसार	0.35	-	-	0.35
वर्ष के लिए प्रभार	0.09	-	-	0.09
हानि	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	-	-	-	-
31 मार्च 2019 के अनुसार	0.44			0.44
01.04.2019 के अनुसार	0.44	-	-	0.44
वर्ष के लिए प्रभार	0.02	-	-	0.02
हानि	-	-	-	-
समायोजन / विलोपन	0.01	-	-	0.01
31 मार्च 2020 के अनुसार	0.47			0.47
निवल वहन राशि				
31.03.2020 के अनुसार	0.13	4.56	-	4.69
01.04.2019 के अनुसार	0.16	4.58	-	4.74

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश
गैर-चालू

(₹ करोड़ में)

	(गतवर्ष)/चालू वर्ष के शेयरों की संख्या	(गतवर्ष)/चालू वर्ष के प्रति शेयरों का अंकित मूल्य	के अनुसार 31.03.2020	31.03.2019
एम.सी.आर।रेल	32000/(32000)	10.00	-	-
गैर .यापार (उद्धृत)				
सुरक्षित बांड में				
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड	20000/ (20000)	100000/ (100000)	200.00	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड	1087537/ (1087537)	1000/ (1000)	108.75	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉड	4999/(4999)	1000100/ (1000100)	499.95	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड	1500000/ (1500000)	1000/ (1000)	150.00	150.00
कुल:			**958.70**	**958.70**

गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि:	**958.70**	**958.70**
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:	**986.85**	**997.24**
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:	-	-

टिप्पणी - 7(ii)

निवेश

चालू

(₹ करोड़ में)

	वर्तमान अवधि / (गत वर्ष) इकाइयों की संख्या	एनएवी (₹ में)	के अनुसार 31.03.2020	31.03.2019
.यापार (गैर उद्धृत)				
म्यूचूयल फ़ंड निवेश				
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	546.257/ (5985576.207)	1003.25	0.06	600.50
यूटीआई मनी मार्केट फंड	3964.621/ (3926868.713)	1019.45	0.40	400.33
कुल:			**0.46**	**1,000.83**

उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-
गैर उद्धृत निवेश की कुल राशि:	0.46	1,000.83
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य:	0.46	1,000.83
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:	-	-

टिप्पणी: उपरोक्तानुसार व्यापार (गैर-उद्धृत) म्यूचूअल फंड का प्रति यूनिट एनएवी अंकित मूल्य के बराबर हैं।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 8 :ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
गैर-चालू				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1.20		0.66	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	625.00		1,125.00	
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट हानि	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए भत्ता	-	626.20	-	1125.66
कुल		**626.20**		**1,125.66**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		1.20		0.66
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		625.00		1,125.00
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि।		-		-
- क्रेडिट हानि		-		-
चालू				
अन्य ऋण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.32		0.32	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	500.00		500.00	
- क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
- क्रेडिट हानि	-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए भत्ता	-	500.32	-	500.32
कुल		**500.32**		**500.32**
वर्गीकरण				
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.32		0.32
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		500.00		500.00
क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि।		-		-
- क्रेडिट हानि		-		-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय आस्तियाँ

गैर चालू

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार
बैंक जमा		2.13		0.85
कार्य स्थल पुनः स्थापनाके लिए जमा और प्राप्य				
खदान बंदी योजना के तहत बैंक जमा		1082.09		978.51
अन्य जमा (खदान बंदी समवर्ती व्यय)		47.28		0.89
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्य		-		-
उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	33.89		38.88	
घटाव: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	-	33.89	-	38.88
अन्य जमा और प्राप्य	0.91		0.16	
घटाव: संदेहास्पद जमा एवं प्राप्य के लिए भत्ता	0.16	0.75	0.16	-
कुल		**1166.14**		**1019.13**

टिप्पणी:

1.कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा बाद में कोयला नियंत्रक के साथ हुए करार के शर्तों के अनुसार आधिसूचित बैंक में ₹ 1082.09 करोड़ खान बंदी के लिए एसक्रो एकाउंट में जमा होता है।

2.न्यायालय के निर्देशानुसार करोड़ `2.13 करोड़ ( `0.85 करोड़) से अधिक के बैंक डिपॉजिट किए जाते हैं।

एस्क्रो खाता शेष	31.03.2020	31.03.2019
प्रारंभिक तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	978.51	834.81
वृद्धि: वर्तमान अवधि के दौरान जमा शेष राशि	66.97	97.01
वृद्धि: अवधि के दौरान ब्याज का क्रेडिट	60.87	48.59
घटाव: वर्तमान अवधि के दौरान वापस ली गई राशि	24.26	1.90
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते (चालू / गैर चालू) में शेष	1,082.09	978.51

चालू

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार
कार्य स्थल पुनः स्थापन के लिए जमा और प्राप्य				
अन्य जमा (खदान बंदी समवर्ती व्यय)		182.00		134.22
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्य		-		-
सीआईएल /अनुसंगी कंपनियों के चालू खाता	-		33.87	
घटाव: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-		33.87
असुरक्षित दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		-		-
अर्जित ब्याज		529.02		445.99
दावे और अन्य प्राप्य	89.99		14.20	
घटाव: संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	0.06	89.93	0.06	14.14
कुल		**800.95**		**628.22**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 10 : अन्य गैर चालू आस्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
(i) पूंजीगत अग्रिम	301.02		205.30	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.65	300.37	0.64	204.66
(ii)पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
(क)उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूति	0.01		0.02	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	0.01	-	0.02
(ख) अन्य जमा और अग्रिम	13.66		10.27	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	13.66	-	10.27
कुल		314.04		214.95

टिप्पणी

वर्गीकरण

	31.03.2020	31.03.2019
असुरक्षित- जिसे अच्छा समझा गया	314.04	214.95
- संदेहास्पद माना जाता है	0.65	0.64

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-11 :अन्य चालू आस्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
(क) राजस्व के लिए अग्रिम (माल और सेवा)	304.39		233.45	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	6.54	297.85	6.54	226.91
(ख) वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	143.22		30.63	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	143.22	-	30.63
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-
(घ) अन्य अग्रिम एवं जमा	1,531.42		968.90	
घटाव: संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान	0.02	1,531.40	0.02	968.88
(ड़) इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	553.37		319.13	
घटाव: प्रावधान	-	553.37	-	319.13
कुल		**2,525.84**		**1,545.55**

टिप्पणी - 12 : वस्तुसूची

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) कोयले का स्टॉक	704.56	425.46
विकासाधीन कोयला	-	-
कोयला स्टॉक (निवल)	**704.56**	**425.46**
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत)	69.76	57.42
योग: मार्गस्थ भंडार	0.03	1.43
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक (लागत पर)	**69.79**	**58.85**
(ग) केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक	0.53	0.82
(घ) कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य	18.74	17.17
	793.62	**502.30**

मूल्यांकन की विधि: टिप्पणी संख्या- 2.21 के "वस्तुसूची" पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां देखें।

अनुलग्नक टिप्पणी - 12

(मात्रा लाख टन में) (मूल्य लाख रु. में)

तालिका:क

अवधि के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समय स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.17 को प्रारंभिक स्टॉक	130.23	44489.87	-	-	130.23	44489.87
(ख) प्रारंभिक लेखा में 5% से अधिक कमी	1.17	1943.39	-	-	1.17	1,943.39
अपनाए गए स्टॉक	129.06	42,546.48			129.06	42546.48
2. अवधि के दौरान उत्पादन	1403.58	1,438,483.21	-	-	1403.58	1438483.21
(ख) कोयला का खरीद	5.14	5,668.69				
3. उप-योग (1 क+2)	1,538.95	1,488,641.77	-	-	1,533.81	1,482,973.08
4. अवधि के लिए ऑफ-टेक						
(क) बाहरी प्रेषण	1335.02	1,410,560.10	-	-	1335.02	1410560.10
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.02	42.73	-	-	0.02	42.73
(घ) खरीदे गए कोयले का डिस्पैच	5.12	5,639.90				
कुल(क)	1,340.16	1,416,242.73	-	-	1340.16	1416242.73
5. व्युत्पन्न स्टॉक	198.79	72,399.04	-	-	198.79	72399.04
6. मापी गई स्टॉक	196.69	69,695.75	-	-	196.69	69695.75
7. अंतर (5-6)	2.10	2,703.29	-	-	2.10	2,703.29
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के अधिक	1.48	279.48	-	-	1.48	279.48
(ख) 5% के भीतर कमी	2.41	1,039.38	-	-	2.41	1039.38
(ग) 5% से अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	1.17	1,943.39	-	-	1.17	1,943.39
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	197.62	70,455.65	-	-	197.62	70455.65

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग			
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखा परीक्षित)	-	-	130.23	44,489.87	-	-	-	-	130.23	44,489.87
5% से अधिक की कमी			1.17	1,943.39					1.17	1,943.39
समंजित आरंभिक स्टॉक (वेंडेवल)	-	-	129.06	42,546.48	-	-	-	-	129.06	42,546.48
उत्पादन	**-**	**-**	**1,403.58**	**1,438,483.21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,403.58**	**1,438,483.21**
कोयले का क्रय			5.14	5,668.69					5.14	5,668.69
आफटेक										
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,335.02	1,410,560.10	-	-	-	-	1,335.02	1,410,560.10
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) स्व खपत	-	-	0.02	42.73	-	-	-	-	0.02	42.73
(घ) क्रय किए गए कोयले का प्रेषण			5.12	5,639.90					5.12	5,639.90
उत्पन्न अंतिम स्टाक	-	-	198.79	72,399.04	-	-	-	-	198.79	72,399.04
घटाव : कमी	-	-	1.17	1,943.39	-	-	-	-	1.17	1,943.39
अतिरिक्त			-	-						
अंतिम स्टॉक	-	-	197.62	70,455.65	-	-	-	-	197.62	70,455.65

आंतरिक सर्वेक्षण माप टीमों ने कोयले का भौतिक रूप से स्टॉक का सत्यापित किया है। कुछ क्षेत्रों में भी बाहरी टीमों द्वारा सत्यापित किया गया है। बुक स्टॉक (खान / कोलियरीवार) पर +/- 5% के भीतर कोयला स्टॉक के भौतिक सत्यापन पर मिली कमी / वृद्धि को लेखा नीति के अनुसार अनदेखा किया जाता है।

5% से अधिक की कमी का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्षेत्र	खदान	बुक स्टॉक (लाख टन में)		मापा गया स्टाक (लाख टन में)		% अंतर	
		31.03.20 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.20 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार	31.03.20 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
ओरियेंट	माइन नं. 3- जी 9	0.12	0.12	-	-	100.00	100.00
	एचबीएम- जी 9	0.30	0.30	-	-	100.00	100.00
तालचेर	नंदिरा -जी 8	0.50	0.50	-	-	100.00	100.00
	तालचेर-जी 5	0.25	0.25	-	-	100.00	100.00
कुल		**1.17**	**1.17**	-	-	-	-

पॉलिसी के अनुसार जब अंतर +/- 5% से अधिक है, उस मामले में मापे गए स्टॉक को लेखा में लिया जाता है। दिनांक 31.03.2020 के अनुसार 1.17 लाख टन के परिमाण के लिए ₹ 19.43 करोड के अंतर के मूल्य को लेखा में शामिल किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 13 : व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड़ में)

Secured, considered good	31.03.2020 के अनुसार		31.03.2019 के अनुसार	
Unsecured, considered good				
चालू				
व्यापार से प्राप्य Doubtful				
-सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-	
–असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1323.07		465.24	
-क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि	-		-	
-क्रेडिट हानि	52.28		70.75	
घटाव : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	52.28	1323.07	70.75	465.24
कुल		**1323.07**		**465.24**
टिप्पणी:				
1 देय तिथि से छह महीने से कम अवधि के लिए बकाया ऋण	1,294.63		373.47	
2 देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	28.44		91.77	
- संदेहास्पद	52.28		70.75	
		1375.35		**535.99**

टिप्पणी:

1 कंपनी के निदेशक एवं अधिकारियों से व्यक्तिगत या संयुक्त रूप में कोई भी व्यापार एवं अन्य प्राप्य बकाया नहीं है । न ही किसी फ़र्म व निजी कंपनियां जिसमें कोई निदेशक, निदेशक सदस्य, भागीदार है, से किसी प्रकार का व्यापार व अन्य प्राप्य बकाया नहीं है।

2 3 महीने से कम के देनदारों से शेष राशि की पुष्टि अब तक प्राप्त नहीं की गई है

3 रु. 155.63 करोड़ (31.03.2019 के अनुसार रु. 257.58 करोड़) के प्रावधान को रिफ्री एवं सीआईएमएफ़आर के किए गए नमूना परिणामों के लिए कोयला गुणवत्ता के रूप में स्वीकृति दी गई है, जिसे व्यापार प्राप्तियों से समायोजित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 14 : नगद एवं नगद समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
(क) बैंक में शेष		
- जमा खातों में		
(परिपक्वता के साथ 3 महीने तक)	-	-
- चालू खाता में		
क.ब्याज सहित(सीएलटीडी खाता इत्यादि)	132.36	410.41
ख. गैर ब्याज धारक	19.12	21.66
- नगद जमा खाता में	-	-
(ख) भारत से बाहरी बैंक में शेष	-	-
(ग) उपलब्ध चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-
(घ) उपलब्ध नगद	-	-
(ङ) भारत के बाहर उपलब्ध नगद	-	-
(च) अन्य	-	0.02
कुल नगद और नगद समतुल्य	151.48	432.09
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
कुल नगद और नगद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का सकल)	151.48	432.09

अवधि के दौरान किसी भी समय अधिसूचित बैंक के आलावा बैंक में अधिकतम राशि शेष	शून्य	शून्य

टिप्पणी:

1 नगद और नकद समकक्ष में, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ उपलब्ध बैंक में नगद, स्वीप खाता तथा सावधि जमा शामिल हैं।

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
बैंक में शेष		
- जमा लेखा	12,276.99	12,827.00
जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए - नीचे नोट 2 देखें)	24.23	39.24
कुल	**12,301.22**	**12,866.24**

टिप्पणी:

1. अन्य बैंक शेष में सावधी जमा और अन्य बैंक जमा शामिल हैं जो की प्रतिवेदन की प्रारंभिक तिथि से 12 महीनो के भीतर नगद के रूप में वसुल किया जाना आपेक्षित है ।

2. रु.24.23 करोड़ (4 39.24 करोड़) से अधिक की जमा राशि(विशिष्ट उद्देश्य के लिए) **कोर्ट,विभिन्न सरकारी प्राधिकरण द्वारा दी जाती है तथा बैंक गारंटी के लिए जारी की जाती है ।**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

(₹ करोड़ में)

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
अधिकृत		
प्रत्येक ₹1000 का 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
	775.82	**775.82**
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक 1000 रुपये के 6618363 इक्विटी शेयर प्रत्येक नगद के रूप से प्रदत्त	661.84	661.84
	661.84	**661.84**

टिप्पणी:

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	**शेयरधारकों की संख्या (1000 रूपए प्रत्येक का)**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**
कोल इंडिया लिमिटेड (धारक कंपनी) एवं इसकी नोमिनीस	6618363	100

2 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, समूह ने कोई इक्विटी शेयर जारी या वापस नहीं किए हैं।

3 31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, समूह ने निविदा के माध्यम से रु. 1000 के अंकित मूल्य के 442967 शेयर खरीदे थे, जिनका पूरा भुगतान कर समाप्त किया गया था।

4 31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, समूह ने 5649064 की संख्या में बोनस शेयर जारी किए थे, यानी पूरी तरह से भुगतान किए गए 4 मौजूदा इक्विटी शेयरों के हर 1 की संख्या में रु.1000 के अंकित मूल्य के पूरी तरह से भुगतान किए गए हैं।

5 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान, समूह ने निविदा प्रस्ताव के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान किए गए रु. 1000 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की 451743 वापस खरीद ली और उन शेयरों को समाप्त कर दिया।

6 समूह के पास सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिनका अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 1000 है इक्विटी शेयर धारक को समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकारी है ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	अन्य रिजर्व		सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व				
01.04.2018 के अनुसार शेष	-	-	2,000.32	190.04	28.95	2,219.31
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2018 के अनुसार पुनःघोषित शेष	-	-	2,000.32	190.04	28.95	2,219.31
वर्ष के दौरान वृद्धि	44.29	-	-	-	-	44.29
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(355.00)	-	-	(355.00)
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,038.34	-	6,038.34
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (कर का निवल)	-	-	-	-	(10.59)	(10.59)
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	301.98	(301.98)	-	-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(3,750.00)	-	(3,750.00)
अंतिम लाभांश(वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए)	-	-	-	(125.00)	-	(125.00)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(796.52)	-	(796.52)
बाए बैक पर कर	-	-	-	(72.38)	-	(72.38)
31.03.2019 के अनुसार शेष	44.29	-	1,947.30	1,182.50	18.36	3,192.45
01.04.2019 को अनुसार शेष	44.29	-	1,947.30	1,182.50	18.36	3,192.45
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	6,415.56	-	6,415.56
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनर्भुगतान (कर का निवल)	-	-	-	-	(78.44)	(78.44)
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	321.37	(321.37)	-	-
अन्य रिजर्व में / से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(5,225.00)	-	(5,225.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(1,074.01)	-	(1,074.01)
बाए बैक पर कर	-	-	-	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार शेष	44.29	-	2,268.67	977.68	(60.08)	3,230.56

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: उधार

(₹ करोड़)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
गैर-चालू		
अवधि ऋण		
-बैंकों से	5.48	5.71
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	5.48	5.71
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	5.48	5.71
चालू		
मांग पर लौटाने वाले ऋण		
-बैंकों से	1,706.45	-
-अन्य पार्टियों से	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-
अन्य ऋण	-	-
कुल	1,706.45	-
वर्गीकरण		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

टिप्पणी:

1.फ्रांस के लेभर से 4 हाइड्रोलिक शोवेल की खरीद के लिए नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और नैटेक्सिस बैंक के साथ समझौते के माध्यम से ऋण की व्यवस्था की गई थी। 31.03.2020 (पुनर्भुगतान के बाद निवल) में ₹ 6.10 करोड़ ऋण बकाया है। (जो 31.03.2019 को ₹6.29 करोड़ था)।

शेष का विवरण निम्न प्रकार है: -

	यूरो में	₹ करोड़ में
01.04.2019 को शेष	808,510.80	6.29
31.03.2020 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया पुनःभुगतान	74,113.58	0.60
विनिमय अंतर	-	0.41
31.03.2020 को शेष	734,397.22	6.10

रु. 0.59 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता को रु. 6.04 करोड़ के शेष से बाहर रखा गया है और नोट 20 'अन्य वित्तीय देनदारियों' में दर्शाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	0.39	0.09
व्यापार के लिए अन्य भुगतान		
-भंडार और पुर्जों	59.78	42.82
-ऊर्जा एवं ईंधन	17.45	17.70
-वेतन भत्ता	259.20	265.08
-अन्य	331.82	183.10
कुल	**668.64**	**508.79**

टिप्पणी:

	31.03.2020		31.03.2019
व्यापार देय - सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया			
a) अवधि समाप्ती के अनुसार मूलधन और ब्याज राशि का भुगतान शेष है, लेकिन बकाया नहीं है।	0.39		0.09
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को भुगतान की राशि के साथ ब्याज का भुगतान किया गया ।	-		-
ग) भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज और देय (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे जिसका भुगतान किया गया है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को नहीं जोड़ा गया है।	-		-
घ) अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और गैर भुगतान शेष	-		-
ई) भी, जब तक कि ऐसी तिथि न आ जाए तब तक आगे के तथा उत्तरवर्ती वर्षों में उपरोक्त पर छोटे उद्यम को देय ब्याज और शेष देय का भुगतान नहीं किया जाता है ।	-		-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
गैर चालू		
सुरक्षा जमा	36.48	47.69
अग्रिम राशि	-	-
अन्य(सुरक्षा जमा- प्रबंधन प्रशिक्षु)	2.54	3.53
	39.02	**51.22**
चालू		
- चालू खाते के साथ		
- सीआईएल	9.80	-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.62	0.58
अप्रदत्त लाभांश	-	-
सुरक्षा जमा	202.21	145.94
अग्रिम धन	48.19	52.86
पूंजीगत व्यय के लिए देय	1,120.49	869.23
अन्य	255.07	225.17
कुल	**1,636.38**	**1,293.78**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
गैर-चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
-उपदान		
- अवकाश नगदीकरण	-	-
-अन्य कर्मचारी हितलाभ	125.60	45.98
- अन्य	104.33	64.78
	229.93	110.76
स्थल पुनःस्थापना/खदान बंदी	867.40	812.13
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	19,054.81	17,982.89
अन्य	-	-
कुल	**20,152.14**	**18,905.78**
चालू		
कर्मचारी हितलाभ		
- उपादान	57.05	25.07
- अवकाश नगदीकरण	21.83	24.42
- अनुग्रह राशि	135.39	127.63
- कार्य-निष्पादन से संबंधित भुगतान	159.06	177.97
- अन्य कर्मचारी लाभ	36.04	73.26
	409.37	428.35
स्थल पुनःस्थापना/खदान बंदी	-	-
अन्य	487.23	529.45
कुल	**896.60**	**957.80**

टिप्पणी

1 .खदान बंदी के लिए प्रावधान

खदान बंदी योजना को बनाने के संबंध में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए एक प्रावधान किया गया। एसे प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी) के तकनीकी मुल्याकन के अनुसार बनाए जाते हैं । प्रत्येक खदान बंदी व्ययों के लिए (सीएमपीडीआई द्वारा यथा मूल्यांकित) के लिए देयता में 8% की छुट दी गई है तथा एसे प्रावधान के बनने के 01 साल तक खदान बंदी देयता को पूंजीकृत किया गया है। 31.03.2020 के अनुसार प्रावधानों को पूरा करने के लिए डिस्काउंट को अनदेखा करके अनुवर्ती वर्ष में प्रावधान का पुनःमूल्यांकन किया गया है।

2. 31.03.2020 तक सेवानिवृत्ति के लिए अन्य कर्मचारी लाभ (वर्तमान) में रु. 9.27 करोड़ शामिल हैं, प्रदान किए गए हैं।

3 स्थल पुनःस्थापना/ खदान बंद करने की सुलहः

	31.03.2020	31.03.2019
प्रारंभ की तारीख के अनुसार स्थल पुनःस्थापना / खान बंद करने का प्रावधान	812.13	773.66
वृद्धि: एमसीपी के संशोधन के कारण प्रावधान में परिवर्तन	-	7.37
वृद्धि: वर्तमान अवधि के लिए प्रावधान शुल्क अनवांडिंग (सम्मिलित पूंजीकृत)		
	79.80	33.00
घटाव: एस्क्रो खाते से प्रतिपूर्ति के खिलाफ एमसीपी प्रावधान समायोजित	24.53	1.90
स्थल पुनःस्थापन/खदान बंदी	867.40	812.13

* देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कामकाज को रोकने और स्टोविंग के लिए किए गए प्रावधान के कारण रु. 9.44 करोड़ (रु. 18.21 करोड़ के विभागीय वेतन और मजदूरी के अलावा) वेतन और एनआईएल की मजदूरी को समायोजित करने के बाद स्थान पुनर्स्थापना/खदान बंदी लागत के प्रावधान में रु. 4.10 करोड़ शामिल है, जो लाभ और हानि में सामान्य वेतन और मजदूरी का अंश है। एस्क्रौ खाते से प्रतिपूर्ति के लिए समायोजित एमसीपी प्रावधान में रु. 0.27 करोड़ का प्रावधान समायोजित किया गया है। बसुंधरा (पूर्व) के लिए भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए एमसीपी के लिए प्रावधान में रु. 0.79 करोड़ भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य गैर चालू दायिताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
स्थगित आय (सीसीडीए अनुदान)	180.77	194.68
कुल	**180.77**	**194.68**

1. आस्थगित आय में कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के तहत पूंजीगत प्रकृति के कामों के लिए मिलने वाली अनुपात शामिल है।

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
वैधानिक बकाया:	816.43	945.84
ग्राहकों से अग्रिम/ अन्य	2,479.36	2841.53
अन्य देयताएं	41.43	123.89
कुल	**3,337.22**	**3,911.26**

टिप्पणी:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.07.2001के अनुसार वर्ष 2005-06 में उड़ीसा सरकार से प्राप्तियों के लिए अन्य देयताओं में कोयले पर उपकर में रु. 8.40 करोड़ (निवल भुगतान) के मूलधन और 7 9.47 करोड़ (निवल भुगतान) का ब्याज शामिल है। ग्राहकों को राशि वापस दी जाती है। ग्राहकों ने अभी तक सभी सहायक दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत नहीं किया है, निम्न आवश्यक शर्तों का पालन करने पर ही रिफंड किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
क. कोयले का विक्रय	**22,834.92**	**24,607.68**
घटाव :वैधानिक लेवी	8,672.92	9282.93
विक्रय (निवल) (क)	**14,162.00**	**15,324.75**
ख. अन्य संचालन राजस्व		
बालू भरने और रक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान	-	(2.00)
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	1,039.18	1,039.81
घटाव : वैधानिक लेवी	49.48	49.51
	989.70	990.30
निकासी सुविधा शुल्क क	692.44	732.85
घटाव : वैधानिक लेवी	32.97	34.90
	659.47	**697.95**
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)	**1,649.17**	**1,686.25**
संचालन से राजस्व (क+ख़)	**15,811.17**	**17,011.00**

टिप्पणी:-

1. कोयले की गुणवत्ता परिवर्तन के लिए रु. 101.95 करोड़ (निवल अद्यतन) (8 84.12 करोड़ (वित्त वर्ष 2018-19 के लिए निवल डाउनग्रेडेशन)) की राशि का प्रावधान कोयले की बिक्री के साथ समायोजित किया गया है।

२. पैराग्राफ 6 के बिन्दु 'एन ’का संदर्भ लें। नोट 38 लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पनी के तहत भारतीय लेखांकन मनका 115 के अनुसार असंगठित राजस्व की घोषणा के लिए अन्य जानकारी दी गई है ।

3.पैराग्राफ 6 के बिन्दु 'टी' का संदर्भ लें । खरीदे गए कोयले की बिक्री के संबंध में नोट 38 लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणी के तहत अन्य जानकारी उपरोक्त संचालन से राजस्व में शामिल है।

टिप्पणी 25 :अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (पुनः घोषित)**
ब्याज आय	1,432.84	1224.29
लाभांश आय	86.80	102.41
अन्य		
आस्तियां की बिक्री पर लाभ	0.51	0.52
विनिमय दर में भिन्नता	-	0.20
पट्टा पर किराया	11.81	13.74
देयता / प्रावधान प्रतिलेखन (राइट बैक)	133.32	0.20
विविध आय	120.50	230.55
कुल	**1,785.78**	**1,571.91**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 26 :सामग्री खपत की लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	143.70	164.80
लकड़ी	0.19	0.03
तेल एवं लुब्रिकेंट	278.44	320.69
एचईएमएम के पुर्जे	126.08	133.88
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	50.30	52.79
कुल	**598.71**	**672.19**

टिप्पणी 27 : तैयार माल़, की सूची कार्य की प्रगति एवं व्यापार स्टॉक में परिवर्तन।

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	425.46	400.78
कोयले का अंतिम स्टॉक	704.56	425.46
क. कोयले की सूची में परिवर्तन	(279.10)	(24.68)
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति एवं प्रेस जॉब का प्रारंभिक स्टॉक	17.17	9.84
कार्यशाला निर्मित तैयार माल और कार्य प्रगति का अंतिम स्टॉक	18.74	17.17
ख. कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन	(1.57)	(7.33)
व्यापार में कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन (क+ख) { घटाव/अभिवृद्धि}	**(280.67)**	**(32.01)**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 28 :कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी (भत्ता और बोनस इत्यादि)	2,296.71	2,233.96
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान	696.83	644.55
कर्मचारी कल्याण व्यय	161.51	131.44
	3,155.05	**3,009.95**

टिप्पणी 29 :कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सीएसआर व्यय	165.50	167.16
कुल	**165.50**	**167.16**

टिप्पणी :- कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक सूचनाओं की विशेषताएं शामिल हैं।तृतीय निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर निधि का 2% औसत निवल लाभ या पिछले वर्ष के कोयला उत्पादन का `. 2.00 प्रति टन, जो भी अधिक हो, `156.50 करोड़ (`.136.36 करोड़) के अंतर्गत निहित है।

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
भवन	96.89	104.28
संयंत्र एवं मशीनरी	60.20	90.77
अन्य	4.09	2.86
कुल	**161.18**	**197.91**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 :संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	1,139.43	1170.90
वैगन लदाई	67.28	72.81
संयंत्र एवं उपकरण भाड़ा पर लेना	1,309.60	1,214.08
अन्य संविदात्मक कार्य	78.37	66.07
कुल	**2,594.68**	**2,523.86**

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज पर व्यय		
उधार	0.77	0.07
छूट का अनवाइंडिंग (पुनःस्थापना)	79.54	32.76
अन्य	-	-
कुल	**80.31**	**32.83**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (विपर्यय का निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) भत्ते/प्रावधान के लिए		
संदिग्ध ऋण	1.54	41.56
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.02	0.09
भंडार एवं पुर्जे	-	-
अन्य	2.46	28.09
कुल(क)	**4.02**	**69.74**
(ख) भत्ते / प्रावधान का विपर्यय		
संदिग्ध ऋण	20.51	0.95
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	0.13
भंडार एवं पुर्जे	5.35	3.23
अन्य	51.24	2.71
कुल(ख)	77.10	**7.02**
कुल (क-ख)	**(73.08)**	**62.72**
टिप्पणी:		
अन्य:- सृजित		
सर्वे-ऑफ	2.46	1.54
ओएचपीसीएल की क्षतिपूर्ति की मांग	-	2.70
एनटीपीसी कनिहा पर लगाया गया एसटीसी	-	21.47
मेसर्स आईबीईयूएल के पट्टे किराए का प्राप्य	-	0.96
सीडबल्यूआईपी की हानि	-	1.42
	2.46	28.09
अन्य:-विपर्यय		
देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कामकाज की स्टोविंग और स्थिरीकरण	0.27	0.32
पर्यावरण मंजूरी 2015-16 के लिए	50.97	-
सर्वे ऑफ	-	2.39
	51.24	2.71

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते में डालना (गत प्रावधानों का निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	0.02
घटाव :- पूर्व प्रदत्त	-	-
	-	0.02
कुल	-	0.02

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय (₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार (पुन:घोषित)
यात्रा व्यय	19.21	17.37
प्रशिक्षण व्यय	8.96	7.38
दूरभाष एवं डाक खर्च	5.66	6.38
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	7.00	9.97
भाड़ा प्रभार	0.06	0.07
विलंब शुल्क	19.18	2.25
सुरक्षा व्यय	113.07	104.98
सीआईएल का सेवा प्रभार	140.36	144.15
भाड़ा प्रभार	51.53	44.86
सीएमपीडीआई प्रभार	22.30	26.63
विधिक व्यय	8.60	4.32
परामर्श शुल्क	1.28	1.27
कम लदान शुल्क	93.50	179.65
विक्रय/आस्वीकार/सर्वेऑफ आस्तियां पर हानी	0.35	1.28
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा शुल्क के लिए	0.22	0.16
- कर संबंधी मामले के लिए	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	0.13	0.11
-व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.09	0.25
आंतरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा शुल्क पर व्यय	2.84	2.84
पुनर्वास शुल्क	80.37	85.38
किराया	0.49	0.45
दर एवं कर	23.72	20.24
बीमा	0.90	0.86
विनियम दर में अंतर से हानि	0.41	-
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.58	2.51
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.58	0.46
साईडिंग अनुरक्षण शुल्क	38.30	51.01
आर एंड डी व्यय	0.02	0.07
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	23.91	12.15
शेयरों के बायबैक पर व्यय	-	0.02
विविध व्यय	126.00	123.48
कुल	**791.62**	**850.55**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के अनुसार	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए**
चालू वर्ष	2,125.81	3165.24
स्थगित कर	(43.28)	76.30
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
पिछले वर्षों में	137.00	-
कुल	**2,219.53**	**3,241.54**
31.03.20 के लिए भारतीय आंतरिक कर से गुणित कर की गणना और लेखा लाभ		
कर पूर्व लाभ/(हानी)	8627.52	9,277.49
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.168% (31 मार्च 2019: 34.944%)	2,171.37	3,241.93
घटाव :विगत वर्ष में चालू आयकर का समायोजन	0.73	-
घटाव: कर से मुक्त आय	(39.64)	(60.50)
घटाव : संयुक्त उद्यम और शेयर के परिणामों का हिस्सा	-	-
योग: कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती व्यय	217.17	373.32
घटाव: आयकर के अनुसार अतिरिक्त व्यय की अनुमति है	(224.19)	(389.50)
लाभ और हानि विवरण में आयकर व्यय की सूचना दी गई है	**2,125.44**	**3,165.24**
प्रभावी आयकर दर:	24.64%	34.50%
स्थगित कर देयता निम्न से संबंधित है:		
विलम्बित कर देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	163.77	165.14
अन्य	243.71	264.83
कुल स्थगित कर देयता	407.48	429.97
स्थगित कर आस्तियां		
प्राप्तियों से संबंधित व्यापार	12.42	23.87
कर्मचारी हितलाभ	59.13	44.01
अन्य	28.89	40.10
कुल स्थगित कर आस्तियां	100.44	107.98
निवल स्थगित कर आस्तियां/ (देयताएं)	**(307.04)**	**(321.99)**

क) समूह कर परिसंपत्तियों और देयताओं पूर्ण कर देता है यदिऔर केवल यदिउसके पास एक ही कर प्राधिकरण द्वारा अर्जित आयकर से संबंधित वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ और वर्तमान कर देयताएँ और आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देनदारियों को निर्धारित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है हैं।

ख) 31 मार्च 2020 को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए रु. 54.53 करोड़ (31 मार्च 2019: रु. 76.30 करोड़) की कर देयता को स्थगित कर दिया गया।
संशोधित आयकर की दर के आधार पर आस्थगित कर देयता के पुनर्कथन के कारण रु. 97.81 करोड़ को वापस कर दिया गया है।
अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश के साथ कोई अस्थायी मतभेद नहीं हैं, जिसके लिए कोई आस्थगित कर देयता को स्वीकृति नहीं दी गई है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(104.82)	(16.28)
		(104.82)	(16.28)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन	(26.38)	(5.69)
		(26.38)	(5.69)
	कुल (क)	**(78.44)**	**(10.59)**
(ख)	**(i)लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	**(78.44)**	**(10.59)**

टिप्पणी – 38: 31 मार्च,2020 को समाप्त हुए वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(समेकित)

1. उचित मूल्य अंकन

(क) वर्गवार वित्तीय साधन **(₹ करोड़ में)**

	31st मार्च2020		31st मार्च 2019	
	एफ़वीपीवाईएल	परिशोधित लागत	एफ़वीपीवाईएल	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियां				
निवेश* :				
सुरक्षित बॉन्ड	-	958.70	-	958.70
प्राथमिक शेयर **-इक्विटि घटक** **-ऋण घटक**	- -	- -	- -	- -
म्यूचुअल फंड /आईसीडी	0.46	-	1000.83	-
अन्य निवेश	-	-	-	-
ऋण	-	1126.52	-	1625.98
जमा एवं प्राप्य	-	1967.09	-	1647.35
व्यापार प्राप्य	-	1323.07	-	465.24
नगद एवं नगद समतुल्य	-	151.48	-	432.09
अन्य बैंक शेष	-	12301.22	-	12866.24
वित्तीय देयताएं				
उधार	-	1711.93	-	5.71
. यापार देय	-	668.64	-	508.79
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	286.88	-	246.49
अन्य देयताएं	-	1388.52	-	1098.51

(ख)उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसलों एवं अनुमानों को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है एवं (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किये गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु समूह ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है ।

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों और देयताओं को मापा गया – आवर्ती उचित मूल्य मापन	31st मार्च 2020		31st मार्च 2019	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय आस्तियां				
निवेश				
म्यूचुअल फ़ंड/आईसीडी	0.46	-	1000.83	-
वित्तीय देयताएँ				
मद,यदि कोई हो	-	-	-	-

उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियों और देयताओं को मापा गया – आवर्ती उचित मूल्य प्रकट किया गया	31st मार्च 2020		31st मार्च 2019	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियां				
निवेश	958.70	-	958.70	-
प्राथमिक शेयर **इक्विटी अवयव** **ऋण के अवयव**	- -	- -	- -	- -
अन्य निवेश				
ऋण	-	1126.52	-	1625.98
जमा एवं प्राप्य	-	1967.09	-	1647.35
व्यापार प्राप्य	-	1323.07	-	465.24
नगद एवं नगद समतुल्य	-	151.48	-	432.09
अन्य बैंक शेष	-	12301.22	-	12866.24
वित्तीय देयताएं				
उधार	-	1711.93	-	5.71
व्यापार देय	-	668.64	-	508.79
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	-	286.88	-	246.49
अन्य देयताएँ	-	1388.52	-	1098.51

प्रत्येक स्तर का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्याकंन किया गया है। इसमें म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार सकल आस्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है, उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर 3 में उसे शामिल किया जाएगा। असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(ग) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग:

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है, जिसमें बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत (एनएवी) को म्यूच्यूअल फंड में निवेश के संबंध में शामिल किया गया है।

(घ) महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष इनपुट का उपयोग कर उचित मूल्य मापनः

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(ङ) वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं के उचित मूल्य, परिशोधित लागत पर आँके जाते है

- उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।
- समूह का मानना है कि सुरक्षा जमा को महत्वपूर्ण वित्तीय घटक में शामिल न किया जाये। माइलस्टोन के रूप में (सुरक्षा जमा) भुगतान समूह के प्रदर्शन के साथ मेल खाते हैं और अनुबंध के लिए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त अन्य कारणों के रख-रखाव की अपेक्षित राशि को पूर्ण करती है। यदि ठेकेदार अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होते हैं तो प्रत्येक माइलस्टोन भुगतान निर्दिष्ट प्रतिशत धारण कर कंपनी के हित की रक्षा करते हैं। तद्नुसार, सुरक्षा जमा की लेन-देन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में उसे अमूर्त लागत पर आँका जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। समूह एक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणा बनाता है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

समूह के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। समूह के मुख्य वित्तीय आस्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

समूह बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	अंकन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश),बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री ई-नीलामी एवं ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) के माध्यम से की गई बिक्री के अंतर्गत वर्गीकृत है।

वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध(एफ.एस.ए.) एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ़एसए)

एन.सी.डी.पी. के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए समूह अपने ग्राहकों या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करते हैं, जो बदले में अंतिम ग्राहकों(इंड कसटमर्स) के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करता है। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

ई-नीलामी योजना–

जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो दीर्घावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा कोल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

क्रेडिट जोखिम जब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्षीय दायित्वों पर प्रतिपक्ष चूक होती है जिसके परिणाम स्वरूप समूह को वित्तीय नुकसान होता है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि- कंपनी संदेहपूर्ण/परिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है।(सरलीकृत दृष्टिकोण)

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित क्रेडिट हानि

31.03.2020 तक (₹ करोड़ में)

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
निवल वहन राशि	920.80	373.83	16.98	0.09	5.45	58.21	1375.35
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	89.81	3.80
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	52.28	52.28

31.03.2019के अनुसार (₹ करोड़ में)

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	354.56	62.87	10.00	0.58	35.18	107.98	535.99
अपेक्षित हानि दर	-	-	-	-	-	65.52	13.20
अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	70.75	70.75

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान – व्यापार प्राप्य

	₹ करोड़ में
दिनांक- 31.03.2018 तक हानि भत्ता	70.75
हानि भत्ता में परिवर्तन	(18.47)
दिनांक-31.03.2019 तक हानि भत्ता	52.28

वित्तीय आस्तियों में हुए हानि हेतु किये गए महत्वपूर्ण आकलन एवं निर्णय : -

ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। समूह इन मान्यताओं को बनाने के लिए समूह के इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए गए हानि के आकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

ख. नगदी जोखिम

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर समूह द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(i) **वित्तीय देयताओं की परिपक्वता**

नीचे दी गई तालिका में अनुबंधित अनदेखे भुगतानों के आधार पर समूह की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफ़ाइल का सारांश दिया गया है।

	31.03.2020 तक			31.03.2019 तक		
	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्ष के मध्य	5 वर्ष से अधिक
गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताएँ						
ब्याज दायित्वों सहित उधार	-	3.07	2.41	-	2.88	2.83
व्यापार देय	668.64	-	-	508.79	-	-
अन्य वित्तीय देय	1636.38	39.02	-	1293.78	51.22	-

ग) बाजार जोखिम

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त आस्तियों या देयताओं से उत्पन्न होती

है, जो एक मुद्रा में होती है जो समूह के कार्यात्मक (आईएनआर) नहीं है। समूह विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी ऑपरेशन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। समूह भी आयात करता है और जोखिम नियमित अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित किया जाता है। समूह की एक नीति है जिसे विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होने पर लागू किया जाता है।

(ख) नगदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

बैंक जमा समूह में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।

समूह सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

समूह एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसारहै : **(₹ करोड़ में)**

	31.03.2020	**31.03.2019**
इक्विटी शेयर पूंजी	661.84	661.84
वरीयता शेयर पूंजी	NIL	NIL
दीर्घकालिक ऋण	5.48	5.71
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्वता	0.62	0.58

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक-19)

i) **उपदान**

ग्रेच्युटी को एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में बनाए रखा गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम में योगदान दिया जाता है। परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना आस्तियों का उचित से मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं।

ii) **अवकाश नकदीकरण**

अर्जित अवकाश के लिए देयताओं को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है ताकि अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो उसके दायित्व की शर्तों से संबंधित

होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनः माप अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

iii) भविष्य निधि :

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से समूह भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करता है।वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण (टिप्पणी-28) में निधि में **₹** 384.13करोड़(31.03.2019 तक के वित्तीय वर्ष तक में **₹** 394.75करोड़) का योगदान दर्शाया गया है।

iv) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ

यह समूह सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति या पत्नी को सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना द्वारा इस सुविधा को कवर किया गया है। 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के लिए चिकित्सा लाभ के लिए योजना अलग से "अधिकारी ट्रस्ट के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना" के माध्यम से प्रशासित की जाती है। चिकित्सीय लाभों के लिए देयताओं को एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर दर्शाया जाता है।

01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए अधिकारी के लिए –31.03.2020 में वित्त पोषित स्थिति ₹ 5.22 करोड़ (5.22 करोड़) तथा 31.03.2020 में उक्त हेतु देयता ₹ 8.59 करोड़ (₹ 6.10 करोड़) है।

(**v**) पेंशन

समूह के पास अपने कार्मिकों के लिए एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है**,** जिसे सीआईएल के अधिकारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना -**2017** ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। **31.03.2020** में वित्त पोषित स्थिति ₹**185.89** करोड़ (₹**104.23** करोड़) और **31.03.2020** पर देयता **₹ 217.43** करोड़ (₹**154.84** करोड़) है।

(vi) समूह ने कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन बीमांकिक आधार पर किया है:

(क) **वित्त पोषित**

- उपदान
- अवकाश नगदीकरण
- चिकित्सा लाभ

(ख) **गैर वित्त पोषित**

- जीवन सुरक्षा योजना
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- अवकाश यात्रा रियायत
- खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दिनांक31.03.2020 तक कुल देयता ₹1847.81 करोड़ हैं, जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है।

(₹करोड़ में)

विषय	दिनांक – 01.04.2019 पर प्रारंभिक बीमांकिक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	दिनांक- 31.03.2020 पर समाप्त बीमांकिक देयता
उपदान	1115.30	131.81	1247.11
अर्जित अवकाश	289.34	51.52	340.86
अर्ध वेतन अवकाश	51.85	10.06	61.91
जीवन सुरक्षा योजना	5.55	0.59	6.14
अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	5.62	0.54	6.16
गैर-अधिकारियों के लिए निपटान भत्ता	8.54	0.69	9.23
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.12	-	0.12
अवकाश यात्रा रियायत	29.73	(0.95)	28.78
अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	75.09	40.13	115.22
गैर-अधिकारियों के लिए चिकित्सा लाभ	2.20	2.87	5.07
खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा	13.45	13.76	27.21
कुल	1596.79	251.02	1847.81

vii)प्रकटीकरण के अनुसार बीमांकिक प्रमाण पत्र

कर्मचारियों के लाभ के लिए गैच्युटी (फंडेड) एवं छुट्टी नगदीकरण (फंडेड) के प्रकटीकरण के बीमांकिक प्रमाण पत्र नीचे दिये गए हैं-

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक-31.03.2020 में
उपदान देयता के बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020तक	31.03.2019तक
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	1115.30	1073.92
चालू सेवा लागत	70.18	58.60
ब्याज लागत	69.45	76.45
योजना संशोधनः अवधि के अंत में निहित भाग (पूर्व सेवा)	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक(लाभ)/घाटा	83.94	12.67
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	34.26	16.16
भुगतान किए गए लाभ	126.01	122.50
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1247.11	1115.30

(₹ करोड़ में)

आस्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	1092.78	928.41
ब्याज आय	72.12	70.09
कर्मचारी योगदान	137.80	204.23
भुगतान किए गए लाभ	126.01	122.50
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	13.37	12.55
अवधि के अंत में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	1190.06	1092.78

(₹ करोड़ में)

तुलनपत्र में सामंजस्य प्रदर्शित करती विवरणी	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019तक**
लगाई गई राशि की स्थिति	(57.05)	(22.52)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
आस्ति निधि	1190.06	1092.78
देयता निधि	1247.11	1115.30

योजना मान्यताओं को दर्शाती विवरणी:	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019तक**
छूट दर	6.60%	7.55%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	6.60%	7.55%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.25 % कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	13,14	13,14
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
उम्र में सेवानिवृत्ति (पुरूष एवं महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं अशक्तता	0.30%	0.30%

(₹ करोड़ में)

लाभ व हानि विवरण में चिन्हित किए गए व्यय	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019तक**
वर्तमान सेवा लागत	70.18	58.60
भूतपूर्व सेवा लागत(निर्दिष्ट)	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	(2.67)	6.36
लाभ लागत (लाभ व हानि विवरण में चिन्हित किए गए व्यय)	67.51	64.96

(₹ करोड़ में)

अन्य व्यापक आय	31.03.2020 तक	31.03.2019तक
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	83.94	12.67
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	34.26	16.16
कुल बीमांकिक लाभ/हानि	118.20	28.83
योजना परिसंपति की वापसी, ब्याज आय को छोड़ कर	13.37	12.55
अवधि की समाप्ती पर उपलब्ध शेष	104.82	16.28
अन्य व्यापक आय में निर्दिष्ट अवधि में निवल (आय)/ व्यय	104.82	16.28

मृत्यु दर तालिका	
आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

(₹ करोड़ में)

मद प्रकटीकरण				
31.03.2019			31.03.2020	
बृद्धि	कमी	संवेदनशील विश्लेषण	बृद्धि	कमी
1076.55	1156.61	छूट दर (-/+0.5%)	1201.64	1295.77
-3.474%	3.704%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-3.646%	3.902%
1142.64	1087.42	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	1275.96	1217.79
2.452%	-2.499%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	2.313%	-2.351%
1116.30	1114.29	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	1248.25	1245.98
0.090%	-0.090%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.091%	-0.091%
1122.01	1108.58	मृत्यु दर (-/+ 10%)	1254.62	1239.60
0.602%	-0.602%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.602%	-0.602%

(₹ करोड़ में)

नगद प्रवाह की जानकारी प्रदर्शित करती तालिका	
आगामी वर्ष के लिए कुल (संभावित)	1265.14
न्यूनतम निधि आवश्यकाताएं	128.96
कंपनी का विवेकाधिकार	-

अनुमानित भविष्य भुगतान लाभ की जानकारी दर्शाती तालिका (पूर्व सेवा)	
Year	₹ करोड़ में
1	128.25
2	123.01
3	129.10
4	134.17
5	131.16
6 to 10	637.66
6 से 10	1044.33
10 वर्ष से अधिक	-
भूतपूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	2327.68
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	1080.57
ब्याज हेतु कम छूट	1247.11

(₹ करोड़ में)

आगामी वर्ष के शुद्ध आवधिक लाभ के घटकों को दर्शाती तालिका	
आगामी अवधि के लिए चालू सेवा लागत(केवल नियोक्ता अंश)	71.82
आगामी अवधि के लिए हित लाभ	78.08
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित लाभ	82.31
गैर मान्यता प्राप्त भूतपूर्व सेवा लागत	-
गैर मान्यता प्राप्त बीमांकिक/अवधि के अंत में लाभ-हानि	-
निपटान लागत	-
संक्षेप लागत	-
अन्य(बीमांकिक लाभ/हानि)	-
लाभ लागत	67.59

(₹ करोड़ में)

कुल देयता का विभाजन	**31.03.2020तक**	**31.03.2019तक**
चालू देयता	124.22	117.74
गैर-चालू देयता	1122.89	997.55
शुद्ध देयता	1247.11	1115.30

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक- 31.03.2020 में अवकाश नकदीकरण लाभ (अ.अ./अ.वै.अ) के रुप में बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020तक	31.03.2019तक
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	341.19	290.38
चालू सेवा लागत	27.01	24.61
ब्याज लागत	19.33	20.89
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/हानि	33.34	4.77
जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर वास्तविक (लाभ) / हानि	78.61	28.02
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक लाभ/हानि	96.71	27.48
लाभ भुगतान	402.77	341.19

(₹ करोड़ में)

योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	273.16	255.19
ब्याज आय	18.03	19.27
नियोक्ता योगदान	58.54	28.47
लाभ भुगतान	96.71	27.48
ब्याज आय छोड़कर योजना आस्ति पर लाभ	(0.90)	(2.28)
अवधि के अंत में योजना आस्ति के उचित मूल्य	252.11	273.16

(₹ करोड़ में)

तुलनपत्र का समाधान दर्शाते विवरण	31.03.2020 तक	31.03.2019तक
लागत स्थिति	(150.65)	(68.03)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00
संपत्ति निधि	252.11	273.16
देयता निधि	402.76	341.19

योजना मान्यताओं को दर्शाते विवरण :	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019तक**
छूट दर	6.60%	7.55%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	6.60%	7.55%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	**9.00%** अधिकारियों के लिए एवं 6.25**%** कर्मचारियों के लिए	**9.00%** अधिकारियों के लिए एवं **6.50%** कर्मचारियों के लिए
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	13,14	13,14
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
सेवानिवृत्ति की आयु (पुरूष तथा महिला)	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं अशक्तता	0.30%	0.30%

(₹ करोड़ में)

लाभ व हानि विवरण में चिह्नित व्यय	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019तक**
वर्तमान सेवा लागत	27.01	24.61
शुद्ध ब्याज लागत	1.30	1.62
शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि	112.85	35.08
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	141.16	61.31

मृत्यु दर तालिका	
आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

मद प्रकटीकरण				
31.03.2019			31.03.2020	
वृद्धि	कमी	संवेदनशील विश्लेषण	वृद्धि	कमी
326.66	356.89	छूट दर (-/+05%).5%)	384.58	422.54
-4.257%	4.603%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-4.516%	4.908%
356.74	326.67	वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	422.18	384.72
4.559%	-4.256%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	4.821%	-4.480%
342.16	340.21	संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	403.92	401.62
0.286%	-0.286%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.285%	-0.285%
343.26	339.11	मृत्यु दर (-/+ 10%)	405.17	400.36
0.609%	-0.609%	संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.597%	-0.597%

अनुमानित भावी भुगतान के लाभ की सूचना देती तालिका	
वर्ष	**₹ करोड़ में**
1	27.79
2	29.39
3	35.65
4	38.32
5	39.92
6 to 10	202.92
10 वर्ष से अधिक	528.89
पूर्व एवं भविष्य सेवा में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	902.88
ब्याज हेतु कम छूट	500.11
अनुमानित लाभ दायित्व	402.77

(₹ करोड़ में)

कुल देयता का विभाजन	**31.03.2020 तक**	**31.03.2019तक**
चालू देयता	26.92	24.42
गैर चालू देयता	375.85	316.77
कुल देयता	402.77	341.19

4. अपरिचित मदें

क) आकस्मिक देयतायें

कंपनी पर किये गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।

तालिका I (₹ करोड़ में)

विवरण	केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार तथा अन्य स्थान	सी.पी.एस.ई.	अन्य	कुल
खुलने की तिथि 01.04.19	2926.73	11963.64	1.13	192.78	15084.28
वर्ष के दौरान सम्मिलित	4505.52	330.48	-	45.76	4881.76
वर्ष के दौरान निपटाये गए दावे					
क. प्रारंभिक शेष से	425.24	8354.16	-	12.00	8791.40
ख. वर्ष के दौरान संयोजन से	2.59	0.06	-	0.04	2.69
ग. वर्ष के दौरान निपटाये गए कुल दावे (क+ख)	427.83	8354.22	-	12.04	8794.09
31.03.2020 को समाप्त	7004.42	3939.90	1.13	226.50	11171.95

तालिका II (₹ करोड़ में)

कंपनी पर दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया		
	31.03.2020	**31.03.2019**
केंद्रीय सरकार केंद्रीय उत्पाद आय कर* स्वच्छ ऊर्जा सेस सेवा कर अन्य	327.77 6250.12 308.32 117.62 0.59	328.10 2207.64 308.23 82.32 0.44
राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय बिक्री कर रॉयल्टी पर्यावरण क्लीयरेंस अन्य	170.48 666.21 2915.04 188.17	160.41 494.07 11161.77 147.39
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मामले	1.13	1.13
अन्य	226.50	192.78
कुल	**11171.95**	**15084.28**

ख) गारंटीः

कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार की गारंटी प्रदान नहीं की गई।

ग) साख पत्र और बैंक गारंटी:

दिनांक 31.03.2019 तक बकाया साख पत्र ₹ 36.99 करोड़(₹ 2.83 करोड़ 31.03.2019), एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत ₹ 31.05 करोड़ (मूल कंपनी का शेयर ₹ 13.15करोड़ है)(₹ 39.42करोड़ 31.03.2019)है।

घ) प्रतिबद्धता

अनुबंध की अनुमानित राशि जिसे पूंजी खाते में खर्च किया जाता है,

पूंजी खाता जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया हैः-: ₹ 1671.33करोड़ (₹ 839.02 करोड़ 31.03.2019)

अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : ₹ 2989.10करोड़ (₹ 2304.91 करोड़ 31.03.2019)

5. समूह की जानकारी:

नाम	एमसीएल के साथ संबंध	मूल गतिविधियां	निगमीकरण का देश	इक्विटी का ब्याज %	
				31.03.20	31.03.19
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	India	70	70
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	India	60	60
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	ऊर्जा उत्पादन	India	100	100
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	रेल कोरिडोर का निर्माण एवं संचालन परियोजना	India	64	64

6. अन्य जानकारी

क) प्रावधान

दिनांक 31.03.2020 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकितहै,जो कि नीचे दिए गए हैं: (₹ करोड़ में)

प्रावधान	01.04.2019 के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अन वाईंडिंग	31.12.20 के अनुसार समाप्त शेष
<u>नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संपत्तियों की हानि एवं कमी</u>					
आस्तियों की हानि:	45.58	3.17	(0.71)	-	48.04
<u>नोट 4: पूँजीगत कार्य प्रगति पर:</u>					
सीडब्ल्यूआईपी के तहत:	14.18	17.36	(0.01)	-	31.53

<u>नोट 5: आस्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन:</u>					
प्रावधान एवं हानि:	-	-	-	-	-
<u>नोट 8: ऋण :</u>					
अन्य ऋण :	-	-	-	-	-
<u>नोट 9: अन्य वित्तीय आस्तियाँ ::</u>					
अन्य जमा एवं प्राप्य	0.16	-	-	-	0.16
उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमा	-	-	-	-	-
अनुषंगियों के साथ चालू लेखा :	-	-	-	-	-
दावे एवं अन्य प्राप्य :	0.06	-	-	-	0.06
<u>नोट 11: अन्य वर्तमान आस्तियां:</u>					
राजस्व हेतु अग्रिम:	0.64	0.01	-	-	0.65
सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-	
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम एवं जमा	-	-	-	-	-
<u>नोट 11: अन्य वर्तमान आस्तियां:</u> राजस्व हेतु अग्रिम:	6.54	-	-	-	6.54
सांविधिक बकायों का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-	-
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम एवं जमा :	0.02	-	-	-	0.02
<u>नोट 13: प्राप्य व्यापार ::</u>					
गलत एवं संदिग्ध प्रावधानों हेतु प्रावधान :	70.75	-	(18.47)	-	52.28
नोट 21: गैर चालू एवं चालू प्रावधान :					
अनुदान	127.63	135.39	(127.63)	-	135.39
कार्यनिष्पादन से संबंधित भुगतान	177.97	65.08	(83.99)	-	159.06
अन्य	529.45	487.23	(529.45)	-	487.23
साइट के सुधार/ खदान बंदी	812.13	-	(24.53)	79.80	867.40

ख) सरकारी सहायता

रुपए शून्य के सीसीडीए ग्रांट को 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान सड़क और रेल अवसंरचना कार्यों के लिए सहायता के लिए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से कैपिटल ग्रांट के रूप में प्राप्त किया गया। अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर अब तक कुल सीसीडीए अनुदान रु.208.58 करोड़ है और इसे रु.180.77 करोड़ के बकाया राशि को आस्थगित आय के रूप में नोट-22 के तहत खुलासा किया जा रहा है।.

ग) सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है, जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

डेस्टिनेशन द्वारा राजस्व निम्नानुसार है- **(₹ करोड़ में)**

	भारत	**अन्य राष्ट्र**
राजस्व	15811.17(PY 17011.00)	शून्य

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है –

ग्राहक का नाम	**राशि**	**राष्ट्र**
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो **एन.टी.पी.सी.**	2008.38 (पूर्व वर्ष 2506.17)	भारत
अन्य	13802.79(पूर्व वर्ष 14504.83)	भारत

स्थान अनुसार निवल चालू आस्ति निम्नानुसार है -

	भारत	**अन्य राष्ट्र**
निवल चालू आस्ति	12679.66(पूर्व वर्ष12017.91)	शून्य

घ) प्राधिकृत पूंजी: **(₹ करोड़ में)**

	31.03.2020	**31.03.2019**
प्रत्येक के₹.1000 के 77,58,200 इक्विटी शेयर	775.82	775.82
प्रत्येक ₹.1000 के 20,41,800 का संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर का 10% (पूर्व स्वीकृति अनुसार प्रतिदेय)	204.18	204.18

ङ) प्रति शेयर आय

क्र.सं	विवरण	दिनांक31.03.2020 को समाप्त वर्ष		दिनांक31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
		पीएटी	ओसीआई	ओएटी	ओसीआई
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (रूपये करोड़ में)	6407.99	(78.44)	6039.54	(10.59)
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर	6618363	6618363	6992154	6992154
iii)	रुपए में प्रति शेयर मूल एवं लघु आय (अंकित मूल्य ₹ .1000 प्रति शेयर)	9682.14	(118.52)	8637.34	(15.15)

च. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

1.संबंधित पार्टियों की सूची

i)अनुषंगी कंपनियां

1) महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड(एमबीपीएल)

2) एमएनएच शक्ति लिमिटेड

3) एमजेएसजे कोल लिमिटेड

4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड(एमसीआरएल)

2. **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

नाम	पदनाम	लागू की तिथि
श्री बी.एन. शुक्ला	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	14.06.2019
श्री आर.आर. मिश्रा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	25.09.2018 - 14.06.2019
श्री ओ.पी. सिंह	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	01.09.2016
श्री के.आर. वासुदेवन	निदेशक (वित्त)	04.02.2018
श्री के.के. मिश्रा	निदेशक (तकनीकी/परिएवंयो)	24.06.2019
श्री के. राव	निदेशक (कार्मिक)	18.12.2019
श्री ए.के. सिंह	कंपनी सचिव	19.11.2012
सुश्री सीमा शर्मा	गैर आधिकारिक अंशकालीन निदेशक	06.09.2017
श्री एस. एन. तिवारी	आधिकारिक अंशकालीन निदेशक	23.12.2019
श्री आर.के. सिन्हा	आधिकारिक अंशकालीन निदेशक	12.06.2017-17.03.2020
श्री एस. एन. प्रसाद	आधिकारिक अंशकालीन निदेशक	16.02.2016 - 30.11.2019
श्री नागराजु मद्दिराला	आधिकारिक अंशकालीन निदेशक	17.03.2020
श्री एस. मोहन	गैर आधिकारिक अंशकालीन निदेशक	10.07.2019

3. **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक**

(₹ करोड़ में)

क्र	अप्रनि, पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव को भुगतान	**31.03.2020को समाप्त वर्ष**	**31.03.2019को समाप्त वर्ष**
i)	**अल्पावधि कर्मचारी लाभ** सकल वेतन परिलब्धियां चिकित्सा लाभ	1.36 - -	1.50 - -
ii)	**रोजगार लाभ के उपरांत** पी.एफ एवं अन्य निधि का योगदान	0.13	0.16
iii)	**समाप्ति लाभ** (वियोजन के समय प्रदत्त) अवकाश नकदीकरण उपदान	- -	- -
	कुल	**1.48**	**1.66**

टिप्पणी:

i) इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ओ.एम.नं 2(18)/पी.सी.-64, दिनांक-20.11.1964 को संशोधित प्रावधानों के अनुसार 750 कि.मी. पर रियायत दर के भुगतान पर निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने हेतु अनुमति दी गई है।.

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	**स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान**	**31.03.2020को समाप्त वर्ष**	**31.03.2019को समाप्त वर्ष**
i)	बैठक शुल्क	0.13	0.16

बकाया शेष (₹ **करोड़ में**)

क्र.सं	विवरण	**31.03.2020 के अनुसार**	**31.03.2019के अनुसार**
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

4. **समूह के अंतर्गत संबन्धित पक्षों के साथ लेन-देन**

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क, पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल किया है तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश किया है।

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

(रु करोड़ में)

संबंधित पक्षों के नाम	**लीज किराया**	**सर्वोच्च प्रभार**	**पनर्स्थापना प्रभार**	**कार्मशाला/प्रेस डेबिट**	**सीएमपीडीआई व्यय**	**अनुषंगी कंपनियों / सीआईएल के साथ निधि पर ब्याज**	**जारी भंडार सामग्रियां**	**चालू लेखा शेष**
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड(ईसीएल)	-	-	-	-	-	0.32	0.27	-
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	-	-	-	-	-	-		-
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)	-	-	0.10	-	-	0.05		-
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लुसीएल)	-	-	-	-	-	0.14		-
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)	-	-	(0.06)	-	-	1.85		-
नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)	-	-	0.22	-	-	1.09		-
सेट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिच्यूट लिमिटेड(सीएमपीडीआई एल)	-	-	-	74.23	-	(0.02)		-
कोल इंडिया लिमिटेड	140.36	80.37	-	-	(0.72)	-		(9.48)
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-	-	-	-	(1.16)	-		25.83
एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड	-	-	-	-	(0.01)	-	0.02	0.56
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-	-	-	-	(2. 40)	-		65.89
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड	-	-	-	-	(0.09)	-		2.63

कोष्ठक में दिए गए अंक निवल आय या क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।.

छ) वर्तमान लेखा घोषणाएँ

भारतीय लेखांकन मानक 116- पट्टे

(i) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वीडियो अधिसूचना 30 मार्च, 2019 के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से भारतीय लेखा मानक116,पट्टाभारतीय लेखा मानक 17,पट्टे को प्रतिस्थापित करसे समूह के लिए प्रभावी हो गई है। पट्टों पर लेखांकन नीति को इंडस्ट्रीज़ 116 के रूप में बदल दिया गया है। 116 के रूप में इंडस्ट्रीज़ का मुख्य परिवर्तन, पट्टों के लेखांकन उपचार में पट्टों के पट्टों में परिवर्तन है जो वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पट्टे के समझौतों ने राइट-ऑफ-यूज एसेट की मान्यता को बढ़ावा दिया है और समूह के कम होने के मामले में भविष्य के लीज भुगतान के लिए एक लीज देयता है।

परिवर्तन के बाद, समूह ने संचयी विधि का पालन किया है यानी शुरू में इस मानक को लागू करने के संचयी प्रभाव को स्वीकार किया है, जो कि प्रतिधारित आय के प्रारम्भिक शेष के समायोजन के रूप में है और प्रारम्भिक प्रतिधारित आय में ₹ शून्य का समायोजन किया गया है। तुलन पत्र में दर्शाये गए लीज देयता की गणना के लिए 8% का उपयोग पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर के रूप में किया गया है।

31.03.2018 को परिचालन पट्टे के संबंध में लीज देयता प्रतिबद्धता, उक्त पट्टेदार की वृद्धिशील उधार दर की छूट का उपयोग कर ₹ शून्य था। जबकि 01.04.2019 को बैलेंस शीट में दर्शाई गयी लीज देयता ₹शून्य है।

झ) बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब लगाया जाता है।

ञ) लेखे में रखे गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले /नॉन-मूविंग /अप्रचलित भंडार, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के खिलाफ खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

ट) चालू आस्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ठ) चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ड) शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध एवं अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान रखा गया है।

ढ) कोयलेकाप्रारंभिकस्टॉक,उत्पादन,खरीद,टर्नओवरऔरअंतिमस्टॉककाविवरण

(₹ करोड़ मेंऔर मात्रा लाख टन में)

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष		31.03.2019 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक	**130.23**	**444.90**	**111.78**	**420.54**
उत्पादन	1403.58	14384.83	1441.51	15349.83
कोयले की खरीद	5.14	56.69	-	-
बिक्री	1335.02	14105.60	1423.03	15324.75
स्व खपत	0.02	0.43	0.03	0.73
खरीदे गए कोयले का प्रेषण	5.12	56.40	-	-
बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-
5% से अधिक की कमी	1.17	19.43	1.17	19.43
5% से अधिक	-	-	-	-
अंतिम स्टॉक	**197.62**	**704.56**	**129.06**	**425.46**

चालू वर्ष की प्रारम्भिक शेष के साथ पिछले वर्ष के अंतिम शेष का समायोजन

	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (₹ करोड़ में)
31.03.19 में अंतिम शेष (अडोप्टेड स्टॉक)	**129.06**	**425.46**
जोड़: 31.03.19 में 5% से अधिक की कमी	1.17	19.43
कुल	130.23	444.89

ण) भारतीय मानक 115के अनुसार पृथक राजस्व

पृथक राजस्व सूचना	**31.03.2020 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2019 को समाप्त वर्ष**
माल और सेवा के प्रकार:-		
- कोयला	14162.00	15324.74
- अन्य	-	-
कोयला विक्रय से कुल राजस्व	**14162.00**	**15324.75**
ग्राहकों के प्रकार		
- ऊर्जा क्षेत्र	8791.46	9185.30

- गैर- ऊर्जा क्षेत्र	5370.54	6139.45
- अन्य सेवाएं	-	-
कोयला विक्रय से कुल राजस्व	**14162.00**	**15324.75**
संविदा के प्रकार		
- एफएसए	11420.70	12451.98
- ई-नीलामी	2741.30	2872.77
- अन्य	-	-
कोयला विक्रय से कुल राजस्व	**14162.00**	**15324.75**
माल और सेवा का समय		
- ठीक समय पर माल का अंतरण	14162.00	15324.75
- समय के बाद माल का अंतरण	-	-
- ठीक समय पर सेवाओं का अंतरण	-	-
- समय के बाद सेवाओं का अंतरण	-	-
कोयला विक्रय से कुल राजस्व	**14162.00**	**15324.75**

त) कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **186(4)** के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है -

कंपनी का नाम	**संबंध**	**ऋण/निवेश**	राशि (₹ करोड़ में)
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	57.06
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	59.57
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.05
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.03
एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड		दिये गये ऋण	1125.00 (o/s)

- दिनांक 31.03.2020 अंतर्गत ऋण के संदर्भ में समूह द्वारा कोई भी कॉर्पोरेट गारंटी नहीं दिया गया है।
- निधिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कंपनी ने मासिक आधार पर 7% ब्याज देयता पर एन.एल.सी.आई.एल. को 1000 करोड़ का ऋण दिया है एवं संवितरित कुल 2000 करोड़ रूपये की स्वीकृत ऋण 48 मासिक किस्त पर अगले माह से देय होगी।एनएलसीआईएल को यह ऋण पात्र निवेश के रूप में सीपीएसई द्वारा अधिशेष निधियों के निवेश पर दिशानिर्देशों के खंड 8 (iv) के तहत कवर किया गया है।

थ) एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट का निर्माण (एमआईएनआरईएम)

समूह ठेकेदार मेसर्स एन.बी.सी.सी. के माध्यम से 138.83 रूपये करोड़ की अनुमानित लागत पर 'एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी मैनेजमेंट, भुवनेश्वर' का निर्माण कर रही है। निर्माण कार्य रोक दिया गया क्योंकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने पहले अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया। हालाँकि 02.11.2018 को बीडीएने एमसीएलके पक्ष में आवश्यक अनुमति दे दी है।एमओयू को 09.01.2020 से दो साल की अवधि के लिए पुनर्वैध किया गया है और उपरोक्त कार्य 12 महीनों के भीतर पूरा किया जाना है और संशोधित परियोजना लागत

155.33 करोड़ रुपये है।ठेकेदार ने अभी तक एमआईएनआरईएमके शेष कार्य को फिर से शुरू नहीं किया है। समूह ने अब तक संस्थान के निर्माण के लिए₹ 104.48 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

द) बलियापंडा मौजा, पुरी में भूमिः-

पुरी नगर पालिका के साथ 99 वर्ष के पट्टा अवधि (दिनांक-01.04.1996 से प्रभावी) से बलियापंडा मौजा, पुरी की 05 एकड़ भूमि जिसकी कीमत 0.94 करोड़ रूपये है, पट्टे के तौर पर लिया गया है। हालांकि तहसीलदार, पुरी द्वारा दिये गए कार्यालय ज्ञापन संख्या-7206 दिनांक-21.08.2004, कलेक्टर, पुरी को संबोधित किए गए पत्र में, जिसकी एक प्रतिलिपि एमसीएल, भुवनेश्वर को भी भेजी गयी है, कहा गया है कि उक्त क्षेत्र “मीठा पानी क्षेत्र” के तहत आती हैं तथा इस क्षेत्र को आवास एवं शहरी विकास विभाग में सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। चूंकि उक्त भूमि ‘मीठा पानी क्षेत्र’ के तहत आती है, इसलिए तहसीलदार, पुरी ने 2008-09 तक भूमि किराये के साथ ही उपकर स्वीकार किया है। तत्पश्चात निदेशक(कार्मिक), एमसीएल ने पत्र संख्या-4707, दिनांक-08.01.2019 के द्वारा कलेक्टर, पुरी को रुकी हुई परियोजना को शुरू करने के लिए वैकल्पिक जमीन जल्द सौंपने का अनुरोध किया। कार्यकारी अधिकारी, पुरी नगर पालिका ने एडीएम को दिनांक 05.11.19 को अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि एमसीएल को भवन निर्माण के लिए समझौते के निष्पादन की तारीख से 09.04.1997 से तीन साल के भीतर निर्माण करना था। हालाँकि एमसीएलद्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कोई निर्माण नहीं किया गया था, अब अमृत योजना के तहत उसी भूमि पर एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। भूमि के वैकल्पिक पैच के आवंटन के लिए 05.12.2019 को उपमहाप्रबंधक, एमसीएल द्वारा पुरी को फिर से पत्र लिखा गया है, और राज्य प्राधिकरण के साथ मामला सक्रिय विचाराधीन है। एमसीएल उम्मीद कर रहा है कि एमसीएल के पक्ष में वैकल्पिक भूमि जल्द ही आवंटित की जाएगी। जब तक एक वैकल्पिक भूमि एमसीएल के लिए उपलब्ध है, तब तक जमा की गई राशि को पूंजी अग्रिम के तहत रखा गया है।

ध) वर्ष के दौरान, समूह ने प्रारम्भिक अग्रिम कर के रूप में ₹ 2000 करोड़ के भुगतान के लिए ₹ 2052 करोड़ मूल्य के टीडीआरको गिरवी रखते हुए ₹1840 करोड़ मूल्य का ऋण बैंक के लिया है।

न) कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक के लिए खनन योजना तैयार करने के दिशानिर्देशों को कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 34011/28/2019-CPAM, दिनांक 16.12.2019 और दिनांक 26.02.2020 के नए दिशा निर्देश पर कोयला नियंत्रक कार्यालय, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी के माध्यम से संशोधित किया गया है।

हालांकि, वर्ष के दौरान एस्क्रो खाते में खदान बंद करने की लागत और इसके निक्षेपण की गणना का कोई प्रभाव नहीं है।

प) वर्ष के दौरान, समूह ने OCPL से ₹ 60.80 करोड़ की राशि का कोयला खरीदा है। खरीदे गए कोयले की बिक्री ₹ 56.40 करोड़ की है, वहीं सतह परिवहन शुल्क ₹14.98 करोड़ है और निकासी सुविधा शुल्क ₹2.56 करोड़ है। खरीदे गए कोयले का बंद स्टॉक ₹0.29 करोड़ है।

फ) एमसीएल ने भारत सरकार द्वारा कर मुकदमों को कम करने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना, 2020 के तहत घोषणा का चयन किया है। समूह इन वर्षों से संबंधित सभी आयकर विवादों को निपटाने के लिए इस योजना के तहत मूल्यांकन वर्ष 1997-98 से 2007-08 तक घोषणा फ़ाइल करने की योजना बना रहा है। पिछले वर्षों हेतु ₹142.23 करोड़ का कर व्यय,लाभ और नुकसान खाते से लिया गया है।”

ब) उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए FIFO विधि से इन्वेंट्री की लागत की गणना का तरीका भारित औसत विधि में बदल दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018-19 के क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन पर काफी प्रभाव पड़ा है, इसलिए पिछले वर्ष के रिपोर्ट आंकड़ों को बहाल नहीं किया गया है।

31.03.2020 में अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के तरीके में बदलाव के परिणामस्वरूप अंतिम स्टॉक के मूल्य में कमी हुई और ₹ 5.52 करोड़ का लाभ हुआ।

भ) विभिन्न सरकारी प्राधिकरण, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार रु.26.36 करोड़ (40.09 करोड़) का जमा खाता (निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए) खोला गया है, टिप्पणी -9 और टिप्पणी-15 के तहत बैंक गारंटी के मुद्दे दर्शाए गए है। विवरण निम्नानुसार हैं:

i. न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर अनुबंधों में वसूली गई मूल्य अंतर की राशि रु. 6.45 करोड़ सावधि जमा में शामिल हैं।

ii. जो मैसर्स आईआरसी लोजीस्टिक्स लिमिटेड की बैंक गारंटी के नकदिकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश से सावधि जमा में रु. 0.22 करोड़ शामिल हैं।

iii. माननीय उच्च न्यायालय,कटक के आदेशानुसार मेसर्स श्री महावीर फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 2015 की लिखित याचिका सं. 3109 के अंतिम परिणाम तक 40% टेपरिंग मनी के रूप में रु. 0.19 करोड़ सावधि जमा में शामिल है।

iv. माननीय उच्च न्यायालय, कटक (ओडिशा) के अंतरिम आदेश से रु. 6.58 करोड़ सावधि जमा में शामिल है अर्थात किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में विवादित भूमि में शामिल मुआवजे की शेष राशि के लिए जमा किया जाए।

v. मैसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेड (एमसीएल) और मैसर्स कुणाल स्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (केएसआईपीएल) संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी के नकदीकरण के बारे में ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार रु. 1.17 करोड़ सावधि खाते में जमा की गई है।

vi. अनुषंगी कंपनी-मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की ओर से ब्लॉकों के आवंटन की शर्तों को पूरा करने हेतु भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए लेटर ऑफ कंफ़ोर्ट जारी करने के लिए स्टेट बैंक इंडिया के ग्रहणाधिकार के तहत निर्धारित 5 4.35 करोड़ की राशि जमा की गई है।

vii. कनिका रेलवे साइडिंग में पूर्ण स्वामित्ववाली एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में रु. 0.06 करोड़ की सावधि जमा राशि रखी गई है।

viii. तीन महीने के अग्रिम जल शुल्क और नौ महीने तक 1.336 क्यूसेक पानी के निकालने लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए कार्यकारी अभियंता मेन डैम डिवीजन, बुर्ला के पक्ष में रु. 0.45 करोड़ की सावधि जमा राशि निर्धारित की गई है।

ix. ओआईटीडीएस के संबंध में दूर संचार विभाग, भारत सरकार से मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस के लिए लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी जारी करने के लिए रु. 0.03 करोड़ जमा हैं।

x. एक अधिकारी द्वारा नकद गबन के विरुद्ध माननीय जिला न्यायालय सुंदरगढ़ के माध्यम से अर्जित विशेष अवधि जमा ब्याज सहित रु. 2.12 करोड़ के बैंक डिपॉजिट वसूल किया गया है को वापस लिया गया है जो न्यायालय द्वारा लंबित मामले का अंतिम रूप है।

xi. बैंक के पास रु. 1.39 करोड़ के बैंक में जमा है जो हस्ताक्षरित एमओयू / अनुबंध पर वाटर डैम डिवीजन के पक्ष में हैं।

xii. लिलारी नाले से ड्रॉ के लिए अनुबंध के निष्पादन के लिए टीडीआर के रूप में रु. 0.02 करोड़ की बैंक जमा राशि है।

xiii. कार्यकारी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रभाग, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में रु. 0.08 करोड़ की बैंक राशि जमा है।

xiv. कार्यकारी अभियंता, बुर्ला सिंचाई प्रभाग, बुर्ला के लिए टीडीआर के रूप में रु. 1.20 करोड़ की बैंक राशि जमा है।

xv. एमआईएमएसआर के लिए संस्था भवन योजना की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तमदा(टीएएमडीए) के पक्ष में बीजी जारी करने के लिए रु. 0.85 करोड़ बैंक डिपॉजिट में शामिल हैं।

xvi. ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों पर मैसर्स उत्कल राजमार्गों के लिए टीडीआर के रूप में रु. 1.19 करोड़ की बैंक जमा राशि है।

म) एमसीएल में, 22 खुली और 12 भूमिगत खदान हैं, जिनमें से 4 खुली खदान और 5 भूमिगत खदान गैर-उत्पादक हैं और 3 खुली खदान और 3 भूमिगत खदान विकासाधीन हैं: -

गैर उत्पादक खदानों की सूची:-:-

क्र.	**खदान का नाम**	**गैर उत्पादक होने के लिए कारण**
1.	छोंडिपड़ा ओसीपी	खदान बंद होने के कारण।
2.	लिलारी ओसीपी	लिलारी ओसीपी की खनन योजना मार्च 2018 तक वैध थी।
3.	साउथ बलंडा ओसीपी	कोयला भंडार नि:शेष होने के कारण।
4.	बसुंधरा ईस्ट ओसीपी	कोयले के सम्पूर्ण निष्कर्षण के कारण खदान बंद है।
5.	हिंगिर रामपुर कोलियरी भूमिगत	ओरिएंट एरिया से जारी खदान बंदी सूचना के साथ इस खदान को 27.05.2013 से छोड़ दिया गया है।
6.	ओरियेंट खदान नं.4 भूमिगत	क. दिनांक 02.07.2017 से डेवलपमेंट पैच की अनुपलब्धता के कारण उत्पादन बंद कर दिया गया है क्योंकि खदान की पूरी संपत्ति पहले से ही विकसित है और चरण II के वन क्लीयरेंस के अभाव में डिप्लीयरिंग के लिए अनुमति नहीं है। ख. सेवानिवृत्ति आदि के कारण ओरिएंट क्षेत्र में श्रमशक्ति की कमी है। चूंकि ओरिएंट क्षेत्र की अन्य खानों की उत्पादक इकाइयों में श्रमशक्ति की कमी है, इस खदान की उपलब्ध श्रमशक्ति को लाभकारी उपयोग के लिए अन्य उत्पादक खानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब खदान को आउटसोर्स मोड में चलाने की प्रक्रिया चल रही है।
7.	तालचेर भूमिगत	डीएमएस, भुवनेश्वर की सूचना संख्या - 010686 / बीबीआर-डीएच / सीओ -6 / नोटिस -22 ए (1/2015/2015/4562) द्वारा खानों अधिनियम 1952 की धारा 22 ए (1) का पालन नहीं करने के कारण अस्थायी रूप से कोयले का

		खनन बंद। दिनांक 03.09.2015, ड्रिफ्ट टॉप सेक्शन (वर्तमान में काम कर रहे) को तीसरी प्रविष्टि प्रदान करने के लिए, और CMR-2017 के प्रावधान के अनुसार, आरईजी नं. - 158 (3) उत्पादन 24.02.2018 से निलंबित कर दिया गया था।
8.	देउलबेरा भूमिगत	उत्पादन को नोटिस से रोकना पड़ा। अधीक्षण अभियंता की नोटिस कि पानी राइट बैंक कैनाल में छोड़ा जाएगा, जिसके नीचे खदान का काम दिनांक 19.07.2006 तक चालू था
9.	हॉंडिधुआ भूमिगत	भारी नुकसान के कारण दिनांक 16.09.1998 से उत्पादन रोक दिया गया है।

विकासशील खदानों की सूची:-

क्र.	**विकासशील खदान**
1.	तालचेर वेस्ट (भूमिगत)
2.	जगन्नाथ (भूमिगत)
3.	नटराज भूमिगत
4.	सियारमाल ओसीपी
5.	बसुंधरा वेस्ट (विस्तार) ओसीपी
6.	सुभद्रा ओसीपी

य) एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एमसीएलकी अनुषंगी कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक, तालचेर द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी नंबर 50/48 को ₹ 22.248 करोड़ की राशि के लिए भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में, कोयला मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली के माध्यम से कार्य करने की गारंटी दी है, जो 01.04.2020 को 6 महीने के लिए (01.04.2020 से 30.09.2020 तक) नं 50/48 और विरोध के तहत नवीनीकृत किया गया है।

भारत सरकार के कोयला मंत्रालय से 9 जुलाई, 2013 को F.No-47011/7 (6) / 93-CPAM / CA से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें 20% बीजी की कटौती के संबंध में था, जिसके खिलाफ समूह के निजी शेयरधारक दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में अपील के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह कटौती समूह द्वारा निर्धारित / विस्तारित समय-सीमा द्वारा लक्षित उत्पादन को पूरा नहीं करने के मद्देनजर किए जाने हेतु प्रस्तावित है।

र)24 सितंबर 2014 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1993-2012 के दौरान किए गए 204 कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया को रद्द कर दिया और आवंटन प्रक्रिया को मनमाना और आवंटन को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया। तदनुसार, गोपालप्रसाद वेस्ट (एमजेएसजे कोल लिमिटेड, एमसीएलकी अनुषंगी कंपनी) और तलाबीरा II & III (एमएनसीएल शक्ति लिमिटेड, एमसीएलकी अनुषंगी कंपनी) सहित उत्कल ए नाम के कोल ब्लॉक को जिसे पहले समूह के पक्ष में आबंटित किया गया था, डिएलोकेट कर दिया गया।

ल) कोल माइंस (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, 17 फरवरी 2016 को लिखे गए अपने पत्र के अनुसार सरकार ने नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड (पिछले आवंटियों में से एक) को तालाबीरा II

और III कोयला ब्लॉक आवंटित किया है। एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमसीएल की अनुषंगी कंपनी को नामांकित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालयद्वारा भूमि के अधिग्रहण, प्रगति और अमूर्त आस्ति में पूंजीगत कार्य के लिए इसके द्वारा खर्च की गई राशि के माध्यम से नए आवंटियों से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मुआवजा नामित प्राधिकारी द्वारा कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत निर्धारित किया जा रहा है और चरणबद्ध तरीके से समूह द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

नामित प्राधिकारी के कार्यालय ने पत्र सं 110/13/2015 / एनए, दिनांक 12.09.2016 के माध्यम से पूर्व आवंटि को आगे के वितरण हेतु क्षतिपूर्ति राशि भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की लागत को और भुगतान के आयुक्त अर्थात् कोल नियंत्रक कार्यालय (सीसीओ), कोलकाता को लागत सहमति अंतरित कर दी है। इसमें तलाबीरा- II और III कोयला खदान की ओर ₹ 15.89 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि शामिल है। तदनुसार कोल नियंत्रक कार्यालय ने 04.01.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से राशि अंतरित की है।

एक बार फिर नामांकित प्राधिकारी के कार्यालय ने भुगतान के आयुक्त को कोल इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत की क्षतिपूर्ति अंतरित कर दी है। कोल नियंत्रक कार्यालय, कोलकाता को पूर्ववर्ती आवंटी को पत्र संख्या 110/9/2015 / NA (भाग- II) के लिए और अधिक संवितरण के लिए , दिनांक: 01.12.2016। इसमें तलाबीरा- II और III कोयला खदान की ओर ₹2.67 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि केवल शामिल है। तदनुसार कोयला नियंत्रक कार्यालय ने 08.02.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड के नाम से राशि अंतरित की है।

i) लाभ का समायोजन (₹.करोड़ में)

	जिस अवधि में त्रुटि संबंधित है	2018-19 को समाप्त वर्ष हेतु
पहले रिपोर्ट की गई समूह की कुल व्यापक आय		6025.36
पूर्व अवधि की वस्तुओं के लिए समायोजन:		
ब्याज आय	2018-19	3.41
समूह की कुल व्यापक आय (पुनर्निर्धारित)		6028.77

व) कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप भारत और विश्व में आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण व्यवधान और मंदी का कारण रहा है।कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। कंपनी भावी आर्थिक परिस्थितियों और व्यवसाय पर उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की सूक्ष्म निगरानी रखेगी।

श) महत्वपूर्ण लेखा नीति

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) का मसौदा तैयार किया गया है।

ष) अन्य:

क) पिछले वर्ष / अवधि के आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पुनर्व्यक्त किया गया है और आवश्यक समझे जाने पर इसे फिर से पुन: एकत्रित और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

ख) नोट संख्या 3 से 38 में पिछली अवधि के आंकड़े कोष्ठक में हैं।

ग) नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को प्रस्तुत करता है, नोट 3 से 23, 31 मार्च 2020 के अनुसार तुलन पत्र को तथा नोट 24 से 37 में उस तिथि पर समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानी के विवरण शामिल है तथा नोट- 38 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त टिप्पणी को दर्शाता है।

नोट 1 से 38 तक हस्ताक्षर।

ह/- (ए.के.सिंह) कंपनी सचिव	ह/- (पी.के. स्वर्णकार) महाप्रबंधक (वित्त)	उसी दिन हमारे द्वारा संलग्न रिपोर्ट के अनुसार कृते, सिंह राय मिश्रा एंड कं. सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई
ह/- (के आर वसुदेवन) निदेशक (वित्त) डीआईएन: 07915732	ह/- (बी.एन.शुक्ला) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डीआईएन: 05131449	ह/- (सीए जे.के.मिश्रा) साझेदार सदस्यता संख्या. 052796

दिनांक: 15.06.2020
स्थान : बुर्ला